खण्ड-331, अंक-9
मंगलवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1900
(18 अप्रैल, 1978 ई0)

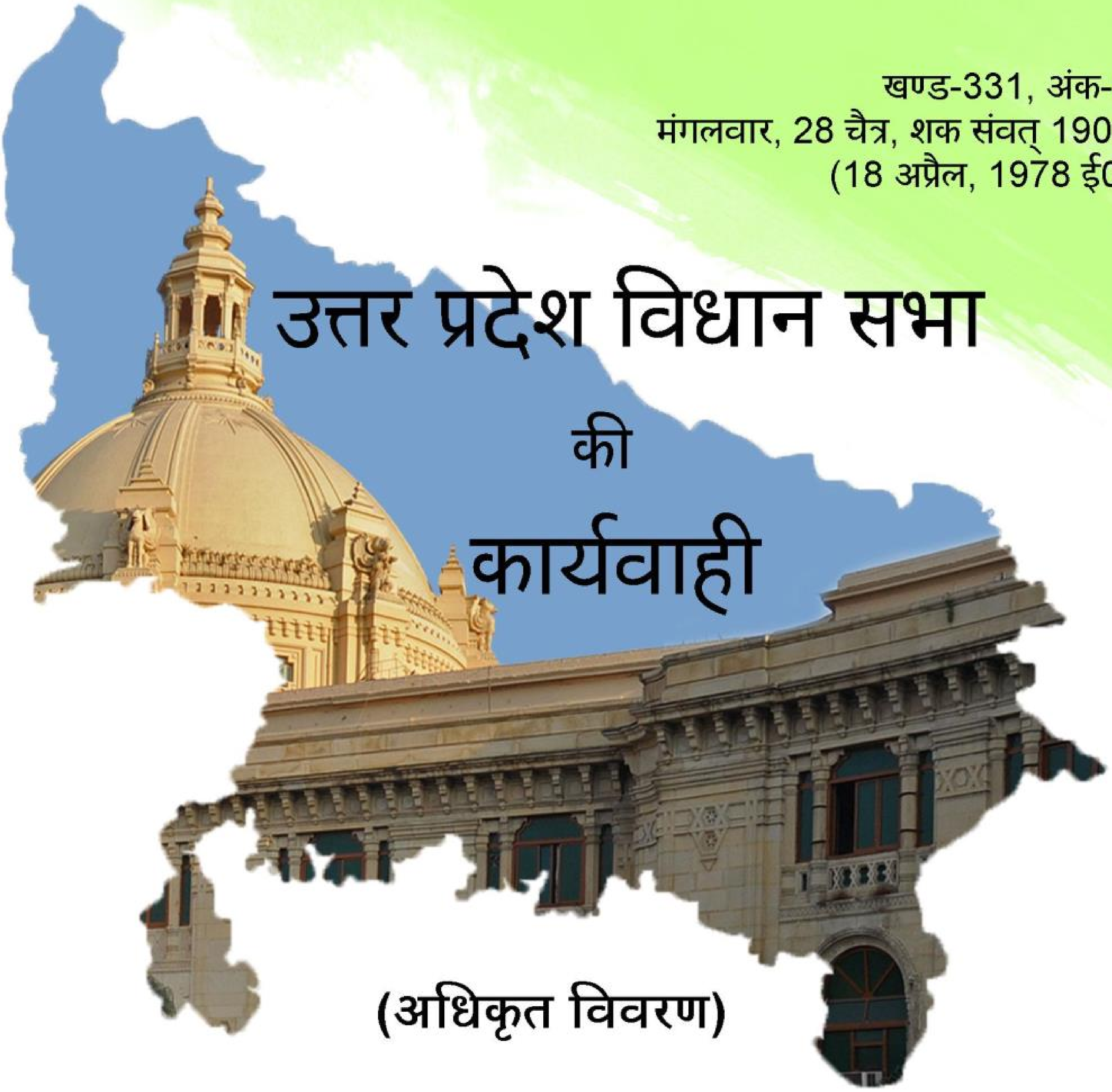

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 331 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1147–1150
प्रश्नोत्तर	1151–1193
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	1193–1195
बजट साहित्य समय से न मिलने के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	1195–1196
नैपाल के प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन पर स्वागत में सदस्यों को आमंत्रित न किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1196–1197
कोयले की चोरबाजारी के कारण फिरोजाबाद, आगरा के कांच उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1197
आपातकाल में सेवा से अलग किये गये राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1197–1198
ई0 एस0 आई0 चेस्ट चिकित्सालय, कानपुर में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1198
ग्राम दत्त नगर, गोंडा में पड़ी डकैतियों तथा गोंडा जिले में बढ़ते हुए अपराधों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1198–1199
आगरा–टूंडला–झांसी रेल मार्ग पर बढ़ रही डकैतियों से यात्रियों में असुरक्षा के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1199
हैदराबाद विधान सभा क्षेत्र, जिला खीरी में पड़ी डकैतियों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1200–1201
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	1201
वन विभाग के सांख्यकीय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति रद्द करने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	1202
श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1202
1978—79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 48—गन्ना विकास... (स्वीकृत) ..	1202–1241

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाए	1241
धानेपुर के थानाध्यक्ष द्वारा रामरंग होमगार्ड को थाने में पीटे जाने के कारण मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1241–1247
गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में श्रमिक आन्दोलन में हुए गोली कांड के संबंध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा...(जारी)	1247–1277
बढ़े हुए लगान तथा विकास कर की वसूली के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	1278
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही...(जारी)	1278–1282
गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में श्रमिक आन्दोलन में हुए गोली कान्ड के संबंध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा	1282
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	1291–1292
नत्थियां	1293–1300

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 18 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—338

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुणकुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर मैय्या, श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटेलाल, श्री
छोट लाल 'निर्भय' श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसबीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर ,श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव,श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुवाठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त , श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री

बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैज नाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानसिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राध श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री

राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाटी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 18 अप्रैल, 1978

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ स्थित चारबाग स्टेशन के रिटायरिंग रूम में कुमारी मंशा सिंह को जलाये जाने की घटना

**1—श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या 19 फरवरी, 1978 को लखनऊ स्थित चारबाग स्टेशन के रिटायरिंग कक्ष में कुमारी मंशा देवी नामक लखनऊ विश्वविद्यालय की महिला छात्र जली हुई अवस्था में पायी गयी थी ? अगर हां, तो वह कैसे और किसके द्वारा जलायी गयी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

दिनांक 21-2-78 को 18.30 बजे थाना जी0आर0पी0 लखनऊ पर कुमारी मंशा राजपूत पुत्री श्री लाल बहादुर सिंह निवासी सरोजनी नगर, लखनऊ ने एक रिपोर्ट लिखायी कि श्री समी मोहम्मद सिद्दीकी, पुलिस उपाधीक्षक ने दिनांक 19 फरवरी, 78 को उत्तर रेलवे, चारबाग स्टेशन के विश्राम कक्ष में जानी नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसके कपड़ों में आग लगा दी। थाना जी0आर0पी0 में प्रथम सूचना के लिखने के पश्चात् विवेचना थाना जी0आर0पी0 लखनऊ द्वारा प्रारम्भ की गयी। दिनांक 28-2-78 से इस अपराध की विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की विवेचना अपराध शाखा एवं अनुसंधान विभाग से क्यों कराई जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, इसके जो अपराधी हैं, वह पुलिस के राजपत्रित अधिकारी हैं। कुमारी मंशा राजपूत 14-2-78 को पुलिस महानिरीक्षक से मिली थी, उन्होंने शिकायत की थी कि यह चूंकि पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, तो सी0आई0डी0 से इसकी जांच होनी चाहिये। उस चीज को मंजूर करते हुए सी0आई0डी0 की जांच कराई जा रही है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शासन को ऐसी सूचना मिली है कि इस मामले में, शासन के कुछ बड़े अधिकारी और कुछ भूतपूर्व अधिकारी जैसे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य सचिव भी शामिल हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि वह शामिल हैं। क्या इस आधार पर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है चूंकि माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है तो इसकी जांच कराई जायेगी।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी कुमारी मंशा राजपूत का शिकायती पत्र पढ़ कर सुनायेंगे, जो उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारी को दिया था ?

श्री अध्यक्ष—

उसका सारांश बतला दीजिये। पूरा पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, सारांश मैंने निवेदन किया कि 14 फरवरी को कुमारी मंशा राजपूत, पुलिस महानिरीक्षक से मिली थी। उन्होंने यह कहा कि मेरे को धोखा देकर डी वाई0एस0पी0 ने शादी की, यह बता कर कि वह शादीशुदा नहीं हैं और फिर मुझको अस्पताल में गलत नाम से दाखिल कराया। इस मामले की सही जांच नहीं होने जा रही है इस प्रकार की शिकायत की थी।

श्री फजलुलबारी—(जिला गोंडा)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब 13 फरवरी को महा निरीक्षक को खत मिल चुका था, जिसमें आफिसर का नाम दर्ज था और उसने ज्यादती की थी, उसके बाद यह घटना हुई है 19 फरवरी को। उस घटना की रिपोर्ट गालिबन एक औरत ने लिखाई है। जब क्लीयर पिक्चर मौजूद थी, तो फिर आगे इस मामले की जांच क्यों की जा रही है कि इस मामले को इलतबा में डाल दिया जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

कोई दबाने का इरादा नहीं है। पूरी जांच हो जाय और अपराधी को दंड मिल जाय, उस हेतु निष्पक्ष सी0आई0डी0 की जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, रिपोर्ट नामजद है, सारी पिक्चर बिलकुल क्लीयर है। क्या माननीय मंत्री जी सी0आई0डी0 के सुपुर्द इसलिए कर रहे हैं कि किसी अधिकारी के आदेश हैं। इसलिए वह विवश हैं। तो वह आदेश पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया इसमें अपराधी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी हैं। अगर किसी सब-इंसपेक्टर के सुपुर्द किया जाता, तो माननीय सदस्य यहां आपत्ति करते। इसलिए पहले ही सी0आई0डी0 को मामला काफी समझ कर दिया गया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी))—

उक्त राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ क्या अनुशासन की कोई कार्यवाही, निलम्बन आदि किया गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा था, वह अधिक बीमार हो गये। अस्पताल रहे कई दिन और उस बीच उन्होंने अपनी जमानत करा ली। वह मुअत्तल हैं और कानूनी कार्यवाही उनके साथ हो रही है।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सी0आई0डी0 की इंक्वायरी कब तक पूरी हो जाएगी. क्योंकि सी0आई0डी0 के केसेज सन् 73-74 के अभी तक नहीं चले हैं, तो उसमें कब तक जांच पूरी कराकर चार्जशीट लगवायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

बहुत शीघ्र हो जाएगा।

श्री दीप नरायन--

सी0आई0डी0 इंक्वायरी में 5-6 साल लग जाते हैं, तो यह कैसे सम्भव हो जायगा ? यह मेरी निश्चित जानकारी है।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

यह अस्पताल में भर्ती की गई तो क्या बीमारी बताकर भर्ती की गई और उस समय इनका गार्जियन किसको बताया गया ? और जब सूचना फर्जी पाई गई, तो इस सम्बन्ध में दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह क्वीन मेरी अस्पताल में भर्ती हुई थी, डी0 एस0 पी0 ने किया था, इनका नाम मेहरुन्निसां सिद्दीकी, पत्नी सिद्दीकी डी0 एस0 पी0 बताया गया था। इन्हें 17-1-78 को भरती कराया गया था और 25-1-78 को डिस्चार्ज किया गया। यह मालूम हुआ है कि गलत उद्देश्य से भर्ती कराया गया था, किन्तु किस बीमारी के कारण कराया गया था, यह पता नहीं है।

श्री ओंकार नाथ--

जिस नाम से भर्ती किया गया वह नाम, पता तथा बीमारी सब फर्जी पाया गया, तो उसके विषय में मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें बड़े अपराध की तफ्तीश हो रही है, उसमें कार्यवाही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। उसमें कोई जुर्म बनता होगा तो उसको देखा जाएगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

जो प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट शासन को मिली है, क्या उससे इस बात का भी पता चलता है कि सम्बन्धित अधिकारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों का और स्मगलिंग का व्यापार भी करते थे, जिसमें बड़े-बड़े अन्य अधिकारियों का भी हाथ था ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह काफी गम्भीर आरोप इस अधिकारी के खिलाफ तफ्तीश के दौरान आए, सबकी विस्तार से विवेचना की जा रही है। किन्तु यह बताने में हम समर्थ नहीं हैं कि और कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं आदि।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं आया . . .

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर तो दे दिया कि जांच के दौरान में गम्भीर जुर्म सामने आए हैं।

हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण की मांग

**2--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

जी नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया था ? अगर हां, तो उसका निष्कर्ष निकला कि वह नहीं करेगी या अभी कुछ दिनों के लिये पोस्टपोन किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, विधान परिषद् में एक संकल्प आया था 1 सितम्बर, 1977 को और 8 सितम्बर, 1977 को । संकल्प इस प्रकार से था--"इस सदन का यह निश्चित मत है कि हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कम्पनी (हिंडालको) का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाये और इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय व प्रदेशीय सरकार से अविलम्ब कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाय ।" इस पर 28 अक्तूबर, 1977 को केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय को लिख कर भेज दिया गया है कि संकल्प वहां से पास हो गया था । सरकार ने विरोध किया । एक पिछली मंत्रि-परिषद् बनी थी । उसकी संस्तुति थी, राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये, यह लिख कर भारत सरकार को भेज दिया गया है । वहां से अभी कोई जवाब नहीं आया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, क्या उन्होंने विद्युत मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही जी का बयान अखबारों में श्री सी0बी0 गुप्ता के प्रतिउत्तर के संदर्भ में देखा है ? अगर हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत् मंत्री ने कहा है कि इसके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

यह जो आपका पहला भाग है वह संगत नहीं है । क्योंकि यह नहीं मालूम कि गुप्ता जी ने क्या कहा । यह बतलाइये कि विद्युत मंत्री जी ने ऐसा वक्तव्य दिया है, आपकी जानकारी में है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मेरी जानकारी में तो बात नहीं है । अगर दिया होगा, तो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है । मंत्रि-परिषद् का नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत् मंत्री ने राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में, उस बयान को अखबारों में दिया था ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं । अगर दिया है, तो व्यक्तिगत है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

विद्युत् मंत्री का वक्तव्य सरकार के निर्णय के संदर्भ में होना चाहिये । अगर विद्युत मंत्री ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के निर्णय के संदर्भ में दिया है या व्यक्तिगत दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दे दिया कि अगर श्री शाही ने कहा है, तो वह सरकार का मत नहीं, व्यक्तिगत है ।

श्री राम अधार--

11 अप्रैल के "हिन्दुस्तान समाचार" नयी दिल्ली, में शाही जी का बयान है कि मैंने तो केन्द्रीय सरकार से कहा है कि हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाही जी का जो विचार है, क्या कैबिनेट में इस तरह का निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीयकरण होगा, या स्वतः अपनी ओर से बयान दिया है और क्या उन्होंने कैबिनेट रेस्पांसिबिलिटी को तोड़ा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों में केवल सूचना प्राप्त की जाती है । तोड़ा है या नहीं, यह मत का प्रश्न है ।

श्री ऊदल--

मैं शाही जी के खिलाफ नोटिस देता हूं । इसलिये कि मंत्रिमंडल की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है । अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है और मंत्री जब उससे इनकार करते हैं, कहते हैं कि व्यक्तिगत बयान है कोई मंत्री नीति के प्रश्नों पर व्यक्तिगत बयान नहीं दे सकता । क्योंकि मंत्रिमंडल की ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है । इसलिये नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप जब नोटिस देंगे तब विचार किया जायगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई मंत्री जब प्रेस वक्तव्य मंत्री की हैसियत से देता है और जो वक्तव्य देश में प्रसारित हो जाता है और उसी के अनुसार सूचना केन्द्र में भी भेजी गयी हो और कहना कि यह व्यक्तिगत वक्तव्य था, यह कहां तक उचित है । यह निजी समझा जाये या मंत्री की हैसियत से दिया गया समझा जाये ।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है, मंत्री को अपने वक्तव्य की एक मंत्री की हैसियत से देना चाहिये और जब तक कोई मंत्री है, उसको मंत्रि परिषद् के निर्णय के विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिये, लेकिन यहां पर प्रश्नों के द्वारा उसकी वैधता आदि को चुनौती देना यह प्रश्नों की परिधि से बाहर है । किसी भी मंत्री को नीति के विरुद्ध वक्तव्य और जब कि कैबिनेट के फैसलों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है कि हम राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है, देना अनुचित है ।

श्री राम आधार--

मैं यह जानना चाहता हूं कि 21 अप्रैल, को नयी दिल्ली में विद्युत् मंत्री की ओर से क्या केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में लिखा गया है, यदि लिखा गया है, तो वह क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इसकी जानकारी हमें नहीं है । मंत्रि परिषद् की उप समिति की रिपोर्ट को जिसे केन्द्रीय सरकार को 28 अक्तूबर, 1977 को भेजा गया है, उसमें राष्ट्रीयकरण न करने की सिफारिश की गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कोई सदस्य एक प्रश्न पूछने के बाद कृपया खड़े न हों ।

श्री राम अधार--

क्या उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधान मंत्री का इस आशय का पत्र मिला है कि अल्युमिनियम के उत्पादन में भारी कमी हो गयी है और जिसके कारण 200 इन्डस्ट्रीज बन्द हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है कि प्रधान मंत्री जी ने ऐसा कोई पत्र लिखा है । दूसरा प्रश्न रायसाहेब का है कि अल्यूमिनियम का प्रोडक्शन गिरा है, इसके बारे में भी समुचित जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है । विद्युत् मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीयकरण के बारे में पत्र लिखा है, तो क्या मंत्री जी उनसे सलाह लेकर इस सदन को अवगत करायेंगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने यह बयान दिया ?

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण कोई भी दे सकता है, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति है उसके बारे में स्पष्टीकरण कर के शोधन वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री राम अधार--

इसको टाल देना चाहिये ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रधान मंत्री ने पत्र लिखा या नहीं लिखा, अल्यूमिनियम की फैक्ट्री बन्द है या नहीं, तो क्या मंत्री जी को अपने उत्तरदायित्व का जो सदन के प्रति है उसका ज्ञान है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

राज मंगल जी जरा बतलाइये कि नियमावली के किस नियम के अनुसार आप व्यवस्था उठा रहे हैं ?

(हंसी)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मन्त्री जी जिस चीज का उत्तर दे रहे हैं, सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, उसका उन्हें ज्ञान नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें अपने उत्तरदायित्व का भी ज्ञान है ?

श्री अध्यक्ष--

किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व है या नहीं मेरे लिए निर्णय करना अनुचित है । यह अवश्य है कि मन्त्री जी को जो भी सम्भावित अनुपूरक प्रश्न पैदा होते हैं, उनके लिए सदन

में तैयार होकर आना चाहिये। यह ठीक है कि जो प्रश्न हुए हैं, उनके उत्तर सन्तोषजनक नहीं हैं।

(श्री कैलाश नाथ सिंह के खड़े होने और कुछ कहने पर) (शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय कैलाश नाथ जी आप बैठ जायं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

पहले प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि प्रधान मन्त्री ने कोई ऐसा पत्र लिखा। जहां तक अल्युमिनियम के प्रोडक्शन का प्रश्न है सरकार को कोई प्रतिवेदन या ज्ञापन नहीं मिला है, जिससे यह बात पता चल सके कि अल्युमूनियम का प्रोडक्शन घटा है और छोटे उद्योग इफेक्टेड हुए हैं या नहीं। जब कोई ज्ञापन नहीं मिला है, तो कैसे बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

जब उत्तर देने आप यहां पर आए हैं, तो यह कर्तव्य आपके विभाग का है कि हिन्डा-लियम उद्योग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देते। यह सदन की जानकारी में है कि प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार का पत्र लिखा है। उद्योग मन्त्री ने इस प्रकार का पत्र लिखा है। यह भी चर्चा का विषय है कि अल्युमूनियम उद्योग के जो स्माल यूनिट्स हैं, वे भी प्रभावित हुए हैं। तो यह जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए ।

श्री राम अवार--

मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

जो सूचना थी, वह दे दी। अगर आप चाहें तो नियम 49 में लिखकर मुझे दे दें, मैं देख लूंगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

मथुरा शहर में श्री शिव कुमार, श्री मोहन, श्री खचेरमल व श्री सोहन लाल गौतम की हत्या

*1--श्री लक्खी सिंह जिला मथुरा तथा श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर के उत्तम होटल के मालिक के दो लड़कों की 10-20 मार्च रात्रि के 11 बजे होटल बन्द करके घर को जाते हुए जवाहर हाट में गोली मारकर हत्या कर दी गई? यदि हां, तो इसमें कितनी गिरफ्तारी की गई और हत्यारों के क्या-क्या नाम हैं? क्या यह सत्य है कि मथुरा शहर में ही श्री खचेरमल वकील व सोहन लाल गौतम आदि कत्ल हुए हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई और मृतक के सम्बन्धी को क्या सहायता सरकार से प्रदान की गयी है?

श्री लक्ष्मण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री उत्तम चन्द्र, मालिक उत्तम होटल, मथुरा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1978 को रात्रि 11-45 बजे थाना कोतवाली पर लिखित सूचना दी गई कि

श्री लक्ष्मण सिंह—

उस रात्रि करीब 11 बजे वह तथा उसके लड़के मोहन, शिव कुमार तथा तुलसी अपना होटल बन्द करके घर की ओर चले। जब उसके उक्त तीनों लड़के मोटर साइकिल से करीब 11–15 बजे रात्रि बंसल टेन्ट हाउस के पास पहुंचे तभी एक एम्बेसडर कार ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसमें से कुन्ने उर्फ कृष्ण कुमार, सुरेश करियल तथा उसका भाई सतीश, निवासीगण अन्तापाड़ा, मथुरा जिनसे वादी से पहले से रंजिश चली आ रही थी तथा 3 अज्ञात अभियुक्त निकले और वादी के उपरोक्त लड़कों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और चाकू भी मारने लगे। जान बचाने के लिए उसके घायल लड़के भागे जिनका पता नहीं कि वे कहां और किस हालत में हैं। उक्त सूचना पर धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया जो शिव कुमार तथा मोहन की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर धारा 147/148/149]307/302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत तरमीम किया गया। उपरोक्त अपराध की विवेचना जारी है। नामांकित अभियुक्तों के फरार होने के कारण उनके विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई, जिनमें से अभियुक्त सतीश ने दिनांक 7 अप्रैल, 1978 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसे जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है।

श्री खचेरमल वकील, निवासी बृजनगर, मथुरा की हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 24 अगस्त, 1977 को थाना कोतवाली मथुरा पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत हुआ था जिसमें नामांकित एक अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। एक अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना जारी है।

श्री सोहन लाल गौतम, एडवोकेट की हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 14 जून, 1976 को थाना सदर बाजार, मथुरा पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग कायम किया गया था, जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1977 को न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

मृतकों के सम्बन्धियों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

श्री लक्खी सिंह—

अध्यक्ष जी, आपने मन्त्री जी का उत्तर पढ़ा होगा?

श्री अध्यक्ष—

मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ लिया है।

श्री लक्खी सिंह—

आप इस पर पूरा ध्यान दें। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी कह रहे हैं कि हमको सूचना मिली 11–45 पर। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसी वक्त उन लड़कों के पिता भाग करके कोतवाली में गए जब उस पर हमला कर रहे थे बदमाश, तो पुलिस उसी समय उनको बचाने के लिए क्यों नहीं आई और घटनास्थल से कितनी दूर कोतवाली है और कितनी दूर पुलिस की चौकी है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मुझको यह जानकारी नहीं है कि घटना स्थल से चौकी और थाना कितनी दूर है। जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी इसको आवश्यक नहीं समझा शायद। दूसरे, यह सूचना माननीय सदस्य ने दी है कि उनका लड़का भाग करके थाने में गया। इसमें शासन

के पास यह सूचना है कि मृतक के पिता ने थाने पर रिपोर्ट लिखाई। इसके अतिरिक्त और कोई सूचना नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

एफ० आई० आर० में होगी ।

श्री अध्यक्ष--

नेगी जी आप बैठिए। उनका सवाल है।

श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)--

मैं पूछना चाहता हूं कि शिनाख्त की कार्यवाही किस दिन हुई और क्या पहले भी 302 और 307 के केसेज इनके विरुद्ध विचाराधीन हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मन्त्री जी ने बताया कि नामांकित अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है । इसी उत्तर में लिखा है कि 3 व्यक्ति अज्ञात थे जिनके नाम नहीं पता लगे । इस सिलसिले में शासन ने कोई इंक्वायरी कराई है या जो विवेचना कर रहे हैं इस केस को तो इस केस के जो अज्ञात नाम के व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ पता लगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, विवेचना जारी है। उसमें क्या प्रगति हुई उसकी कोई इंटेरिम रिपोर्ट, बीच के अवधि की सूचना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह स्थानीय सवाल है । आप बैठें।.....लखी सिंह जी, आपके दो सवाल हो गए।

फैजाबाद जिले के ग्राम सराय नामू ओरी अहिर का पुरवा में श्री राम देव अहिर के घर पर मारपीट की घटना

*2--श्री बाके लाल (जिला देवरिया) श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़) श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद) श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा) श्री रामपति (जिला गोंडा) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के थाना इनायतनगर के अन्तर्गत दिनांक 13 मार्च, 1978 को ग्राम सराय नामू ओरी अहिर का पुरवा में श्री राम देव अहिर पुत्र श्री राम लोटन का घर सायंकाल को गुन्डों द्वारा लाठी, बल्लम, फरसा

व बन्दूक से लैस होकर उसके परिवार बुरी तरह मारा-पीटा गया और घर को फूंक दिया गया ? क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें से कौन-कौन लोग गिरफ्तार किए गए और कितने गिरफ्तारी से वंचित हैं और उन पर कौन-कौन सी दफाएं थाना अध्यक्ष ने कायम की हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13 मार्च, 1978 को सायंकाल प्रश्नगत ग्राम में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसके संबंध में पहले पक्ष के श्री राम देव ने दिनांक 13 मार्च, 1978 को ही थाना इनायतनगर में दस व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर दिनांक 15 मार्च, 1978 को दो नामजद अभियुक्त सर्वश्री चन्द्र पाल तिवारी तथा राम अजोर अहीर गिरफ्तार किये गये। शेष अभियुक्तों ने अदालत में आत्म समर्पण किया। इन सभी अभियुक्तों पर भा0 द0 वि0 की धारा 147/148/149/324/307/436 कायम की गई है।

दूसरे पक्ष के श्री सत्य नरायण की दिनांक 14 मार्च, 1978 को थाना कोतवाली में सात नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दन्ड विधान की धारा 147/148/323/324/452/504/506 के अन्तर्गत एक रिपोर्ट दर्ज हुई। सभी नामजद अभियुक्त भागे हुए हैं जिनके विरुद्ध सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 82/83 की कार्यवाही की जावेगी।

दोनों पक्षों के बीच तनाव होने के कारण सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 107/116 की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बांकेलाल—

13 मार्च, 1978 से पहले क्या दोनों पक्षों की तरफ से थाने में कोई रिपोर्ट लिखायी गयी थी ? अगर हां, तो थानाध्यक्ष ने झगड़े होने के पूर्व क्या कार्यवाही की थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

13 मार्च, 1978 से पहले कोई रिपोर्ट हुई या नहीं इसकी सूचना नहीं मंगायी गयी। (व्यवधान) अगर माननीय सदस्य यह चाहें कि इस सूबे के 56 जिलों का हर थाने का रोजनामचा यहां मैं मंगा लिया करूं, तो मान्यवर, यह संभव नहीं है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, तमाम सूबे के रोजनामचे मंगाने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न केवल एक ही जिले का है। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, यह असम्भावी नहीं कहा जा सकता है। यह सूचना तो आपको देनी चाहिये थी।

श्री लक्खी सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न पर आपने मुझे केवल एक ही प्रश्न करने का अवसर दिया जब कि मेरा प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण था, यह क्या मतलब है कि दूसरा प्रश्न आपने ले लिया ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

लक्खी सिंह जी, आपने एक प्रश्न किया, उसके बाद आप खड़े ही नहीं हुए। तुरन्त माननीय हुकमचन्द तिवारी खड़े हुए, मैंने उनको बुला लिया।

श्री लक्खी सिंह—

मैं खड़ा हुआ था। आपने मुख्य मंत्री जी को छोड़ दिया। (हंसी)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आप देख रहे हैं कि मंत्री जी किस तरह के जवाब दे रहे हैं,आखिर कब तक इस तरह से आप इस सरकार को चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

सरकार मुझे नहीं चलाना है, सरकार तो दल को चलाना है ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि 56 जिलों का रोजनामचा मंगाना संभव नहीं है, क्या इस तरह का जवाब देना सदन का अवमान नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

आपको भी पतली खाल का नहीं होना चाहिये ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

दूसरे पक्ष से जो रिपोर्ट हुई उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई ह और क्या कार्यवाही हुई है अब तक ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने मूल उत्तर में बताया है कि सभी नामजद अभियुक्त भागे हुए हैं जिनके खिलाफ 82/83 की कार्यवाही हो रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो दोनों पक्ष से रिपोर्ट लिखाई गयी है, पहली रिपोर्ट में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और गिरफ्तार करने के बाद थाने पर जमानत ले ली गयी और कितने लोगों की कोर्ट से जमानत हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, इसमें पहली रिपोर्ट में 10 आदमी नामजद थे, जिनमें से दो गिरफ्तार हुए, अदालत से जमानत उनकी हुई, बाकी 8 आदमी अभी भागे हुए हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इसमें दो एफ0 आई0 आर0 13–3 और 14–3 को लिखाई गयी थी, 14–3 वाली एफ0 आई0 आर0 में उत्तर दिया गया कि सी0 आर0 पी0 सी0 की 82/83 की कार्यवाही की जायगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 82/83 की कार्यवाही कब की जायगी, जब कि उसके दो व्यक्ति पकड़े भी जा चुके हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह बहुत शीघ्र मान्यवर, की जायगी। माननीय सदस्य जानते होंगे कि विवेचना अधिकारी रिपोर्ट देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, वहां से आदेश मिलता है तब कार्यवाही की जाती है। इस समय मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि बता सकूं कि रिपोर्ट उन्होंने दी कि नहीं ।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, 13 मार्च, 1978 को जब झगड़ा हुआ दोनों पक्ष में, तो एक पक्ष को तो थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरे पक्ष वालों के साथ इतनी रियायत बरती गयी कि उनको भागने का अवसर मिल गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बांके लाल जी आपका कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, 107/117 की जो कार्यवाही की जा रही है, उसमें एक पक्ष से कितने लोग लिये गये हैं और दूसरे पक्ष से कितने लोग लिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

यह पूछा है कि दोनों पक्ष के कितने-कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कार्यवाही की जा रही है, अभी की नहीं गयी है, पूरे नाम नहीं बताये जा सकते ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

आपस में उन लोगों का पहले से झगड़ा था, जैसा आपने बताया कि 107/117 की कार्यवाही की जायेगी । तो मैं यह जनाना चाहता हूं कि किस-किस तारीख को, कितनी रिपोर्ट, किस-किस व्यक्ति ने की आपस के झगड़े की थी । मैं पूरे प्रदेश की जानकारी नहीं चाहता हूं, मैं एक विशेष गांव के बारे में जानना चाहता हूं । उन रिपोर्टें पर थानाध्यक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की माननीय मंत्री जी यह भी बता दें ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, दोनों फरीक में पार्टीबाजी है, रंजिश है पुरानी, किसने कितनी रिपोर्ट थाने पर, किस-किस तारीख में की, इसकी पूरी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । उसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, इनके पास सूचना ही नहीं है । मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । जब ये कह रहे हैं कि रंजिश है, तो जब रिपोर्ट नहीं हुई तो इनको रंजिश कैसे मालूम हो गयी ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप दलील दे रहे हैं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, एक घटना 14 मार्च, 1978 को हो गयी और एक घटना 13 मार्च, 1978 को हो गयी, तो इस पर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए कितने और समय की आवश्यकता होगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह सारा मार-पीट, बलवे का केस है। मार्च के महीने में हुआ है, तो दो महीने का समय तो तफतीश में छोट-छोटे केस में लग जाता है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, एक प्रश्न करने की अनुमति दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत समय हो चुका है।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, यह मेरे इलाके की घटना है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 13 तारीख को यह घटना हुई और जिस तरह से घटना हुई, तो इसमें रामदेव की तरफ से रिपोर्ट लिखायी गयी तथा दूसरी तरफ के लोगों ने भागकर कोतवाली में रिपोर्ट लिखायी। दूसरी बात यह है कि राम देव पहले भी 325 का केस कर चुका है, जिसमें दूसरे पक्ष ने सुलह कर लिया था। यह दूसरी घटना है। रामदेव वगैरह ने थाने के लोगों से मिलकर यह किया है। मान्यवर, एक हरिजन को चना उखाड़ने के मामले में बहुत पीटा था।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपकी जानकारी है। आप प्रश्न करिये।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस मामले में किसी उच्च अधिकारी से जांच करायी जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट में लिखा है कि हमारी तुम्हारी मुकदमे बाजी हो रही ह। तो दोनों फरीकों म पहले से ही मुकदमाबाजी हो रही है। और यदि इस घटना की जांच करा दी जाय, तो काफी नहीं होगा। कोई आरोप भी नहीं है कि जो अधिकारी विवेचना कर रहे हैं, उनका रवैया किसी के साथ पक्षपात करने का है। सी0 आई0 डी0 के पास भी इतने मुकदमे इकट्ठ हो चुके हैं कि तीन साल से पहले नंबर नहीं आयेगा।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—

40 मिनट हो चुके हैं, इस प्रश्न पर। मैं आगे ले रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, काफी समय इस पर हो चुकी है इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन मंत्री जी ने तस्लीम किया है कि रंजिश है। सवाल से स्पष्ट हो चुका है कि मारपीट हुई, तो यह शासन की जिम्मेदारी थी कि 107/117 की कार्यवाही होनी चाहिये थी, लेकिन नहीं किया, इसलिये शासन की लापरवाही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह जी, मैं किसी मंत्री को उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता हूं, और अगर जैसा आपका मतलब है, अगर उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो आप मुख्य मंत्री से कहिये कि इस में सुधार करें। मुझे कोई अधिकार नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न] ।

आपातकाल में मीसा तथा डिसिर के मृतक बन्दियों के आश्रितों को दी गयी सहायता

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जनकारी है कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी (आपातकाल समाप्त होने के बाद वर्तमान सरकार द्वारा) कि आपातकाल के दौरान मीसा तथा डिसिर में नजरबन्द जिन 16 व्यक्तियों की मृत्यु जेल में हुई उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी ? यदि हाँ, तो अब तक क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं दी गयी, तो क्यों ?

राजनैतिक पेन्शन उपमंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

जी हां ! आपातकाल के दौरान मीसा/डिसिर के अन्तर्गत राजनैतिक कारणों से निरुद्ध जिन 16 व्यक्तियों की जेल में मृत्यु हुई थी उनके आश्रितों को राज्य सरकार की एक मुश्त आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता की स्थिति संलग्न तालिका 'क' में उल्लिखित है ।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत आपातकाल में राजनैतिक कारणों से मीसा/डिसिर के अन्तर्गत निरुद्ध बंदी जिनकी मृत्यु जेल हिरासत अथवा छूटने के तीन महीने के अन्दर हुई उनके आश्रितों तथा पुलिस गोलीबारी से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 5,000 से रु0 10,000 तक परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये सहायता दी जानी है । आपातकालीन के दौरान मीसा/डिसिर के मृतक बंदी तथा पुलिस को गोलीबारी से मृत कुल व्यक्तियों की संख्या 71 है । इनमें से मीसा/डिसिर के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या केवल 35 और पुलिस की गोलीबारी से मृत व्यक्तियों की संख्या 36 है । मीसा/डिसिर में निरुद्ध मृत 35 व्यक्तियों में राजनैतिक कारणों से निरुद्ध कुल व्यक्ति 22 हैं । शेष 13 अपराधिक कारणों के आधार पर निरुद्ध किये गये थे । राजनैतिक कारणों से निरुद्ध 22 व्यक्तियों के मामलों की पूरी छानबीन जिला प्रशासन, जल, पुलिस बिभाग तथा अन्य स्रोतों आदि के रिकार्डों के आधार पर करके संकलित की गई प्रमाणित सूचना से विदित हुआ है कि 7 मृतक व्यक्तियों क आश्रित या तो योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं पाये गये अथवा उनके कोई आश्रित ही नहीं हैं । इन 22 राजनैतिक मीसा/डिसिर मृतक बंदियों के आश्रितों की, जो योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र पाये गये हैं, स्थित तालिका 'ख' में संलग्न है ।

पुलिस गोलीबारी से मृत कुल 36 व्यक्तियों में 25 मुजफ्फरनगर, 9 सुल्तानपुर, 1 प्रतापगढ़ तथा एक गोरखपुर का व्यक्ति है । इनमें से मुजफ्फरनगर के प्रत्येक मृतक व्यक्ति के आश्रितों को तत्काल रु0 10,000 की सहायता दी जा चुकी है । इनको योजना के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं देना है । सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा गोरखपुर के शेष 11 मामलो में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की स्थिति तालिका 'ग' में उल्लिखित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1293 पर) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह प्रश्न पिछली 20 तारीख को आया था और आप सहमत थे कि प्रश्न का उत्तर नितान्त अपूर्ण और भ्रामक था । इसालये आपने उसको स्थगित किया । आज 15-वें दिन सूचना फिर आ रही है, तो मैं मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर को चुनौती देता हूं कि यह उत्तर गलत तथ्यों पर आधारित है और उत्तर गलत है । इसमें उन्होंने स्वी-

कार किया है कि 16 व्यक्तियों की जेल में मृत्यु हुई है और यही उस दिन भी कहा था। उस समय माननीय सदस्यों ने कहा था कि कुछ व्यक्तियों के नाम छूट गये हैं, इसलिये जो 3 महीने बाद मरे हैं, उनको इन्क्लूड कर लिया है, इस प्रकार कुल 22 हुये। जेल में स्व0 श्री कान्ति प्रकाश गर्ग मरे हैं, उनका सूची में जिक्र नहीं है। इसलिये उत्तर भ्रामक है। यदि 3 महीने का प्रस्ताव मान लिया जाय, तो हमारे यहां के एक मदन गोपाल हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो कहा उसके लिये संलग्न तालिका 'ख' के क्रमांक 13 को देखें उस में पहली जो भूल थी उसको सुधार लिया गया है और स्व0 कान्ति प्रकाश गर्ग, बुलन्दशहर का नाम इसमें आ गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जेल से छूटने के 3 महीने बाद जो मरे हैं, उनको जोड़ लिया जायेगा, उत्तर में यह कहा है। लेकिन मेरे पास नाम हैं, उनको नहीं जोड़ा गया है, जैसे बाबा गुरुदेव के बारे में केन्द्रीय सरकार का निर्देश है कि उनको राजनैतिक परिधि में माना जायेगा लेकिन उनको नहीं जोड़ा गया है।

मान्यवर, आगे देखें तालिका 'क' में उस दिन उत्तर दिया था कि स्वर्गीय डाक्टर सत्यव्रत सिन्हा, इलाहाबाद को सहायता दे दी गयी है, लेकिन उत्तर में सहायता 12 अप्रैल, 1978 ई0 को भुगतान हुआ है। यह गलत सूचना मिली है। मान्यवर, आगे लिखा है, विचाराधीन है तो 15 दिन में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरा स्पष्ट मत है कि जान-बूझकर टाला जा रहा है। जेल में जो व्यक्ति मर गये उनकी जानकारी सब की है। उसका रिकार्ड जेल में मौजूद है। इसलिये उसमें जांच क्या हो रही है? जेल यातनाओं के कारण मरे हैं, उनकी जांच की जा रही है। इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि, यदि आप उचित समझें, तो इस प्रश्न को स्थगित करा दें और पूरी जानकारी मिलने पर सदन को मंत्री जी बतायें, जो विचाराधीन शब्द बार-बार लिखे हुये हैं वह कब तक होगा और इन सब को सहायता का भुगतान कब तक हो जायेगा?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, उस दिन माननीय सदन में और आप से कहा था कि व्यक्तिगत जानकारी करने के बाद नाम दे दें और हमें जिला प्रशासन, गोपन विभाग और जेल विभाग से जो जानकारी हासिल हुई है और जिन नामों को शासन के ध्यान में लाया गया उनकी तालिका आपके सामने है। मैं बहुत शीघ्र डिफाइन करके चलता हूं कि दो महीने के अन्दर तालिका बद्ध सूची में है, और जो भी आश्रित हैं तथा जो सहायता के पात्र हैं, उनको भुगतान कर दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि दो महीने में भुगतान हो जायेगा यह आश्वासन दिया तो ठीक है। लेकिन क्या इस सूची पर फिर से जांच करके विचार करेंगे? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं। आप नत्थी 'ग' देखने की कृपा करें। उसमें यह बताया गया है कि सुल्तानपुर में जो लोग मरे, उनको आपने दस हजार रुपये स्वीकृत किये मिले होंगे या नहीं यह आगे की बात होगी, शेष सभी को जो गोली से मरे हैं ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि उनको चार हजार रुपये ही दिये गये? इस प्रकार के भेद का क्या सम्बन्ध है। यह दूसरा प्रश्न है। इसके पहले मैंने जानना चाहा कि क्या सूची फिर से विस्तार से बनायी जायगी? मान्यवर, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तीन महीने के अन्दर जो मर गये, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित

करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जेल में बीमार हो कर निकला साढ़े तीन महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी । यह तो सुनिश्चित ही है जेल रिकर्ड से कि वह बीमार रहा । तो उसको भी सहायता दी जानी चाहिये ? ये तीन प्रश्न हैं ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, इस सूची को रिवाइज करने का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई नाम अपवाद स्वरूप कहीं छूट गया हो, तो हमको बता दें उसकी हम जांच करा कर इसमें जोड़ लेंगे यदि उचित पायेंग । जहां तक यह चार हजार और दस हजार के अन्तर का प्रश्न है सरकार का निर्णय तीन कारणों को लेकर बना । एक मुश्त अनुदान, मृतकों के आश्रितों की संख्या और आय तथा अन्य समस्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक कारण से कम से कम चार हजार रुपये और दस हजार रुपये की सीमा तक दिया जायगा । 25 जनवरी, 1978 को इसकी घोषणा की गयी । इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अनुदान एक मुश्त तय किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जेल में बीमार लोगों के बारे में....

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)--

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा राजेन्द्र जी ने कहा ह कि जो लोग वहां से बीमार होकर निकले हैं उनकी तीन माह से अधिक बीमार रहने के बाद मृत्यु हो गयी क्या इस पर विचार करेंगे ? हम लोग लिखें ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर दे दिया कि तीन महीने तक जो बीमार रहे उनको दे दिया गया । श्री राजेन्द्र कुमार जी का प्रश्न कि तीन महीने के बाद भी जो मरे हैं उनपर विचार किया जाय, यह सुझाव है, मंत्री जी इस पर विचार कर लें । जेल से बीमार होकर निकले और वही कारण था उनकी मृत्यु का चाहे चार महीने बाद क्यों न हो । तो यह उनका प्रश्न है । सरकार इस पर विचार कर ले ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, राजेन्द्र जी का प्रश्न कि वहां से बीमार निकले और तीन महीने के बजाय उनकी मृत्यु चार माह में हो गयी ऐसा यदि स्पेसिफिक केस आयेगा, तो उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं । मुजफ्फरनगर के बारे में पांच हजार रुपये तो एक मुश्त अनुदान था और पांच हजार रुपये मुख्य मंत्री कोष से था । इसलिये उनके हर केस में हमने दस हजार रुपये दिये ।

श्री प्रभु नाथ राम, कृषि यंत्र उत्पादक एवं रिपेयरिंग कार्यशाला, बरदह, आजमगढ़ का ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*2--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रभुनाथ राम, कृषि यंत्र उत्पादक एवं रिपेयरिंग कार्यशाला, बरदह, जनपद आजमगढ़ ने कर्मशील पूंजी हेतु उक्त कुटीर लघु उद्योग

विकसित करने हेतु दिनांक 19 नवम्बर, 1970 व 19 सितम्बर, 1977 उद्योग मंत्री 14 मार्च, 1967 को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व उद्योग निदेशक, ऋण तथा अनुदान विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर 4 अगस्त, 1965 व उद्योग अधिकारी, आजमगढ़ के क्रमश: 18 फरवरी, 1965, 8 जुलाई, 1968, 13 फरवरी, 1971, 6 अप्रैल, 1971, 21 जुलाई, 1971 व जिलाधीश, आजमगढ़ को 3 फरवरी, 1965 व 13 मार्च, 1965 व 21 जुलाई, 1967 व 7 दिसम्बर, 1967 व 5 फरवरी, 1968 व 1 दिसम्बर, 1971 को आवेदन-पत्र दिया है, यदि हां, तो उपरोक्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

इस इकाई के केवल दो आवेदन पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1965 तथा दिनांक 19 सितम्बर, 1977 के प्राप्त हुये थे । जांच तथा विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इनके अन्य आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये थे । अभी हाल ही में पुन: जिला स्तर के अधिकारियों ने मौके पर जाकर उक्त इकाई से उनके अन्य शेष पत्रों के बारे में पूछ-तांछ की तो उन्होंने यह कहा कि उनके पास इसका कोई रिकार्ड आदि नहीं है ।

वैसे इस इकाई को वर्ष 1964-65 में 5,000 रुपये का ऋण कृषि यंत्र बनाने हेतु तथा 1,000 रुपये का एक दूसरा ऋण 1966-67 में कार्यशील पूंजी हेतु जिला स्तर पर दिया जा चुका है । उनके दिनांक 3 फरवरी, 1965 के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा विद्युत् कनेक्शन देने हेतु विद्युत् विभाग को निर्देश दिये गये थे । दिनांक 19 सितम्बर, 1977 के आवेदन पत्र में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी हेतु 30,000 रु0 के ऋण को उनकी मांग पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के परामर्श पर इकाई को सूचित किया गया है कि इस सम्बन्ध में वे बैंक से वांछित सहायता प्राप्त करें ।

श्री दयाराम भास्कर--

जो भी कुटीर उद्योग चलाने के लिये इकाइयां चल रही हैं, उनकी घोर उपेक्षा अधिकारी वर्ग और बैंक द्वारा की जा रही है । 14, 15 वर्ष हो गये, इस कृषि यंत्र उत्पादक एवं रिपेयरिंग कार्यशाला, आजमगढ़ को बराबर आवेदन पत्र देते हुए, लेकिन उनको कार्यशील पूंजी नहीं दी गयी । बैंक मेरी जानकारी में उन्हीं कार्यों के लिये पैसा देते हैं जिनसे उनको कमीशन मिलता है और जिनसे नहीं मिलता उनको लौटा दिया जाता है । तो क्या उद्योग मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की कमियों को दूर किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न आजमगढ़ की इस यूनिट से सम्बन्धित रहना चाहिये । नीति के प्रश्न की अनुमति मैं नहीं दूंगा । माननीय सदस्य का सीमित प्रश्न यह होगा कि क्या वर्किंग कैपिटल के लिये जैसा माननीय मंत्री ने कहा इस यूनिट के लिये बैंक वाले व्यवस्था करेंगे जिससे उसको कार्यरत पूंजी मिल सके ।

श्री रेवती रमण सिंह--

बैंक वालों की एक मीटिंग की गयी थी, उसमें विचार विमर्श किया गया था और उनसे इस बात के लिये कहा गया है कि लघु उद्योग विशेष कर ग्रामीण अंचलों में जो उद्योग लगाये जायं उनके प्रार्थना-पत्र पर वे सहानुभूति पूर्वक विचार करके शीघ्रता से कार्यशील पूंजी एवं ऋण देने की व्यवस्था करें ।

[18 अप्रैल, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष, श्री सन्तोष कुमार कपूरिया के हत्यारे श्री बिपिन बिहारी चतुर्वेदी की कारागार से मुक्ति

*1—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष (श्री सन्तोष कुमार कपूरिया) के हत्यारे (श्री बिपिन बिहारी चतुर्वेदी) को जिनकी सजा उच्च न्यायालय से उम्र कैद की हुई थी सरकार ने सितम्बर, सन 1977 में केन्द्रीय कारागार से मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकार के रिहाई का आधार क्या है ?

[कारागार मंत्री] श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

श्री बिपिन बिहारी चतुर्वेदी को उसके घर और परिवार की दयनीय दशा, उसके भविष्य तथा जिला प्रशासन की संस्तुति को देखते हुये दया के आधार पर कारागार से सशर्त मुक्त किया गया है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला प्रशासन की संस्तुति कब की गयी है और क्या भविष्य में मंत्री जी अन्य परिवारों की दयनीय दशा को देखते हुये अन्य हत्यारों को भी सुविधा देने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

केवल इसी प्रश्न तक सीमित रहिये । आगे तो नीति का प्रश्न है, उसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिला मैजिस्ट्रेट श्री एस0के0 विश्वास ने लिखा है 'बन्दी के उज्जवल भविष्य, कम आयु, नौजवान पत्नी, वृद्ध माता पिता, समुन्नत परिवार, उत्तम चरित्र, कर्मठ एवं लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, उच्च शैक्षिक योग्यता, घटना से पूर्व किसी भी अभियोग में सम्मिलित न होना तथा उत्तम व्यक्तित्व को दृष्टि में रखते हुये बन्दी को क्षमा कर देने के आधार पर समय से पूर्व मुक्त कर देने से किसी भी प्रकार शान्ति भंग होने की संभावना नहीं पाई जाती । उक्त आधार पर बन्दी को मुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती हैं ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या इसी आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा ही अवसर दिया गया है, तो किसको ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जहां तक दया याचना स्वीकार करने का प्रश्न है, कोई भी बड़े कठोर नियम इसके लिये नहीं बनाये गये और न बनाये जा सकते हैं । जो व्यक्ति सजा प्राप्त है, उसकी अनेक परिस्थितियां, उसकी भविष्य की संभावनाओं पर विचार करके कि उसका अपराधिक आचरण कैसा है और जिस अपराध में वह फंसा है, उसमें उस आदमी की कितनी जिम्मेदारी है, इन सारी परिस्थितियों में लोगों का क्या मत है विचार करके निर्णय लिया जाता है । इस केस के बाद कोई निर्णय नहीं लिया । उसके बाद जो लाडन शासन ने निश्चित की है कि जो व्यक्ति आधी सजा पूरी कर लिया हो, जिसका जेल का आचरण संतोषजनक हो और जो पेशेवर अपराधी न हो, आकस्मिक किसी घटना में फंस गया हो ऐसे लोगों की दया याचना पर विचार किया जा सकता है । यह एक राउन्ड है और भी फैक्टर पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह तमाम चीजें कि माता पिता भी बृद्ध होते हैं, बच्चे भी होते हैं और अबोध भी होते हैं सब के होते हैं । मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रिहाई जो हुई है यह केवल इसलिये हुई है कि उस व्यक्ति का जनसंघ से सम्बन्ध था ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह आक्षेप है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से और मंत्री जी से भी कहूंगा कि जब तक मैं किसी प्रश्न की अनुमति न दूं उसका जबाब देने की जरूरत नहीं है । माननीय नेगी जी ने जो प्रश्न किया है वह आक्षेप है, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह तो तथ्य है, मान्यबर ।

(व्यवधान)

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मानसिंह जी आप बैठ जाइये । बार-बार इस प्रकार खड़ा होना ठीक नहीं है ।

स्वायत शासन मंत्री के आवास पर गेजर के फटने से विस्फोट की घटना

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 नवम्बर, 1977 को स्वायत्त शासन मंत्री के राजकीय आवास पर बम फटने की घटना हुई ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

[मुख्य मंत्री] श्री राम नरेश यादव—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के राजकीय आवास पर दिनांक 20 नवम्बर, 1977 को बम फटने की कोई घटना नहीं हुई थी । उक्त तिथि को वहां हुए विस्फोट के सम्बन्ध में जांच करा ली गयी है । जांच कर्ताओं को घटना स्थल पर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला था । उनका मत है कि उक्त विस्फोट स्नान गृह में लगे गीजर के फटने के कारण हुआ था । अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर रेलवे के मेरठ—गजरौला के बीच काटी गयी रेल की पटरी

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 नवम्बर, 1977 को मेरठ-गजरौला के बीच दिल्ली पैसेन्जर गाड़ी की साढ़े चार फिट पटरी गायब हो गई जिससे भीषण ट्रेन दुर्घटना की सम्भावना उत्पन्न हो गई थी ? यदि हां, तो क्या पटरी उखाड़ने वाले गिरोह के बारे में कोई जानकारी मिली है तथा मामले की जांच रिपोर्ट क्या है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री राम नरेश यादव--

जी हां । घटना 8 नवम्बर, 1977 की नहीं बल्कि 6-7 नवम्बर, 1977 की रात्रि की है । उत्तर रेलवे के मेरट-गजरौला सेक्शन में हकीमपुर एवं कैलसा स्टेशनों के बीच गंगन नदी के पुल के निकट 128 से0मी0 रेल पटरी काटी गयी थी जिसके कारण आने वाली गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई थी । अभी तक पटरी काटने वाले व्यक्ति । गिरोह का पता नहीं चला है । उक्त मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

श्रम संविदा सहकारी समितियों को दिया गया वन विभाग ठेका का व लीज

*4--श्री ऊदल--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग के अधीन दिए जाने वाले सभी प्रकार के ठेकों या लीजों पर सहकारी श्रम संविदा समितियों को व्यक्तिगत ठेकेदारों के मुकाबले में देने में वरीयता देना स्वीकार किया है ? यदि हाँ, तो अभी तक प्रदेश में कितनी श्रम संविदा समितियों को ठेके या लीज दिए गए हैं और कितनी समितियों को ठेके देना अभी विचाराधीन है ?

[वन मंत्री] श्री श्री चन्द--

जी हां, । अभी तक 75 श्रम संविदा सहकारी समितियों को ठेके या लीज दिये गये हैं । किसी सहकारी समिति को ठेके देने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री छेदी लाल अम्बिया, मन्डी विशेसरगंज, वाराणसी की पुलिस द्वारा पिटाई सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*5- श्री ऊदल--

4 अक्तूबर, 1977 के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छेदी लाल अम्बिया मन्डी विशेसरगंज, वाराणसी को जो कहा गया है कि शातिर डकैत हैं, डकैती की योजना बनाते हुए भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ा और उसमें चोटें आयीं तो अब तक कितनी डकतियों में उसके सजा हुई और चालान हुए है, क्या इस घटना 28 जुलाई, 1977 के बार में छदी की स्त्री शान्ति देवी ने माननीय मुख्य मंत्री, माननीय गृह मंत्री , भारत सरकार तथा जिलाधीश एवं एस0 एस0 पी0 वाराणसी को अगस्त, 1977 में प्रार्थना-पत्र भेजे हैं, यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

*6--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[दिनांक 11-10-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित ।]

देवरिया सेमरी के श्री हरिद्वारी राम का डकैती संबंधी प्रार्थना-पत्र

*7--श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उन्हें श्री हरिद्वारी राम, पुत्र लाल जी, निवासी सेमरी थाना तरकुलुआ, जनपद देवरिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 20 जुलाई, 1977 प्राप्त हुआ है, जिसमें उपर्युक्त गांव में डकैतियां डालने, अवैध शराब बनाने आदि के संबंध में गंभीर शिकायतें की गई हैं ? क्या इस संबंध में कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जाँच की गई। जांच से आरोप असत्य पाये गये।

देवरिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री सुरेन्द्र मिश्र की हाटा पुलिस के विरुद्ध शिकायती–पत्र

*8—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद कांग्रेस कमेटी के महामंत्री (श्री सुरेन्द्र मिश्र) ने हाटा (देवरिया) पुलिस के जन–विरोधी कार्यों के विरुद्ध अविलम्ब कठोर कार्यवाही हेतु कोई प्रार्थना–पत्र 31 मार्च, 1976 को गृह राज्य मन्त्री को दिया था? यदि हां, तो प्राप्त पत्र के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई?

श्री राम नरेश यादव—

देवरिया जनपद कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री सुरेन्द्र मिश्र ने हाटा देवरिया पुलिस के विरुद्ध 28 मार्च, 1976 का एक शिकायती-पत्र तत्कालीन गृह राज्य मंत्री को दिया था। कथित प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई किन्तु सभी आरोप निराधार पाये गये।

देवरिया, महात्मा गांधी इन्टर कालेज की छात्रा श्रीमती राधिका देवी की हत्या

*9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या-गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के हाटा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत मदरहा–गोपालपुर के निकट गन्ने के खेत में दिन दहाड़े 4 बजे महात्मा गांधी इन्टर कालेज की 9वीं कक्षा की छात्रा (कु0 राधिका) की नृशंस हत्या सितम्बर, 1976 में गन्डों ने बलात्कार के दुष्प्रयास में कर दी? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20 सितम्बर, 1976 को 16 वर्षीय श्रीमती राधिका देवी पुत्री छोटक कोईरी प्रतिदिन की भांति 10 बजे हाटा इन्टर कालेज में पढ़ने गयी थी। शाम को जब वह घर वापस नहीं आयी तो उसकी तलाश की जाने लगी। करीब 7 बजे रात को ईख के खेत में श्रीमती राधिका देवी की लाश पड़ी मिली जिसकी आंख तथा गले में चाकू से चोटें लगी थीं। उसी स्थान पर एक चाकू, किताब व चप्पल तथा ओढ़नी पड़ी मिली। लाश को देखने से पता चला कि मृतक के कान का सोने का बाला, कलाई घड़ी, तथा कान की कील नदारत थी। श्री परशाराम की रिपोर्ट पर थाना हाटा में उसी दिन मु0अ0 सं0 186/76 धारा 302/394 भा0दं0वि0 कायम किया गया। परिणाम स्वरूप इस मुकदमें में वादी के ही गांव के श्री नरेन्द्र नाथ पुत्र कामता तिवारी को दोषी पाया गया। अभियुक्त ने दिनांक 21–10–77 को न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कसया के यहां आत्म समर्पण किया तथा उसी दिन उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को दो दिन के लिए रिमान्ड पर अपने कब्जे में लेकर माल मारका बरामद किया। दिनांक 26–11–76 को अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 21–5–77 को अभियुक्त, न्यायालय सेशन जज देवरिया के यहां से जुर्म से बरी हो गया।

नैनीताल क्लब में अग्निकांड

*10–श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 28 नवम्बर, 1977 को नैनीताल में स्थित नैनीताल क्लब फूंक दिया गया ? यदि हां, तो इस घटना का कारण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव––

जी हां, यह सही है कि दिनांक 28–11–77 को उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के सदस्यों छात्रों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा नैनीताल में स्थित नैनीताल क्लब के मुख्य भवन, सनीसाइड व 20 सूट के हिस्से में आग लगाकर फूंक दिया गया। कुमाऊं वृत्त के वनों की नीलामी के विरोध में इन उपद्रवी तत्वों द्वारा यह कार्यवाही की गई, जहां उक्त तिथि को वनों की नीलामी चल रही थी ।

राज्य नियोजन संस्थान के वरिष्ठ शोध अधिकारियों का साक्षात्कार

*11–श्री शिवानन्द नौटियाल––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के वरिष्ठ शोध अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए 29 अगस्त, 1977 को साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो क्या संस्थान के शोध अधिकारियों में से वरिष्टता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरने हेतु कितने पद रिक्त रखे गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनरेश यादव––

जी हां। वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं रखा गया है।

राज्य नियोजन संस्थान के छः नवीन प्रभागों की उत्तर प्रदेश नियोजन शोध सेवा आलेख्य सेवा नियमावली में यह प्राविधान प्रस्तावित किया गया है कि वरिष्ठ शोध अधिकारियों के समस्त पद अर्ह एवं स्थाई शोध अधिकारियों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायं । चूंकि शोध अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता अभी लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है। अतः वरिष्ठ शोध अधिकारियों के पदों को विभागीय प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन से भरा जाना सम्भव नहीं था। तदनुसार, यह उपयुक्त समझा गया कि इन पदों को विज्ञापन के आधार पर तदर्थ रूप से सीधी भर्ती द्वारा भर कर कार्य के हित में अस्थायी व्यवस्था कर ली जाय ।

न्यू ओखला डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा मारुति से रोड रूलर की खरीद

*12–श्री सुखपाल पाण्डेय––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यू ओखला डेवलपमेंट एथारिटी ने टेण्डर के आमंत्रण की समान प्रतिक्रिया को नियमित रूप से न पालन करते हुए मेसर्स मारुती से सड़क कूटने के इंजन खरीदे ? यदि हां, तो क्या सड़क कूटने के (रोलर इंजनों) की मूल्य खरीदते समय खुले बाजार में क्या थी तथा मेसर्स मारुती से किस दर में खरीदा गया ? दोनों भावों में क्या अन्तर था तथा आइटम रेट के सामान को निविदा आमंत्रित करके क्यों नहीं खरीदा गया ? इस प्रकार के अनियमित खरीदारी में जिम्मेदार अधिकारी के विपरीत कौनसी कार्यवाही की गयी ? इसकी सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

ओखला द्वारा लगभग रु0 13 लाख लागत के मारुति ब्रांड के 10 रोड रोलर क्रय करने का मामला केन्द्रीय सरकार द्वारा मारुति मामलों की जांच के लिये गठित आयोग के समक्ष विचाराधीन है, अतः जांच के समाप्त न होने तक इस क्रय के औचित्य के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित न होगा ।

सचिवालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*13--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सचिवालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं 3 वर्ष से अधिक हो गई हैं इनमें से कितने कर्मचारियों को 31 दिसम्बर, 1977 तक स्थायी घोषित किया गया है और अन्य कर्मचारियों को कब तक स्थायी किया जायगा ? यदि अभी तक नहीं किया गया है, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक 31-12-1977 तक 1,127 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया गया है। शेष कर्मचारियों को उनके स्थायीकरण के लिये अर्ह होने पर तथा स्थायी रिक्तियों के उपलब्ध होने पर ज्येष्ठता के अनुसार यथा समय स्थायी किया जा सकेगा।

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की विकास योजना पर व्यय की गई धनराशि

*14--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमैन्ट एथारिटी, गाजियाबाद के विकास के लिए कितने रुपए की योजना है तथा कितना धन अब व्यय किया जा चुका है तथा व्यय एवं कार्य की प्रगति का सामंजस्य का अनुमान सही है एवं योजना में कितना धन खर्च करने की व्यवस्था है ? इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम प्रकाश--

नव ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र का निर्धारण शासन के सक्रिय विचाराधीन है। उसके अन्तिम न होने तक कुल लागत अथवा उसकी व्यवस्था आदि का विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता। 31 मार्च, 1978 तक प्राधिकरण ने लगभग 19 करोड़ रुपया व्यय किया है।

गाजियाबाद, बार-एसोसिएशन के अध्यक्ष व एडवोकेट की पुलिस द्वारा पिटाई की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

*15--श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद बार-एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा अन्य एडवोकेट के साथ मार-पीट करने तथा उन्हें झूठे मुकदमें में फंसाने के दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस मामले में सी0 आई0 डी0 की जांच पूरी हो गई है, यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्नगत मामले में सी0 आई0 डी0 जांच पूरी हो गई है। मामले में दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र विभागीय कार्यवाही पूरी करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दे दिए गए हैं। सी0 आई0 डी0 की जांच गोपनीय है। अतः जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) आजमगढ़ द्वारा चार्ज की गयी फीस

*16--श्री राम अधार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी), दिनांक 28 सितम्बर, 1976 से 30 सितम्बर, 1976 तक सर सुन्दरलाल अस्पताल, वाराणसी (बी0 एच0 यू0) में अन्तरंग रोगी थे और क्या उन्होंने डी0 जी0 सी0 सी0आर0 28 सितम्बर, 1976 को जिला सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के अदालत में क्रिमिनल बेल्स, क्रिमिनल अपील्स और मिसलेनियस एप्लीकेशन आदि अपने फीस बिल के पार्ट 1 पर दर्ज करके 50 (पचास) रुपए फीस चार्ज किया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां। जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) ने 28 सितम्बर, 1976 को सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के न्यायालय में बेल एप्लीकेशन्स तथा सत्र परीक्षण संख्या/375/76-राज्य बनाम लालधर आदि में 10.30 से 13.15 बजे तक शासन की ओर से पैरवी की और उसके बाद उसी दिन वाराणसी पहुंच कर सर सुन्दरलाल अस्पताल में भर्ती हो गए। अतएव, इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

पर्वतीय विकास परिषद् का गठन एवं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव

*17--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक गत वर्ष से अभी तक (1-1-78) क्यों नहीं हुई और उसके उपाध्यक्ष और समितियों के अध्यक्षों का चयन अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या पर्वतीय विकास परिषद् को भंग करने की शासन की योजना है? यदि हां, तो क्यों?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोवन सिंह जीना)--

गतवर्ष बैठक इसलिए नहीं हुई क्योंकि पर्वतीय विकास परिषद् का पुर्नगठन नहीं हुआ था। अब पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 824/28--5/77-29/73, दिनांक 14 मार्च, 1978 द्वारा किया जा चुका है। मन्त्री, पर्वतीय विकास तथा उपमन्त्री, पर्वतीय विकास क्रमशः इसके ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।

समितियों के अध्यक्षों के चयन का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ये समितियां कार्यालय ज्ञाप संख्या 1739/28-5/39-75, दिनांक 8 जून, 1977 द्वारा पहले ही विघटित की जा चुकी हैं।

शाहजहांपुर के ग्राम बस्ती नगला की श्रीमती सुशीला देवी के साथ कथित बालात्कार सम्बन्धी जैतीपुर थाने में अंकित रिपोर्ट

*18--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर जिले के थाना जैतीपुर के ग्राम बस्ती नगला में एक हरिजन लड़की सुशीला देवी के साथ उसी गांव के निवासी श्री मैकू आदि

कई लोगों ने बलात्कार किया जिसकी सूचना लड़की के पिता ने आहत लड़की के साथ थाने में जाकर दिनांक 21 दिसम्बर, 1977 को दी तथा संसद सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम ने एक पत्र द्वारा मुख्य मन्त्री को उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21 दिसम्बर, 1977 को श्रीमती सुशीला देवी निवासी बस्ती नगला, इलाका थाना जैतीपुर ने अपने भाई श्री श्याम पाल के साथ थाना जैतीपुर पर लिखित सूचना अंकित कराई कि दिनांक 21 दिसम्बर, 1977 को वह अपने गांव की लड़की धनदेवी तथा शारदा के साथ जब घास छीलने गई तो गांव के सियाराम व दयाराम पुत्रगण अशर्फी अहिर, निवासी ग्राम बस्ती नगला ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जिस पर वह चिल्लाई और गवाहान मैकू आदि तथा उपरोक्त दोनों लड़कियां जो साथ वाले खेत में घास छील रही थीं, मौके पर आ गयीं। इस सूचना पर अभियोग अ0 सं0 270 धारा 354 भारतीय दण्ड विधान दिनांक 21 दिसम्बर, 1977 को पंजीकृत हुआ तथा विवेचना के बाद दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजे गए। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। इस अभियोग में मैकू गवाह है। इनके द्वारा श्रीमती सुशीला के साथ कोई बलात्कार आदि नहीं किया गया।

इस मामले के सम्बन्ध में शासन को संसद सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम का एक पत्र प्राप्त हुआ था। पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जांच के माध्यम से जांच कराने पर यह मामला बलात्कार का नहीं पाया गया।

पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मशीन, उपकरण व फर्नीचर की खरीद

*19---श्री पूरन चन्द्र--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के आठ जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये मशीन, उपकरण एवं फर्नीचर आदि क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 1976-77 में जो अनुदान दिया गया था, वह दिये गये स्पेसिफिकेशन के आधार पर नहीं खरीदा गया, यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकार के क्रय में जो अनियमितता बरती गयी है, सरकार जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शोबन सिंह जीना--

वर्ष 1976-77 में पर्वतीय क्षेत्र के नवस्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये मशीन, उपकरण तथा फर्नीचर आदि निदेशक, उद्योग तथा डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एन्ड डिस्पोजल, भारत सरकार द्वारा निर्धारित रेट कान्ट्रेक्ट के अनुसार, तथा ऐसा सामान जो रेट कान्ट्रेक्ट पर उपलब्ध नहीं था, उद्योग निदेशालय की स्वीकृति से ही खरीदा गया था। अतः इस खरीदारी में किसी प्रकार की अनियमितता होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र देव पाठक, परगनाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध प्रदर्शन एवं स्थानान्तरण और उनके द्वारा कथित चलाया गया मलबन्दी अभियान एवं गोली काण्ड

*20---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 7 जनवरी, 1978 को महाराजगंज, जिला गोरखपुर के परगनाधिकारी (श्री पाठक) के विरुद्ध जनता पार्टी के तत्वावधान में

एक विशाल प्रदर्शन हुआ था जिसमें उन्हें तत्काल स्थानान्तरित करने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक 7 जनवरी, 1978 को सायंकाल 3 बजे श्री हरकेश बहादुर, संसद् सदस्य (जनता पार्टी), श्री जनार्दन प्रसाद ओझा एवं श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, विधायक, जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता पार्टी ने श्री नरेन्द्र देव पाठक, परगनाधिकारी, महराजगंज, जिला गोरखपुर के विरोध में एक प्रदर्शन किया था। उसमें अपने मांग पत्र में उन्होंने अन्य मांगों के साथ परगनाधिकारी के स्थानान्तरण की मांग की थी।

श्री पाठक का स्थानान्तरण जिलाधिकारी, गोरखपुर के आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1978 द्वारा तहसील महराजगंज से तहसील फरेन्दा कर दिया गया।

*21--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त परगनाधिकारी आपातकाल में बांसगांव तहसील (जिला गोरखपुर) में जबरदस्ती पुलिस के सहारे गांव को घिरवा कर सामूहिक नसबन्दी अभियान चलाते रहे एवं एक गांव वालों के प्रतिरोध पर गोली चलवाई, जिसमें कई लोग मर गए ? यदि हां, तो इस संबंध में भी सरकार ने अब तक क्या किया ?

श्री राम नरेश यादव--

यह सही नहीं है कि श्री नरेन्द्र देव पाठक ने अपने परगनाधिकारी बांसगांव जिला गोरखपुर के कार्यकाल में पुलिस के सहारे गांवों को घिरवाकर सामूहिक नसबन्दी अभियान चलाया।

यह भी सही नहीं है कि श्री पाठक ने इस अभियान में गोली चलवाई। जिसके फलस्वरूप किसी की मृत्यु हुयी हो।

फिरोजाबाद, चूड़ी निर्माता एवं स्वर्णतरल उपभोक्ता औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटड का प्रार्थना-पत्र एवं दिया गया अनुदान

*22--श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फिरोजाबाद उद्योग नगर का कलात्मक चूड़ी निर्माता एवं स्वर्णतरल उपभोक्ता औद्योगक सहकारी समिति लिमिटेड ने अपनी प्रगति में बाधक कठिनाइयों के निवारण हेतु दिनांक 17 जनवरी, 1976 को प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां।

वर्ष 1974--75 में स्वीकृत प्रबंध अनुदान (Managerial subsidy) की रु0 3,600 की धनराशि समिति को दी जा चुकी है, आयातित लाइसेंस की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। शेष कठिनाइयों का निराकरण अभी तक नहीं हो सका है।

फिरोजाबाद, चूड़ी निर्माता एवं स्वर्णतरल उपभोक्ता औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा आयोजित जन-सम्पर्क मास

*23—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फिरोजाबाद उद्योग नगर की कलात्मक चूड़ी निर्माता एवं स्वर्णतरल उपभोक्ता औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा आयोजित "औद्योगिक सहकारिता जन-सम्पर्क मास जनवरी, 1977" के समापन अधिवेशन में समिति और उसके सदस्यों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी सुझाव समिति की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामप्रकाश—

सरकार को इसकी सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय कारागार, बरेली में चीफ हेड वार्डर के चयन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*24—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या कारागार मंत्री को पता है कि 21 व 22 दिसम्बर, 1977 को केन्द्रीय कारागार, बरेली में चीफ हेड वार्डरी का चयन हुआ जिसमें घोर अनियमिततायें एवं पक्षपात हुआ जिससे जेल कर्मचारियों में रोष और असन्तोष व्याप्त है और 20 जनवरी, 1978 को एक रिटायर्ड हवलदार तथा अन्य लोगों ने इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में विस्तृत प्रार्थना-पत्र कारागार मंत्री जी को भेजा ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक 22 व 23 दिसम्बर, 1977 को चीफ हेड वार्डर के पद के लिये केन्द्रीय कारागार, बरेली में चयन हुआ था जिसके विषय में एक रिटायर्ड हवलदार तथा अन्य लोगों का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । पत्र में मुख्यतः चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं तथा कदाशय एवं चुने गये अभ्यर्थी के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे । इस मामले में क्षेत्रीय कारागार उप महानिरीक्षक द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

बलिया ग्राम सभा, कारों के श्री बासुदेव प्रधान के विरुद्ध थाना नरही में लिखायी गयी रिपोर्ट

*25—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 5 सितम्बर, 1975 को एक रपट अपराध संख्या 159/75 धारा 409 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत थाना नरही, जिला बलिया में प्रधान, ग्राम सभा, कारों विकास खण्ड सोहांव, जिला बलिया के विरुद्ध दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इस पर आगे क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5 सितम्बर, 1975 को तहसीलदार सदर जिला बलिया ने थाना नरही पर लिखित सूचना दी कि श्री वासुदेव प्रधान, ग्राम सभा, कारो जो वर्ष 1956 से ग्राम प्रधान है, ने अनियमित कार्य करके गांव समाज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई है तथा

श्री राम नरेश यादव—

धन का अपहरण किया है । इस सूचना पर प्रधान के विरुद्ध थाना नरही (बलिया) पर धारा 409 भारतीय दण्ड विधान के अधीन एक मुकदमा अपराध संख्या 159/75 पर कायम किया गया । इसकी विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा करने के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त की गई ।

*26—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया।]

शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी व अलीनगर केंजरा, जिला आगरा में उपद्रवी छात्रों द्वारा रोडवेज बसों पर पथराव

*27—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14 फरवरी, 1978 को आगरा जनपद के अलीनगर केंजरा, थाना टूंडला और शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के अन्तर्गत कुछ उपद्रवी छात्रों ने बसों व उनमें बैठे यात्रियों पर पथराव करके बसे तोड़ीं, आग लगाईं व यात्रियों को चोटें पंहुचायीं ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 14 फरवरी, 1978 को शिकोहाबाद जिला मैनपुरी में इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई । उक्त तिथि को जनपद आगरा के अलीनगर केंजरा ग्राम में घटित घटना के विवरण निम्न प्रकार हैं:—

दिनांक 14 फरवरी, 1978 को जनपद आगरा के अलीनगर केंजर ग्राम जो कि थाना टूंडला के अन्तर्गत आता है, के पास मुख्य राज मार्ग पर चलने वाली रोडवेज की बसों पर कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें 5 रोडवेज की बसों को क्षति पंहुची । उपद्रवी छात्रों द्वारा बिना किसी कारण के बसों पर पथराव किया गया । घटना के दौरान बसों की क्षति व रोडवेज के कर्मचारियों तथा एक यात्री को चोट लगने की रिपोर्ट थाना फिरोजाबाद उत्तर में अंकित कराई गई । घटना की सूचना मिलते ही थाना टूंडला से कर्मचारीगण मौके पर भेजे गये परन्तु उस समय तक उपद्रवी छात्र घटनास्थल से भाग चुके थे । प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अभियोगों में 2 की विवेचना हो रही है तथा शेष 3 में अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है । कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका ।

विधायकों को कारागारों का निरीक्षण करने का अधिकार

*28—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायकों को अपने जिले की कारागारों का निरीक्षण करने का अधिकार है ? यदि हां, तो गोरखपुर में विधायकों को ऐसा अधिकार न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । नियमों के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के सभी सदस्यों को अपने कार्य काल में अपने निवास के जिले में स्थित जिला जेलों तथा केन्द्रीय कारागारों का पदेन गैर सरकारी वीक्षक की हैसियत से निरीक्षण करने का अधिकार है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम बरी प्रसिद्धपुर के हरिजनों की फसल को गुण्डों द्वारा पहुंचायी गयी क्षति और थाना जैतीपुर के हेड मुहर्रिर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*29—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव) तथा श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले के थाना जैतीपुर के ग्राम बरी प्रसिद्धपुर के हरिजन आवंटियों की सारी फसल उसी ग्राम के गुण्डों द्वारा दिसम्बर, 1977 व जनवरी, 1978 में उजाड़ दी गयी जिनकी रिपोर्ट लिखवाने हेतु जब हरिजन थाना जैतीपुर पंहुचे तब नहीं लिखी गई तथा जब वे पुनः दूसरे दिन जैतीपुर पंहुचे तो तब हेड मुहर्रिर ने दस रुपया रिश्वत लेकर लिखी क्या उनके बताने के अनुसार रिपोर्ट नही लिखी गयी, इसकी लिखित शिकायत हरिजनों ने 10 जनवरी, 1978 को पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर एवं जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से की, जिसकी जांच परगनाधिकारी, तिलहर ने मौके पर जाकर 3 फरवरी, 1978 को की ? यदि हां, तो उपरोक्त हेड मुहर्रिर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बरी प्रसिद्धपुर थाना जैतीपर जिला शाहजहांपुर के श्री लल्लू सिंह पुत्र गुलाब सिंह आदि हरिजनों तथा श्री जागन धोबी ने क्रमशः दिनांक 10 जनवरी, 1978 एवं 24 जनवरी, 1978 को थाना जैतीपुर पर उसकी सरसों तथा चने की फसल को ग्राम के कुछ निवासियों द्वारा हानि पंहुचाये जाने के सम्बन्ध में लिखित शिकायत की जिसके आधार पर अपराध संख्या 24 धारा 147/427/352/506 भारतीय दंड विधान का अभियोग केदार तथा 16 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के पश्चात् दिनांक 30 मार्च, 1978 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । वादीगण के अनुसार हे0मु0 द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने तथा रिपोर्ट लिखने के लिये 10 रुपया लिये जाने के बारे में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर तथा दूसरा प्रार्थना-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ । जांच के दौरान वादीगण थाने में रिपोर्ट लिखने वाले तथा रुपये लेने वाले व्यक्तियों को नहीं पहचान सके इसलिए हे0 मु0 के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

सी० बी० ग्लास वर्क्स एत्मादपुर, आगरा में श्रमिकों एवं श्रमिक नेता श्री भगवान दास साथी के विरुद्ध चल रहा मुकदमा

*30—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सी0 बी0 ग्लास वर्क्स ऐत्मादपुर, आगरा में श्रमिकों के छटनी के विरोध में हुई हड़ताल में श्रमिक नेता श्री भगवान दास साथी व फैक्टरी के 16 अन्य श्रमिकों के विरुद्ध धारा 323, 147, 337, 427 भा0दं0सं0 व 36/43 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत दिनांक 6 मार्च, 1976 को थाना ऐत्मादपुर, आगरा में लिखित रिपोर्ट के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है ? क्या सरकार उसे वापस लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । श्री भगवान दास साथी तथा 15 अन्य श्रमिकों के विरुद्ध 147/323/337/427 भा0दं0वि0 तथा धारा 36/43 डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत एक मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । उक्त मुकदमें को वापस लेने की वांछनीयता पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

हरिजनों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा सम्बन्धी संज्ञेय अपराध बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री व गृह मंत्री का निर्देश

*31—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने अभी कुछ दिनों पूर्व हरिजनों की समस्याओं के बारे में उनको अलग-अलग निर्देश-पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों के बारे में शासन ने क्या निर्णय लिये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । प्रधान मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 31 अगस्त, 1977 में हरिजनों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निष्काषित किये जाने के मामलों को संज्ञेय अपराध बनाये जाने तथा ऐसे मामलों को रोकने के लिये प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया था । केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने अपने 2 अक्तूबर, 1977 के पत्र में प्रधान मंत्री जी के उक्त पत्र पर हुई कार्यवाही के बारे में पूछ-तांछ की थी ।

राज्य शासन ने दिनांक 4 जुलाई, 1977 को ही इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं कि हरिजनों को बलपूर्वक उनकी भूमि से निष्काषित किये जाने के मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 441/447 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय । दिनांक 25 अगस्त, 1977 को यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते समय हरिजनों की समस्याओं को मौके पर सुनकर उनका यथा सम्भव मौके पर ही निस्तारण करायें । हरिजनों पर अत्याचार के मामलों को संज्ञेय अपराध बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बन्दियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री में की गयी कटौती

*32—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश की जेलों में बन्दियों को मिलने वाली खाद्य सामग्री में वर्तमान सरकार द्वारा कुछ कटौती की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या बन्दियों को कुछ सुविधाएं बढ़ाई भी गई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां । बन्दियों के भोजन की व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

प्रतापगढ़ जिले से आपात काल में ज्यादतियों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्र

*33—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 नवम्बर, 1977 ई0 को प्रतापगढ़ जनपद में आपात कालीन घोषणा के समय में की गई ज्यादतियों की जांच के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । इस सम्बन्ध में जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करवाई जा रही है ।

प्रतापगढ़ जिले के मीसा बन्दी श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल का श्री आर0पी0 त्रिपाठी, एल0 आई0 यू0 इंचार्ज के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*34--श्री विद्याशंकर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात कालीन स्थिति के दौरान मीसा बन्दी श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, प्रतापगढ़ की ओर से श्री आर0 पी0 त्रिपाठी, तत्कालीन प्रतापगढ़ एल0 आई0 यू0 के इंचार्ज के विरुद्ध उनकी निरुद्धिकाल में उनके परिवार के लोगों को तंग करने तथा श्री त्रिपाठी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत 5 जुलाई, 1977 ई0 को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मामले में शासन ने आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1977 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

*35--श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन--

[दिनांक 28 मार्च, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*36--श्री राजेश कुमार सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

कांग्रेस अधिवेशन, गोहाटी में प्रदेश के औद्योगिक मन्डप पर व्यय की गई धनराशि

*37--श्री मैनेजर सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1976 में कांग्रेस अधिवेशन, गौहाटी में उत्तर प्रदेश का औद्योगिक मण्डप वहां औद्योगिक प्रदर्शनी में लगाया गया था ? यदि हां, तो कितना कुल व्यय हुआ और मण्डप को क्या दान दिया गया ?

श्री राम प्रकाश--

जी हां । उसमें कुल 9,99,998.39 रु0 व्यय हुआ था । मण्डप को असम सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरित कर दिया गया ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में धनराशि का गबन

*38--श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में अगस्त, 1976 में विद्यालय की धनराशि के गबन की कोई रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां । मामला विवेचनाधीन है ।

फैजाबाद जिले के तारुन में नये थाने की स्थापना की मांग

*39--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में तारुन में नया थाना खोल के बारे में सरकार विचार कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई भूमि भी अधिग्रहण की ज चुकी है ? यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत तारुन में एक नया थाना स्थापित किये जाने की शासन से मांग की गयी है। थाने के औचित्य के बारे में प्रस्ताव मांगा गया है। औचित्य पाये जाने पर वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले पर विचार किया जायेगा। थाने के लिये भूमि अधिग्रहण करने का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता है।

निदेशक हृदय रोग संस्थान, कानपुर के विरुद्ध कथित सतर्कता विभाग की जांच

*40—श्री रियासत हुसैन तथा डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री आर0एन0 पाण्डे, डिप्टी एस0 पी0 भूतपूर्व डिप्टी एस0पी0 विजीलेन्स, कानपुर ने निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के खिलाफ नवम्बर, 1977 में कोई जांच रिपोर्ट सतर्कता विभाग, लखनऊ को भेजी थी ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

नवम्बर, 1977 में ऐसी कोई रिपोर्ट श्री आर0एन0 पांडे ने सतर्कता विभाग, लखनऊ को नहीं भेजी।

*41—श्री मन्ना लाल, श्री नरेश चन्द्र तथा श्री राघव राम सिंह—

[6 ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

*42—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

[दिनांक 11—4—78 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित।]

लखीमपुर खीरी के स्थानान्तरित पुलिस सब इन्सपेक्टर व इंसपेक्टर का क्वार्टर।

*43—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी), श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) तथा श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस विभाग में ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वर्षों से तबादले पर जाने के उपरान्त भी सरकारी क्वार्टरों पर अनाधिकार कब्जा किए हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस विभाग का ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जो वर्षों से तबादले पर जाने के बाद भी सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा किये हुए हैं। केवल एक इंस्पेक्टर तथा एक सब इंस्पेक्टर ने जिनका स्थानान्तरण क्रमशः 29 अप्रैल, 1977 तथा 13 मई, 1977 को हुआ, सरकारी क्वार्टर नहीं खाली किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

बाराबंकी शहर में छात्रों पर किये गये गोलीकांड की मैजिस्टीरियल जांच

*44—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 फरवरी, 1978 को बाराबंकी शहर में छात्रों पर पुलिस व पी0ए0सी0 द्वारा किए गए गोली काण्ड से सम्बन्धित मामले पर सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उसकी कितनी प्रगति हुई है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा की जा रही है। साक्ष्य पूरा न होने के कारण उक्त जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

नैनीताल जिले के रज्जू मार्ग का विश्व बैंक की सहायता से कथित निर्माण

*45—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के रामगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से निर्माणाधीन रज्जु मार्ग (रोप–वे) का निर्माण कार्य किस निश्चित तिथि तक पूरा हो जाएगा?

श्री राम नरेश यादव—

नैनीताल जिले के रामगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से कोई रज्ज मार्ग निर्माणाधीन नहीं है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा

*46—श्रीमती रामरति देवी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के अलग–अलग श्रेणियों में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं? और क्या यह सही है कि इस विभाग में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा नहीं है? यदि हां, तो कोटा पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम प्रकाश—

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के अलग–अलग श्रेणियों में क्रमशः 'शून्य', 'शून्य', 7.9 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत कर्मचारी हैं। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं है। वर्तमान कमी को पूरा करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित नीति का सावधानी से पालन किया जा रहा है।

देहरादून व सहारनपुर के वन निवासियों का भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र एवं पशुओं की चराई शुल्क

*47—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून और सहारनपुर के वनों में रहने वाले गूजरों की ओर से कोई प्रार्थना–पत्र निवास एवं कृषि के लिए भूमि आवंटन के लिए सरकार को गत माह में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई? और इन गूजरों से वन विभाग द्वारा प्रति पशु चराई का पैसा टैक्स के रूप में कितना–कितना लिया जाता है?

श्री श्रीचन्द—

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में दिनांक 21 मार्च, 1978 को वन मन्त्री जी की अध्यक्षता में देहरादून व सहारनपुर के गूजर प्रतिनिधियों एवं तीन क्षेत्रीय विधायकों के बीच हुई मीटिंग में यह तय किया गया कि उपरोक्त विधायक तथा वन विभाग के स्थानीय अधिकारी मिलकर गूजरों व उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके पूर्वी देहरादून एवं शिवालिक प्रभागों में गूजरों के स्थायी पुनर्वास की पहले से बनी हुई योजना का कार्यान्वियन प्रारम्भ करें। इन गूजरों से वन विभाग द्वारा चराई एवं शाखतराशी शुल्क निम्न प्रकार से प्रति सीजन वसूल की जाती है :—

भैंसों की संख्या	चराई शुल्क प्रति भैंस	शाखतराशी शुल्क प्रति भैंस
1	2	3
	रु0	रु0
10 तक	8.00	20.00
11 से 20 तक	10.00	25.0.
21 से 30 तक	12.00	30.00
31 से अधिक	16.00	40.00

देवरिया, ग्राम नौतार जंगल में घटी कथित घटना

*48—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 नवम्बर, 1977 को ग्राम नौतार जुंगल, थाना खड्डा, जिला देवरिया में हुई घटना की जांच से क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम नौतार जुंगल में दिनांक 2 नवम्बर, 1977 को घटित किसी भी घटना की सूचना सम्बन्धित थाना खड्डा जनपद देवरिया के अभिलेखों में अंकित नहीं है। जांच से भी उपरोक्त की पुष्टि नहीं होती है।

नैनीताल जिले के काला ढूंगी देचोरी मार्ग का निर्माण

*49—श्री रामदत्त जोशी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में निर्माणाधीन कालाढूंगी देचोरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शोबन सिंह जीना—

जिला नैनीताल में कालाढूंगी देचोरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रोका नहीं गया। मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 12 अगस्त, 1977 के आदेश द्वारा यह आदेश जारी किए गए थे कि जिन कार्यों पर 10 प्रतिशत से कम कार्य हुआ हो, वे रोक दिए जाएं। भ्रमवश ये आदेश पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में भी लागू किए गए परन्तु बाद में उनके द्वारा 2 सितम्बर, 1977 को यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे आदेश पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। कालाढूंगी-देचोरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा

*50—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*51—श्री कल्प नाथ सिंह—

[3 रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 67 के अन्तर्गत उत्तरित।]

फैजाबाद जिले में कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना

*52—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में फैजाबाद जनपद में कौन–कौन से कुटीर एवं लघु उद्योगों की इकाइयां लगायी गयीं ? क्या सरकार ग्रामीणोन्मुखी उद्योगों को स्थापित करने में प्राथमिकता दे रही है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष 1977–78 में जनपद फैजाबाद में स्थानीय संसाधनों तथा कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न कुटीर तथा लघु उद्योगों–जैसे लकड़ी के फर्नीचर, मोमबत्ती, स्याही, प्लास्टिक गुड्स, प्रिंटिंग प्रेस, अटैची व ब्रीफकेस, अगरबत्ती, रेडियो असेम्बली, कालीन, आयुर्वेदिक दवायें बनाने इत्यादि की इकाइयां स्थापित की गई हैं। सरकार ग्रामीणोन्मुखी उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु कुटीर एवं लघु स्तरीय उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए गोसाईंगंज विकास केन्द्र का चयन किया गया है तथा उद्यमियों को नियमानुसार हरसंभव सहायता देने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। आगे यह योजना है कि हर 15–20 गांवों पर अन्ततः एक विकास केन्द्र स्थापित हो जाय।

*53—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[9 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

कुमारी रेनू दूबे एडवोकेट, वाराणसी का पंजीकरण एवं वकालतनामा

1—श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी रेनू दूबे एडवोकेट, वाराणसी सन् 1972 से 3 जून, 1974 ई0 तक एडवोकेट मे रूप के पंजीकृत हुए बिना अनेकों मुकदमों में वकालतनामा दाखिल किया है ? क्या इस संबंध में जिला जज, वाराणसी को उपर्युक्त समय में कोई शिकायत-पत्र मिला था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

बार कौंसिल, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार कुमारी रेनू दुबे 4 जून, 1974 से अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुयीं। सन् 1972 से 3 जून, 1974 की अवधि में उनके द्वारा दो मुकदमों में वकालतनामा दाखिल करने की जानकारी शासन को प्राप्त हुयी है तथा एक अन्य मुकदमें की इजराय में उन्होंने वाउचर बनवाने का प्रार्थना-पत्र देकर वाउचर भी प्राप्त किया।

श्री कन्हैयालाल पान्डे, एडवोकेट ने 12 सितम्बर, 1977 को एक शिकायती-पत्र जिला जज वाराणसी को इस संबंध में भेजा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज

वाराणसी ने 24 अक्तूबर, 1977 को आदेश दिया कि श्री पान्डे चाहे तो बार कौंसिल को आवेदन-पत्र दे सकते हैं क्योंकि एडवोकेटों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये वे ही सक्षम हैं। इस वक्त मामला बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की अनुशासनिक समिति के समक्ष एडवोकेट ऐक्ट की धारा 35 के अधीन लम्बित है।

कैदियों की छूट सम्बन्धी आदेश एवं नैनी कारागार में छोड़े गये कैदी

2--श्री श्यामनारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैदियों के लिये छूट का क्या कोई सरकारी आदेश है ? यदि हां, तो कितने आशक्त कैदी केन्द्रीय कारागार, नैनी, जिला इलाहाबाद से वर्ष 1977 में छोड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जी हां, किन्तु एक वर्ष की छूट केवल उन बंदियों को दी गयी थी जो 10 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास की सजा के लिये दंडित थे। एक वर्ष से 10 वर्ष तक सजा प्राप्त बन्दियों को 14 दिन से 6 माह तक की छूट दी गयी थी। उक्त छूट हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार आदि गंभीर किस्म के अपराधियों को नहीं दी गयी थी। इसके फलस्वरूप प्रदेश की जेलों से 36 बंदी मुक्त हुए तथा 786 लाभान्वित हुए।

पन्द्रह अगस्त के अवसर पर कैदियों को दी गई छूट

3--श्री श्याम नरायण तिवारी--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 अगस्त, 1977 को सरकार की तरफ से जेल में कैदियों को एक साल की छूट का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कितने कैदी लाभान्वित हुए ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जी हां।

15 अगस्त, 1977 के अवसर पर उन बन्दियों की रिहाई के सामान्य आदेश भेजे गये थे जो 70 वर्ष से अधिक हों, वृद्ध, अशक्त या अपंग हों तथा 5 वर्ष या उससे अधिक अपरिहार सजा काट चुके हों। केन्द्रीय कारागार, नैनी में उस समय उक्त शर्तों के अन्तर्गत कोई बन्दी मुक्त होने का पात्र नहीं था।

प्रतापगढ़ जिले में पड़ी डकैती एवं पुलिस तथा डकैतों की मुठभेड़

4--श्री विद्या शंकर--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में पिछले तीन महीने में कुल कितनी डकैतियां पड़ीं तथा कितनी डकैतियों में पुलिस तथा डकैतों में मुठभेंड़ हुई ? उस मुठ-भेंड़ में कितने डकैत मारे गए ?

श्री राम नरेश यादव--

प्रतापगढ़ जनपद में पिछले 3 महीने में कुल 13 डकैतियां पड़ी। पुलिस एवं डकैतों में दो बार मुठभेंड़ हुई और उसमें एक डकैत मारा गया।

देवरिया जिले में चल रहे राजनैतिक मुकदमा की वापसी

5—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया) तथा श्री राम अधार—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1970 से लेकर जून, 1977 तक के कितने राजनैतिक मुकदमे देवरिया न्यायालय के विचाराधीन हैं ? क्या सरकार इन मुकदमों को वापस लेने हेतु विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

139 ऐसे मुकदमें पंजीकृत हुए थे जिन्हें "राजनैतिक" प्रकृति का कहा जा सकता है, जिनमें से 80 अनिर्णीत थे। उन सभी 80 को सरकार ने वापस ले लिया।

देवरिया जिले में लम्बित फौजदारी तथा दीवानी के मुकदमें

6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के दीवानी तथा फौजदारी अदालतों में 30 नवम्बर, 1977 तक कुल कितने वाद विचाराधीन थे तथा उनका निस्तारण कब तक होने की संभावना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

देवरिया जजी में 30 नवम्बर, 1977 को दीवानी अदालतों में 5034 तथा फौजदारी अदालतों में 16,690 वाद विचाराधीन थे। न्यायिक अधिकारियों की वर्तमान संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उनके निस्तारण में लगभग सवा चार वर्ष लगेंगे किन्तु नई भर्ती द्वारा अधिकारियों की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि इनका निस्तारण कम समय में किया जा सके।

हसनगंज डालीगंज थाना, लखनऊ के कांस्टेबिल श्री दिनेश नारायण तिवारी की आपातकाल में सेवा समाप्ति

7—श्री विद्या शंकर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश नारायण तिवारी, सुत राम राज तिवारी, ग्राम नरिया, जिला प्रतापगढ़ जिसकी नियुक्ति 15 मार्च, 1975 को सिविल पुलिस, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबिल के पद पर हुई थी और जो 2 जुलाई, 1976 को हसनगंज डालीगंज थाना से पुलिस लाइन, लखनऊ पर ड्यूटी पर था आपात कालीन स्थिति में सेवा से निलम्बित कर दिया गया था, ने अपनी बहाली के लिये दिनांक 13 जुलाई, 1977 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री दिनेश नारायण तिवारी का कथित प्रार्थना-पत्र दिनांक 13 जुलाई, 1977 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रतापगढ़ कारागार के बन्दी रक्षक, श्री रामलखन सिंह की अपील

8—श्री विद्याशंकर—

क्या कारगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 मई, 1974 को श्रीराम लखन सिंह, जो प्रतापगढ़ कारागार में बन्दी रक्षक था, ने कोई अपील अधीक्षक, जिला करागार प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 28 फरवरी, 1974 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस अपील में आज तक क्या हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, श्री राम लखन सिंह, बन्दी रक्षक ने अधीक्षक, जिला कारागार प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 28 फरवरी, 1974 के विरुद्ध अपील कारागार महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत की थी, जिस पर विचार के उपरान्त उसे अस्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रदेश के विधायकों एवं संसद सदस्यों के पुलिस शैडों पर व्यय होने वाली धनराशि

9—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने विधायकों एवं संसद सदस्य के पास पुलिस का शैडो है और उनके घर पर पुलिस गार्ड लगा हुआ है ? इस पर प्रदेश की सरकार का कितना माहवारी धन व्यय होता है ?

श्री राम नरेश यादव—

इस समय कुल 6 संसद सदस्यों और 24 विधायकों के पास पुलिस का शैडो नियुक्त है । एक संसद सदस्य तथा दो विधायकों के घर पर पुलिस गार्ड लगा हुआ है ।

उपरोक्त पर प्रदेश सरकार का माह जनवरी, 1978 में कुल रु0 29,937.89 पै व्यय हुआ ।

हरदोई की प्राइमरी पाठशाला ऐड़ा के अध्यापक, श्री सोबरन सिंह द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

10—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के थाना हरपालपुर के प्राइमरी पाठशाला ऐड़ा के सहायक अध्यापक सोबरन सिंह ने दिनांक 22 अगस्त, 1977 को धारा 394, 325, 323 में कोई रिपोर्ट लिखाई थी तथा माह अक्तूबर में जिला पुलिस अधीक्षक को तीन आवेदन-पत्र पुलिस द्वारा सक्रिय कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में दिये थे ? फिर भी अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सोबरन सिंह द्वारा धारा 394 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई गई थी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में तीन प्रार्थना-पत्र दिये गये थे । विवेचना से घटना असत्य पाये जाने के कारण किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया और विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई । अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है ।

बाराबंकी, तहसील फतेहपुर में खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित उद्योग एवं लाभ

11—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर) तथा श्री अशरफी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में खादी ग्रामोद्योग द्वारा कौन-कौन से उद्योग चलाये जा रहे हैं ? इस उद्योग से प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है और कितने व्यक्ति इस उद्योग में लगे हैं ?

श्री राम प्रकाश—

तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण तेल, अनाज दाल प्रशोधन; चर्मकला, कुम्हारी, लोहार गीरी एवं रेशा उद्योग चलाये जा रहे हैं । इन उद्योगों से बोर्ड को कोई आमदनी नहीं होती है परन्तु जो 20 उद्योग इकाईयां/सहकारी

समितियां इन उद्योगों को चलाती हैं उनको वर्ष 1975–76 तक लगभग 27 हजार रुपये का लाभ होने का अनुमान है । इन उद्योगों में 143 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है ।

सीतापुर जिले के कतिपय थानों में विभिन्न कर्मचारियों के रक्त पदों के नियुक्ति की मांग

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में थाना कोतवाली (सीतापुर) खैराबाद, रामकोट तथा कमलापुर में क्षेत्रीय जनसंख्या, अपराध स्थिति आदि के आधार पर पुलिस परिनियमों के अधीन कितने-कितने सिपाही, हेड सिपाही, सब-इन्सपेक्टर तथा इन्सपेक्टर तैनात होना चाहिये ? (सूचना थाना अनुसार अपेक्षित है) तथा वर्तमान समय उपरोक्त में से कितने-कितने तैनात हैं ? रिक्त स्थानों का कारण क्या है तथा रिक्तियां कब तक पूरी कर दी जायेंगी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रदेश के थानों पर 1971–73 के अपराध आंकड़ों तथा 1971 की जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त स्टाफ दिये जाने का निर्णय हुआ है । इसी आधार पर सीतापुर जनपद में थाना कोतवाली (सीतापुर) खैराबाद, रामकोट व कमलापुर में देय स्टाफ, नियुक्त स्टाफ तथा रिक्तियों का थाना अनुसार विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम-संख्या	थाने का नाम	देय स्टाफ, वाच एण्ड वार्ड सहित				नियुक्ति स्टाफ				रिक्तियां			
		इ0स0	इ0हे0	का0	का0	इ0स0	इ0हे0	का0	का0	इ0स0	इ0हे0	का0	का0
1	कोतवाली	1,	18,	19,	127,	1,	11,	13,	84,	0,	7,	6,	43,
2	खैराबाद	0,	5,	4,	37,	0,	4,	3,	33,	0,	1,	1,	4,
3	रामकोट	0,	5,	1,	18,	0,	6,	1,	18,	0,	0,	0,	0,
4	कमलापुर	0.	5,	1,	22,	0,	4,	1,	22,	0,	1,	0,	0,

थाना रामकोट में 5 सब इन्सपेक्टर के अतिरिक्त एक अन्य सब इन्सपेक्टर वहां की अपराध स्थिति को देखते हुये पुलिस अधीक्षक द्वारा अस्थायी रूप से रखा गया है ।

रिक्तियों का कारण यह है कि 1971 की जनसंख्या व 71–73 के अपराधों के आधार पर कुछ पद स्वीकृत होने शेष हैं तथा कुछ कर्मचारी अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कुछ को प्रशिक्षण दिया जाना है । इनकी पूर्ति यथाशीघ्र की जायेगी ।

13—श्री सूरज प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

देवरिया जिले के तिलगवा पट्टी टोला के श्री प्रयाग दास, हरिजन के घर डकैती

14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में पडरौना तहसील के विशनपुरा थाना के अन्तर्गत ग्राम बांसगांव के तिलंगवा पट्टी टोला में 12/13 नवम्बर, 1977 की रात्रि में प्रयाग

दास, हरिजन के घर भीषण डकैती में गृहस्वामी के पुत्र मैनेजर प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी गयी तथा चन्द्रिका प्रसाद व महिलायें भी बुरी तरह आहत हो गयी ? जिसकी विधिवत् सूचना सम्बन्धित थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो मृतकों के परिवार को सरकार ने क्या सहायता दी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी ।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश रॉफग्स फैक्टरी में सरकारी शेयर व लाभ

15—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती) तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यसुफ (जिला बस्ती)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रुफिग्स, फैजाबाद फैक्टरी में सरकार का कितना हिस्सा था और कितना रुपया व्यक्तिगत लोगों का लगा था ? नवम्बर, 1977 तक उत्तर प्रदेश रुफिग्स, फैजाबाद से कितनी आय प्रत्येक वर्ष में हुई है ? क्या यह सही है कि उक्त रुफिग्स फैजाबाद के विरुद्ध तीन वर्षों में कितनी शिकायत निदेशक शासन को प्राप्त हुई ? उस पर कार्यवाही की गयी कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला निर्वाचन कार्यालय, बहराइच के कैशियर व लिपिक का स्थायीकरण

16—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के जिला निर्वाचन विभाग में एक जुलाई, सन् 1976 से एक कैशियर तथा एक नैत्यक श्रेणी के लिपिक के कनफरमेशन का सरकारी आदेश था ? यदि हां, तो उन स्थानों पर किस-किस कर्मचारी का कनफरमेशन हुआ है ? अगर आज तक नहीं हुआ है, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जिला निर्वाचन कार्यालय, बहराइच में कैशियर-कम-स्टोर क्लर्क तथा नैत्यिक श्रेणी लिपिक के पद दिनांक 1-7-76 से स्थायी किये गये । उन पर क्रमशः श्री राम दुलारे तथा श्री साबिर अली को दिनांक 1 जुलाई, 1976 से स्थायी किया जा चुका है ।

श्री संतलाल जैन, निवासी जलेसर, फिरोजाबाद का उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

17—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1976 में जनपद आगरा के कस्बा फिरोजाबाद के श्री सन्तलाल जैन पुत्र श्री तोता राम जैन, निवासी जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तरी) ने एक प्रार्थना-पत्र तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक, श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध पद एवं अधिकारों के दुरुपयोग एवं भ्रष्ट आचरण आदि के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हो, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री संतलाल जैन, पुत्र श्री तोताराम जैन, निवासी जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तरी) द्वारा सहायक पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित कथित विषय पर एक पत्र प्राप्त हुआ था । इस पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा जांच कराई गई थी और प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये थे ।

उद्योग विभाग द्वारा क्रय किया गया सामान एवं उसकी दर

18—श्री कल्पनाथ सिंह, श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया) तथा श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय क्रय विभाग के द्वारा वर्ष 1976–77 में कौन–कौन से सामान किस फर्म से किस–किस दर पर क्रय किया गया और कितने–कितने रुपए का और वर्ष 1977 के 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक कौन–कौन से सामान किस–किस दर पर खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी तथा कितने–कितने सामानों की खरीद हुई ?

श्री राम प्रकाश—

प्रश्न में जिस विशद एवं विस्तृत रूप में सूचना चाही गई है उस रूप में उसे एकत्र करना न केवल कठिन है अपितु अव्यवहारिक भी है क्योंकि उद्योग निदेशालय के सामग्री क्रय अनुभाग द्वारा दर–अनुबंध, मात्रा अनुबंध तथा स्वतः क्रय की अनुमति प्रदान करके जो विभिन्न क्रय–प्रबंध किये जाते हैं उनके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभाग तथा उनके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालय क्रय करते हैं। यह सूचना संकलित रूप में उपलब्ध नहीं रहती है ।

इस सूचना को एकत्र करने में बहुत अधिक समय, श्रम व धन व्यय होगा, जो जनहित में आवश्यक नहीं प्रतीत होता है। यदि माननीय सदस्यों को किसी विशिष्ट क्रय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो अथवा उनका कोई सुझाव हो तो उनका विवरण प्राप्त होने पर शासन द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की व्यवस्था की जा सकती है ।

उन्नाव के गांव धनही खेड़ा की श्रीमती गंगा देई हरिजन द्वारा थाना वारास्यूवर केन्टर में लिखायी गयी रिपोर्ट और नायब दरोगा के विरुद्ध प्रार्थना–पत्र

19—श्री दयाराम भास्कर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, थाना वारास्यूवर, ग्राम धनही खेड़ा के हरिजन अबला मु0 गंगादेई, प्रेम शंकर आदि को स्वर्णों ने माह सितम्बर–अक्तूबर, तथा नवम्बर, 1977 में कितने बार मारा पीटा और घर से निकाल दिया, चारपाई में बांधा और मुंह में कपड़ा ठूंसा परन्तु मुन्सी हेड ने सही वाक्या न लिखकर गलत रिपोर्ट लिखी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

श्रीमती गंगादेई हरिजन ने मारे पीटे जाने के सम्बन्ध में अमुक सवर्णों के विरुद्ध एक रिपोर्ट दिनांक 12–9–77 को व दूसरी दिनांक 2–10–77 को थाना वारास्यूवर उन्नाव पर लिखाई। दोनों घटनाओं में विवेचन के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

पाया गया कि श्रीमती गंगादेई द्वारा पंजीकृत कराये गये अपराधों की सूचना उनके कथनानुसार थाने पर अंकित की गई थी और थाने के किसी कर्मचारी द्वारा कोई बात बढ़ाई या घटाई नहीं गई ।

श्री दयाराम भास्कर—

क्या गृह मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि हरिजन अबला को तंग करने के लिए नायब दरोगा के विरुद्ध भी मु0 गंगा देई ने पुलिस कप्तान, उन्नाव, 26 सितम्बर, 1977 व जिलाधिकारी 23 सितम्बर, 1977 5 अक्तूबर, 1977 को और हरिजन कल्याण

[श्री दया राम भास्कर]

मन्त्री उत्तर प्रदेश, 5 अक्तूबर, 1977 व 26 सितम्बर, 1977 व मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश 23 सितम्बर, 1977 को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती गंगा देई के प्रश्नगत तीन शिकायती–पत्र प्राप्त हुए। जांच से आरोप बढ़ा–चढ़ा कर अंकित किये गये पाये गये।

सीतापुर जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों का विवरण

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के थाना रामकोट, खैराबाद तथा कोतवाली में माह अक्तूबर तथा नवम्बर, 1977 में कितनी चोरियां तथा राहजनी की घटनाएं घटीं तथा उनमें से कितनों में माल की रिकवरी सम्भव हो सकी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :—

थाना	अक्तूबर, 1977		नवम्बर, 1977	
	चोरी	राहजनी	चोरी	राहजनी
रामकोट	8	—	9	4
खैराबाद	9	1	12	3
कोतवाली	25	1	33	1

इनमें से थाना रामकोट तथा खैराबाद में हुई अक्तूबर माह की चोरियों में से एक-एक अभियोग में कुछ माल बरामद हुआ।

22—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

ललितपुर एवं झांसी जिलों के उद्योग ऋणियों के ऋण की अदायगी एवं बन्धक सम्पत्ति

डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1974–75, 1975–76, 1976–77 में ललितपुर एवं झांसी जनपद में कितने उद्योग ऋणियों ने अपने ऋण अदा कर दिए थे, उनमें से कितनी की सम्पत्ति विभाग द्वारा बन्धनमुक्त कर दी गयी और कितनों की अब तक नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जिला झांसी तथा ललितपुर में जिन लोगों ने ऋण 1974–75, 75–76 तथा 76–77 में अदा किया उनकी वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

जिला	वर्ष	ऋण अदा करने वालों की संख्या
झांसी	1974–75	62
	1975–76	5
	1976–77	7
ललितपुर	1974–75	60
	1975–76	3
	1976–77	25

इन लोगों की संपत्ति इस कारण मुक्त नहीं हो सकी कि इनके द्वारा जमा की गई धनराशि का मिलान कोषागार से नहीं हो पाया है। सत्यापन का कार्य हो रहा है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इसी प्रश्न के बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने जिलाधीश की संस्तुति को पढ़ते हुए कहा कि यह जिलाधीश ने लिखा है कि श्री विपिन बिहारी चतुर्वेदी का उस केस से कोई संबंध नहीं है। जहां तक मैंने सुना मंत्री जी ने यही कहा कि इनका उस केस से संबंधित होना सही नहीं है। अगर यह बात लिखी है तो उच्च न्यायालय की मानहानि की है क्योंकि उच्च न्यायालय से सजा हुई है। मान्यवर, आप पढ़कर दिखवा लें। यही उन्होंने कहा . . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी प्रश्नों के बाद में किसी प्रश्न के बारे में व्यवस्था का प्रश्न करना यह तो उचित नहीं है। अगर प्रश्नों के संबंध में कोई शिकायत है तो उसे आप मुझे लिख कर दे सकते हैं। मंत्री क्या सूचना देंगे और वह उचित है या अनुचित है यह मंत्री जी का अधिकार है। नियम के अनुसार किसी आदमी पर दया करके विचार कर सकते हैं। सी0 आर0 पी0 सी0 में उसका प्राविधान किया गया है। किस आधार पर करते हैं यह मंत्री जी का अधिकार है अगर आप मंत्री जी के विवेक को चुनौती देते हैं . . . . .

श्री ऊदल—

मैंने मान्यवर, विवेक को चुनौती नहीं दी है। (व्यवधान)

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

सुखपाल जी, आपकी सहायता के बिना भी मंत्री जी अपना काम कर सकते हैं।

[श्री ओम प्रकाश सिंह] न्याय एवं कारागार मन्त्री—

इसमें न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संदेह प्रकट किया गया है, यह रिकार्ड की चीज है। गलत सुनने के कारण कोई गलत चीज रिकार्ड में न चली जाए, इसलिए में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसने ऐसी कोई बात नहीं कही—व्यक्ति के परिवार और चरित्र के बारे में केवल संस्तुति की गई है। इसलिए जो आपने सुना है, गलत सुना है।

श्री अध्यक्ष—

इन्होंने जो कहा है, उसे मैंने मान्य नहीं किया है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो दयाराम भास्कर के प्रश्न से पैदा होता है और साधारण तौर पर यह जनरल है। उसमें उन्होंने यह कहा कि प्रभुनाथ राय ने लगभग 12 अर्जियां विभिन्न तारीखों में सन् 65 से लेकर अब तक दी हैं। उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि केवल 2 अर्जियां मिली हैं, बाकी खोजी गई, नहीं मिली। इस संबंध में मैं यह कह रहा हूं कि बराबर इस सदन में, मैं देख रहा हूं कि जब-जब ऐसे प्रश्न आते हैं, मंत्री लोग अर्जियां नकार जाते हैं। कहते हैं कि नहीं मिलती हैं, नहीं मिली हैं। यह जरूर नहीं मिलती हैं, क्योंकि विभाग से उन्हें नहीं दी जाती हैं। इसको श्रीमन्, आपको देखना चाहिए। आप यह भी देखें कि दो अर्जियां वही मिली हैं और प्रत्यक्ष रूप से सदन में लाई जा रही हैं, जिसके बारे में ऋण अनुदान देने की बात है। एक है 3-2-65 की, उसमें 5 हजार और 1 हजार दिया गया है, दूसरी 19 जनवरी, 1977 की है, जिसमें 30 हजार देने की बात है और वह दबाई नहीं जा सकती हैं। इस तरह से अर्जियां बराबर दी जाती हैं और उत्तर हम लोगों को दिया जाता है कि अर्जियां नहीं मिली हैं, तो इस संबंध में हमें कैसे सन्तोष हो ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, उसका सही इलाज तो यह हो सकता है कि श्यामधर जी उधर बैठें।

(हंसी)

श्री श्यामधर मिश्र—

यह कोई उत्तर नहीं हुआ, आप बहुत चीज ठीक कर रहे हैं, इसे भी ठीक कर दें।

(व्यवधान)

यों आप आज्ञा दें तो वह इधर आ जाएं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है। इसमें जनता की आज्ञा की जरूरत है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

आप आम तौर पर हमेशा यह देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, आप इनको डांटते भी हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मंत्रियों की खाल इतनी मोटी हो गई है कि उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री जी प्रश्नोत्तर काल में कभी भी सदन में बैठने की कृपा नहीं करते हैं। वह आमतौर पर ऐसा करते हैं, कभी कभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा करें, तो समझ में आ सकता है । इसका नतीजा यह होता है कि किस मंत्री का क्या परफारमेंस है, उनको यह मालूम नहीं हो पाता है, उनको पता नहीं रहता है कि कौन किस तरह से उत्तर देता है, कौन तैयार होकर आता है और कौन बिना तैयार किये आता है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुख्य मंत्री से निवेदन करें कि वह प्रश्नोत्तर काल में, अन्यथा वह व्यस्त न हों, इस सदन में अवश्य बैठने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रश्नोत्तर के समय खासकर मुख्य मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिये, लेकिन आज वह विशेष कारण से उपस्थित नहीं हैं और वह प्रायः उपस्थित रहते हैं, जब तक अनिवार्य न हो । फिर भी मैं उप नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे मुख्य मंत्री तक पहुंचा दें कि जब तक बहुत जरूरी कार्य न हो उनको यहां रहना चाहिये ।

बजट साहित्य समय से न मिलने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

आपने श्रीमन्, इस सत्र में और पिछले सत्र में भी कहा कि जब किसी ग्रान्ट पर बहस होनी हो तो उससे सम्बन्धित साहित्य एक दिन पहले माननीय सदस्यों को दे देना चाहिये, किन्तु ऐसा हो नहीं रहा है । कल स्वास्थ्य विभाग पर बहस थी, उसको उसी दिन प्रातः मिला और आज जो गन्ने पर है, उसका भी आज ही मिला है । क्या बहस हम कर पायेंगे ? मैं चाहूंगा कि आप निर्देश दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उप नेता सदन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने कल यह कहा था कि दो दिन पहले साहित्य मिलना चाहिये । हो सकता है कि कल यह स्थिति हो, लेकिन, भविष्य में अगर साहित्य नहीं मिला तो मैं उन अनुदानों पर विचार स्थगित कर दूंगा । इसलिये मैं उप नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सचिवों को इस सम्बन्ध में आपके निश्चयात्मक आदेश होने चाहिये कि सचिव लोग विधान सभा के सदस्यों को बहस में भाग लेने के लिये पूरी सुविधा दें और इस बात के लिये कल मैंने कहा था कि विभाग में जब रिपोर्ट छप गयी है तो कोई कारण नहीं है 48 घंटे पहले सदस्यों को उपलब्ध न करायी जाय । कोई भी सदस्य अपने विषय पर न्याय नहीं कर सकता अगर 48 घंटे पहले भी रिपोर्ट नहीं मिलें । मुझे अत्यन्त खेद है कि विभागों की तरफ से उपेक्षा की जाती है । विशेष रूप से यह माननीय मंत्रियों का कर्तव्य है कि वह देखें कि सदस्यों को रिपोर्ट मिलें । कल तो हो सकता है कि आज रिपोर्ट चली जाय लेकिन उसके बाद अगर शिकायत आयी तो उन अनुदानों पर विचार करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अनुदानों पर विचार स्थगित कर दिया जायगा । यह किस नियम के अन्तर्गत आ जायगा ? कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव हो तब तो हो सकता है । वैसे कैसे हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति समय निश्चय करती है । अगर माननीय सदस्यों को बजट साहित्य नहीं देंगे तो वे किस प्रकार विचार कर सकते हैं ? तो नियमों में जो निहित हैं अधिकार उसके अनुसार बहस हो ही नहीं सकती । अगर मंत्री लोग कह दें कि कोई रिपोर्ट नहीं है तो ठीक बात है । लेकिन अगर रिपोर्ट है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बतलाया गन्ना

[श्री अध्यक्ष]
विकास की रिपोर्ट आज मिली है । अगर आज रिपोर्ट मिली है तो दो दिन पहले क्यों नहीं मिल सकती ?

नेपाल के प्रधान मंत्री के लखनऊ आगमन पर स्वागत में सदस्यों को आमंत्रित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । बअदब एक बात रखना चाहता हूं । वह यह है कि कल प्रधान मंत्री, नैपाल यहां आये । उनका स्वागत हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार से, हम लोगों का सदन चल रहा था । माननीय मुख्य मंत्री जी गये, स्वागत किया सदन की ओर से किया, हम लोगों की ओर से किया । हम लोग यहां बैठे थे । सदन भी इसके लिये हटा और वह विषय आज लिया जायगा । मैं निवेदन क्या कर रहा हूं ? मैंने यह परिपाटी केन्द्र में देखी है, आप वहां रहे हैं, कम से कम ऐसे सम्मानित व्यक्ति जब आते हैं, वह हवाई अड्डे पर आएं, तब कम से कम सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहिये । हम जाते या न जाते । हम भी स्वागत करते । हमने पता लगा लिया है कुछ लोगों से बात कर ली है । हम लोगों को कोई निमंत्रण वहां पहुंचने का नहीं मिला । क्यों नहीं मिलता ? क्या ऐसी परिपाटी रही है या ऐसी बात क्यों नहीं की जाती है, इसलिये अपनी दिक्कत सामने रख रहा हूं । मर्यादा रहित बात है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं जानता कि यहां क्या प्रोटोकाल है । इस सम्बन्ध में तो जानकारी माननीय उप नेता सदन ही दे सकते हैं । अगर प्रोटोकाल ऐसा है कि सभी सदस्यों को सूचना देनी चाहिये तो प्रोटोकाल का पालन करना चाहिये । अगर प्रोटोकाल नहीं है तो माननीय श्यामधर जी का सुझाव है उस पर शासन को विचार कर लेना चाहिये ।

(श्री राम प्रकाश) उद्योग मंत्री—

श्रीमन्, प्रोटोकाल तो, माननीय मुख्य मंत्री जी और राज्यपाल जी वहां पर जायं, इस प्रकार का ही था । बाकी सदस्य जायं, इसमें बाधा नहीं हो सकती है, अगर सूचना हो तो जा सकते थे । वैसे प्रोटोकाल में आवश्यक नहीं था कि सब माननीय सदस्यों को सूचना दी जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह मेरी निजी बात नहीं है । सभी को सूचना दी जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

केन्द्र में भी किन्हीं विशेष अवसरों पर सूचना नहीं दी जाती है । जब कार्टर आये तो सब एम0 पी0 वहां पर नहीं गये थे और मैं भी मौजूद था । वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से इतनी व्यवस्था नहीं थी कि सबको आमंत्रित किया जाता । उसमें मंत्रि-परिषद् के सदस्य थे बल्कि राज्य मंत्रियों को भी एरोड्रम पर नहीं बुलाया गया । तो यह प्रोटोकाल का सुझाव दिया है, तो इस पर सरकार विचार कर ले ।

श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि प्रोटोकाल की हिन्दी क्या है । इसके माने क्या हैं यह समझाने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत से शब्द जो अंग्रेजी के हैं उनका हिन्दीकरण हो गया है, जैसे रेल, थर्मामीटर आदि । प्रोटोकाल के माने हैं, शिष्टाचार ।

कोयले की चोर बाजारी के कारण फिरोजाबाद, आगरा के कांच उद्योग के श्रमिकों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस सनसनी खेज एवं हृदय विदारक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कांच व चूड़ी के श्रमिकों ने दिनांक 11 अप्रैल, 1978 को कोयला की चोर बाजारी को रोकने और कार्यरत प्रतिष्ठानों को कोयला सरकारी डिपों से दिलाने को एक प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय सहायक कांच विशेषज्ञ कार्यालय पर किया । श्रमिकों की मांग थी कि सरकारी डिपों से कोयला केवल कार्यरत प्रतिष्ठानों को ही दिया जावे । बन्द और कोयला के चोर बाजारू प्रतिष्ठानों को न दिया जावे, इसी पर कांच विशेषज्ञ कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी एवं श्रमिकों के मध्य वाद विवाद के बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी जिसमें दो श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गये ।

मान्यवर, श्रमिकों को घायल अवस्था में अस्पताल दाखिल किया गया जिसमें एक श्रमिक की मौत आगरा अस्पताल में तीन दिन बाद हो गयी जिससे उसके परिवार में और श्रमिकों में कोहराम मच गया है । इस घटना से श्रमिकों में भारी असंतोष और भय का वातावरण पैदा हो गया है और श्रमिक जीवन अस्त-व्यस्त हो उठा है । मान्यवर, कल श्रमिकों की एक सभा हुई है जिसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि 11 अप्रैल, 1978 की घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों को दण्डित नहीं किया गया और कोयला की खुली चोर बाजारी जो अधिकारियों की देख-रेख में होती है, जिससे उन्हें रोजगार नहीं मिलता, को नहीं रोका गया तो वह 4 दिन बन्द हड़ताल कर देंगे जिससे फिरोजाबाद का सम्पूर्ण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जायगा और एक भयानक स्थिति पैदा हो जायेगी । अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अपील है कि अविलम्ब कोयला की चोर बाजारी को रोकने के प्रभावी कदम उठावें तथा उक्त घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दण्डित करें और कार्यवाही को सदन के संज्ञान में लावें और मृतक परिवार को मुआविजा दिया जावे ।

आपातकाल में सेवा से अलग किये गये राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपात काल के दौरान अन्य विभागों की भांति ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चालकों परिचालकों को बिना कारण बताये ही एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवा से वंचित कर दिया गया । जनता सरकार के वादों के अनुसार कि आपातकाल के अकारण निकाले गये कर्मचारी पुनः सेवा में लिये जायेंगे । उपरोक्त आधार पर समस्त सेवा से वंचित चालकों, परिचालकों ने पुनः सेवा में लिये जाने हेतु अपना-अपना प्रत्यावेदन शासन को दिया । लेकिन भेद भाव पूर्ण नीति अपना कर भ्रष्ट कर्मचारियों को सेवा में ले लिया गया और निर्दोष कर्मचारियों, जिनकी पहुंच नहीं थी, की उपेक्षा की जा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरि केवल प्रसाद]

इससे क्षुब्ध होकर दिनांक 11 अप्रैल, 1978 को 13 भूत पूर्व परिचालक माननीय परिवहन मन्त्री के आवास के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गए जिन्हें मध्य रात्रि को जेल में डाल दिया गया है। इन बन्दियों ने जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाने की नोटिस सरकार को दे दी है। इससे परिवहन निगम के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

अत: आज मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन में माननीय परिवहन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हुए आपातकाल के निकाले समस्त निर्दोष कर्मचारियों को पुन: सेवा में बहाल करने की मांग करता हूं।

ई0 एस0 आई0 चेस्ट चिकित्सालय, कानपुर में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, ई० एस० आई० चेस्ट चिकित्सालय, कानपुर में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का बोल बाला है। उक्त चिकित्सालय के संयुक्त निदेशक डाक्टर एस० सी० चतुर्वेदी, सहायक डाक्टर बी० एल० अग्रवाल तथा अधीक्षक डाक्टर टन्डन द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाये गए हैं। जिससे उक्त अस्पताल में धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है और मरीजों के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उपरोक्त अधिकारी सरकारी कारखानों से दवा न मंगा कर, प्राइवेट फर्मों से दवाइयां मंगाते हैं और मेडिसिन पर्चेज कमेटी की मीटिंग न बुलाकर और उक्त कमेटी की सलाह के बिना भी दवाइयों की खरीदारी की गई है।

उक्त अस्पताल में श्रमिकों के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिला रुपया लिए वहां के डाक्टर न तो भर्ती करते हैं और न तो दवाइयां अच्छी देते हैं। इतना ही नहीं रुपया लेकर गलत तरीके से टी० बी० रोग प्रमाणित करते हैं। चेस्ट चिकित्सालय की मैट्रन भी श्रमिकों के साथ अभद्र व्यवहार करती है। विरोध करने पर बिना अच्छा हुए श्रमिक मरीजों को डिस्चार्ज किया जाता है। इसके अलावा इस अस्पताल में अधीक्षक पद पर क्षय रोग विशेषज्ञ भी नहीं हैं। उक्त चिकित्सालय के भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा श्रमिकों के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने के विरोध में 8 अप्रैल, सन् 1978 से एक श्रमिक, जुग्गी लाल, अस्पताल के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी है। इसलिए आपकी आज्ञा से स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि जुग्गी लाल की जान बचायें और उक्त अस्पताल की जांच करायें।

ग्राम दत्त नगर गोंडा में पडी डकैतियों तथा गोंडा जिले में बढ़ते हुए अपराधों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, गोंडा जिले में थाना करनैलगंज के अन्तर्गत मौजा दत्तनगर में एक दिन में 3 डकैतियां डाली गयीं। यह डकैती 8/9 अप्रैल, 1978 को डाली गई। उसके पहले उसी थाने के अन्तर्गत एक हरिजन के घर ग्राम बरबट में डकैती डाली गई। कई लोग घायल हुए। एक व्यक्ति की हत्या मौजा दत्तनगर में इसलिए कर दी गई क्योंकि जिन लोगों के घर डकैतियां पड़ी थीं उसमें वह डाकुओं के विरुद्ध पैरवी कर रहा था। विगत सप्ताह में इसी थाने के अन्तर्गत कई कत्ल हो गए हैं। पुलिस असहाय है या तो डाकुओं से मिली हुई है। इस इलाके के लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है। कानून व व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जनता में एक भय का वातावरण बन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। उपरोक्त थाने के अन्तर्गत पिछले 10 दिनों के भीतर कई कत्ल व डकैतियां हो गई हैं। शासन को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। जन मानस में इस शासन में लोगों की आस्था घटती जा रही है। पुलिस प्रशासन पंगु बनता जा रहा है। हरिजनों के घरों का लूटा जाना, लोगों की इज्जत को लूट लेना आए दिन हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शासन तत्काल कठोर कार्यवाही करे तथा लोगों की रक्षा करे और सारे तथ्यों की जांच कर के दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

आगरा–टूण्डला–झांसी रेल मार्ग पर बढ़ रही डकैतियों से यात्रियों में असुरक्षा के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, आगरा-टूण्डला-झांसी मार्ग पर लगातार चलती ट्रेनों में डकैतियां पड़ी हैं। पुलिस इतनी निष्क्रिय हो गई है कि इस सम्बन्ध में इतनी घटनायें हो जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है और सुरक्षा की भावना यात्रियों में दिन प्रतिदिन घट रही है और यह चिन्ता का विषय है। प्रदेश की जी० आर० पी० पुलिस इस सन्दर्भ में गहरी नींद में, सिविल पुलिस की तरह सोई पड़ी है। मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से निम्न घटनाओं की ओर अवश्य दिलाना चाहता हूं। 20, 21 मार्च की रात्रि को असापटी तथा पलवल के मध्य झांसी पैसेन्जर मार्ग पर करीब ढाई बजे रात्रि में 25 डकैतों ने 15 व्यक्तियों को घायल कर दिया जिसमें एक पुलिस कर्मचारी तथा एक सैनिक भी था। जंजीर खींच कर गाड़ी रोक ली गई और महिला पुरुषों और बच्चों को चाकू के बल पर आतंकित करके लगभग आधे घंटे तक लूटपाट की, इसी प्रकार एक और घटना 16 मार्च, 1978 को इसी गाड़ी में हुई है।

टूण्डला–फफूंद रेलवे मार्ग पर दिल्ली से हावड़ा जाने वाली 12 डाउन एक्सप्रेस में शिकोहाबाद, जसवन्तनगर के मध्य दिल्ली, कानपुर यात्रा कर रही श्रीमती ऊषा अग्रवाल का बक्सा जिसमें तीस हजार रुपया के जेवरात थे, छीन लिया गया।

इस घटना के पूर्व डीलक्स ट्रेन में ट्रेन के एक डिब्बे में पांच सशस्त्र बदमाशों ने घुस कर टूण्डला तथा मक्खनपुर के बीच 12 यात्रियों को तमंचा तथा चाकू की नोक पर लगभग 20 हजार रुपयों के मूल्य की सम्पत्ति लूट ले गए। प्रतिरोध करने वाले चार व्यक्तियों को घायल कर दिया।

पांचवीं घटना फफूंद स्टेशन पर हुई अवध एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए गंगा नगर के निवासी चन्द्रपाल सिंह का बक्सा उठा लिया गया जिसमें लगभग 25 हजार रुपए के सोने के जेवरात थे।

इससे पूर्व इटावा–भरथना के बीच अवध एक्सप्रेस, आसाम मेल में भी यात्रियों के लूटे जाने की घटना घटित हो चुकी है।

आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि चोरी व डकैती की घटना केवल पैसेन्जर ट्रेन में ही नहीं बल्कि मेल, डीलक्स ट्रेन में भी हो रही है। शासन इसको गम्भीरता से ले और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे सुरक्षा के साथ यात्री यात्रा कर सकें।

हैदराबाद विधान सभा क्षेत्र, जिला खीरी में पड़ी डकैतियों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

महोदय, हमारे हैदराबाद विधान सभा क्षेत्र के हैदराबाबद थाने के अन्तर्गत इस समय डकैतियों का बड़ा जोर है। एक-एक रात में कई डकैतियां पड़ी हैं जिससे सारे क्षेत्र में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है।

दिनांक 15 अप्रैल को ही इस क्षेत्र में एक ही रात में तीन गांवों में डकैतियां पड़ीं जिनके नाम इमलिया, देउआपुर तथा गाजियापुर हैं। देउआपुर में श्री रामदास वर्मा जो एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हैं, के यहां डकैती पड़ी। श्री वर्मा के यहां लड़की की शादी होने वाली थी। ऐसे समय भी दुःसाहसी सशस्त्र डकैत आ गए तथा घर के लोगों को पकड़ कर मारा पीटा। यहां तक कि घर के मालिक श्री रामदास वर्मा को मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की भी कोशिश की, चारो ओर चीत्कार होने लगा और डकैतों ने कई हजार का सामान व नकद रुपया लूट लिया। इतना ही नहीं, डकैतों ने इसी गांव के अन्य घरों में भी जाकर डकैती डाली।

देउआपुर के पश्चात् डकैत इमलिया तथा गाजियापुर ग्रामों में भी गए और वहां भी भयंकर लूटपाट की तथा काफी सामान व नकदी लूट ले गए।

महोदय, इन भीषण डकैतियों के अतिरिक्त इसी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले और भी भीषण डकैतियां पड़ चुकी थी जिनमें चाठया, मदनी, तकिया तथा रामपुर ग्राम प्रमुख हैं। इतनी भीषण डकैतियां पड़ती रहीं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

एक ही थाना क्षेत्र में कुछ ही दिनों के अन्तर से 6 डकैतियां पड़ना बहुत ही गम्भीर घटना है। मुख्य मन्त्री जी इस ओर तुरन्त ध्यान दें तथा उक्त थाने के स्टेशन आफिसर तथा सब-इन्स्पेक्टर का तुरन्त स्थानान्तरण कर योग्य अफसरों की नियुक्ति उक्त थाने में करने की कृपा करें जिससे उस क्षेत्र के नागरिकों में अपने जान-माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ आशा बंध सके।

(सचिव, विधान सभा को पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आप से एक निवेदन किया था। हमारे बभनान में चीनी मिल में 27 लाख रुपया मजदूरों का बकाया है और वहां पर 17 तारीख से....

श्री अध्यक्ष--

मेरे संज्ञान में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं अनुमति नहीं देना चाहता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

आप यह बताइए कि 27 लाख मजदूरों का बकाया है और हड़ताल करने जा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

आज गन्ना विकास का बजट है.....

श्री सुखपाल पाण्डेय--[ ]

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सुखपाल पांडेय जी ने जो कहा यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैं सदन को छोड़े जा रहा हूं। आप उस आसन पर बैठ कर जो चाहे करिए, लेकिन यह अन्याय न करिए, आपका यह व्यवहार पक्षपातपूर्ण है.....

(व्यवधान)

(श्री सुखपाल पाण्डेय सदन से उठकर चले गए)।

श्री अध्यक्ष--

आपका यह कार्य सदन का अवमान है। इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। माननीय सुखपाल पांडेय जी चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही में वे ही भाग ले सकें। उनका जो यह कार्य है उसकी ओर मैं उप नेता सदन, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि वे आपके ही शासन पक्ष के सदस्य हैं, उनको कृपया नियन्त्रित कीजिए, वे अनुशासन भंग करते हैं।

(उद्योग मन्त्री) श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, माननीय सुखपाल पांडेय जी ने जो शब्द उत्तेजना में आकर कह दिए उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। उनको समझा दिया जायगा कि आगे वे ठीक से व्यवहार करें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, अभी दो तीन दिन पहले भी माननीय उप नेता सदन ने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में सत्ता पक्ष के लोग इस सदन की गरिमा और गौरव को बनाए रखेंगे,

(व्यवधान)

यह आए दिन की बात होती जा रही है कि सत्ता पक्ष के लोग अध्यक्ष के प्रति ऐसी बातें करते हैं।

(व्यवधान)

उन लोगों को अध्यक्ष महोदय, को अक्सर इंगित करना पड़ता है। इस सदन की गरिमा इस तरह से कैसे रह सकेगी? जहां तक हम लोगों का पक्ष है हम आपके प्रत्येक निर्देशों का पालन करते हैं, सत्ता पक्ष के ही लोग अक्सर व्यवधान करते हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1978 के उपवेशन मे पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 मार्च, 1978 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 1978 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

वन विभाग के सांख्यकीय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति रद्द करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग के सांख्यकीय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति को रद्द कराने के संबंध में श्री गुलजार हुसैन पुत्र श्री हामिद अली, ग्राम व पोस्ट कसमन्डी कलां, तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय द्वारा गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखपाल पांडेय, सदस्य, विधान सभा ने माननीय गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध गोपनीयता भंग करने का विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। उसमें न तो उन्होंने संबंधित माननीय सदस्य को कोई नोटिस दिया है और न ही उन्होंने कोई कारण दिया है। इसलिये इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

1978-79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 48--गन्ना विकास

गन्ना विकास मंत्री *(श्रीमती चन्द्रावती)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--गन्ना विकास के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,55,26,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह अनुदान बड़े महत्व का है। आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति में यह एक विषम परिस्थिति से उत्पन्न होकर गुजर रहा है और इसमें बहुत सी चीजें माननीय सदस्यों के सामने हैं। लेकिन सबसे जो मूल चीज है वह गन्ना किस तरह से पेरा जाय। इसका उत्पादन कई गत वर्षों से बढ़कर इस साल काफी अधिक मात्रा में पहुंच गया है जो कि हम सबके सामने एक चिन्ता का विषय है। वैसे पिछली सरकार ने यह सही है कि किसानों की ओर कोई अपनी सरकारी नीति नहीं निर्धारित की थी और उनके सामने यह भी नहीं था कि किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को समुचित रखने के लिये कौन-कौन सी फसल पैदा करें। यह हमारे प्रदेश का चीनी उद्योग जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सरकार की तरफ से व्यवस्था इस प्रकार होनी थी कि जितनी हमें चीनी के उत्पादन की क्षमता की पिराई की मशीनें लगी हुई हैं, मिलें हैं और हमारे ग्रामीण विकास के लिये किसानों के लाभ के लिये किस-किस फसल का किस-किस समय पर कौन सा उसको लाभांश संतुलित कर सके। इसकी व्यवस्था में सरकारी मशीनरी की तरफ से होनी चाहिये थी, किन्तु इस बारे में सरकार की तरफ से उदासीनता रही और ऐसे ही यह चलती रही। कुछ सरकारी नियंत्रण में ऐसी मिलें आ गयीं जोकि राष्ट्रीय नियंत्रण के नाम से और ऐसी बीमार हालत में आ गयीं, उनकी केवल एक समस्या पेराई की ही नहीं रही, बल्कि

(इस समय 12 बजकर 39 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ने का मूल्य बढ़ा-बढ़ाकर दिये जाने की भी समस्यायें उत्पन्न हो गयीं। किसानों ने अपने गन्ने के रकबे को भी बढ़ा दिया। सबसे बड़ा इस वर्ष यह हुआ कि भगवान की कृपा से वारिश समय-समय पर हुई और उत्पादन में और भी मात्रा में वृद्धि हो गयी। वैसे कृषि की समस्या जो है हर पांचवें, छठें साल एक विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। उसके लिये हम लोगों का कोई ऐसा मानवीय साधन नहीं कि जो उसकी अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर सके, किन्तु यह इस वर्ष जो हमारे सामने समस्या है, वह यह है कि गत वर्ष 536 लाख टन का उत्पादन था और इस वर्ष 644 लाख टन है लेकिन 680 लाख टन के करीब यह उत्पादन पहुंच सकता है।

अब समस्या हमारे सामने पुराने समय की है, एक चीज यह कही जाती है कि गत 30 वर्षों में सरकारी व्यवस्था में काफी गड़बड़ियां थीं। इस सरकार के सामने उसका जिक्र करना एक अनोखी सी बात है। जिस वक्त यह सरकार आई उस वक्त जो पिछली सरकार थी तो 12 करोड़ 22 लाख रुपया किसानों का बाकी था। इस सरकार ने कड़े कदम उठाकर 10 करोड़ रुपये की पुरानी धनराशि का भुगतान कर दिया। तो इस शासन की नीति किसान के हित की है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि इस शासन की नीति है, जनता सरकार की नीति है कि हम ग्रामों का विकास करें तो इसी लिये इस शासन ने कोल्हू और क्रैशरों के लाइसेंस देकर छोटे–छोटे उद्योग धंधों को चलाया। इस कारण से अर्थ व्यवस्था को बल मिला और बेरोजगारी कुछ हद तक दूर हुई। मान्यवर, यह जो अवधि थी यह 30 मार्च तक थी लेकिन इसको अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इससे जो एक समस्या थी कि गन्ने को किस प्रकार से पेरा जाय तो इसीलिये यह कदम उठाया गया। जिस वक्त जनता सरकार का शासन आया तो चीनी मिलों में पुराना स्टाक बहुत पड़ा था। और जनवरी और फरवरी के महीने में चीनी में और गिरावट आ गयी थी। तो ऐसी स्थिति में मिलों और क्रेशरों के बन्द होने की संभावना हो गयी। तो इस समस्या को सुलझाने के लिये कदम उठाये गये ताकि सुव्यवस्था हो सके और गन्ने की पेराई हो सके।

मान्यवर, 10 चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में चल रहीं थीं तो इस वर्ष प्रगति करके 5 और चीनी मिलों को चलाया गया। दो राज्य चीनी निगम के द्वारा और तीन सहकारी क्षेत्र के द्वारा। तो इस तरह से गन्ने की पेराई के लिये सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। इस विभाग में अभी तक जो एक थ्योरिटिकल साइड है उसी को लिया गया है और प्रैक्टिकल साइड में कुछ नहीं किया गया। तो अब रिसर्च साइड की तरफ हमारी सरकार द्वारा प्रयास किया गया है और नयी गन्ने की जातियां बनाई जायेंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में इस वर्ष या अगले वर्ष में नयी जातियां, यू0 पी0 जातियों के नाम से उनका बीज हम प्रदेश में पहुंचाने की स्थिति में आ जायेंगे। कोयम्बटूर और दक्षिण भारत में यह चीज होती थी और यहां पर यह चीज नहीं की जाती थी तो अब प्रयास किया जा रहा है कि नयी जातियों की खोज की जाय। माननीय सदस्यों को मालूम है कि किस तरह से गुड़ के भाव कम हुए, चीनी के भाव कम हुए और किस तरह से सरकार ने भावों को ऊंचा करने के लिये कदम उठाये। यह जो तमाम चीजें की गयी तो जो यह छोटी सी पुस्तिका बंटवाई है उससे आप जान पायेंगे। प्रदेश के 12 जिलों में पी0 सी0 एफ0 और खाद्य निगम द्वारा खांडचीनी, गुड़ की खरीद की व्यवस्था की गयी है जिससे इनके भावों को ऊंचा किया जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और बतलाना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में गुड़ का उत्पादन बहुत है। लेकिन पिछली सरकार में गुड़ उत्पादन के लिये कोई नया प्रयास नहीं किया गया। इस वर्ष इसके बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही थी तो केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बातचीत के बाद एक बात का ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा कि

[श्रीमती चन्द्रावती—]

उत्तर प्रदेश में लोग ऐसी चीज नहीं बना रहे हैं जिससे एक नई परिपाटी और एक नया लाभ हो जैसे कि कोलापुर का गुड़ है जो विदेशों में भेजा जाता है और आपके वहां मयस्र हो जाता है और वह गुड़ एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो मैं कहना चाहती हूं कि कोलापुर का गुड़ मंगाया है और हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर जिले से 10–10 पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग के लिये भेजा जायेगा। इस दिशा में उत्तर प्रदेश में प्रयास होगा कि इस प्रकार का गुड़ हम भी बनाकर विदेशों में भेजें। मान्यवर, इसकी कीमत 250 रुपये क्विंटल है जब कि हमारे यहां के गुड़ की कीमत उसके बराबर कुछ भी नहीं है।

मान्यवर, दूसरी चीज मालूम हुई है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति हैं जो गरेन्डी का मुरब्बा बनाते हैं। मैंने उससे सम्पर्क किया है लेकिन वह अपने गुण को किसी को देना नहीं चाहते हैं। हम इस तरफ भी प्रयास करे तो वह किसानों के लिये अच्छा होगा इसके अलावा जो किसानों का गन्ना है, उसके लिये छोटे-छोटे उद्योग धन्धों में सिरका बनाने की मशीन लगायी जाय और उसको बाहर निर्यात करें तो वह भी अच्छा होगा। इसी तरह जिस प्रकार दूसरे स्क्वैश पीने के लिये होते हैं उसी तरह गन्ने का रस निकालकर सरकार की तरफ से पीने और बेचने का प्रयास करे तो जो किसानों को पेरने के लिये इधर उधर भागना पड़ता है, वह उससे बचेंगे और इससे बेरोजगारी की समस्या सुलझाने में और लाभांश होने में एक नई दिशा मिलेगी।

मान्यवर, गन्ने के बीज और अनुसन्धान के लिये केन्द्र में सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है जैसे सेवरई में काफी प्रगति करके, इस वर्ष अपने यहां 14 हजार टन बीज वितरण किया जायेगा।

मान्यवर, मुझे कहनी तो और बाते हैं लेकिन माननीय सदस्य काफी सुझाव देंगे। इसलिये उनसे आग्रह है कि जो समस्या हमारे सामने है वह सबकी समस्या है इसलिये 'क्रिटिसिज्म फार क्रिटिसिज्म' से न करें। लेकिन इस समय जो स्थिति उत्पन्न है उसको किस तरह सुलझाया जाय इसके लिये आप रचनात्मक सुझाव दें, यह मैं आशा करती हूं जिसके लिये मैं आपकी आभारी होऊंगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एक रुपये से क्या होगा। ईमानदारी की बात यह है कि एक रुपया भी बहुत है। माननीय गन्ना मंत्री जी ने तो 8 करोड़ रुपये की मांग रखी है और पूरे सूबे में गन्ने की ओर किसानों की परिस्थिति को देखते हुए ईमानदारी की बात तो यह थी कि गन्ना विभाग को एबालिश कर देते तब भी अच्छा था। कम से कम किसानों का यह भरोसा तो खत्म हो जाय कि प्रदेश के अन्दर एक विभाग है जिसका काम गन्ने का विकास करने, मारकीटिंग बोये जाने से लेकर चीनी की मिलों तक को चलाने का है और इन सारी चीजों को देखते हुए चालीस प्रतिशत गन्ना आज भी किसानों का खेतों में खड़ा हो सारी फैक्टरियां नुकसान में चल रही हों तो फिर विभाग किस काम का है। एक रुपया अनुदान कर देने की बात कही है आप चाहे जितने शून्य उसके आगे लगा लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, आप गौर कीजिय । हंसी आती है । जो किसानों का हाल है, गन्ने और सब्जियों का हाल है, उसके बावजूद भी जो यह बजट बनाया गया है, उसके अन्दर आप गौर करें तो हर जगह बढ़ोत्तरी की है काहे में भत्ता में श्रीमन्, गन्ने के विकास के सम्बन्ध म तनख्वाह 96,60.00 रुपये से घटा कर 92,50,000 रुपये कर दिया गया परन्तु मंहगाई भत्ता जो पहले था 30 लाख उसे बढ़ा कर 37 लाख कर दिया है । हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जी जो कि रसद मंत्री हैं, उनके सामने यह मसला आ गया तो वह कहेंगे कि हर चीज सस्ती हो गयी है, प्राइसेज डाउन आ गये । तो पूरे अनुदान में हर जगह मंहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की गयी। अधिकारियों का बनाया हुआ बजट है, ठीक है ।

दूसरी चीज जिसमें खास तौर से ज्यादा जोर दिया गया है वह है गन्ने का विकास । हर फैक्टरी के 16 किलो मीटर एरिया में गन्ने के विकास के लिये, पैदावार बढ़ाने के लिये योजना बनायी गयी ताकि उन फैक्टरियों को गन्ने की सप्लाई वहीं से आसानी से उपलब्ध हो जाय । श्रीमन्, मेरे समझ में यह नहीं आता कि इस विकास के आधार पर कितना काम हुआ है। स्वयं मेरा क्षेत्र 16 किलो मीटर के अन्दर आता है और वहां फैक्टरी के गेट पर, रामपुर में, मैं रोजाना देखता हूं कि क्या विकास हुआ है । यह मैं देख रहा हूं । गन्ने के नाम पर कुछ हुआ नहीं । लाखों रुपये इसमें लगे हुए हैं कि हमने इतना खर्च कर दिया लेकिन कभी भी कुछ हुआ नहीं ।

श्रीमन्, एक चीज और बड़े खेद के साथ कहनी पड़ती है । मंत्री जी ने कहा कि गन्ने के बीज अच्छे करने के लिये उनके केन्द्र खोल रहे हैं, लेकिन श्रीमन्, जो अनुमान आपने पेश किया है उसके पेज 197 में आप देखें नं0 12 में गन्ना बीज सम्वर्धन एवं अनुसन्धान की योजना के अन्तर्गत 77-78 में खर्चा है लेकिन जो 78-79 का बजट पेश हो रहा है उसमें बिल्कुल नहीं है । शायद इस चीज पर आपका खास ध्यान नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के किसान की रीढ़ की हड्डी और कैश क्राप गन्ना है जो कि यहां का सबसे बड़ा उद्योग भी है । 23 लाख किसान और 1 लाख से ज्यादा श्रमिक गन्ने में लगे हुय हैं । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्शन गन्ने व गुड़ का सबसे कम है । गन्ने और गुड़ का प्रोडक्शन आन्ध्र प्रदेश में 82.87 कुन्टल प्रति हेक्टर, गुजरात 50.16, करनाटक 78.13, केरल 54.00, महाराष्ट्र 85.45, उड़ीसा 58.65, पंजाब 52.77, राजस्थान 48.41, बंगाल 52.82 कुन्टल प्रति हेक्टर है लेकिन उत्तर प्रदेश में वह 41.27 कुन्टल प्रति हेक्टर है यानी इतने सूबों से पीछे । 63-64 की बात है जब हमने आन्दोलन किया था । हिंडन नदी पर गुड़ का एक्सपोर्ट मना था । मांग यह थी कि प्रदेश के गुड़ को एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाय ताकि गुजरात व अन्य सूबों को भेजा जा सके जहां उसकी बहुत खपत थी लेकिन उस पर पाबन्दी लगा दी गयी थी । हमने कानून उस समय तोड़ा था । हिंडन के पुल पर गिरफ्तारियां कराया करते थे । 5 किलो की पर्मिशन थी । 6 किलो हाथ में ले जाते थे और जत्थे के जत्थे गिरफ्तार होते थे और मेरठ की जेल में बहुत दिन तक हम लोग रहे । सन् 63 में जिस गुजरात को गुड़ भेजने की बात करते थे उस गुजरात का प्रोडक्शन आज 50.16 कुन्टल प्रति हेक्टर हो गया और वह गुजरात हमसे आगे बढ़ गया । जरा देखा जाय कि हमने कितनी तरक्की की है, गन्ने व गुड़ में । 77-78 में हमारा प्रोडक्शन हुआ है 47.4, आज भी सारे सूबों से पीछे है । 41.27 से बढ़कर 47.4 हो गया, इतनी तरक्की की चार साल में उन चीजों को दोहराने की जरूरत नही है जिनको माननीय मंत्री जी ने कहा कि कितना एकरेज बढ़ गया, कितना गन्ना बढ़ गया । लेकिन यह बात मेरी समझ में नही आती कि जिस समय इस गन्ने की खोई को कोई नहीं पूछता था, उसे जला दिया जाता था, जगह-जगह उसके ढेर पड़े रहते थे आज उस खोई की कीमत 16 से 18 रुपये प्रति कुन्टल है । इसी तरह भेली की कीमत जिसे किसान खेत में डालता है 20 रुपये कुन्टल है और अगोला की कीमत 14,15 रु0 कुन्टल है। जो पत्ती होती है उसकी कीमत भी 16,17

[श्री रियासत हुसैन—]

रुपये कुन्टल है । लेकिन 14 एकड़ खेत में मेरा गन्ना था उसका क्या भाव मुझे मिला ? अपने गन्ने का मुझको स्वयं 4 रु0 क्विंटल मिला है । तीन रुपया क्विंटल किराया और छिलाई इत्यादि की मजदूरी में दे दिया । मैंने कहा भाई जो तुम को क्रशर प्लांट दे उसमें से तीन रु0 काट कर जो बचे वह दे देना । तो इस प्रकार 7 रु0 में उसने लिया वह भी यह समझ कर कि एम0एल0ए0 साहब का गन्ना है वर्ना 4 रु0 और 5 रु0 से ज्यादा नही मिल रहा है । अभी तीन दिन पहले मैं जब अपने क्षेत्र में गया वहां इंटीरियर में जहां पर आपके केन कमिश्नर साहब ने नयां परचेजिंग सेन्टर खोलने का निर्णय किया है मनकरा में सारे क्रिया कलाप हो गये लेकिन सेन्टर नहीं चला । रामपुर फैक्ट्री वालों ने नहीं चलने दिया । उन्होंने कहा कि साहब 4 रुपये क्विंटल हम गन्ना बेच रहे हैं और दो रुपया ढुलाई के चले जाते हैं । आज भी 40 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है । जब यह चीज सामने आती है तो फिर मुझको एक रुपया भी आपके विभाग को देने में शर्म आती है । किस काम के लिये हम दें ।

श्रीमन्, यह तो रही गन्ने की पैदा करने वाले किसान की बात । अब फैक्ट्री वाले को देखिये । बड़ी कृपा दृष्टि है कि फैक्ट्रियों पर आपकी । एक्साइज ड्यूटी में छूट, लैवी की प्राइस थी उसमें भी 18 रु0 की बढ़ोत्तरी, क्रैडिट लिमिट में भी इनक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट भी 6.50 लाख टन का हो गया, परचेज टैक्स में भी रिलीफ दे दिया । यह बात आपने एक महीने पहले की कि हम 6 लाख टन एक्सपोर्ट करेंगे जब कि आधी चीनी फैक्ट्री वालों के गोदाम में चली गई यह कह कर कि गन्ने की समस्या किसानों के सामने खड़ी है । अब इससे किसान को क्या मिलेगा । साथ ही साथ सलफर प्लांट को भी आपने रियायत दी है । फैक्ट्री ही नहीं जो सलफर प्लांट थे उन पर भी आपकी कृपा दृष्टि रही । उनको भी परचेज टैक्स में रियायत, बिजली चार घंटे के बजाय 17 घंटे मिलेगी और यह भी उनसे कहा कि तुम्हारी शकर भी खरीदेंगे । यह कह कर आप अपनी जगह पर संतुष्ट हो गये कि एक–एक गन्ना किसान का सलफर प्लांट वाले ले लेंगे और फैक्ट्री वाले किसी फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे जब तक कि एक–एक गन्ने की पिराई नहीं हो जायेगी ।

श्रीमन्, आपके हर तोल सेन्टर जो हैं उसमें बीच वालों ने एक बिजनेस बना रखा है जिससे एक कठिनाई खड़ी कर दी है । जब किसान गन्ना लाता है तो 5 और 6 रु0 क्विंटल के हिसाब से तुलवा लिया जाता है । जो आपने परचेजिंग सोसायटीज बना रखी हैं, उनके नाम पर शाम को 12 और 13 रु0 के रेट से फैक्ट्री गेट पर पंहुच जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि सब जगह सोसायटीज की हालत एक जैसी है । मैं मुरादाबाद की तस्वीर आपको देता हूं । वहां पर फर्जी सट्टे होते हैं आपने आदेश दे दिया कि गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि अब एक्चुअल एकरेज पर सट्टे किये जायेंगे । तो हमने कहा ठीक है, अब कम से कम एकरेज देखकर सट्टे होंगे । लेकिन वह तो किसी छापने वाले ने गलत छाप दिया या आपकी उस पालिसी को कार्यान्वित नहीं किया । फर्जी सट्टे उसी तरह से किये गये, जिसकी मिसाल उसी दिन मैंने दी थी । जैसे मानसिंह सेन्टर पर सिद्धराज, जिसके पास दो गांवों में 2.40 एकड़ गन्ना है, खसरा और खतौनी के हिसाब से, उसकी पर्चियां हैं 282। जब कि 60 बीघा यानी 10 एकड़ कुल जमीन उसके पास है । 10 एकड़ जमीन उसके बाप होशियर सिंह के नाम है और जिसके नाम से 224 पर्चियां अलग हैं । इससे वह खुलकर मजबूर लोगों से गन्ना खरीदकर वहां पर फैक्ट्री के गेट पर भेजवा देता है । हर सोसाइटी में जो धंधा चल रहा है, पर्ची डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर तक, उसका हिस्सा सबको पंहुच जाता है ।

दूसरी मिसाल भी मैं आपको बताऊं, एक हमारे भूतपूर्व विधायक हैं, मुझे देखकर ताज्जुब हुआ कि उनका एक ट्रक रोज गन्ना कैसे जा रहा है । मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, आपने बाण्ड अभी शुरू नहीं किया है, तो यह इनका एक ट्रक रोजाना कैसे पंहुच रहा है, तो उसने बताया कि हुजूर मैं क्या बताऊं–लखनऊ से यह पर्चियां आ रहीं हैं, लखनऊ से आर्डर आ गये हैं कि इनका एक

ठेला रोज पंहुचाया जाय । मेरे कहने सुनने पर उनका बन्द हो गया, लेकिन दुबारा फिर उन्होंने कोशिश की, डिप्टी केन कमिश्नर बरेली के हैं, वह उन पर बहुत मेहरबान हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आग लग गई, तो पर्चियां और दी गई । मुरादाबाद के डी0 सी0 ओ0 को आदेश आ गये, तो उन्होंने कहा कि चलकर मुआयना कर लें । मुआयना किया तो उन्हें असलियत जाहिर हुई । लेकिन उनके करने से कुछ हुआ नहीं, उसे पर्चियां मिल गई । उनको फिर पर्चियां दी गई हैं, जबकि उनका गन्ना नहीं रहा । भूतपूर्व विधायक ओम प्रकाश सिंह हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता था । अब दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि प्रेस और जनता इन सबका का क्या बना है । प्रेस की सुर्खियों से अन्दाजा लगाइये । 10 को अखबार में खबर छपी, किसानों का 10 करोड़ रुपये का एक महीने में नुकसान, 'गन्ने के बाजार में भारी गिरावट', 'गन्ने की क्राइसेस', यू0पी0 के किसान स्ट्रेगेल लांच कर सकते है, गवर्नमेंट की तंगनजरी केन ग्रोवर्स के बारे में, गन्ने के किसान बड़ी सख्ती से हिटहार्टेड किसानों को मिल ओनर्स की मर्सी पर छोड़ दिया गया है । यह सारा माहौल जो पैदा हुआ है, उससे किसान को भारी निराशा हो गई । अब अंधेर इस साल इतना हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, सड़कों पर गन्ना पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है ?

एक बात मैं अपनी सोसाइटी की और बताता हूं । (लाल बत्ती जलने पर) आप इसे बन्द कर दें, दो–तीन मिनट में मैं समाप्त करता हूं । एक किताब जो पर्ची बनाने की होती है 100 पर्चियों की वह मुरादाबाद के सोसाइटी से गायब हो गई और उस पर फर्जी कट गये । 100 पर्चियां फर्जी कट गई ।

लोधीपुर राजपूत, मुरादाबाद, केन सोसायटी है। सारी पर्चियां एक ही वजन की 14 क्विन्टल 10 किलो, 14 क्विन्टल 10 किलो की, तीन चार पर्चियों का पेमेंट भी हो गया। कुछ इन्क्वायरी हुई है । जो सेक्रेटरी कहलाते हैं, कोई जोशी जी हैं, उनके सारे कारनामे हैं। इस तरह की हरकतें होती हैं। पांच सात पर्चियों का पेमेंट भी हो गया है। मुझे शक होता है कि यह सब जो बड़ी बड़ी बेईमानियां होती हैं, उसका फायदा डिस्ट्रिक्ट लेविल से बढ़ कर लखनऊ की तरफ आने तो नहीं लगता है। यह शक पैदा होने लगता है । आपने कहा कि 12 करोड़ की डिमांड ढाई करोड़ रह गयी । शायद आपने डेफर्ड पेमेंट नहीं जोड़ा कि वह कितना बढ़ा है। आप स्वयं जानती हैं कि दौलतपुर के चार सेंटरों का 2 लाख 45 हजार अदा नहीं हुआ। जो पहले का डेफर्ड पेमेंट था या जिन पर्चियों पर वजन लिखा है, कीमत नहीं लिखी है, यह डेफर्ड पेमेंट कितना होगा ? करोड़ों की तादाद में होगा। माननीय सुखपाल पांडेय वाक आउट करके चले गये । बेचारे वाक आउट न करते तो क्या करते ? अगर 27 लाख का एरिया पड़ा है मजदूरों का, वहां ला एण्ड आर्डर कैसे रह सकेगा ? इसलिए यह सोचने की चीज है अब आपने टक अप किया है। कुछ ऐसी बातें है जैसे प्लांट प्रोटेक्शन बड़ा अहम है। मेरा सुझाव है कि प्लांट प्रोटेक्शन उस समय होता है जब किसान की जेब में पैसा नहीं होता है। वह फ्री आफ कास्ट होना चाहिए । भले ही सब्सिडाइज करके जब गन्ना जाय तब कटौती कर लीजिये ।

एक बात और कहना चाहता हूं। जब कि आपने मोस्ट आफ दि फैक्टरीज को टेकओवर कर लिया। नयी फैक्टरीज कोआपरेटिव सोसायटीज की बना रहे हैं, कारपोरेशन बना रहे हैं आगे भी बनायेंगे तो बिचौनी सोसायटियों को अबालिश कर दीजिये। यह सोसायटियां इस लिए बनाई गयी थीं कि फैक्ट्रियां गन्ना उत्पादकों का शोषण न करने पाएं। जब आप फैक्टरियां कवर कर रहे हैं हाउस की डिमांड है कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए। नयी फैक्ट–रियां पब्लिक सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर में खुल रही हैं। तो बिचौनी की कोई जरूरत नहीं है। गन्ने के डाइरेक्टरेट के नाम पर, उनकी मठाधीशी खत्म होनी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि सेवरही का रिसर्च इंस्टीटयूट बाबू गेंदा सिंह के नाम पर कायम कर दीजिये। मैंने इस सिलसिले में चिट्ठी भी लिखी है, केन्द्र को भी लिखा है। बाबू गेंदा सिंह इस प्रदेश के जाने माने गन्ना किसानों के नेता थे। सेवरही रिसर्च इंस्टीटयूट को उनके नाम पर कर दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में गन्ना एक मुख्य फसल है और इंडस्ट्री भी है। किसान के लिए उपज है और मजदूर उसकी इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमारी आय का गन्ना सबसे मुख्य साधन है और गेहूं भी आय का मुख्य साधन है। उन्हीं पर उत्तर प्रदेश की इकोनमी निर्भर है। रियासत साहेब ने तथ्य दिए वह अधिकृत तथ्य हैं। हमारे यहां गन्ने का व्यापार अवोगति की ओर जा रहा है। उसका मुख्य कारण हमारे यहां एक रिवाज बन गया है कि जो गन्ना मंत्री होते हैं वह वही नारा देते हैं कि गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कोई भी मंत्री प्रगतिशील और अपने भाषण में जरूर कहेगा कि गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। मिल मालिकों ने इस भय से सारी मशीनरी वहां से निकाल दिया।

आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा सारा गन्ना मिलों में जाता है। मिल मालिक उनमें जर्जर मशीनरी लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि राष्ट्रीयकरण हो जायेगा। नयी मशीनरी का इनवेस्टमेंट नहीं हो रहा है और मिलें बीमार हो रही हैं। हमारे सकोती और मोहम्मदपुर को तो शुगर कारपोरेशन ने अपने हाथ में ले लिया है। इस समय दो तरह की मिलें चल रही हैं। एक तो शुगर कारपोरेशन चला रहा है और दूसरे मिल मालिक चला रहे हैं। तो मान्यवर, कोई गन्ना मंत्री मेरे विचार से इस प्रदेश की इकोनामी को गिरने से बचा नहीं सकता है। हमारे प्रदेश का आर्थिक आधार गन्ने की इकोनमी है और गन्ने की इकोनमी नहीं संभल पाती है तो मंत्री जी सफलता तो अलग रही हम लोग कोलैप्स होते जायेंगे। बड़ी-बड़ी मिलें मिलमालिक चला रहे हैं और कुछ मिलें शुगर कारपोरेशन चला रहा है। स्टेट शुगर कारपोरेशन के द्वारा 3 प्रकार की मिलें चलायी जा रही हैं—एक तो वे मिलें जो अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं, भारत सरकार जिनको नियंत्रण में लिए हुए है और जो मिलें कोआपरेटिव बेसिस पर लगती हैं और वह इनके अधिकार में रहती हैं। 5 करोड़ 60 लाख रुपया उन पर क्रय और उपक्रय का बकाया है। इतना रुपया बकाया है और आज अगर किसी किसान का 20 रुपया या 10 रुपया बकाया है तो उसे पकड़ कर जेल में भेज दिया जाता है। अगर मेरठ और मुरादाबाद का आदमी यह कहता है कि क्रय और उपक्रय बकाया है तो रिकवरी आफिसर परची स्वीकार नहीं करेगा और जेल में भेज देता है। सैकड़ों दरख्वास्तें जिलाधिकारी को दी जाती हैं लेकिन उनके कोई राहत नहीं मिल पायी है और जो पुस्तिका हमारे मंत्री जी ने बांटी है, उसमें सबसे बढ़िया चीज यह है कि उन्होंने मिल मालिकों को छूट देने की घोषणा की है। नये समाज की रचना करने वाली सरकार ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार द्वारा फ्री सेल चीनी पर मिलों द्वारा देय आबकारी कर का 45 प्रतिशत से घटाकर 27 प्रतिशत और लेवी चीनी पर देय आबकारी को 15 प्रतिशत से घटाकर 12.50 प्रतिशत कर दिया गया है। और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने और काश्तकारों को सही मूल्य तथा श्रमिकों को वेतन भुगतान में मिलों की सहायता करने के लिए 1 मार्च, 1978 से लेवी चीनी की कीमतों मे लगभग 18 रुपए प्रति क्विन्टल की बढ़ोत्तरी की गयी। इन चीनी मिलों को उत्पादन के विरुद्ध बैंकों से मिलने वाली ऋण की सीमा भी बढ़ा दी गयी है। यह हमारी सरकार ने मिल मालिकों और किसानों के साथ किया है। अगर यह सरकार यह घोषणा करती कि जो मिल मालिक एक निश्चित तिथि तक गन्ने का दाम नहीं देगा उस मिल की सम्पत्ति को या चीनी को अधिकृत करके किसानों को दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि कोई प्रगतिशील योजना बनाई है।

वर्ष 1961 में एक अधिनियम बनाया गया था। जिसमें यह था कि जो मिल मालिक क्रय कर और उपकर 15 दिन के बाद देगा उसे जुर्माना देना होगा और एक पीरियड के बाद में 100 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ेगा। इन बीमार चीनी मिलों को लेने के लिए कार्पोरेशन को 5 करोड़ रुपया दिया गया लेकिन उसकी एक पाई भी या एक किस्त भी वापस नहीं की गयी

है। उल्टी मांग यह की जा रही है कि हमको ब्याज में भी छूट और किस्तों के देने में भी छूट दी जाय। समाजवाद भाषण से नहीं आ सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार हमारे सूबे में एक फैक्टरी अपन हाथ में ले ले चाहे वह सखौती-टांडा हो, खड्डा हो, पडरौना हो, कटकुइयां हो और यह कहे कि उसका मैनेजर कोई आई0ए0एस0 या पी0सी0 एस0 न होकर मंत्रियों में से कोई हो और यह दिखाये कि हमने प्राफिट दिखाया है तो कोई न्यायोचित बात बनेगी। जो पी0सी0एस0 अधिकारी अपनी फैक्टरी में मुनाफा नहीं करता है उसके विरुद्ध कम से कम एक बैड एन्ट्री तो की जाय।

मंत्री जी ने यहां पर गुड़ खरीद की बात कही। बहुत अच्छा काम किया है लेकिन इसकी खरीद जिस प्रकार से गल्ले की खरीद सेन्टर्स पर की जाती है उसी प्रकार से गुड़ की खरीद भी सेन्टर्स पर ही होनी चाहिए न कि मंडियों में। हमारी सरकार ने मंडियों के व्यापारियों को गुड़ खरीदने के लिये कहा है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा किसान गुड़ लेकर जाता है तो उससे मंडी के व्यापारी लोग कहते हैं कि यह गुड़ नहीं खरीदा जायगा। वे कहते हैं कि चौधरी साहब अगर देना है है तो 20 रुपये के हिसाब से दे दो। अगर उसे वह घर वापस ले जाता है तो चौधरायन उसे मारेगी। दूसरे बेचारे को गुड़ बेचकर सामान लेना होता है, बच्चों की किताबें लेनी होती हैं तो वह उसे बेच देता है और लाला लोग उसे 20 रुपये के हिसाब से ही खरीदते हैं। तो इस पुस्तिका से किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दूसरी सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस गन्ने विभाग में सबसे अधिक बैगलिंग है। अगर हमारे मंत्री जी इसमें कुछ दया कर सकें तो करने की कृपा करें।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव का समर्थन करने की बात आयी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुझाव दें। रियासत साहब ने कहा और तोमर जी ने जो बात कही, हम प्रसन्न होते कि कोई ऐसी चीज कही गयी होती, आज दुख है कि इधर से हमें उन्हीं शब्दों में बोलना पड़ता है जो भावना रियासत साहब की है।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी आज विकास की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में क्या होगा वह तो आगे की बात है। इस उत्तर प्रदेश के किसान ने देखा कि चौधरी साहब की संविद सरकार थी और एक एक-गन्ने के बदले में एक-एक रुपया घर में आया था। किसान के घर सोने-चांदी से पट गये थे। कच्ची दीवार पक्की बन गयी थी। उसी भावना से इस प्रदेश में किसान ने गन्ना बोया। लेकिन आंकड़े देखें तो प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ी फिर भी गन्ना नहीं लिया गया। सरकार तो दोषी है ही, लेकिन पहले वाली सरकार और भी दोषी है। अलीगढ़ में मैं आपको साथा मिल का उदाहरण दूं। यह मिल जो बनी उसकी साढ़े 12 हजार क्विंटल उसकी क्षमता है क्रशिंग की ओर उन्होंने इतनी खराब मशीन लगायी की प्रतिदिन का ऐवरेज 4 हजार क्विन्टल से नहीं बढ़ा। महीने में 17 दिन मिल चल गयी हो तो मैं समझता हूं कि कौन सा अच्छा महीना है। दुर्भाग्य है कि जो बात रियासत साहब ने कही उसी का हमें समर्थन करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस बात को नोट करें कि जितना गन्ना आता है उसकी रिकवरी का परसेंटेज, उसके बदले में कितनी चीनी बनी, उसके बदले में शीरा कितना बना इसको भी निकलवाये। आज लूट हो रही है किसान की, इसको मुझको कहते हुए खेद होता है और मैं उस भावना में सहमत होता हूं जो रियासत साहब ने कही। आज बड़े हाथ वाले, लम्बे हाथ वालों को पर्ची मिलती है। यह हमारा गन्ना विभाग राजनीति का शिकार हो रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेम सिंह चौहान]—

हमारे यहां अलीगढ़ में गन्ना मथुरा से भेजा गया, क्योंकि डायरेक्टर साहब उसमें इंटेरेस्टेड थे और अलीगढ़ के किसान का गन्ना नहीं खरीदा गया। केन्द्र पर गन्ना कम पैसे पर लिया गया और मिल में ट्रक में अगर 100 क्विन्टल है तो उसको 138 क्विन्टल कर दिया जायगा। आप खुफिया विभाग से जांच करवा लें। गन्ना हर जगह बढ़ता है, लेकिन किसान का घटता है। पर्ची डिस्ट्रिब्यूटर जो होता है, वह अपनी बढ़ा करके बाकी पैसा बांट लेता है। गेट पर गन्ना तुलता है तो मिल कर गन्ना बढ़ा कर दिखाया जाता है और पर्ची वालों का बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो सहकारी मिल हैं उनको कैसे लूटा जा रहा है कि जो सामान आ रहा है वह घटिया किस्म का आता है।

साथे मिल का उदाहरण दूंगा कि एक मोटर जी0 ई0 सी0, जिसकी कीमत 2300 रुपया है, उसको खरीदा जाता है 4 हजार के लगभग। उसकी आप जांच करें। लकड़ी मैंने खुद जा कर मिल में चेक की। वह बिल्कुल गीली। इंजीनियर साहब कहते हैं आपके कि भूल से आ गयी। मैंने पूछा कि घर में भी गीली कभी पहुंची है। वह लकड़ी मैंने बागला, जिलाधीश को भी और सबको दिखाई। उसमें कुछ सुधार हुआ। लकड़ी खरीदी जा रही है तेज भाव से और उसका पेमेंट हो रहा है नीचे दामों पर बीच में। उस पर भी भ्रष्ट अधिकारियों को संतोष नहीं होता। दो ट्रक 4–4 हजार के गायब कर दिये और झूठी एंट्री लगा देते हैं। लूटा जा रहा है मिलों को। 53 घंटे मिल चला और 5 लाख का घाटा रहा। अब की बार 50 लाख का घाटा होने का अनुमान है। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। रियासत साहब का गन्ना तो 4 रुपये में बिक गया। मेरे पिता जी रो रहे थे। पूरी ईख खड़ी है। न एटा लेने को तैयार, न अलीगढ़। तो मैं कह रहा था कि जो व्यवस्था है, विकास अधिकारियों की हालत क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसी जिले के आंकड़े दे दें कि अमुक एरिया में इतना गन्ना है और अमुक किसान के पास इतना है। गन्ना सेवक ने या सुपरवाइजर ने बीमार गन्ने को देखा हो या सुझाव दिया हो।

केवल जिला मुख्यालय में ही बैठकर सारी कार्यवाही होती है। अधिकारियों की फौज तो बढ़ा दी, लेकिन ईमानदार अधिकारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया।

माननीय तोमर जी ने जैसा कुछ बीमार मिलों के बारे में बताया वह सही कहा है, मैं उनकी राय से सहमत हूं। इसके अलावा मिल वालों को किसान की एक एक पायी का भुगतान करना चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर) एक मिनट और दे दें।

किसान के ऊपर सरकार की अगर रिकवरी होती है तो वह तो फौरन वसूल हो जाती है, किसान को बन्द कर दिया जाता है न देने पर, किसानों का रुपया न देने पर आज तक किसी भी मिल वाले को बन्द किया हो तो माननीया मंत्री जी बतायें। अगर रिकवरी परसेंटेज गिरता है तो उसके लिये मिल मालिक की जिम्मेदारी ठहरायी जानी चाहिये। आज मजदूरों का लाखों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। उस पैसे को दिलाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये।

चीनी का स्टाक ब्लैक में बिकेगा, लेकिन बाजार में हालत यह है कि आज लोग चीनी तेज दामों पर खरीद रहे हैं। गुड़ की खरीद के लिये आपने मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि कुछ जगहों पर तो व्यवस्था करा दी, लेकिन अलीगढ़, मथुरा, एटा आदि जिलों में उसकी कोई व्यवस्था नहीं करायी। वहां का किसान मर रहा है। मेरा निवेदन है कि गेहूं की तरह ही प्रत्येक जिले में गुड़ के खरीदने की भी व्यवस्था करायी जाय, किसान को लुटने से बचाया जाय। माननीया मंत्री जी व उप मंत्री जी बड़े सख्त हैं, मगर आज हालत यह है कि अगर किसान के बीच फंस जायं तो उनके सिर में एक बाल भी नहीं बचेगा।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गन्ने की समस्या प्रदेश में बड़ी भीषण बन गयी है। इस मसले को यह कह कर टाला जा रहा है कि विश्व में चीनी इतनी अधिक मात्रा में पैदा हो गयी है कि हमारी चीनी विश्व व्यापार में जा नहीं सकती और उसके कारण यह समस्या आ खड़ी हुई है। इसलिये आज गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है।

श्रीमन्, मैं माननीया मंत्री जी से कहूंगा कि गन्ना किसानों के हित में यह आवश्यक है कि जिस तरह से सरकार ने चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक दिये, उनको तरह-तरह की राहतें दीं, उसी तरह से सरकार को गन्ना किसानों के सामने भी घुटने टेक देने चाहिये और उनको भी राहत देना चाहिये। जिस तरह से मिल मालिकों को एक भारी रकम सरकार ने दी, उसी तरह से गन्ना किसानों की बकाया रकम को भी देने का काम सरकार को करना चाहिये। गांव की ओर चलने वाली सरकार का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह गन्ना किसानों की ओर विशेष ध्यान दें।

सरकार के जिलाधिकारियों ने सरकार को गफलत में रखकर सही सूचना नहीं दी। चीनी मिलें काफी देर से चलीं जिसका परिणाम यह हुआ कि आज गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा है। वह सारे गन्ने की पेराई नहीं हुई। मंत्री जी कहें, मुख्य मंत्री जी कहें, सारे मंत्रिपरिषद् के लोग कहें कि गन्ने को पेरवा देंगे, लेकिन यह कहने की बात जो है यह हकीक़त में परिवर्तित नहीं होती है। इस समय गन्ना मिल की जो हालत है, उसको आप कभी देखेंगे तो हैरत में पड़ जायेंगे। जो चीनी मिल 10 से लेकर 11-12 तक मूल्य देती थीं, आज आप देखिये कि उनकी रिकवरी 5 से लेकर 6 तक आ गयी है। घाटा लगा है।

मुझे खासतौर से आपको दो-तीन सुझाव देना है। यह वर्ष तो गया, अब आपको नये वर्ष के लिये तैयार करना पड़ेगा। अभी से आपको गन्ना किसानों के लिये एक योजना-बद्ध कार्यवाही करनी चाहिये, यह तभी हो सकती है कि मिलों की एरिया को अभी लक्ष्य मान लें, गन्ना कैसे पैदा होगा, गन्ने की उपज कैसे बढ़ायेंगे, गन्ने में रिकवरी कैसे अधिक से अधिक आ सकती है इसके लिये आपको मेरा सुझाव है कि गन्ना अनुसन्धान केन्द्र जो अब तक बने हुए हैं, उन्होंने नई वैराइटी की कोई ऐसी खोज नहीं किया है, जो खोज किया है, अगर आप परसेंटेज देखें, महाराष्ट्र, दक्षिण आदि स्थानों पर आप जायेंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा कि 11 से लेकर 12 परसेन्ट रिकवरी वहां पर मिलती है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 9.5 परसेन्ट रिकवरी मिलती है। तो गन्ने की नयी खोज कराने की व्यवस्था करें। इस तरह से गन्ने की एरिया को, जिसमें किसान गन्ना बोता है, उस एरिया को सुरक्षित कर दें कि जो गन्ना वह पैदा करेगा वह मिल को देगा। गन्ने का दाम इसी समय तय होना चाहिये। जब खेत में गन्ना आता है तब गन्ने का दाम तय करने की बात आती है। पिछली बार बजट के अनुदान के अवसर पर मंत्री जी ने सदन में एक आश्वासन दिया था कि गन्ना विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके अन्तर्गत एक गन्ना संस्थान विभाग भी खुला हुआ है जो गन्ना किसानों की प्रगति के लिये गन्ना विकास कार्य किया करता है। मान्यवर, यह गन्ना संस्थान विभाग जो है यह गन्ना किसानों से करोड़ों रुपये इकठ्ठा कर लेता है गन्ना किसानों की प्रगति के नाम पर, लेकिन 25 प्रतिशत भी गन्ना विकास के नाम पर खर्च नहीं होता है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम सुधार का कार्य करेंगे लेकिन गन्ना विभाग एकदम खाओ, कमाओ में लीन है। यह विभाग सरकार की नीति के विपरीत दिशा में जा रहा है। मूल रूप में जो गन्ना विभाग में अव्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद--]

परिवर्तन की काफी आवश्यकता है। अधिष्ठाता महोदय, इस विभाग के कर्मचारियों म बड़ा ही भेदभाव है। उनमें जो भेदभाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी खत्म करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि गन्ना किसानों के हित की रक्षा के लिए ठोस कार्यक्रम मंत्री जी देंगी।

(श्री चेतराम गंगवार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इधर ध्यान ही नहीं देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

कृपा कर बैठें। अपने ऊपर कृपा करिये, मेरे ऊपर भी, बैठें।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, गांव में कहावत है। कहते हैं--अंधे के आगे रोवे और अपने नैन खोवे। तो मान्यवर, यह बहुत दिन से साबित हो गया कि यह सरकार जो है मूर्खों की है। मूर्खों की सरकार है। मान्यवर, बहरों की सरकार है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

यह तो बात गलत है। मान्यवर, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांति रखिये।

श्री हरी सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरी सिंह, बैठ जाइये। माननीय मानसिंह जी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने सरकार के लिये कहा है किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा है।

*श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, 4 महीनों से इस प्रदेश का किसान रो रहा है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो मेरे साथियों को बुरी लगे। लेकिन वास्तविक सत्यता क्या है यह जरूर कहना चाहता हूं। किसान 4 महीने से रो रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। पश्चाताप तो तब होता है कि जब हमारे मंत्री जी और हमारे उप मंत्री जी दावा करते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को इतना कभी नुकसान नहीं हुआ था जितना इस रेजीम में हुआ है। 6, 7 चीफ मिनिस्टर तो मुझे देखने का सौभाग्य मिला है लेकिन इतना नुकसान किसी के जमाने में नहीं हुआ था। लोग पिछली सरकार को कोसते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। आप 4 आने की दुहाई देते हैं। केवल कागज पर रेट बढ़ा दिया। भाई रियासत जी बोल रहे थे उन्होंने बताया कि सात रुपये क्विंटल कहीं नहीं बिक रहा है। हमारे यहां नैनीताल रोड पर चले जाइये, 3, 4 रुपये के रेट्स हैं। पीलीभीत रोड पर चले जाइये 3, 4 रुपये से ज्यादा रेट नहीं है। हफ्ते में केवल तीन दिन गन्ना लिया जाता है 4 दिन नहीं लिया जाता है। गन्ने की गाड़ियां लौट जाती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजनाथ सिंह जी को याद होगा। तिवारी जी की सरकार में, पिछली सरकार ने 9 रुपये किया था और जो एक रुपये का डिफरेन्स था उसका किसानों को दिलाया था। 32 करोड़ रुपये का फायदा उनको पहुंचा था। आप चार आने की बातें करते हैं। तो इतिहास से सबक लेना चाहिये। यह कहना कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया यह मैं नहीं मानता हूं।

मान्यवर, एक पुस्तिका दी गयी है सरकार द्वारा गन्ने और खांडसारी की खरीद। पिछले वर्ष सरकार ने आलू और गेहूं की खरीद ब्लाक लेबिल पर सेंटर्स पर की थी। टाउन एरियाज में भी सेंटर्स थे, सहकारी समितियों में सेंटर्स थे। आप कह रहे हैं कि नेफेड खरीद कर रहा है, एफ0 सी0 आई0 खरीद कर रहा है, मान्यवर, मेरा विचार है कि यह ब्यूरोक्रेट्स सरकार पर हावी हैं क्योंकि न तो कोई आंकड़ा दिया गया है और न यह बताया गया है कि कितने सेंटर्स हैं और कितने क्विंटल गुड़ खरीदा गया है। मेरा निश्चित मत है और आरोप है कि कोई गुड़ नहीं खरीदा गया है। रेडियों में कोई आंकड़ा नहीं आया है कि प्रदेश में इतने गुड़ की खरीद की गयी। आप पूंजीपतियों के साथ हैं। आपने आठ आने की छूट क्रेशर मालिकों को दी और मिल मालिकों को एक रुपये की छूट क्रय कर में दी, टैक्सेज में राहत देकर आपने साबित कर दिया कि आप पूंजीपतियों का हित करते हैं। जहां तक चीनी का मूल्य जो था वह 2 रुपये 15 पैसे था। लेकिन वह बढ़कर 2.30 पैसे हो गया है। पहले जब गन्ना साढ़े बारह रुपये क्विंटल था तो 2.15 पैसे पर चीनी मिलती थी और जब गन्ना 4, 5 रुपये क्विंटल है तो चीनी का दाम 2.30 हो गया। कागज पर आप केवल आदेश करते हैं इक्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं यह आप नहीं देखते हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि जो कानून हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है।

अब लागत की बात आती है, किसान रो रहा है। चाहे शाहजहांपुर का फार्म हो, गोला-गोकरन नाथ का फार्म हो या नैनीताल का फार्म हो या कोई भी फार्म हो 12 सौ, 15 सौ, 22 सौ प्रति एकड़ लागत आती है। मैं पूछता हूं कि कितनी पैदावार किया है ? मेरठ के किसान भी 150,200 क्विंटल से ज्यादा नहीं पैदा करते हैं। अगर ऐसा रहा तो मैं कहता हूं कि लोग गन्ना बोना बन्द कर देंगे। फिर आप कहते हैं कि गन्ने की पैदावार ज्यादा हुई। लेकिन भारत सरकार ने इस बार साढ़े 6 लाख टन चीनी बाहर भेजने का प्रोपोजल किया है, जब कि पिछली सरकार ने साढ़े 8 लाख टन चीनी बाहर भेजा था। यदि पैदावार गन्ने की अधिक थी तो साढ़े 8 लाख टन से अधिक चीनी बाहर भेजते। यह क्यों नहीं किया ? इसलिये आपके आंकड़े सत्यता के बारे में सही नहीं है।

मान्यवर, सदन में एक प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दिया था कि 31 जनवरी तक किसानों को गन्ने का पेमेन्ट आज हो रहा है। तो फरवरी और मार्च का पेमेन्ट बाकी है। ढाई करोड़ पिछले साल का पैसा रह गया है और इस साल का आप बताते नहीं हैं। मेरा कहना है कि आपके ऊपर इससे ज्यादा ड्यूज हैं। निगम ने जो फैक्ट्रीज ली हैं वह वैसे ही चल रही हैं। सभी के ड्यूज बाकी हैं। प्रदेश में आप मजदूरों की जान से खेल रहे हैं। 6 दिन पहले बरेली में एच0 आर0 शुगर फैक्टरी बन्द थी चूंकि मजदूरों को पैसा नहीं मिला था। इसलिये मजदूरों के लीडर श्री टी0 एन0 चौबे और अशोक जी आपसे मिले होंगे तो उनका आपने क्या समाधान किया ? यह सरकार धोखा देने में लगी है। मैंने मान्यवर, एक दिन सदन में कहा था कि किसान मंदिरों और मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं, जिस प्रकार की पहले दुआ की थी कि चौधरी चरण सिंह की सरकार आये, कि यह सरकार कब जायेगी। इसलिये मेहरबानी करके समय रहते चेत जायं और गन्ना किसानों का जो पैसा बाकी है, उसको दिलवायें। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज गन्ने का बजट जो सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना इस प्रदेश का सबसे बड़ा कैश क्राप है। सबसे अधिक किसानों की आर्थिक स्थिति गन्ने पर निर्भर करती है! इसका कारण यह है कि यही एक ऐसी फसल है जिसके लिये किसान निश्चित है कि इस फसल से उसको कुछ न कुछ आमदनी अवश्य हासिल हो जायेगी। जब कि गेहूं तैयार खड़ा है लेकिन पत्थर पड़ जाय तो पूरी फसल समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार धान यदि सूखा पड़ जाय तो समाप्त हो सकता है। लेकिन गन्ने की फसल से उसे कुछ न कुछ धन प्राप्त हो जाता है इसीलिये गन्ने की तरफ किसानों का ध्यान बढ़ता जा रहा है। देश के नेताओं द्वारा कभी-कभी कहा जाता है, जब यह समस्या पैदावार की हर चौथे साल उत्पन्न होती है, कि गन्ने का रकवा कम किया जाय। मैं कहता हूं कि क्या सरकार दूसरी फसल के बोने पर सुनिश्चित आमदनी के लिये प्रबन्ध कर रही है ? यदि किसान को मालूम हो जाय कि वह गेहूं या धान की फसल को ओले या सूखे से नुकसान नहीं होगा और इन्श्योरेन्स से पैसा मिल जायेगा तो वह अपनी गन्ने की खेती पर निर्भर नहीं करेगा। चूंकि ऐसा प्रबन्ध नहीं हो पाया है इसलिये किसान गन्ने की खेती कम करे ऐसा कभी भी किसान नहीं करेगा। गन्ने के उत्पादन पर काफी प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है और इससे उत्पादन अपने प्रदेश का बढ़ा है प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी है लेकिन जैसा हमारी मंत्री जी ने कहा उनका ध्यान गन्ने पर आधारित उद्योगों की तरफ गया है जिस तरफ तीस साल तक पिछली सरकार का ध्यान नहीं गया इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। यदि गुड़ के एक्सपोर्ट के लिये प्रबन्ध किया जाय, गन्ने के सिरके पर अनुसंधान करके इसका उद्योग लगाया जाय तो निश्चय ही आज जो सारा प्रेशर केवल चीनी मिलों पर है वह कम होगा।

इस साल जो प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है कि गन्ना बिक नहीं रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये क्विन्टल तक गन्ना क्रशर वालों ने 1978-79 के पहले भी खरीदा है। 1964-65 में खरीदा है। 1964-65 में भी फैक्टरियां गन्ने को छोड़कर बन्द हो गयी थी सरकार कोई प्रबन्ध न कर सकी। 1969-70 में भी फैक्टरियां बन्द हो गयी थी सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया था। इस वर्ष कम से कम सरकार तत्पर तो है कि कोई भी फैक्टरी गन्ने को छोड़कर बन्द न होने पाये। जैसा मैंने पहले ही कहा सारा गन्ना फैक्टरियों के द्वारा ही पेर लिया जाय यह सम्भव नहीं है। पहले भी यह हुआ है कि लगभग 40 फीसदी गन्ना फैक्टरियों द्वारा पेरा गया और बाकी की खपत या तो गुड़ या बीज या अन्य माध्यमों से हुआ है।

मैं थोड़ा सा अधिष्ठाता महोदय, आप के माध्यम से अपनी सरकार का ध्यान गन्ना अनुसंधान की तरफ दिलाना चाहता हूं। सबसे आवश्यक, इम्पार्टेन्ट, जरूरी क्रेश क्राप गन्ना है लेकिन इसके अनुसंधान पर सब से कम ध्यान दिया गया है अभी तक। इस वर्ष भी जो बजट रखा गया है केवल 13 लाख 93,800 रुपया योजनागत में रखा गया है जबकि पिछले वर्ष 13 लाख 90 हजार रुपये था। केवल 3,800 रुपया बढ़ा हुआ है। इतना कम बजट रखने से यदि हम चाहें कि गन्ने के अनुसंधान पर कोई विशेष कार्य कर लें तो यह सम्भव नहीं हो पायेगा। वैसे गन्ना अनुसंधान को जो कि मुझे पता चला है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान विकास निधि से इसे पैसा दिया जाता है। इसके लिये एक योजनागत ब्योरा होना चाहिये ताकि उसके अनुसार इस पर खर्च किया जा सके। और इसमें मेरा निश्चित मत है और इसकी सिफारिश मैं अपने सरकार से करूंगा कि कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये का खर्च गन्ने के अनुसंधान पर रखा जाय। यदि अनुसंधान द्वारा उन्हीं बीजों का उत्पादन करें जिसमें रिकवरी (शुगर परसेन्टेज) तथा गन्ने का वजन दोनों ही सही हों तभी वह किसानों के लिये सफल हो सकेगा। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, दो मिनट और दे दें।

इसमें कुछ विशेष बात जो कहना चाहता हूं वह है क्षेत्रीय विषय । सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है कि गन्ने की खरीद फैक्टरी द्वारा स्वत: की जायगी परचेजिंग ऐजेन्ट द्वारा नहीं की जायगी । लेकिन दु:ख है कि आज भी शुगर मिल लिमिटेड, बस्ती के सेन्टरों पर वाह्य केन्द्रों पर गन्ने की खरीद उनके ठेकेदारों द्वारा की जा रही है । वे अपने ऐजेन्ट दिखला कर के खरीद अपने ठेकेदारों से करा रहे हैं यदि किसी सेन्टर पर गाड़ियां कम तुली हुई पाई जाती हैं तो समिति का लिपिक तुरन्त मुअत्तल कर दिया जाता है लेकिन फैक्टरी के कर्मचारी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता जिससे समिति के लिपिकों का मनोबल नीचे गिरता है । जो सजा समिति के कर्मचारियों को दी जाय वही सजा निश्चित रूप से फैक्टरी के कर्मचारी को मिलनी चाहिये । मंत्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष जितना बकाया गन्ना काश्तकार का था वह उसे दिला दिया गया । अब केवल 2 करोड़ 35 लाख रुपया बाकी रह गया है । एक नियम यह है कि गन्ने का मूल्य जो है उसका भुगतान अगर 15 दिन के अन्दर न हो तो उसके बाद उस पर सूद लगने लगता है और नियम यह है कि उस सूद को समितियों द्वारा कृषकों के विकास कार्यों में उपयोग किया जायगा । अधिकतर यह होता है कि पुराना बकाया बेबाक करा दिया जाता है लेकिन सूद बेबाक नहीं होता, कहीं-कहीं उसे छोड़ दिया जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सूद का जो बकाया है वह किसानों को मिलना चाहिये और सरकार द्वारा उसे दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)--

अधिष्ठाता महोदय, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्नें की खेती में आगे है और खास कर वहां का किसान गन्ने की खेती पर निर्भर करता है । इस बार बदकिस्मती यह हुई कि गन्ना मिलें डेढ़ महीने लेट चलीं । दूसरे परम पिता परमात्मा के प्रकोप से बारिश होने से डेढ़ महीना बरसात में गुजर गया जिससे तीन महीने लेट हो गया । नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की आधी पैदावार खेत में ही खड़ी रह गयी । मेरे क्षेत्र में एक मिल रुहाना शुगर मिल है जो सरकार के अन्डर में है । आस-पास दो तीन मिलें और हैं । जो सरकार के अन्डर में रुहाना शुगर मिल है वहां पर पेराई की हालत यह है कि उसमें दूसरी मिलों के मुकाबले एक तिहाई गन्ना नहीं पिर पाता और जब दूसरी मिलों के बारे में कहा जाता है कि वे इतना गन्ना पेरती हैं तो जवाब दिया जाता है कि रुहाना शुगर मिल की मशीनें पुरानी हैं, 20,-25 लाख रुपया उनमें और लगे तभी वे दूसरी मिलों के बराबर गन्ना पेर सकती हैं । नतीजा यह है कि दिन ब दिन वहां पर गन्ने का पिरना कम होता जाता है और काश्तकार का 5 साल के अन्दर 15 लाख रुपया बकाया हो गया है,उसे पहले काश्तकार को दिलाया जाय । पहले उस मिल का मालिक सरदार श्याम सिंह थी । अब दोनों में झगड़ा चल रहा है । वह कहते हैं कि गन्ने का दाम हम को मिलना चाहिए लेकिन उनसे कहा जाता है कि मामला कोर्ट में गया है । उस पैसे को सरकार देगी या मिल मालिक देगा इसका पता नहीं है। किसान आज बहुत परेशान हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र चरथावल, मुजफ्फरनगर की ओर दिलाना चाहता हूं । वहां गेहूं की फसल ओले से चौपट हो गई है और गन्ना खड़ा रह गया है। किसानों ने कहा चूंकि हमारा गेहूं खत्म हो गया है इसलिए हमारा गन्ना पहले ले लीजिए। बार-बार हम कलेक्टर साहब के पास भी गए कि इनके पास अब कोई साधन नहीं है इसलिए गन्ना ले लीजिए तो उन्होंने कह दिया कि हमारा कोटा खत्म हो गया है, अब हम नहीं लेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां 15, 20 गांव ऐसे हैं जहां गेहूं की फसल बिलकुल बरबाद हो गई है। उनके पास खाने को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नन्द राम ---]

अनाज नहीं है। इसलिए उनके गन्ने को सबसे पहले लिया जाय चाहे वह रुहाना मिल हो या शामली मिल हो।

आज काश्तकार का रोना गन्ने की कम कीमत के लिए नहीं है बल्कि गन्ने के लिए जो खाद वगैरह अन्य चीजें लगती हैं उनकी कीमत के लिए रोना है। गन्ने की खेती में काम आने वाली चीजों के दाम ज्यों के त्यों है लेकिन गन्ने के दाम कम हो गए हैं। इसलिए उन चीजों के दाम भी उतने ही कम हों जितने कि गन्ने के हैं। आज काश्तकार परेशान और दुखी है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य लाल बत्ती का भी ध्यान रखें।

श्री नन्द राम--

एक मिनट और दे दीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज गुड़ की खरीद मंडियों में होती है। मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज भी लालाजी ही खरीदते हैं काश्तकार को वही भाव 30 रु0, 25 रु0, 28 रु0 मिलते हैं और लालाजी गाड़ी लेकर जाते हैं और मुनाफा उनको मिल जाता है। इस गुड़ की खरीद में भी काश्तकार को फायदा नहीं हुआ। बड़ी उम्मीद से जनता पार्टी को काश्तकार ने वोट दिया उसकी हालत आज यह हो गई है। वह रो रहा है एक कवि ने लिखा है--

जब गुलशन पर वक्त पड़ा खून हमने दिया,

जब इस पर बहार आई तो तुम्हारे काम नहीं आया

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से गन्ने का जो अनुदान पेश हुआ है उसका स्वागत करता हूं। मान्यवर, गन्ना काश्तकारों की मूल समस्या क्या है? शुरू में काश्तकार के गन्ने की जो परतालिंग होती है वह पिछले साल के हिसाब से होती है। 1978 वर्ष का अनुमान जो होता है, उसकी जो परतालिंग होती है वह 1977 वर्ष के हिसाब से होती है यह हमारी पिछली सरकार ने किया था। उसी अनुपात से कोटा फिक्स किया जाता है। सरकार उत्पादन बढ़ाने की बात एक तरफ करती है और दूसरी तरफ पिछले साल का हिसाब लगाया जाता है। मान लीजिए मैंने पिछले साल दो एकड़ गन्ना बोया और 1978 में चार एकड़ बोया तो दो एकड़ के हिसाब से परतालिंग होती है जिससे गन्ना उत्पादन का सही आंकड़ा नहीं मालूम हो पाता है। यही कारण है कि आगे चल कर गन्ना काश्तकार और अधिकारियों के बीच में ऐसा माहौल खड़ा होता है और गन्ने की पेराई एक समस्या बन जाती है। पिछले वर्ष के अनुपात से सट्टे का सिस्टम समाप्त करें और हर साल जो उत्पादन हो उसमें सट्टा निर्धारित किया जाय। दूसरी बात, गन्ना काश्तकारों को जो काफी समय देकर और काफी खर्च करके उत्पादन करता है, उसकी सही परतालिंग नहीं होती है। गन्ना परतालिंग के लिए खेत-खेत न जाकर अपने घर में बैठे-बैठे परतालिंग कर देता है। मेरा सुझाव है कि जुलाई माह में इस परतालिंग के कार्य को ठीक से किया जाय।

श्री रियासत हुसैन––

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अब दो भी बज गए हैं। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गन्ने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है लेकिन कोई भी कैबिनट मन्त्री इस समय सदन में मौजूद नहीं है। एक कैबिनेट मन्त्री का यहां रहना बहुत जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता––

यह बात बराबर कही गई है। मन्त्री जी को बुला लिया जाय। यों विभाग के उप मन्त्री जी बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी बराबर कहते रहे हैं, यह उनके तय करने की बात है, अपने विवेक से वह उपस्थित रहें तो अच्छा है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल––

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जुलाई में जो गन्ने की परतालिग होती है, उसकी रिपोर्ट गन्ना ग्राम सेवक गन्ना परिषद् को दे और उसके 30 दिन के बाद गन्ना काश्तकारों को नोटिस द्वारा सूचना दी जाय कि जिनकी परतालिग नहीं हुई है, वह अपनी आपत्ति इस सम्बन्ध में उठावें। इससे यह होगा कि गन्ने के उत्पादन के सही आंकड़े मालूम हो जायेंगे और उसके कारण किसानों में जो असन्तोष है, वह दूर हो सकेगा। साथ ही साथ जो फैक्ट्रियां आज 40–45 साल पुरानी हैं, जिनकी क्षमता बहुत कम है, उन पर ध्यान देने की बात है। आज की स्थिति यह है कि गन्ने का उत्पादन सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन फैक्ट्रियों की क्षमता नहीं बढ़ाई गई, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो गई है। जितनी बीमार मिलें हैं, उनको या तो सरकार अपने पैसे से चलावे और उनकी रिपेयरिंग समय से और ठीक से करा दे, जिससे गन्ना किसानों की समस्या हल हो सके या यदि सरकार चलाने में सक्षम नहीं है तो मिल मालिकों को कर्ज देकर उनसे एग्रीमेन्ट कराकर, उनको सरकार उनकी मिलें वापस कर दे, जिससे सरकार पर जो आरोप है कि वह अपने हाथ से मिलों को चलाने में असमर्थ है, वह दूर हो।

जहां गन्ना काश्तकारों को अपना गन्ना, सरकार द्वारा सुनिश्चित दर से 5–7 रुपया कम में बेचना पड़ता है, शासन को चाहिए कि वह उन्हें खाद, बीज और सिंचाई की सुविधाएं मुफ्त दे। ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो। इसके अलावा जितनी मिलें गन्ने के अभाव में बन्द हो जाती हैं और श्रमिकों को वेतन मुफ्त दिया जाता है, जहां गन्ना ज्यादा है, वह वहां से रेल द्वारा गन्ना बन्द मिलों को पहुंचाया जाए। हमारे क्षेत्र में एक खांडसारी और एक शुगर मिल है। खांडसारी यूनिट जो हैं, उस के ऊपर साढ़े चार हजार रुपया प्रति यूनिट एक्साइज टैक्स है। इससे यह होता है कि यदि तीन यूनिट्स हैं तो उसको 14 हजार रुपया एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, अतः इसको समाप्त किया जाए। इस भारी टैक्स को समाप्त कर सरकार खांडसारी मिलों को काफी प्रोत्साहन दे। इसके साथ जो आपने समय दिया, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि गन्ना मन्त्री जी के अनुदान पर माननीय श्री रियासत साहब ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में दो शब्द कहने का मौका दिया। माननीय मन्त्री जी तो हैं नहीं। उप मन्त्री जी हैं। थोड़ी देर में यह भी चले जायेंगे। दो चार दिन में यह सरकार भी चली जायगी, किसको सुनाएं और क्या सुनाएं?

(व्यवधान)

आज की स्थिति यह है कि माननीय मन्त्री जी ने एक बड़ी अच्छी रूपरेखा प्रस्तुत की, गन्ने का उत्पादन बढ़े, प्लान्ट प्रोटेक्शन में क्या करने वाले हैं, अनुसंधान किस प्रकार करेंगे कैसा–क्या छूट उन्होंने दे रखी है, अप्रैल के आखिर तक क्रशर के लाइसेन्स दिए जाने,

[श्री देव बहादुर सिंह—]

चाहे कोई लेने वाला मिले या नहीं। इतना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। जो गन्ना उत्पादन है उसको बीज से दिलचस्पी नहीं है। उसको दिलचस्पी है कि गन्ना सप्लाई करने के लिए क्या कर रहे हैं ? आज वह उत्सुकता के साथ इंतजार करता रहा होगा कि आज माननीय मन्त्री जी कौन सी नीति को घोषित करेंगे जिससे उसको विश्वास हो जायगा कि उसका गन्ना इस साल निकल पाए। जितनी बातें माननीय मन्त्री जी ने रखी हैं उसमें कोई भी इस योजना की बात हमारे सामने नहीं रखी गई है जिससे विश्वास हो सके कि हमारे गन्ने के बारे में मन्त्री जी चिन्तित हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि माननीय चौहान साहब, अलीगढ़ के माननीय सदस्य ने कहा कोई चीनी मिल पिछली सरकार ने लगा कर दे दिया था जो नहीं चल रही है। हमने तो उनको कुछ दिया। जब यह सरकार बनी तो उसको नहीं चला पा रहे हैं। इसका भी दोष हम पर है कि हम उनको प्रशिक्षित करके भेजते, तब गद्दी पर बैठने के लिए छोड़ते। यह भी हमारा काम है। आप जानते हैं कि जब पिछली सरकार बदली तो 4–5 हजार करोड़ का फारेन एक्सचेंज और 2 करोड टन गल्ला दिया। लेकिन बीमार चीनी मिलों को बीमार सरकार चला सकेगी ? आज तक आप सोच रहे हैं। आप पहले अपना इलाज करें। फिर बीमार चीनी मिलों को चलायें।

आप यह कहते हैं कि हमने आदेश दे रखा है कि जब तक प्रत्येक किसान का एक–एक गन्ना नहीं निकल जायगा तब तक कोई चीनी मिल बन्द नहीं होगी। कल सदन में कहा गया कि देवरिया जिले की एक चीनी मिल क्यों बन्द हुई ? जबकि अतिरिक्त गन्ना पेरने के लिये है, क्यों बन्द होने दिया ? कहां है आपका कानून और किस कानून के आधार पर आप ऐसी घोषणा करते हैं कि जब तक एक भी गन्ना रह जायगा कोई मिल बन्द नहीं होगी। जब हमारे यहां की चीनी मिलें बिना गन्ना पेरे बन्द हो जायेंगी तो क्या कार्यवाही करेंगे ? कोई भरोसा नहीं रह गया है। आप विश्वास दिलायें कि जो मिलें हैं, जो क्रशर हैं, जो कोल्हू है उस समय तक चलते रहेंगे जब तक गन्ना निकल नहीं जायगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुड़ कैसे बनेगा, अचार कैसे बनेगा, मुरब्बा कैसे बनेगा, गन्ने के रस का उपयोग कैसे होगा, यह अप्रैल के महीने में हमको सिखाया जा रहा है। उन्होंने गुड़ का टुकड़ा भी दिखाया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जायगा। जब तक प्रशिक्षित होंगे तब तक गन्ने का सीजन खत्म हो जायगा। वहां उनको पता नहीं था कि गन्ने का उत्पादन इस साल इस प्रदेश में अत्यधिक होने वाला है। अगर नहीं था तो क्यों नहीं था ? हर चार पांच साल के बाद गन्ने का अधिकतम उत्पादन होता है। जानकारी उनको थी तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की अब यह कहते हैं कि एक कमाल किया है कि गन्ने का उत्पादन बहुत हुआ है। जब आपने जन्म लिया था तो उस समय तक गन्ना बोया जा चुका था। जो गन्ने का उत्पादन बढ़ा है उसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप संभाल लेते और कहते कि हमने गन्ने की व्यवस्था कर ली है तो हम उसकी प्रशंसा करते। पहली नवम्बर से फैक्ट्री चला लेते। अभी एक सदस्य गुड़ खरीदने की बात कह रहे थे, गुड़ खरीद कहां पर हो रही है। बाजार में सर्वेक्षण हो रहा है कि गुड़ कहां पर खरीदा जाय। आप सर्वेक्षण ही करते रहेंगे तब तक आर्थिक स्थिति चौपट हो जावेगी। अगर आप चाहते हैं कि गन्ना किसानों का फायदा हो तो गुड़ खरीदें।

मान्यवर, मिलें बीच में बन्द हो गयी थीं तो उन्होंने कहा कि मिल के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। देवरिया की मिल बन्द हो गयी तो कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय उप मंत्री जी बैठे हैं। मैं गन्ने की चोरी के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। फ्लाइंग स्क्वायड बनाये, लेकिन वह प्रभावकारी नहीं हो सका है। उनके लिये काम बांटिये कि कब उन्हें कहां पर जाना है। फैक्ट्रीज को बड़ा घाटा है। आप उसको दूर करने के लिये कुछ करें। कास्ट एकाउन्टिंग बड़ी ही डिफेक्टिव है। कास्ट आफ प्रोडक्शन का प्रोफार्मा

बनाइये । रिकवरी क्या है शुगर की ? इस ओर जब तक आप कदम नहीं उठायेंगे आप कुछ नहीं कर पायेंगे । इन शब्दों के साथ मान्यवर, इनसे एक ही मांग करता हूं कि जब माननीय मंत्री जी जवाब दें हमको इतना विश्वास जरूर दिलावें कि गन्ना की समुचित व्यवस्था जरूर करेंगे ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया । यह गन्ने की समस्या उत्तर प्रदेश म इस समय इतनी भीषण है कि इसका कोई न कोई निदान सरकार को सोचना चाहिये । मुझे एसा लगता है कि यह सरकार खासकर गन्ने के मामले में सभी निर्णय लेट ले रही है । गन्ने की जो चीनी मिलें हैं वह एक महीने लेट चालू हुई । एक्साइज ड्यूटी में एक महीने से लेट छूट दी गयी । परचेज टैक्स में छूट एक महीने बाद में दी गयी । खांडसारी और गुड़ की खरीद का निर्णय लेट लिया गया, सरकार की ईमानदारी में कोई शक नहीं है । मैं यह जानता हूं कि गन्ने की समस्यायें हल करन के लिये आपने अपना राजस्व घटाया है और चीनी मिलों को, खांडसारी को और किसानों को सुविधायें देने की कोशिश की है लेकिन निर्णय लेने में एक महीने की दर चल रही है ।

मान्यवर, गोला गोकरन नाथ में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है । हमारे क्षेत्र के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है जो कांग्रेस पीरियड से चला आ रहा है । इस मिल के जो मालिक हैं उनको ही पलिया में मिल बनाने की अनुमति दे दी गयी और वहां से 25 लाख क्विंटल गन्ना गोला में भी आता है । यदि वहां पर कोई सहकारी मिल होती तो क्या वहां से 25 लाख क्विंटल गन्ना गोला को आता ? लकिन पता नहीं कांग्रेस के लोगों ने कौन सी सांठ-गांठ मिल मालिकों से की है यह गन्ना वहां पर आ रहा है और गोला में त्राहि-त्राहि मची हुई है । इस बार तो वह 25 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 33 लाख 60 हजार क्विंटल कर दिया गया था । तो मैं केन कमिश्नर से मिला और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बढ़ हुये गन्न को समाप्त कर दिया । लेकिन आज मरी मांग है कि, जो 25 लाख क्विंटल गन्ना पलिया क्षत्र से गोला को आता है, उसको समाप्त किया जाय ।

ये पूंजीपति लोग इस सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ? अब मैं हरगांव शुगर फैक्ट्री की बात कहना चाहता हूं । वहां पर जितनी क्रशिंग की क्षमता है, उससे आधी क्रशिंग हो रही है । इस फैक्ट्री में बड़ी धांधली चल रही है । वहां पर पीपर-झला एक सेन्टर है जिसमें जो लोग भूमिहीन हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं, जिन लोगों का गांव में नाम तक नहीं है उनके नाम पर्चियां जारी की जाती हैं । मुझे सूचना मिली है कि इस सेन्टर पर कांग्रेस पार्टी के डाइरेक्टर हैं । कांग्रस पार्टी के लोग 50–50, 100–100 रुपये में पर्चियां बेच कर धंधा करते ह ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपत्ति करता हूं कि अगर कोई ऐसा करता है, तो ये नाम बतायें, उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री राघव राम मिश्र—

मान्यवर, हरगांव शुगर मिल में वहां के मिल मालिक से मिल कर वहां के केन सोसाइटी के सेक्रेट्री बड़ी धांधली करा रहे हैं । वे पूंजीपतियों से मिल गये हैं, उनका वहां से तुरन्त स्थानान्तरण कर देना चाहियें ।

जहां तक गुड़ की खरीद का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि इस सरकार ने निर्णय लिया था कि गुड़ खरीदा जायगा । हमने भी किसानों को गुड़ बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया ताकि

[श्री राघव राम मिश्र]

वे ज्यादा से ज्यादा गुड़ बनायें लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि लखीमपुर खीरी में गुड़ की खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है ।

पूंजीपतियों के बारे में जो मैंने कटाक्ष किया मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि सरकार ने इन क्रशर वालों को हालांकि काफी छूट दी है परचेज टैक्स आदि में, लेकिन फिर भी वे किसानों को परेशान कर रहे हैं। खास कर उन किसानों को जिन्होंने यह प्रयत्न किया कि किसानों को ठीक दाम दिये जांय और प्रतिनिधि मंडल के रूप में या वैसे भी जाकर मिले, उनसे आग्रह किया कि आप गन्ने की सही कीमत दीजिये ऐसे लोगों का गन्ना लेना क्रशर वालों ने बन्द कर दिया । ये क्रशर वाले किसानों के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे हैं । हमारे क्षेत्र में तो ये क्रशर वाले बाकायदा पूछते हैं कि जनता पार्टी के कौन लोग हैं और जो किसान जनता पार्टी से सम्बन्धित होते हैं, उनका गन्ना नहीं लेते हैं । हमारे कस्बा मितौली में जो क्रशर वाले हैं वे किसानों पर बड़ा ही अत्याचार कर रहे हैं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन क्रशरों को निर्देश दिये जायं कि वे इस प्रकार का कोई भेद भाव न करें ।

महोदय, एक निवेदन और करना है गन्ने के सम्बन्ध में अन्य सदस्यों ने भी अनुरोध किया है। इस समय काफी गन्ना खड़ा है। हम तो मंत्री जी को ले गये थे जबकि लखीमपुर से गोला गोकरननाथ की तरफ जा रहे थे कार में। तो काफी गन्ना खड़ा देख कर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या यह नवम्बर–दिसम्बर का महीना है कि सारा गन्ना खड़ा है, कैसे पेरा जायगा ? मैं मंत्री जी से जरूर आश्वासन चाहूंगा कि इतना सारा जो गन्ना खड़ा है वह तीन चौथाई से ज्यादा हमारे क्षेत्र में खड़ा है उसकी पेराई के लिए कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। हम गांव में जाते हैं तो किसान रो पड़ता है। वह गुड़ बनाता है तो उसकी कीमत नहीं मिल रही है। वह क्रशर पर जाता है तो जनता पार्टी का व्यक्ति है, यह कह कर उसको भगा दिया जाता है। उनका गन्ना तौला नहीं जाता है। हमारे क्षेत्र में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसकी तरफ मंत्री जी ध्यान दें। गोला गोकरननाथ क्षेत्र में गन्ने की पेराई की अवश्य व्यवस्था करें। इसके पहले मैं चाहूंगा कि 25 लाख क्विंटल गन्ना जो पलिया चीनी मिल का आता है उसको निरस्त करें। इन बातों के साथ सरकार का जो प्रयास गन्ना क्षेत्र में हो रहा है उसकी सराहना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री राज ब्रजराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

एक व्यवस्था का सवाल है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या प्रक्रिया नियमावली में सूची पढ़ने की इजाजत है ? आपकी दृष्टि क्या काफी .....

श्री अधिष्ठाता—

मैं कोई सूची नहीं पढ़ रहा हूं। मैं देख लेता हूं कि कौन खड़े होते हैं। मैं स्वयं अपने विवेक का उपयोग कर रहा हूं ।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ने के सम्बन्ध में जो अनुदान गन्ना मंत्री महोदय ने पेश किया है इसको राजनीति का विषय न बनाकर गम्भीरता से विचार करने का विषय है । मान्यवर, देखा जाय तो आलोचना करना आसान होता है, पर चाहिए थी कि इसकी सही रूप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से विवेचना और समालोचना करनी। तो मैं सरकार की तारीफ या प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग जो इस पक्ष में या उस पक्ष में हैं वह विचार करके देखें कि इतनी इफरात गन्ने की थी कि गन्ना विकास विभाग द्वारा जो यह कार्य विवरण प्रस्तुत हुआ है उससे पता चलता है कि 2 हजार हेक्टेयर अधिक भूमि में गन्ना बोया गया। यही नहीं 108 लाख टन गन्ना अधिक हुआ। मेरा ऐसा विश्वास है कि यहां पर कांग्रेस सरकार होती तो शायद गन्ने के भाव बढ़ने के बजाय गिर जाते पर आपकी जनता सरकार ने जो वास्तव में किसान और मजदूरों की सरकार है, उसने अपने राजस्व में और एक्साइज में कटौती की पर किसान को 4 आने की वृद्धि करके गन्ने का भाव बढ़ाया। इस प्रकार सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए। यह समस्या आज केवल इस प्रदेश की नहीं है, यह सारे भारतवर्ष की है बल्कि विश्व की है। अगर आगणन किया जाय तो यहां की जो शुगर की मांग थी वह बाहर कम हो गयी, इसलिए उसका निर्यात नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप यहां पर भी गुड़ व शकर की मांग कम हो गयी और भाव काफी गिर गये। हर 5 वर्ष बाद गन्ने की यही स्थिति आ जाती है। यह इस कारण से है कि गन्ने की सबसे अधिक उपज हुई है। सरकार भी यह नयी बनी है, मंत्री जी भी नये हैं, इनके सामने गन्ने का यकायक इतना बोझ आ पड़ा। जो भी निर्णय इस सम्बन्ध में सरकार ने लिये, अगर वे एक माह पूर्व लिये जाते तो यह स्थिति न होती। गन्ना मिलें भी देर से चलीं। मिल मालिकों को टैक्स में जो रिलीफ मिली उसके आदेश भी एक माह पहले हो जाते तो अच्छा रहता। जिन जनपदों में गन्ना अधिक था उसको दूसरी जगह ट्रान्सफर करने के आदेश भी देर से हुए।

सरकार की नीति का जहां तक सवाल है, उसमें कोई दो राय नहीं हैं, वह अवश्य गन्ना उत्पादकों और गन्ना उद्योग के हित में है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। खांडसारी उद्योगपतियों पर आपकी पकड़ ढीली है। ये आपके शिकन्जे में नहीं आते। मैं जनता सरकार की वकालत नहीं करता, लेकिन एक चीज अवश्य बतलाना चाहता हूं। आपने गन्ने का भाव खांडसारी उद्योगों के लिए 9 रुपए से बढ़ाकर 9.40 कर दिया, यह ठीक किया पर वे दे नहीं रहे हैं इसे। इसके लिये वे रिट लेकर हाई कोर्ट चले गये। मालूम यह हुआ है कि वहां से 8 रुपए के लिये वे स्टे आर्डर ले आये हैं और 1.40 रुपए बैंक में जमा करेंगे। मैंने सरकार को लिखा, माननीय मंत्री जी का भी और मुख्य मंत्री जी का भी पत्र मुझे मिला, उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकार देखे कि यह 8 रुपया ही किसानों को मिले। रियासत हुसैन जी तो विधायक थे, इसलिए एक प्रीविलेज क्लास के होने के कारण इनको 7 रुपए का भाव मिल गया, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया और लोगों को तो 4 रुपए का भाव ही मिल रहा है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। सट्टे बहुत से फर्जी बने हुए हैं। जब शिकायतें आती हैं तो जांच का काम भी उन्हीं इन्सपेक्टर व सुपरवाइजरों को दे दिया जाता है जो फर्जी सट्टे करते हैं। जिन लोगों के खिलाफ भी 10 शिकायतें प्राप्त हो जायें उन लोगों को अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिये।

आखिरी बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। जहां तक मिल मालिकों की बात है वह आपके कंट्रोल के बाहर है। उसने आपके कोई भी आदेश का पालन नहीं किया। उसने आपके आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिया। जो केन कमिश्नर थे यहां पर, उन्होंने बहुत से अच्छे-अच्छे काम किये, लेकिन आपने इनका तबादला कर दिया। जितना बकाया है, अभी आपने उनका पेमेंट नहीं कराया होगा। यही अनुरोध आखिर में करता हूं कि जो गन्ना काश्तकारों का बकाया है, उसे आप दिलाने की कृपा करें।

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, यहां सरकारी अधिकारियों की .....

श्री अधिष्ठाता—

आप क्यों हरीसिंह जी, मुझको देख रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद माधव—

काफी सख्त आलोचना होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रदेश में कोई सरकारी अधिकारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैं इस सदन में यह बता देना चाहता हूं कि बुलन्दशहर जिले में किसान सहकारी मिल अनूपशहर में जनरल मैनेजर करन सिंह हैं, उन्होंने एक साल में मिल को चालू कर दिया और इस समय यह सहकारी चीनी मिल साढ़े 12 हजार क्विन्टल गन्ना पेर रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उनके प्रयास से और आपस में जो सरकारी कर्मचारियों में सहयोग है, साढ़े 12 परसेंट उत्तर प्रदेश में रिकवरी वहां पर आ रही है, जो इस समय मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में कहीं भी साढ़े 12 परसेंट चीनी की रिकवरी नहीं आई है। जब गन्ने का प्रश्न उठता है तो एक अजीब हालत दिखाई देती है। हमारी सरकार जनता पार्टी की सरकार का आधार सभी लोग कहते हैं कि किसान है और हम किसान की हालत को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन किसानों को जो दर्द है, जब उसका इम्तहान देने का आता है. तो हमारा एहसास बदल जाता है। जब गन्ना की समस्या ने विकट रूप धारण की, उस समय कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को 10–20 करोड़ रुपये पानी में डालना पड़े, उसका कोई रिटर्न न हो, तब भी किसान को बचाना चाहिए।

इस समय गन्ने की 3 समस्यायें हैं। जो चीनी मिल का काश्तकार है, जो गन्ना देता है, वह समस्या अलग है, मैं समझता हूं जैसा सरकार ने निर्णय लिया है, अगर वह निर्णय सरकार लागू करती है, तो यह ठीक है, मई और जून में गन्ना काफी सूखा हो जाता है, लेकिन चीनी मिलों के किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, हम जानते हैं और मिलों का तो हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन गोला मिल अक्सर मई, जून तक चलती है। वहां पर किसान अपने गन्ने को देता है, तो चीनी मिल अगर चलती हैं, तो ठीक है कि उन्होंने एक महीने बाद चीनी मिलें चलवायी। इसके बावजूद भी जो मिलें चलेंगी तो साढ़े 13रुपये क्विन्टल के हिसाब से, साढ़े 12रुपये क्विन्टल के हिसाब से चीनी मिलों के काश्तकारों को दाम मिल जायगा। गुड़ जो काश्तकार बनाते हैं उसका क्या हो ? इस समय सबसे बड़ी परेशानी यह है कि और इस पर भी सरकार ने जो सबसे बड़ा मजाक किया है, बुलंद-शहर में जो भी मंडियां हैं, उन में सब में गुड़ आता है। जो बड़ी–बड़ी मंडियां हैं उनमें हजारों क्विंटल गुड़ आता है। जो छोटी मंडियां हैं उनमें भी 4 या 5 सौ क्विंटल गुड़ आता है। मजाक आपने यह किया है जो चार मंडियां हैं उनमें प्रत्येक मंडी में 20 क्विंटल से ज्यादा गुड़ न खरीदा जाय, इससे प्रतीत होता है कि सरकार किसानों की कितनी हम-दर्द है। ये चार मंडियां हैं, स्याना, गुलावठी, बुलंदशहर, जहांगीराबाद। गुड़ मार्केट रेट से तीन रुपये ज्यादा खरीदा जाय। बताया जाता है कि 45 रुपये मन गुड़ खरीदा जा रहा है यह गलत बात है।

आज गन्ने का जो हाल है इसी तरह से इमरजेंसी के पहले आलू का यही हाल हुआ था। आलू सड़ गया था। गन्ना आज इसी तरह से सूख रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर यह सरकार किसानों की हमदर्द है तो किसानों के लिये सरकार 10-20 करोड़ रुपये दे देती। किसानों को मदद करती इससे साबित होता कि हम किसानों के मददगार हैं और यह किसानों की सरकार है। किसानों के सामने जो कठिनाइयाँ आ जाती हैं उनको सरकार को हल करना चाहिये। जहां तक और प्रश्नों का सवाल है और चीनी मिलों का सवाल है मैं, एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से आदमी अपना आटा चक्की में पिसाने जाता है तो चक्की वाला उसका अनाज पीसकर उसको आटा लौटा देता है और पैसा ले लेता है तो क्या यह सम्भव नहीं है कि चीनी मिल वाले किसानों का गन्ना ले लें और उसको पेरकर लागत ले लें और किसान को उसको चीनी दे दें ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री बेनी प्रसाद माधव--

श्रीमन्, अगर यह हो जाय तो जो यह रोना धोना है सब बंद हो जाय और किसान का बड़ा हित हो,। मैं, समझता हूं कि सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर जो एरिया चीनी मिलों के लिये रिजर्व होता है वह बहुत बड़ा होता है। कहा जाता है कि जब गुड़ का भाव तेज हो जाता है तो किसान मिलों को गन्ने की सप्लाई नहीं करता है। तो यह बात गलत है। हमने गेंदा सिंह जी के नेतृत्व में इतनी लड़ाइयां लड़ी। पूरब में गुड़ बनाने की आदत छूट गयी है। हमारे पश्चिमी जिले हैं, वहां पर नयी मिलें भी लगी हैं और वहां पर गुड़ भी बना लेते हैं, वहां साधन हैं। तो जब तक चीनी मिलों का एरिया ज्यादा रहेगा काम अच्छी तरह से नहीं चलेगा। यह एरिया कम किया जाय ताकि किसान अपने गन्ने को मिलों को दे और उनको भी गारंटी दी जाय कि उनको मूल्य कम नहीं दिया जायगा। मैं इन शब्दों के साथ प्रार्थना करूंगा कि सब लोगों को आपसे शिकायतें हैं कि यह जो मंत्रालय है यह बहुत ही निकम्मा साबित हो रहा है। आपको स्वयं इस बात को सोचना चाहिये कि किस तरह से, इस मंत्रालय की तारीफ हो और किसानों को राहत मिले।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, गन्ना विकास मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस प्रदेश में चीनी उद्योग का क्या भविष्य है और क्या महत्व है उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बारे में जो 30 सालों में उपेक्षा की कार्यवाही की गयी है, उसके आंकड़े देखने से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन गन्ने का 40 से 45 टन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। जो पुस्तिका दी गयी है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि इस में गुड़ की कीमत नहीं लिखी है। मैं पढ़कर बताता हूं। सरकार द्वारा गुड़ और खांडसारी की खरीद नामक शीर्षक के अन्तर्गत गन्ना किसानों के समस्त उपलब्ध गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने और उन्हें उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये प्रदेश के शासन ने जो अन्य कदम उठाये हैं वे इस प्रकार हैं--गुड़ के दाम में हो रही गिरावट को रोक कर उसकी कीमत स्थिर करने के लिये गुड़ के निर्यात की पूरी-पूरी छूट दे दी गयी है। घरेलू बाजार में गुड़ के दाम में गिरावट रोकने के लिये नैफेड द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के माध्यम से गुड़ की खरीद की जा रही है। 13 मार्च, 1978 से अखिल भारतीय खाद्य निगम ने भी बड़े स्तर पर गुड़ की खरीद शुरू कर दी है। लेकिन निगम ने कोई कीमत नहीं रखा है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस निगम को सदन में हाजिर करें। उसने सदन को गुमराह किया है। जब तक आप निगम को हाजिर नहीं करेंगे, मैं सदन को नहीं चलने दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब आपको मौका मिले तो आप इस पर अपनी बात कहें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां उत्पादन कितना कम है जबकि तामिलनाडु और कर्नाटक आदि में 80-85 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। एक माननीय सदस्य बीमार मिलों की बात कर रहे थे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। पिछली सरकार की नीति रही है, जिसके कारण गन्ना किसानों का जितना शोषण हुआ, वह दावे के साथ कहा जा सकता है, उतना दूसरे वर्ग का शोषण नहीं हुआ है। मिल मालिकों के इशारे पर चलने वाली सरकार ने गन्ना किसानों के बारे में कोई नीति नहीं निर्धारित किया। पिछली बार गन्ने का मूल्य 8 रुपये था तो पिछली सरकार ने साढ़े पांच रुपये किलो चीनी बिकवाई थी जब कि आज ढ़ाई रुपये प्रति किलो में चीनी मिल रही है। हमारी सरकार को जो मौका मिला है और जो बजट है उस दृष्टि से मंत्री जी ने कहा है कि एक भी गन्ना खेतों में हम बिना पेरे नहीं रहने देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मेरी मान्यता है कि जब से चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सवाल से सरकार हट गयी तब से विरोधियों को मौका मिला कुछ कहने का। लेकिन मैं अपनी सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सरकार पुनर्विचार करे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

मान्यवर, गन्ना किसानों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना बोता कोई है और बाजार उसका कोई तय करता है। उसको यह भी नहीं पता कि उसका गन्ना कहां बिके, गन्ने के किसान को कोई हक नहीं है अपने उत्पादन का भाव तय करे, बाजार तय करे, किस हिसाब से बिकेगा यह तय करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गन्ना विभाग है यह अफसरशाही के चक्कर में है चाहे सोसाइटी के चुनाव को ले लीजिए, फेडेरेशन के कार्य को ले लीजिए, कहने के लिये मंत्री जी जानती हैं जनतंत्र है लेकिन जनतांत्रिक परम्पराओं को नहीं अपनाया जा रहा है । मैं चाहूंगा कि भार्गव कमीशन की रिपोर्ट हो, पिछली सरकार ने जो वीरेन्द्र वर्मा कमेटी बनायी थी उसकी रिपोर्ट हो, तमाम रिपोर्टों के संदर्भ में एक नया कमीशन बनाया जाना चाहिये जो गन्ना किसानों के संबंध में, चीनी उद्योग के संबंध में, नये परस्पेक्टिव में, नये संदर्भ में विचार करे ।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज साढ़े नौ प्रतिशत हो गयी है जबकि दूसरे प्रदेशों में यह 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत है । तामिलनाडु में 14 प्रतिशत हो गया है । इसका क्या कारण है । इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश के गन्ना किसानों की यही स्थिति बनी रही तो यह गन्ना उद्योग हमेशा–हमेशा के लिये प्रदेश में समाप्त हो जायगा । मैं चाहूंगा कि जो मिलें हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाय । यदि क्षमता नहीं बढ़ेगी तो वे हमेशा ही लास में रहेगी । मिलों का उत्पादन बढ़े क्षमता बढ़े तभी यह संभव हो सकेगा कि वे लास से मुनाफे में बदल सकें ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ मिलें रिसीवर सेक्टर में कुछ कोआपरेटिव सेक्टर में और कुछ कारपोरेशन सेक्टर में चल रही हैं । इस प्रकार से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । मैं चाहूंगा कि जितनी रिसीवर सेक्टरों में मिलें हैं उनको नीलाम करके कारपोरेशन के हवाले कर दिया जाय ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि जहां तक गन्ना यूनियन कर्मचारियों का सवाल है वे चौबीस घंटे काम करते हैं उनके लिये कोई वेज बोर्ड नहीं है, ओवर टाइम नहीं है, बोनस नहीं है । उनके लिये कुछ व्यवस्था इस बजट में करनी चाहिये थी ।

मान्यवर, मिलें प्रोडक्टिव बन सकती हैं यदि इनको ठीक ढंग से चलाया जाय । देवरिया जिला हमारे पड़ोस का जिला है । वहां 14 मिलें हैं । अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि जहां उद्योग धंधे होंगे वहां बेकारी कम होगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हमारे देवरिया जिले में जहां पर इतनी मिलें हैं, उद्योग धंधे हैं, वहां पर सबसे गरीब लोग हैं । मान्यवर, बड़ा दुःख होता है । इसका क्या कारण है ? मिल मालिकों द्वारा शोषण । मैं माननीया मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि.....

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला कीरी)—

एक आयोग की नियुक्ति करें जिससे कि गन्ना किसानों की, चीनी उद्योग की और इस प्रदेश की चीनी उद्योग से संबंधित समस्याओं का समाधान निकल सके । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सचेतक सब पार्टियों के बन चुके हैं । मैंने सचेतक महोदय, को अपना नाम सबेरे ही दे दिया था । सूची में चौथे नम्बर पर है लेकिन

(श्री नरेश चन्द्र)

कम से कम एक दर्जन व्यक्ति बोल चुके हैं लेकिन मेरा नाम नहीं आया। वह कौन सा तरीका है जिससे . .।

श्री अधिष्ठाता—

मैं तो अभी यहां बैठा हूं नहीं तो आपको तरीका बताता। आप बैठिए। इनके बाद आप बोलेंगे।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, अब तक जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, सभी ने किसानों की बात कही हैं लेकिन कुछ सदस्य और मंत्रिगण पिछली सरकार के बारे में बार-बार दोहराते हैं। अगर पिछली सरकार ऐसी न रही होती तो इस तूफान में हमारे मंत्री यहां आकर न बैठ गये होते और उनकी शक्ल भी न दिखलाई देती। पिछली सरकार बराबर तीस साल से किसानों की उपेक्षा करती रही उन बातों के लिये जिनको उनके प्रतिनिधि इस सदन में कहते रहे। लेकिन पता नहीं सत्ता पक्ष में आने के बाद सदस्यों की समझदारी में तो कुछ हद तक सही रहती है लेकिन मंत्रियों की समझदारी पता नहीं कहां चली जाती है और जनता की समस्याओं से कोसों दूर हट जाते हैं जबकि जनता के बीच में जनता की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं।

आज उत्तर प्रदेश का किसान वैज्ञानिक साधनों को उपलब्ध करने में कर्ज से लद गया है और उसकी अदायगी का एक मात्र साधन उसका गन्ना ही है लेकिन उसको किस तरह से लूटा जा रहा है, इस बात को जितनी अच्छी तरह से इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने रखा है उतनी अच्छी तरह से शायद मैं नहीं रख सकता। गन्ना मंत्री ने अपनी पुस्तिका में गन्ने की कीमत या गन्ने से उत्पादित वस्तुओं क दाम घटने की बात कहते-कहते मिल मालिकों को छूट देने की बात कह दी लेकिन इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक क्विंटल चीनी पैदा करने में किसान को कितना खर्च करना पड़ता है। खाद तथा बिजली के लिये उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है और इस सबके बावजूद गन्ने की जो कीमत होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। अगर इस संबंध में मंत्री महोदय ने कुछ कहा होता तो मेरी समझ में आता कि गन्ना मंत्री को गन्ना किसानों की समस्याओं का ज्ञान है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जिस तरह से किसानों के असंतोष की आंधी में बड़े-बड़े धुरन्धर जिनको अपने गिरने का स्वयं आभास नहीं था और आप भी नहीं सोचते होंगे कि जनता में वह एक लाख, डेढ़ लाख वोट से हारेंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

साढ़े तीन लाख वोट से।

श्री जयराम—

शतरुद्ध प्रकाश जी कह रहे हैं साढ़े तीन लाख वोट से हारे। आप भी ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश के किसान का असंतोष बढ़ रहा है और उनके असंतोष का समाधान अगर आपने नहीं किया तो समय आने वाला है जिस तरह से कांग्रेस की सरकार आंधी में उड़ गयी उसी तरह से आपका भी पता नहीं चलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यहां पर विरोध पक्ष की बात न कह कर निवेदन करूंगा कि किस तरीके से देश और प्रदेश में जगह–जगह किसान की लूट हो रही है, किस तरीके से वह कर्ज की अदायगी के लिये परेशान किया जा रहा है उस पर गौर करें। अगर मिल मालिकों को बकाये के लिये पकड़ कर बन्द कर देते तो पूरे प्रदेश के मिल मालिक डरते कि बकाया के लिये मिल मालिक बन्द किया गया है और वह होता। यह एक उदाहरण होता। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नरेश चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपए का जो गन्ना अनुदान हमारे माननीया गन्ना मंत्री महोदया ने सदन में प्रस्तुत किया है उसको देखकर यह समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसी जगह मैं खड़ा हूं, उसका समर्थन करूं या विरोध करूं। इस गन्ना अनुदान को देखकर यह भी समझ में नहीं आता कि इसको देखकर रोऊं या हसूं। आज जो गन्ने की समस्या संपूर्ण प्रदेश में व्याप्त है वह मेरे सामने आई होती और मैं गन्ना मंत्री रहा होता तो शायद मैं इस्तीफा देकर पीछे बैठा होता। यदि मैं मुख्यमंत्री रहा होता तो शायद अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल भी कर देता। इस समस्या का समाधान करने के लिये मुझे अफसोस है कि हमारे गन्ना मंत्री और उप-गन्ना मंत्री महोदय, दोनों ने किसी भी तरह से प्रयास नहीं किया। समय–समय पर बराबर सुझाव दिये जाते रहे और उन सुझावों पर अमल नहीं किया गया। गन्ना समस्या प्रदेश के किन–किन भागों में है और किन जनपदों में यह मुख्य समस्या है उनमें जाने का कष्ट गवारा नहीं किया। उनको जाना चाहिये था और देखना चाहिये था कि काश्तकारों का कैसे शोषण होता है और उनकी क्या कठिनाइयां हैं लेकिन आंखें बन्द कर लीं।

काश्तकारों के सामने कम तौल की शिकायत, निर्धारित मूल्य न मिलने की शिकायत, फर्जी पर्चियां बनाने की शिकायत, फर्जी सट्टे की शिकायत बार–बार आती रही। लेकिन उन सब चीजों को दूर करने के लिये मंत्री महोदया ने कोई गौर नहीं किया और न हमारे गन्ना अधिकारियों ने ही कोई गौर किया। उन गन्ना अधिकारियों पर भी पूरी निगाह हमारे मंत्री महोदया की नहीं गई।

इस समस्या के समाधान के लिये मैंने सुझाव दिया था कि जहां आप क्रशर–मालिकों और मिल मालिकों को तमाम तरह की सुविधायें दे रहे हैं, उसी तरह से अगर आप छोटे–छोटे काश्तकारों को छोटे–छोटे कोल्हू और पावर क्रशर के लिये सहूलियत दें। इससे लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिला होता और गन्ना साफ हो गया होता। जब आपको मालूम था कि किसान के गन्ने की उपज अच्छी है और आपकी क्रशिंग कैपेसिटी उतनी ही है तो उसका हल सोचना चाहिये था। जो प्रतिबन्ध काश्तकारों पर लगाये गये थे उनको हटा देना चाहिये था कि जहां पर गन्ने की मिल लगी हुई है, उसके 12 मील के अन्दर पावर क्रेशर या कोल्हू नहीं लग सकेगा। किन्तु गन्ने की समस्या जब इनके गले तक आ गई, तब यह प्रतिबन्ध हटाया गया। यह प्रतिबन्ध आप पहले से हटा सकते थे, लेकिन आपने पहले से न हटाकर जनवरी माह में हटाया, जिससे समस्या ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। इन सब चीजों पर दूरदर्शिता से बिचार किया गया होता, तो गन्ने की समस्या आज ऐसी न होती। मैंने यह सुझाव भी दिया था। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि गुड़ खरीद के केन्द्र जगह–जगह खोले गये हैं, लेकिन हमारे जनपद खीरी में कोई गुड़ खरीद का केन्द्र नहीं है।

मैंने यह भी सुझाव दिया था कि गुड़ की कीमत 125 रुपया प्रति क्विंटल कम से कम निर्धारित की जाय, तो उससे छोटी–छोटी इकाइयां गुड़ बनाने के लिये उत्साहित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेश चन्द्र]

होंगी और उससे गन्ने की खपत हो जायगी। फिर जब उसका स्टाक हो जाता तो 6 महीने जो मिलें बन्द रहती हैं, वे उस समय में उस गुड़ से शुगर बनाती रहतीं। बड़ा आसान तरीका था, लेकिन इस पर भी कोई गौर नहीं किया गया। इस तरह से यदि गुड़ बना-बना कर स्टाक किया जाता तो गन्ने की समस्या दूर होती। मैंने यह सुझाव रखा तो मुझे बताया गया कि गुड़ से शुगर कैसे बनेगी? इस पर मैंने उन्हें बताया कि जिस समय हिन्दुस्तान में मिलें नहीं थीं, उस समय हम गुड़ को जापान को भेजते थे और वहां से वह गुड़ शुगर में कन्वर्ट बाजार में बिकता था। मैं समझता हूं कि इसमें स्टोरेज की भी कोई समस्या नहीं थी। एक तरफ गुड़ बनता और जब मिलों के बन्द होने की नौबत आती तो वह उनके यहां चला जाता। अब जो कुछ हुआ, वह हुआ। उसके कहने से कोई लाभ नहीं। 10 तारीख को गन्ने की समस्या पर विशेष रूप से यहां पर चर्चा की गई—कैसे-कैसे किसानों का शोषण किया जाता है, उसके बारे में मैंने और अन्य सदस्यों ने प्रकाश डाला। लेकिन जो जिलों में हालत है, वह अब भी जैसी की तैसी है। क्रेशर मालिकान के शोषण का जो तरीका है, वह अब भी है, पता नहीं अधिकारियों के हाथ से प्रशासन कैसे चल रहा है, वे जरा अब भी सख्ती उन पर नहीं करते।

मेरे क्षेत्र की समस्या को देखते हुए इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि सरकार जनपद खीरी में एक मिल लगाने की व्यवस्था अवश्य कर दे। साथ ही क्रैशरों को जो गन्ना सप्लाई किया जाता है, मिलों को जो सप्लाई किया जाता है, इस सप्लाई को इनीशियल सर्विसेज बना दिया जाय। ताकि मिल मालिकों या क्रशर मालिक उनके यूनिट को बन्द करते हैं तो उनके खिलाफ इस कानून के तहद कार्यवाही की जा सके उसको सजा दिलाई जा सके किसानों का विभिन्न तरीकों से जो शोषण होता है, इसके लिये केन यूनियन का उनका संबंध कर दिया जाय। मान्यवर, मैं यह भी सुझाव रखूंगा कि गन्ने की थोड़ी काश्त फिक्स कर दी जाय। जैसे कि 100 एकड़ मेरे पास है तो हम 25 एकड़ से ज्यादा गन्ना नहीं बोएंगे। यदि आप ऐसा करने में सफल हो सकें, तो आपको इस विभाग की ही जरूरत नहीं रहेगी। न कामदार की जरूरत रहेगी, न गन्ना ग्रामसेवक की और न डी0 सी0 ओ0 आदि की। यदि यह हैं तो भी कुछ काम नहीं करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप अब समाप्त कर दें।

*श्री हर गोविन्द सिंह (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं गन्ना विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, गन्ना उद्योग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है और हिन्दुस्तान के इस बहुत बड़े प्रदेश में किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस उद्योग से संबंधित है। प्रदेश में 84 मिलें गन्ने के लिये लगाई गई हैं। क्रशर्स की तादाद का कुछ अनुमान नहीं है। केवल मेरे जिले मुरादाबाद में 400 क्रेशर्स हैं, जो गन्ना पेरते हैं। गन्ने का यह वर्ष एक बहुत अच्छा पैदावार का साल हुआ है। मौसम ने साथ दिया। और साल गन्ना बोने से भी मुश्किल से होता था। इस साल गन्ने को बखेर ही दिया तो उसका भी गन्ना हो गया है। प्रदेश में बारिश बहुत अच्छी हुई। जाड़ों में लगातार बारिश होती रही जिसकी वजह से गन्ना एक डेढ़ फीट और सालों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गया है। जहां बारिश से एक ओर यह लाभ हुआ है वहाँ दूसरी ओर नुकसान हुआ है। क्रशर सारे के सारे 40 दिन बन्द रहे हैं। किसान के अन्दर एक मनोवृत्ति होती है। जिस फसल से ज्यादा लाभ होता है उसको अंधाधुन्ध तरीके से बोता है। उसका परिणाम हुआ पिछले साल गन्ने का मूल्य मिलों से अच्छे रेट पर दिलाया गया इसलिये इस साल गन्ना बहुत ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तादाद में बोया गया। पिछले साल की अपेक्षा में इस साल 5 लाख एकड़ अधिक है। सरकार द्वारा प्रस्तुत पत्रिका से और अखबारों से मालूम होता है कि चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय भाव आजकल गिरा है। हमारे मुल्क में चीनी की खपत केवल 35 लाख टन है। पिछले वर्ष 52 लाख टन चीनी पैदा हो गयी थी। इस साल 55–60 लाख टन चीनी पैदा होने का अनुमान है। हमारे पास चीनी अधिक है। विश्व में चीनी का भाव कम है। इसलिये निश्चित है कि चीनी के उद्योग पर विशेष आपत्तियां लगेंगी। एकदम स्वाभाविक बात है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्यामधर मिश्र और एक माननीय सदस्य खड़े होकर बात कर रहे हैं जो सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है।

श्री अधिष्ठाता—

आप समझदार हैं। इस तरह की रनिंग कमेंटरी से कोई फायदा नहीं होता है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यह रनिंग कमेंटरी नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न है। आप इसकी गंभीरता को समझें।

श्री हरगोविन्द सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, इस वर्ष जो गन्ना किसानों को सहूलियतें दी गयीं हैं, वह आज तक के इतिहास में कभी नहीं दी गयीं। (व्यवधान) सुनें। इतिहास में पहली बार गन्ने का भाव 13.50 रु0 रखा गया है। मैं गन्ना पैदा करता हूं। गन्ना छीलता हूं। मंजूर साहब जो हंस रहे हैं उन्होंने शायद गन्ना कभी बोया न हो। मैं गन्ने का किसान हूं। दूसरी बात यह है कि क्रशर पर गन्ने का भाव 9.40 रु0 रखा गया है। (व्यवधान) पिछले सालों में गन्ने पर कर्दा 3 किलो प्रति क्विंटल कटता था। यह पहला साल है गन्ने का कर्दा 650 ग्राम रखा गया है। अब सवाल यह है कि क्रसरों पर गन्ने का यह भाव मिल रहा है या नहीं। इसके ऊपर मेरा विचार है कि जो क्रशर मालिक तीस साल पहले पाले गये और जिनको ग्राम सभाओं की जमीनें दे दी गयीं, जो मगर मच्छ की तरह से इस उद्योग में लगे हुए हैं, उन मगर मच्छों से गन्ना उत्पादकों को बचाएं। जिस प्रकार 84 चीनी मिलें आज 13.50 रु0 का रेट देने के लिये मजबूर हैं। अगले साल कानून जरूर बनाया जाय जिससे वे मजबूर हो जायं जो सरकार द्वारा भाव नियत है उससे कम गन्ना न लें। तो मैं इसके साथ ही साथ अपने कुछ सुझाव माननीय गन्ना मंत्री जी को देना चाहता हूं।

एक सबसे अहम सुझाव यह है कि गन्ना किसानों का जो पैसा है, वह बैंक के द्वारा होना चाहिये तो जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनकी पर्चियों का पैसा उनके खाते में पहुंच जावेगा जिससे उनके साथ जो अन्याय होता है वह बन्द हो जायेगा। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो रुपया मिलों पर बकाया रह जाता है, जैसे 27 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, तो उस पर किसानों को सूद दिलाया जाये।

तीसरा सुझाव यह है कि क्रशरों को कानूनों की सीमा में बांधा जाये जिससे वह बेलगाम न हो सके और अपनी मनमानी न कर सकें। अगर वह नहीं मान रहे हैं तो जो उनको छूट दी गयी है उसे बन्द कर दिया जाय। अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जर्जर मिलें हैं उनकी हालत सुधारी जाये। अमरोहा की जो मिल है जिसमें 16 हजार क्विन्टल गन्ना मिल पेरती है। अगर उसकी मरम्मत कर दी जाये तो 30 हजार क्विन्टल गन्ना पेर सकती है। मैं मिल लगाने के बजाय उनकी स्थिति सुधारने के पक्ष में अधिक हूं। मान्यवर, केवल एक सुझाव और रह गया है तब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और वह यह है कि खड़े कोल्हू के

[श्री हरगोविन्द सिंह]

लाइसेन्स का जो 200 रुपया लिया जाता है इसको समाप्त किया जाना चाहिये जो अगला साल आने वाला है उसमें माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से विशेष प्रकार की सहायता मांग जिससे जो कोल्हू लगाने पर 11–12 सौ रुपया लिया जाता है, जब कि वह 22 सौ का मिल जाता है और कोल्हू बहुत दिन तक चलता है । तो मेरा निवेदन है कि किसान को इसके लिये रुपया दिया जाये जिससे वह अपना-अपना कोल्हू खरीद सके ।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गन्ना सम्बन्धी जो मांग रखी गयी है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, प्रदेश में गन्ना किसानों के समक्ष जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से गन्ना मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज परिस्थिति यह उत्पन्न हो गयी है कि यह लाख घोषणा करते रहें प्रदेश का गन्ना निश्चित ही खड़ा रह जायेगा । इसमें दो राय नहीं हैं ।

मान्यवर, अप्रैल महीने में किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं । गन्ने की कटाई के लिये और छिलाई के लिये 6 रुपये से 10 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है फिर भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं । यह तो निश्चित है कि गन्ने की पेराई सम्भव नहीं है और कुछ न कुछ गन्ना खेतों में जलाना पड़ेगा तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि जिन गन्ना किसानों को गन्ना जलाना पड़ेगा उनको क्षति पूर्ति की जावेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बात की कोई चर्चा नहीं की है । आज हमारे पूर्वांचल में जहां पर 80 प्रतिशत गन्ना बोया जाता है । मेरे देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें हैं लेकिन उसके बाद भी वहां का किसान गरीबी की तबाही में फंसा हुआ है और आज जो थोड़ी बहुत कोशिश थी कि गन्ना का पैसा मिलेगा लेकिन वह स्थिति आज धूमिल हो गयी है ।

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि जो वर्तमान समस्या आई है वह कांग्रेस सरकार की देन है । उनकी कुरीतियों का ही परिणाम है, उनकी अविवेकपूर्ण नीतियों का ही परिणाम है कि आज यह विकट समस्या हमारे सामने आयी है । लेकिन इसके समाधान के लिये माननीया मंत्री महोदया को अपने विभाग में तेजी और सक्रियता लाने की आवश्यकता है । एक महीने के बाद में मिलें चली और उसके बाद ही उन्होंने अपना कार्य आरम्भ किया । हमारी मंत्री महोदया ने अपने विभाग में कोई प्रयास नहीं किया जिससे शीघ्रता आये ।

मान्यवर, मैंने इसी सदन में 6 अप्रैल को शून्य प्रहर की सूचना में मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित किया था कि नैनीताल जिले में किच्छा चीनी मिल में 10 लाख क्विन्टल गन्ना पंत नगर यूनिवर्सिटी का आरक्षित किया गया है । नतीजा उसका यह हुआ है कि वहां के गरीब किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा हुआ था क्योंकि वह तो पंत नगर का गन्ना पेर रहा था । उस पर अध्यक्ष महोदया ने निर्देश भी दिया था कि आप इस पर वक्तव्य देंगी लेकिन 18 तारीख हो गयी । आज तक भी माननीया मंत्री महोदया ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी, यह उनकी सतर्कता का द्योतक है । मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग में ऐसे मंत्री से काम नहीं चल सकता है । गन्ने की प्रदेश में जो समस्या हो गयी है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहता हूं कि चाहे भार्गव कमीशन हो, कुन्डूराव कमीशन हो और चाहे वह संथानाम कमेटी हो, उनकी रिपोर्ट्स को कूड़े की टोकरी में डाल दिया गया है । उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । इसके लिये कोई नया आयोग बनाया जाय जो सम्पूर्ण मसले पर विचार करके रिपोर्ट दे कि किसानों की जो गन्ने की समस्या है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब मैं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने बार-बार माननीया मंत्री महोदया और केन कमिश्नर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गौरी बाजार है । वहां पर गरीब किसानों का एक पैसे का भी गन्ना नहीं गिरा है जब कि वहां पर जो बड़े-बड़े लोग हैं उनको पर्चियां दी गयी हैं । उनका गन्ना गिरा है । वहां पर जो सम्बन्धित जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मान्यवर, गन्ने के अभाव में परतापपुर चीनी मिल बन्द हो गयी ।

श्री अधिष्ठाता——

यह तो सारे प्रान्त में हुआ है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी——

मान्यवर, हो क्या रहा है । उस चीनी मिल का गन्ना उस मिल को काट कर और उस मिल का दूसरे को दिया गया है । मेरे क्षेत्र में 4 गांवों का गन्ना काट कर दूसरे मिल को दे दिया गया । मैंने प्रयास किया कि समस्या सुलझ जाये लेकिन कोई न्याय नहीं हुआ । मुझे बाध्य होकर अनशन की धमकी देनी पड़ी तब जाकर उस समस्या का समाधान हुआ । अन्त में माननीया मंत्री महोदया का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करता हूं कि वे सदन में एक निश्चित नीति की घोषणा करें ताकि किसान को जो गन्ना जलाना पड़ेगा उसकी क्षतिपूर्ति की जायगी ।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)——

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के 2 विभाग ऐसे हैं जिनका पता भी नहीं चल रहा है । उत्तर प्रदेश की जनता यह नहीं समझ पा रही है कि इन विभागों के नाम से कोई कार्य भी कर रहा है ? पहला विभाग तो सामान्य विभाग या पुलिस विभाग है जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश में त्राहि–त्राहि मच रही है । दूसरा विभाग गन्ना विभाग है । माननीय चरण सिंह जो आपके नेता हैं और जो आज कल आपके गृह-मंत्री हैं जो गन्ने के पौधे को हाथ में लेकर फोटो खिचवाया करते थे आज उनके गन्ने की दुर्दशा हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता——

आप नाम न लें ।

श्री राज ब्रज राज सिंह——

एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन में जो व्यक्ति मौजूद नहीं हैं...

श्री अधिष्ठाता——

मैंने टोक दिया, आप बैठें ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव——

मैंने उनका नाम ले लिया...मुझे कहना यह है कि इस गन्ने की कार्य-विवरण पुस्तिका माननीय मंत्री जी ने जो छपवाई है, बड़ी उम्मीदें थी, इसके देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश के अन्दर गन्ने की कोई समस्या नहीं है । वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि शकर की कीमत कम हो गयी है तो सन् 1966 के चीनी के आंकड़े दिये हैं जिस समय आपने बताया है कि शुगर की कीमत 2,876 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी और इस वक्त दुर्भाग्यवश 1,615 रुपया मीट्रिक टन हो गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य पाल सिंह यादव]

मैं कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कीमत कम हुई है उसका पता बलिया और बस्ती के किसानों को नहीं है, किसान इन सब को नहीं समझता कि क्यों उनको दाम कम मिलेंगे । प्रशासन का कर्तव्य है कि इन सारी बातों को देखें और समझें और कोई उचित रास्ता निकालें । और अगर नहीं निकालते हैं तो कार्य-विवरण से कोई मतलब उसका नहीं होना चाहिये । 13 रुपये पर सरकारी मिलें खरीद रही हैं और फैक्टरियां 9 रुपये के हिसाब से । बड़े मीठे शब्दों में इसमें विश्लेषण दिया हुआ है, जैसे आज गन्ने की समस्या ही नहीं है । लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी वही फैक्टरियां 3–4 रुपये के हिसाब से खरीद रही हैं । आप बार-बार दावा करते कि गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहेगा, आखिरी दम तक पेरा जायगा, एक भी गन्ना खड़ा नहीं रहेगा । पर इस हालत में विश्वास नहीं होता है कि जिस सरकार ने इतने वादे किये थे और जो किसी भी वादे में सफल नहीं हो पा रही है वह कैसे इसमें सफल होगी ? मैं कहना चाहता हूं कि आपने दिया है कि सरकार द्वारा गुड़ और खांडसारी की खरीद हो रही है । हमने देखा है अपने जनपद में, पर हमें तो दिखाई नहीं देता है कि कौन सा निगम है जो इस समय गुड़ खरीद रहा है। 60 परसेन्ट गन्ने की खपत गुड़ और खांडसारी में हुआ करती थी लेकिन आप इनकी कीमत नियन्त्रित नहीं कर सके हैं, इसलिए लोग गुड़ नहीं बना रहे हैं। उसके कारण सारा का सारा भार क्रशरों और मिलों पर पड़ रहा है।

इसमें बड़े सुन्दर शब्दों में उल्लेख किया है कि इस साल गन्ने की उपज बढ़ी है। यह कहना सरल है कि उपज बढ़ी है, लेकिन उस उपज बढ़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा है किसान को। तो इस पुस्तिका का वितरण कराना सदन का अपमान है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जनपद शाहजहांपुर के बारे में माननीय मन्त्री जी महोदय आप नोट करें। वहां तीन गन्ने के सेन्टर थे। एक अरेली, दूसरे जनपुरा और निगोही। वह आपने ट्रांसफर कर दिए हैं बीसलपुर मिल के लिए। ये तीनों शाहजहांपुर मिल के लिए थे, काटे उनके लगे हुए हैं लेकिन आपने उस गन्ने को.....

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

श्री सत्य पाल सिंह यादव—

एक मिनट। लेकिन आपका बीसलपुर मिल कतई नहीं खरीद रहा है और वहां के किसान परेशान हैं। मैंने मन्त्री जी को अवगत कराया था एक महीना हो गया, त्राहि–त्राहि मची हुई है, लेकिन सरकार उस ओर कोई कार्य नहीं कर रही है। गन्ना जमा होता जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी मिलों की हुआ करती थी पेरवाने की। लेकिन हालत यह है कि कुछ काश्तकारों का गन्ना जल गया। मैनेजर महोदय को लिख कर दिया, कोई आज तक स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकार का कोई नियन्त्रण भी गन्ने की मिल पर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह पुस्तिकाएं बेकार हैं। मैं इसको फाड़ कर इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, इस किताब को फाड़ रहा हूं.....

(पुस्तिका फाड़ कर फ्लोर पर डाल दी ।)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

यह पुस्तिका सदन की सम्पत्ति हो गई जो यहां वितरित की गई है और सदन की सम्पत्ति को फाड़ना सदन का अवमान है। मैं आपको उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की नोटिस देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप लिख कर दे दें। मैंने देखा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, यह पुस्तिका जो बटी है यह सदन की सम्पत्ति नहीं है। यह सदन के पटल पर नहीं रखी गई, पिजिन होल्स में रखी गई है जिस प्रकार कि अन्य साहित्य रखा जाता है। इसलिए यह सदन की सम्पत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपने सूचना दे दी, ठीक है।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मुझे कृपया 10 मिनट का समय दें। नहीं तो मैं न बोलूं।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मिश्रा जी ने मुझे नहीं दिया। लेकिन कभी यह व्यवस्था कभी वह व्यवस्था, व्यवस्था का तो यहां तूफान सा आ गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं दोनों गन्ना विकास मन्त्री बैठे हैं, वे मेरी बात सुन लें। इस किताब में, जो यह भानु प्रताप सिंह जी की मुझे मिली है, इसमें किसानों की राहत ही राहत भरी है। किसानों को बड़ी खुशी हुई जिस समय पूर्वी जिलों के लिए गन्ने का भाव 12.50 रुपए और पश्चिमी जिलों के लिए भाव 13.50 रुपए रखे गए। लेकिन अब यह सब ढपोलशंख मालूम होता है। बदकिस्मती समझो या खुशकिस्मती समझो।

आप भी श्रीमन्, उसी जिले से आते हैं जिस जिले से मैं आता हूं। हमारे जिले में पहले से तो कोई चीनी मिल थी ही नहीं, अब वहां भी यह शनिश्चर लग गया। शनिश्चर मैंने इसलिए कहा कि पहले यहां माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय उग्रसेन जी पूर्वी जिलों की गन्ना मिलों के बारे में ही यहां सदा रोना रोया करते थे और गेंदा सिंह जी उसी को रोते–रोते मर गए। न तो कांग्रेस के किसी नेता ने इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया, न यह सरकार ही कुछ कर पाएगी। कहा यह जाता है कि किसानों ने गन्ना अधिक पैदा किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि गर्की और बाढ़ से जब किसान तबाह हो जाता है तब सिवा गन्ने के और कोई पैदावार उसके लिए रहती ही नहीं। अव्वल तो बहुत ज्यादा जमीन में गन्ना को भी बाढ़ का पानी, गर्की का पानी सड़ा देता है और उसका भी भाव लकड़ी के बराबर न रहे। उसका भी भाव घास खोदने वाली, घास बेचने वाली की गठरी के बराबर न रहे, तो यह किसान जिन्दा कैसे रहेगा ? यह गन्ना की फसल सब फसलों से ज्यादा लागत खाती है। इसके सिंचाई का रेट भी सबसे ज्यादा है। माननीया मन्त्री सुन रही हों? दोनों सुनो। आप किसान हो। दोनों सुनो हमारी इस बात को। इस गन्ना की सिंचाई का रेट, नहर का रेट, ट्यूबवेल के पानी का रेट सबसे ज्यादा मुंह फाड़ कर किसान पर पड़ता है और कभी यह माफ भी नहीं होता। मुश्किल से मुलतवी भी नहीं होता। गन्ने की समस्या तो यह है कि किसी किसान की पेड़ी, पेड़ी जानते हैं आप दोनों? पेड़ी वह होती है, जो एक दफा बोई जाय, फिर उसे काट कर छोड़ दी जाय, वह फूट आती है, उसे पेड़ी कहते हैं। पेड़ी में पानी अगर नहर न दे तब भी उस पर आबपाशी नहर के मन्त्री लगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्खी सिंह]

देते हैं, क्योंकि यह कानून है। भद्दा कानून है। यह वह भद्दा कानून है कि पानी पेड़ी के खेत में लगे या न लगे आबपाशी वसूल की जायगी। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह गन्ना और एक माननीय सदस्य तो एक दिन यह कह रहे थे कि गुड़ गोबर हो गया। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। गन्ना विकास मन्त्री जी सुबह एक गुड़ की एक बैरायटी दिखा रही थीं और एक माननीय सदस्य को दे रही थीं, हमको तो दी नहीं। इस तरह के गुड़ के बारे में तो हमारे यहां का किसान जानता भी नहीं है कि इस तरह का गुड़ बनता है। उन्होंने हल्ला मचा दिया कि गुड़ सरकार खरीदेगी। मथुरा जिला बहुत अभागा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको गुड़ मिल गया, ले लीजिए।

श्री लक्खी सिंह--

मथुरा जिला धान पैदा करने लगा है, लेकिन वहां कोई धान खरीदता नहीं है। यहां कोई मन्त्री हैं जो हमारी बात को नोट करें? खाद्य मन्त्री को, मुख्य मन्त्री को मेरी बात पहुंचाओ। वहां पर धान कोई मन्डी से खरीदता नहीं है। अब वह धान पैदा करने लगा है। मथुरा जिले में बाढ़ की वजह से, गर्की की वजह से, धान पैदा होने लगा है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन् लाल बत्ती न दिखाओ, इसे बन्द कर लो, मैं घबड़ाता हूं।

अब मैं मिल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खाते बैंक खोले जायं। तो उन्होंने खाते बैंक किसानों के लिए खोल दिए हैं, तो यह तो अच्छी बात है। इस बात को तो मैं अच्छी बात कहूंगा। अच्छी बात तो यह है कि औरत गन्ना की मन्त्री है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

लक्खी सिंह जी, वह शब्द संसदीय नहीं है।

श्री लक्खी सिंह--

संसदीय नहीं है, तो उसको निकलवा दीजिएगा। जो पर्ची वहां किसानों को दी जाती है, उसमें बड़ा जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। जिला गन्ना अधिकारी जो हैं वह मथुरा जिले में भेजे ही नहीं गये हैं। अलीगढ़ में जो जिला अफसर हैं तो अलीगढ़ के अफसर को ही मथुरा का गन्ना अफसर बना रखा है। इस तरह से कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। किसान को पर्ची देने में दलाली होती है। जो पैसा देता है उसको पर्ची पहले मिल जाती है नहीं तो गन्ना खड़ा है। दूसरी बात यह है कि पहले हमारे यहां यह शनीचर नहीं था मिल का। वहां का किसान समझता नहीं है। ट्रकों में भरकर गन्ना जाता है। जो किसान पैसा दे देता है दलालों को उसका ट्रक तो तुल जाता है नहीं तो चार-चार दिन ट्रक खड़ा रहता है। हाय-हाय मच रही है। मंत्री जी जाते नहीं, आप भी नहीं जाती हैं और अधिष्ठाता जी भी नहीं जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री लक्खी सिंह––

वहां जाकर देखें कि किस तरह से नौकरशाही, जो अधिकारी हैं वह गड़बड़ी कर रहे हैं। तो गन्ना अधिकारी को बर्खास्त करें। एक बात नोट करें कि गन्ना अधिकारी बच न जायं, रिश्वत लेते हैं। जब हमारी सरकार स्वच्छ होगी, साफ होगी तो आपका नाम होगा और किसान मानेगा कि हमको फायदा हुआ है। इन्ही शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा लंगड़ा भाषण कराया ह पूरा नही कराया।

श्री अधिष्ठाता––

बहुत बड़ा भाषण करा दिया।

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज गन्ना मंत्री के प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपने यहां इस प्रदेश में गन्ना उद्योग पर बहुत बड़ा संकट आ गइल बा। सरकार पर असर बा और जनता पर असर बा। सरकार के ऊपर भी वोकर संकट कम नहीं बा। येकरें पहले विदेश मा चीनी 10 रुपया किलो बिकती थी। अपने देश में 5 रुपये किलो बिकती रही। कांग्रेस सरकार ने खाद के दाम, सिंचाई की दर दो गुनी कर दिया, विकास कर लगा दिया और कमांड एरिया बना दिया। तरह-तरह के परेशानी लगाइल बा और 13, सवा 13 से अधिक दाम न दिया। इस सरकार के जमाने में विदेश मा चीनी 2 रुपया किलो और अपने देश में ढाई रुपया से अधिक नहीं है। दाम गिर गइल। पूंजीपति लोग, सरकारी कर्मचारी लोग और निगम के लोग मिलकर चीनी उद्योग को चौपट कर देहले और मिलजुल करके एक महीना बाद मिल चलवले। इससे काश्तकारन का बहुत नुकसान हो गइल। ऐकरे पहिले काश्तकारन पर संकट बा, सूखा और बाढ़ आइल। एकरे बावजूद भी काश्तकार अपने खेतों में गन्ना ज्यादा करके दिहले। आज गन्ना काश्तकार ब्याकुल बा। गन्ना की समस्या बीहड़ हो गइल बा। आज हमारे क्षेत्र में खड्डा, छितौनी मिल बा। खड्डा चीनी मिल निगम के अन्दर बा और छितौनी मिल रिसीवर के अन्दर बा। दोनो चीनी मिलन मा पहले 10 महीना का वेतन मजदूरों का बाकी बा। काश्तकारन का दाम बाकी बा खड्डा चीनी मिल पर 59–60 का दाम बाकी बा। काश्तकार तबाह बा। एक करोड़ 34 लाख का घाटा खड्डा चीनी मिल को बा।

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुये।) छितौनी चीनी मिल में लाखों रुपये का घाटा हुआ। लेकिन निगम उस पर कोई ध्यान नही करता है। कहा गया कि प्रबन्धक लोग तकनीकी रखे जाय जो इस चीज को समझें और जिससे घाटे में सुधार हो सके लेकिन घाटे में सुधार नहीं हुआ।

मान्यवर, रिसीवर अफसर पंहुच जाते हैं। जो नुकसान होता है वह उनको पता नही चलता है। इसलिये इस पर विचार किया जाय कि इसमें कमी कहां है? गन्ना मंत्री और सरकार इस पर विचार करे। आज गन्ना किसानों के सुविधा के लिये विकास कर और खाद में छूट दी गयी है लेकिन किसानों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। पर्ची में 8–10 रुपये दलाल लोग लेते हैं। नियमों को अधिकारी पहले से नहीं बनाते हैं कि तीन साल का कोटा बनाकर पर्ची दी जाय। इसलिये तीन साल का कोटा बनाया जाय। जिनसे दलाल लोग पहले खा लेते हैं उनका गन्ना मिल मे ढेर हो जाता है लेकिन दूसरे लोगों का गन्ना खेत में ही पड़ा रहता है। इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिसीवर जो हैं, उनकी जो शिकायतें आयें उन पर ध्यान दें और निगम के बारे में ऐसा करें कि वह न रहे या उनके अन्दर चेतना आवे। छितौनी चीनी मिल के मजदूरों और किसानों का बकाया पैसा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । माननीय अधिष्ठाता महोदय, गन्ना किसानों के लिये एक उपहार था लेकिन आज वही गन्ना किसानों के लिये अभिशाप बन गया है । जहां गन्ना किसानों द्वारा पेरा जाता था वहां आज किसान पेरा जा रहा है ।

मान्यवर, मैं आपके सामने मथुरा जनपद की एक समस्या रख रहा हूं । छाता शुगर मिल वहां है । उसका जन्म बेईमानी के आधार पर हुआ और वह आज बेईमानी ही के आधार पर चल रही है । यदि वहां रोजगार की दृष्टि से देखें तो, मैंने यहां एक प्रश्न किया था छाता शुगर मिल के बारे में कि वहां कितने इम्पलाइज बाहर के हैं और कितने इस जनपद के हैं ? उत्तर मिला कि वहां पर बाहर का कोई इम्पलाइज नहीं है । लेकिन स्थिति यह है कि वहां बेईमानी के माध्यम से, रुपयों के माध्यम से बाहर के लोगों को, मित्रों और रिश्तेदारों को, रुपये से ले जाया गया जिनकी जमीन मथुरा में ली गयी उनको कोई स्थान नहीं मिला और यदि मिला तो बहुत साधारण नौकरी में उनको रखा गया है । एम0 ए0, एल0–एल0 बी0 पास लड़कों को 150 रुपये महीने पर रखा गया है और जो बेईमानी के आधार पर दो-दो हजार रुपये देकर रखे गये हैं वह 500–600 रुपये महीने पर काम कर रहे हैं । दुर्भाग्य की बात है कि गन्ना मंत्री वहां गयीं थीं लेकिन उस समय उनकी कोई नीति नहीं तय हुई। किन्तु वहां के किसानों ने उस समय वहां की बेईमानी का पर्दाफाश किया था । वे अधिकारी जिन्होंने बेईमानी की जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, रिश्वत लेकर इम्प्लायमेंट दिया और स्थानीय युवकों की उपेक्षा की आज भी बरकरार बने हुये हैं । आप के माध्यम से गन्ना विकास मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि यह बेइमानी मथुरा जनपद में कब तक होगी । श्री लक्खी सिंह जी ने आप को बताया कि वहां ट्रक को तब लिया जाता है जब रुपये ले लिये जाते हैं। मेरी निश्चित सूचना है और मैं विश्वास के साथ आप के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि दो सौ रुपये, डेढ़ सौ रुपये ट्रक लिये जा रहे हैं और उनका गन्ना लिया जा रहा है । वे किसान जो रोटी बांध कर के अपने बच्चों को छोड़कर, तीन-चार दिन तक वहां पड़े रहते हैं । उनके मवेशियों के लिये जगह नहीं होती, उनके खाने का प्रबन्ध नहीं होता और वे पड़े रहते हैं । पैसे के अभाव में उनका गन्ना नहीं लिया जाता । छाता के किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है । इस अन्याय को हटाने के लिये मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आज ही अपने विश्वासपात्र अधिकारी को वहां भेजिये आपको मालूम हो जायगा कि किसानों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं ।

मान्यवर, किसानों की गन्ने की फसल क्रेशक्राप कही जाती थी रबी की फसल और खरीफ के फसल के बीच में किसान गन्ने की फसल से काम चलाता है लेकिन इस फसल के माध्यम से किसानों को सहारा नहीं मिल रहा है । वहां पर गन्ने और धान की दोनों ही फसल होती हैं यदि गन्ने की फसल की यही स्थिति रही तो किसान वहां भूखा मर जायगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि छाता तहसील में गन्ने की क्षमता बढ़ाई जाय और क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ मथुरा जिले के चारों तहसीलों में गन्ने की व्यवस्था की जाय जिससे किसानों को राहत मिले ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, हम यहां चार घण्टे से ड्यूटी कर रहे है ।

एक बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला ।

श्री अधिष्ठाता--

लाचारी है कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री मुकीमुर्रहमान--

[×××]

श्री अधिष्ठाता--

जो कुछ कहा गया है वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री रियासत हुसैन--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा की।

श्रीमन्, यों तो मैं जानता हूं कि सभी ने मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया है परन्तु वे मंत्री जी के प्रस्ताव से मिलेंगे.....

श्री मुकीमुर्रहमान--

[×××]

श्री अधिष्ठाता--

जो कुछ कहा गया है वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

(श्री मुकीमुर्रहमान सदन से उठकर चले गये)

*श्री रियासत हुसैन--

आज की इस माननीय सदन की जो कार्यवाही की पुस्तिका छपेगी वह इस बात की साक्षी और गवाही देगी कि जितनी भी माननीय सदन में बात कहीं है, वह सब मेरे ही कटौती के प्रस्ताव में कही गयी है। श्रीमन्, मैं फिर माननीय मंत्री जी का दो-तीन बातों की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सारे माननीय सदन के सदस्यों ने सोसाइटी के अन्दर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। या तो इन सोसाइटीज में से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दीजिए या माननीय बोस जी से सीधे मंत्री ने अपनी क्षेत्र समितियों को समाप्त कर दिया, जिला परिषदों को भंग कर दिया, मालवीय जी ने तमाम टाउन एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड्स को भंग कर दिया, आप भी सोसाइटीज को भंग कर दीजिए।

एक चीज यह सारे ही सदन के सदस्यों ने जो कही कि पूरे प्रदेश के अन्दर आज भी खेत में 50 प्रतिशत गन्ना खड़ा है, लखीमपुर-खीरी आदि क्षेत्रों में 70-75 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है, क्या होगा? आपने यह कहा भी कि गन्ने की फैक्टरियों को चलायेंगे। मुझे एक बात याद आ गई अधिष्ठाता जी, कि एक बिजली बोर्ड के चेयरमैन थे, उनस जब यह बात कही गयी कि किसान को बिजली दिन में दे दी जाय, रात को वह इस्तेमाल नहीं कर पाता तो उन्होंने कहा कि उसके खेतों पर भी बिजली दे दी जायगी, रात में वह बल्ब लगा लेगा। उसी तरह से मंत्री जी क्या किसान के खेत पर मई, जून में शामियाने का इंतजाम करवाने जा रहो हैं, जिससे वह गन्ना छील सके? अगर वह प्रदेश के किसान की मदद करना चाहती हैं तो उसका सर्वेक्षण करवा लें। 3 रुपये क्विटटल में किसान का गन्ना काट लिया जाय, 10 रुपये कटाई व ढुलाई उसे दे दी जाय

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

और सितम्बर तक यह चलता रहेगा। किसान का मसला हल हो जायेगा। शादी-ब्याह सब काम वह कर लेगा और आपकी वाह-वाह हो जायगी। मगर ऐसा नहीं हो पायेगा।

आज तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि उसके सामने कि उसका खेत खाली कैसे हो, उसकी आगे की फसल भी खत्म हो जायगी यह बड़ा मसला उसके सामने है। कहा गया कि गुड़ की खरीदारी कर ली है। 80 रुपये क्विन्टल बिक रहा है देहात में जब कि मंडी भाव 105 रु0 है हापुड़ की मंडी में। आप उसे खरीदने की बात कर रही हैं लेकिन खरीद सकती नहीं। गेहूं रखने का तो प्रबन्ध आपके पास नहीं है, फिर गुड़ को रख नहीं सकते। आप जानते हैं कि 5-7 दिन बाद बोरे में से चलना शुरू कर देगा गुड़, आपके बस की बात नहीं है गुड़ का रखना। उसकी खरीदारी के झगड़े में आप न पड़िये। इसी तरह सल्फर कौन खरीदेगा? सच तो यह है कि आपको न क्लास बन मिलेगा, न गलावट मिलेगी और सलावट का सवाल पैदा नहीं होता। गन्ने की एक-एक चीज आज बिकती है। खोई बिकती है। अल्कोहल अलग बनता है गुड़ से। रबड़ के लिये शीरा इस्तेमाल होता है। पेपर तथा गत्ता बनाने तक में वह इस्तेमाल होता है। एक-एक चीज उसकी इस्तेमाल होती है। फिर भी फैक्टरी वाले नुकसान दिखला रहे हैं। इसके लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो कारपोरेशन वाली फैक्टरीज को देखे, जिनको टेक अप कर लिया है उनको देखे कि किन कारणों से नुकसान हो रहा है?

(इस समय 3 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह कमीशन पूरा प्रतिवेदन आपके सामने रखे ताकि जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंड मिले और गन्ना विकास मंत्री इस माननीय सदन को ऐसा विश्वास दिलायेंगी कि अप्रैल के अन्त तक किसान का खेत गन्ने से खाली हो जायगा, भले ही उसको उसके गन्ने की कीमत उसे कुछ भी मिले।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, आज सुबह से गन्ना विकास विभाग पर जो चर्चा माननीय सदस्यों ने शुरू की और उसमें जो उन्होंने अपने सुझाव और विचार प्रकट किये, कुछ विरोध में भी बोले हैं, कुछ लोगों ने एक-दो चीजों के बारे में कहा कि अच्छा कार्य किया है, मैं उन सभी के लिये आभार प्रकट करती हूं। यह बात सही है कि इस प्रदेश में इस वर्ष गन्ने की समस्या ज्यादा उत्पादन होने से पिराई में हुई। माननीय सदस्यों ने बताया कि मिल मालिकों को छूट दी गयी थी आबकारी आदि पर और कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले बात सुनें।

श्रीमती चन्द्रावती—

यह किसानों की सरकार है यह बात आपके सामने प्रामाणिक रूप से है कि इस सरकार ने साढ़े 13 और साढ़े 12 रु0 गन्ने की कीमत दिलाई और क्रेशर में भी किसानों को 9.40 रुपये दिलाये। यह पहला अवसर है जब क्रेशरों पर भी इतनी चेकिंग की गई।

पिछली सरकार ने क्रेशरों पर कोई चेकिंग नहीं की थी और न ही इस तरह से किसानों को गन्ने का मूल्य दिलाया। क्रेशरों को पूरी छूट होती थी कि वह किसी भी भाव पर लेकर अपना लाभ कमा सकते हैं। हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है उससे यह प्रमाणित है।

दूसरी चीज जैसा कि कहा कि बाहर भेजने के लिये छूट दी गई। यह इसलिये दी गई कि जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के भाव गिर गये और समस्या सामने आ गई कि आगे इस उद्योग को कसे चलाया जाय ? माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि कोई भी उद्योग बिना लाभ के नहीं चल सकता ह। किसानों को गन्ने की उचित कीमत दे सके इस स्थिति को देख कर सरकार ने उचित समझा कि उसमें थोड़ी बहुत छूट दी जाय ताकि वह रुकने न पाये और मिलों में पिराई की व्यवस्था चालू रहे। मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं। ऐसी व्यवस्था सन् 1969 में हुई थी जबकि गन्ने का उत्पादन 474 लाख टन था तो पिछली सरकार ने भी ऐसी ही छूट आबकारी में दी थी। जो 105 क्विन्टल से अधिक उत्पादन करते थे उसको 8.00 प्रति क्विन्टल छूट आबकारी में दी गई थी। क्रय केन्द्रों में भी यह छूट दी गई थी। इस तरह की समस्या सन् 1970 में भी आई थी। सरकार की तरफ से इसकी व्यवस्था की गई थी।

माननीय सदस्यों के सामने एक और बात साफ करना चाहती हूं जैसा कि उन्होंने कहा इस साल गन्ना पेरने के लिए मिलों को देर से चलाया। यह बात आप लोग कहते हैं लेकिन जो पिराई की व्यवस्था पिछली सरकार ने उस समय तक की थी उसके आंकड़े मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहती हूं। वह 151 लाख टन थी और इस वर्ष 141 लाख टन इस वक्त तक पिराई हो चुकी है। तो यहां पर भी पिराई में कोई क्षति नहीं हुई है। रही बात आगे की वह भी आपके सामने है कि सरकार आश्वासन दे चुकी है कि मिलों को हिदायत दे दी गई है कि जब तक गन्ना खेत में रहेगा तब तक मिल बंद नहीं होगी।

एक बात और कही गई कि मिल मालिकों को क्यों सजा नहीं दिलाई अब जो सजा दिलाने की बात है, कुछ ऐसा कार्य है जो अभी कानूनी दायरे में नहीं आया है, लेकिन आप निश्चित समझें और मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि जिस दिन वह चीज कानूनी व्यवस्था मे आ जाएगी, मैं उन मिल मालिकों को जेल में जाने से नहीं छोड़ूंगी। इसलिए इनकी कार्यवाहियों पर कोई पर्दा डालने की यह सरकार कोशिश नहीं कर रही है। मैं फिर आपके सामने ... (व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मैं एक इनसे स्पष्टीकरण चाहता हूं...।

श्री अध्यक्ष--

पहले मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्रीमती चन्द्रावती--

थोड़ी यह बात है जो गन्ने के बारे में सवालों के उत्तर में भी मैंने बतायी है, यह बन चुका है कि जो जहां गन्ना एक्सेस में रह गया है, उसको निकटवर्ती मिलों में किस तरह से भेजा जाए, उसकी तालिका बन चुकी है, उसके आदेश हो चुके हैं। इसका इम्पलीमेंटेशन जरूर होगा, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। अन्त में मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों और विशेषकर भाई रियासत हुसैन जी से आग्रह करूंगी कि वह अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास कर दें, ताकि यह विषम परिस्थिति हल हो सके।

श्री चेतराम गंगवार--

मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत करते समय अपनी स्पीच में कहा था कि कुछ गुड़ और खांडसारी की खरीद के लिए सेन्टर्स स्थापित किये गये हैं और यह चीज पुस्तिका में पृष्ठ तीन पर भी लिखी है कि "खाद निगम ने भी बड़े स्तर पर गुड़ की खरीद शुरू कर दी है", तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी एजेंसियां खरीद कर रही हैं और कितने सेन्टरों के द्वारा और कितनी खरीद अब तक की जा चुकी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि कितना गन्ना हमारा है और कितनी पेरने की आप में क्षमता है ? दूसरा प्रश्न यह कि जो सरकार है, पुरानी है, उसे आपने किसान की सरकार कहा या कसाई की सरकार कहा ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप चेतराम जी के प्रश्न का जवाब दें और यह तो आपके सजातीय हैं।

श्रीमती चन्द्रावती--

वह पूछती हैं कि कितना पिर चुका है और कितने की व्यवस्था हो चुकी है, तो 60 परसेन्ट के करीब पिर चुका है और 35 परसेन्ट के करीब रह गया है ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री रियासत हुसैन से)---आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन--

नहीं, इन्होंने न तो चेतराम जी के प्रश्न का उत्तर दिया और न गन्ने की व्यवस्था के बारे में कोई सन्तोषजनक उत्तर दे सकीं हैं, इसलिए यह वापस न लेने के लिए मैं विवश हूं, इसे मैं प्रेस करता हूं। (व्यवधान) मैंने केवल इतना जानना चाहा है (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये अब प्रश्न नहीं।

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमन्, यह मेरे अधिकारों का हनन है (व्यवधान) कितनी एजेंसियां हैं, यह मंत्री जी नहीं बता सकी हैं, इस कारण से इनकी अयोग्यता के कारण मैं सदन का त्याग करता हूं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

(श्री चेतराम गंगवार सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48--गन्ना विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--गन्ना विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,55,26, 500 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्यामधर मिश्र—

नहीं की आवाज जोरदार है।

श्री अध्यक्ष—

जो बादल गरजते हैं वह बरसा नहीं करते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। नियम 51 के अन्तर्गत मैंने श्री सोहनवीर सिंह तोमर की सूचना स्वीकार की है। वह प्रदेश के आठवीं कक्षा के लाखों छात्रों की परीक्षाएं राज्य सरकार के आदेश से पुनः कराये जाने के कारण शिक्षा क्षेत्र में घोर असंतोष के विषय पर है। माननीय शिक्षा मंत्री, इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

चार दिन के बाद बयान दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा श्री राजनाथ सिंह का है। इसका विषय है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् अभियन्ता संघ द्वारा 15 अप्रैल, 1978 से कलम बन्द हड़ताल तथा 22 अप्रैल, 1978 से कठोर कदम उठाये जाने का निश्चय, इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

धानेपुर के थानाध्यक्ष द्वारा रामरंग होमगार्ड को थाने में पीटे जाने के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 51 के अन्तर्गत 12 अप्रैल, 1978 को धानेपुर, जिला गोंडा के अन्दर जो घटना हुई उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

पर्वतीय विकास उप मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, श्री रामाधार तिवारी साकिन गांव सभा खाज जोत, थाना धानेपुर, तहसील व जिला गोण्डा अपने परिवार के सदस्यों एवं अन्य लोगों के साथ दिनांक 12 अप्रैल, 1978 को अपरान्ह 3.45 बजे जिलाधिकारी से मिले थे और उन्हें एक प्रार्थना–पत्र दिया, जिसमें उन्होंने यह अंकित किया था कि उनके पुत्र श्री रामरंग, जो होमगार्ड में थे, को गत रात थानाध्यक्ष धानेपुर श्री राम समुझ पाण्डे व उनके साथ सिपाही घर से बुलाकर ले गये और थाने में ले जाकर उन्हें मारा–पीटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी और जब वह उनके परिवार के सदस्य पता लगाते हुए थाने पर पहुंचे और श्री रामरंग के बारे में जानकारी की तो उन्हें कुछ नहीं बताया गया और श्री राम समुझ पाण्डे, थानाध्यक्ष, धानेपुर कुछ सिपाहियों के साथ रामरंग की लाश प्राइवेट मिनी बस सं0 यू0 एस0 जेड0–956 में लादकर गोण्डा की तरफ चले गये। यह प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही जिला मजिस्ट्रेट ने उसी समय परगना मजिस्ट्रेट, गोण्डा को आदेश दिया कि वे तत्काल जांच प्रारम्भ कर दें और तत्काल जांच प्रारम्भ कर दी गयी।

[श्री सत्य देव त्रिपाठी—]

यह सूचना मिलने पर कि इस घटना से धानेपुर क्षेत्र के निवासी बहुत उत्तेजित हैं व थानाध्यक्ष, धानेपुर व सब–इंसपेक्टर, धानेपुर थाने में मौजूद नहीं हैं, जनता ने थाने का घेराव किया है और आग्रह कर रहे हैं कि श्री रामरंग के सम्बन्ध में उन्हें बताया जाय या उनकी लाश उन्हें दी जाय और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाय, पुलिस अधीक्षक को लेकर जिला मजिस्ट्रेट थाना धानेपुर सायं/रात्रि में गये और लोगों की बात सुनी। घटना की एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। एफ0 आई0 आर0 श्री रामाधार तिवारी द्वारा लिखायी गयी और मुकदमा धारा 302 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कायम किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की आख्या के आधार पर अपराध संख्या–84 पर धारा 147/342/330/302/201/120 बी0 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कायम कर दिया गया है। इस प्रथम सूचना आख्या में श्री राम समुझ पाण्डे, थानाध्यक्ष तथा उनके साथ सुरत शिनाख्त चार–पांच सिपाहियों का उल्लेख किया गया है। इस मुकदमें के विवेचना जिले के वरिष्ठतम इन्सपेक्टर श्री मुनेश्वर सिंह, प्रसाद एस0 एच0 ओ0, कोतवाली नगर को सुपुर्द किया गया है। श्री राम समुझ पाण्डे एवं उनके साथ वाले चार सिपाहियों को भी इस अभियोग में संदिग्ध प्रतीत होने पर निलम्बित कर दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये प्रार्थना–पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बात बतायी गयी है कि प्रार्थी रामाधार तिवारी घर वालों सहित जब थाने पहुंचा तो सुबह लगभग 8 बजे थाने वालों ने कहा कि रामरंग वहां नहीं है। कोतवाली भेज दिया गया है, ग्राम गोरधनिया के लोगों ने बताया कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रामरंग की पिटाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये प्रार्थनापत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रार्थी एवं अन्य लोग थाने पर रुके तथा कुछ देर बाद एक प्राइवेट मिनी बस नम्बर यू0 एस0 जेड–956 को रोका गया। गाड़ी में बैठी सवारियों को उतार दिया गया तथा उस समय श्री रामरंग, जो मर चुके थे, बस में लिटाया गया तथा लेकर गोंडा की तरफ चल दिये। यह ज्ञात हुआ कि विवेचना अधिकारी, श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह, एस0 एच0 ओ0, कोतवाली नगर साक्षियों से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम समुझ पान्डे तथा श्री रामरंग की खोज करते हुए रातोरात अयोध्या पहुंचे, जहां उन्हें प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 13 अप्रैल, 1978 की प्रातः शमशान घाट तीरनघाट, अयोध्या पर जल रही एक चिता में से एक अधजले शव को बरामद किया। यह शव रामरंग का बताया गया। इसका पंचनामा फैजाबाद जनपद के मजिस्ट्रेट द्वारा करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मौके पर कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया। शमशान भूमि तक शव लाने वाली कार द्वारा रेत पर छोड़े गये टायर आदि के निशानात के फोटोग्राफ ले लिये गये हैं।

थाने पर उत्तेजित भीड़ ने श्री राम समुझ पान्डे की मोटर साइकिल, जो थाने के कम्पाउन्ड में थी, को जलाने का प्रयास किया परन्तु भीड़ के अन्य लोगों ने इसे नापसन्द किया। और तुरन्त ही आग को बुझा दिया। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के द्वारा लोगों से बातचीत की गयी और यह आश्वासन देने पर कि मामले में न्याय किया जायेगा तथा दोषी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के दंडित किया जायेगा, उत्तेजित भीड़ शान्ति पूर्वक वहां से चली गयी।

श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो थानेदार और 4 सिपाही हैं उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जिन पतों पर उनका पता लगा है वहां के पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दिया गया है कि वे उनको गिरफ्तार कर लें।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

मान्यवर, 24 दिसम्बर, 1977 को धानेपुर के समक्ष एक घटना घटी थी जिसमें अहमद नाम का व्यक्ति मर गया था और उसमें भी इन्हीं थानेदार का हाथ था और जिसके कारण वहां के पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद त्रिपाठी का तबादला हुआ था और उस मामले को सी0 आई0 डी0 के सुपुर्द कर दिया गया जिससे कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में भी तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

इतना उत्तर दीजिये कि सी0 आई0 डी0 को देने का इरादा तो नहीं है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, 15 अप्रैल, 1978 को यह मामला क्राइम ब्रान्च सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

जब मामला एकदम खुला हुआ है और वह थानेदार और 4 सिपाही फरार हैं तो सी0 आई0 डी0 को क्यों दिया गया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और पुलिस विभाग द्वारा कहीं पक्षपात न हो जाये, इसलिये उसे दे दिया गया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट थाना धानेपुर में आये तो क्या उन्होंने आमद और रवानगी रजिस्टर में देखा था कि वह थानेदार तथा अन्य सिपाही उस दिन रवानगी पर कहां गये थे और जो प्राइवेट कार नं0 956 है उसके मालिक और ड्राइवर से इस बारे में पता लगाया गया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, जी0 डी0 में श्री राम समुझ पान्डे की रवानगी मौजूद है इम्तहान की देख-रेख के लिये और जिन 4 सिपाहियों का जिक्र किया गया उनकी रवानगी जनरल डायरी में वहां पर जो, डकैती हुई थी, उसकी सुरागरसी के लिये दिखायी गयी है।

जहां तक बस का संबंध है वह ट्रेस नहीं हुई है। रेत पर जो निशान है, उनके फोटो वगैरह ले लिए गये हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जो प्राइवेट बस नं0 956 बतायी गयी है, जिसके बारे में रिपोर्ट में विवरण है तो उसने लाइसेन्स लिया होगा, तो उससे पता लगाकर क्या कोई पूछताछ नहीं की गयी है? उसके साथ साथ जो वहां पर टायर वगैरह के निशान हैं, जिनका फोटो लिया गया है, क्या उसके परीक्षण कराने की कोई व्यवस्था की गयी है और क्या वह बस नं0 956 है या नहीं?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

इस पूरी घटना की तफतीश, बस और जिसका नम्बर लिखा है, उसके ड्राइवर के कन्फर्मेशन की जांच जारी है ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

जो वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री की ओर से आया है इसमें साफ तौर से.....

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, अभी-अभी सूचना मिली है कि वह बस आज पकड़ ली गयी है और ड्राइवर भाग गया है ।

श्री फजलुलबारी—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस वक्तव्य में इस बात का तजकिरा साफ तौर से आया है कि रेत पर टायर के निशान पड़े थे, उसका फोटो भी लिया गया है । मेरी यह निश्चित जानकारी है कि वह कार जिसमें लाश ले जायी गयी थी उसको रातों रात ट्रेस आउट किया गया । श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह, जो गोंडा के इन्चार्ज हैं उन्होंने उसका फोटो भी लिया, ड्राइवर को भी लाये तो क्या कारण है कि ड्राइवर को छोड़ दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

अभी उत्तर दिया गया है कि ड्राइवर भागा हुआ है ।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती) —

मान्यवर, जिस घाट पर यह लाश जल रही थी तो क्या उसकी वहां पर लिखा पढ़ी हुई थी कि किसकी यह लाश है, वहां के लोगों ने बताया या नहीं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

श्रीमन्, ये मुनेश्वर प्रसाद सिंह एस० एच० ओ० जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक लाश जल रही थी तो उन्होंने उसके अधजली लाश को बरामद किया जिसका पंचनामा फैजाबाद में ही मैजिस्ट्रेट द्वारा किया गया । उसको पोस्ट मार्टम के लिये भेज दिया गया है ।

श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

मान्यवर, राम समुझ पान्डे, जब मनकापुर में थे तब भी इन्होंने एक आदमी को मारा था और जब ये ललिया थाने पर तब भी वहां पर एक को मारा, ऐसी रिपोर्ट पहले भी हो चुकी है, लेकिन अपने प्रभाव के कारण बच जाता है । तो क्या इसमें न्यायिक जांच कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

यह तो सीधे सीधे 302 का मुकदमा है । इसमें न्यायिक जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बहुधा सामान्य पुलिस से जांच उस सूरत में नहीं कराई जाती जब कि आरोप पक्ष को एतराज होता है लेकिन यदि आरोप पक्ष जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट हो तो उसके बाद में भी इस बात की जिद की जाय कि वह सी० आई० डी० को दी जायगी तो आरोप पक्ष को संदेह होता है कि शायद इसमें कुछ विलम्ब करना चाहते हैं, या उसको ठंडा करना

चाहते हैं। इसलिये मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या वह फिर से बिचार करेंगे इस बात पर और जो लोग उसका इनवेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में वह रहने देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पंडित जी, आपका प्रश्न होना चाहिये था कि क्या आरोप-कर्त्ता सी0 आई0 डी0 की जांच चाहता है ? अगर नहीं चाहता तो फिर सी0 आई0 डी0 की जांच क्यों हो रही है ?

श्री उदित नरायन--

श्रीमन, मेरी जानकारी है कि अभियोग पक्ष के लोग चाहते हैं कि जो लोग जांच कर रहे हैं उन्हीं के पास वह रहे, इसलिये मैंने इस रूप में इस प्रश्न को रखा।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

पुलिस स्टेशन पर जब कि दरोगा पान्डेय और कोई इंसपेक्टर नहीं था, बाकायदा थाने को घेरा गया। वहां एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक गोंडा पहुंचे। उन्होंने सामान्य भावना के आधार पर जो लोग मांग कर रहे थे सी0 आई0 डी0 की जांच कराई।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

वक्तव्य से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी के पास शिकायत करने वाले मरने वाले का बाप 3 बजकर 45 मिनट पर 12 अप्रैल को गया और उसने दरख्वास्त दी कि इस इस तरीके से हुआ है और उसमें स्पष्ट कहा कि गाड़ी नं0 यू0 एस0 जेड0-956 में उसकी लाश को रख कर के गोंडा की तरफ ले गये हैं। जब जिलाधिकारी को यह मालूम हो गया तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उस लाश को कब्जे में लेने में डिले जो की उसके क्या कारण हैं ? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज लाश को कब्जे में लिया जाना था, उसको कब्जे में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जैसे ही जिला मैजिस्ट्रेट को उनके परिवार वालों ने यह शिकायत की कि लाश को ले जाया गया तो परगना मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया और एस0 एच0 ओ0 कोतवाली मुनेश्वर सिंह उसको फालो करते हुए फैजाबाद गये और अधजली लाश बरामद की।

श्री रियासत हुसैन--

लाश 13 तारीख को बरामद हुई और सूचना अधिकारी को 12 तारीख को मिल गयी थी और यह भी इंगित हो गया था कि किस तरह ले गये हैं। तो इसमें विशेष तौर से जांच करायेंगे कि जिलाधिकारी और एस0 पी0 ने क्यों डिले की और क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह लाश कब पकड़ी गयी फैजाबाद में ? 12 तारीख को 3 बजकर 45 मिनट पर सूचना मिली तो यह कब पकड़ी गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

13 को पकड़ी गयी।

श्री अध्यक्ष—

किस वक्त ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

प्रातः इसमें स्पष्ट लिखा है कि 13 अप्रैल, 1978 को प्रातः । एक सामान्य सी बात है श्रीमन्, कि किसी भी मुकदमें में बिना एफ0 आई0 आर0 के कोई कार्यवाही नहीं चलती । जिला मैजिस्ट्रेट को जिस क्षण शिकायत की गयी उसके बाद उन्होंने जांच कराई । जांच कराने के बाद एक इन्सपेक्टर को भेजा गया ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप थोड़ा शान्त रहें ।

श्री विष्णु प्रताप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना को सही मान करके, मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है । 12 तारीख को जिस समय उक्त थानेदार को स्कूल में खबर लगी कि रात वाला आदमी मर गया तो वे भाग करके आये और मिनी बस को लेकर उसमें लाश रखकर फरार हो गये और डी0 एम0 और एस0 पी0 कनविंस्ड हैं, तो फिर इस मामले को सी0 आई0 डी0 की जांच के लिये देने का क्या मतलब है ? क्या 24 दिसम्बर, 77 वाली घटना को दोहराने का तो मकसद नहीं है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

यह इसलिये किया ताकि पूरी तरह से न्याय हो सके ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जब मृतक की लाश जल रही थी उस समय वहां कितने लोग उपस्थित थे और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जो उत्तर दिये जा रहे हैं क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उन पर चिन्तन करके कोई ऐसा उपाय निकालेंगे जिससे पुलिस की ज्यादतियां बन्द हो जायें और लोगों की हत्यायें कम हों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों को यह विश्वास रखना चाहिये कि केवल नियम और कानून के अन्तर्गत ही कोई कार्यवाही की जा सकती है । अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कानून और नियम के बरतने में कोई ढिलाई की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । जिनके खिलाफ अपराध हैं और जो भी दोषी व्यक्ति पकड़े जायेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी, ढिलाई किसी के साथ भी नहीं होगी । हमारे सामने नियम और कानून के अनुसार कार्यवाही करने के सिवा अन्य कोई रास्ता है ही नहीं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

जो लाश बरामद हुई वह शिनाख्त हो चुकी है कि किसकी है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

इस वक्तव्य में बताया गया है, वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और सही जानकारी हो सकेगी ।

श्री बिन्दू लाल—

लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी है अभी तक या नहीं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

हमारे सामने अभी नहीं है । रिपोर्ट मिल गयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी, मैं जानना चाहता हूं कि जब पौने चार बजे पुलिस को सूचना थी तो लाश अगले दिन प्रात: क्यों बरामद किया गया, पहले क्यों नहीं, क्या इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं है ? यदि है, तो क्या कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, पौने चार बजे जैसे कि जिला मैजिस्ट्रेट को उसके परिवार वालों ने ज्ञापन दिया उसके बाद उन्होंने तुरन्त परगना अधिकारी को आदेश दिया कि तुरन्त इसकी जांच करो । उसने अन्य अधिकारी को आदेश दिये । इसमें कुछ समय तो लग जाता है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

जो दरोगा और सिपाही फरार हो गये हैं क्या वे अपने साथ सरकारी हथियार भी ले गये हैं और क्या उनके खिलाफ सरकार कुर्की की कार्यवाही करेगी या नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

वह कोई हथियार नहीं ले गये हैं । पुलिस अधीक्षक को कहा गया है कि गिरफ्तारी करें । अगर गिरफ्तारी न कर सकेंगे, तो उनके खिलाफ 82–83 की कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जब जिलाधिकारी को 3–45 पर सूचना मिल गयी थी, तो जिलाधिकारी ने, एस0 पी0 ने वायरलेस इत्यादि इस्तेमाल करके कहीं पर बार्डर सील कराने व चेक करने की सूचना दी कि नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, बार्डर सील कराने का प्रश्न नहीं उठता जब तक जांच न करा ली जाय ।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में श्रमिक आन्दोलन में हुए गोलीकान्ड के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब पन्त नगर पर मैं आता हूं, जो विवाद चल चल रहा था । माननीय सदस्य इस विषय पर 5 मिनट से ज्यादा न लें ।

---

†17 अप्रैल, 1978 की कार्यवाही से ।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जब कभी पन्तनगर का जिक्र आया, मुख्य मंत्री जी ने दोनों तरफ के सदस्यों से कहा कि ऐसे मामलों को राजनैतिक रंग न दिया जाय । मुझे अफसोस है कि जो वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री की ओर से सदन को दिया गया पन्तनगर गोली काण्ड के संदर्भ में, उसमें तथ्य छिपाने की कोशिश की गयी । जो लोग वहां पर जाकर देखें अथवा किसी तरह से वहां के लोगों से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त करें, तो स्वयं स्पष्ट हो जायगा कि माननीय मुख्य मंत्री अपने प्रशासन, वाइस चांसलर और पुलिस की बरबरता पर पर्दा डालने के लिये, छिपाने के लिये, इन्सान के खून बहाने, इंसान की मौत को छिपाने के लिये पर्दा डाला है ।

पन्तनगर का गोली काण्ड कोई एक बारगी कोई काण्ड नहीं है । 27 अक्तूबर को इसकी पृष्ठ भूमि शुरू हो जाती है । वाइस चांसलर, नये वाइस चांसलर और उनकी एक चंडाल चौकड़ी ने जो सुनियोजित रूप से कई किसान खेतिहर मजदूरों को वहां से भगाने के लिये षड़-यंत्र किया । यह काम गिरोह बना कर किया गया जिससे कि वे किसान मजदूर वहां से भाग खड़े हों । यह षड़यंत्र किया गया कि छोटे फार्मों से यह लूट खसोट किया जाय । एक बार आन्दो-लन हुआ, फिर समझौता हुआ और आखिर में 25 जनवरी, 1978 को समझौता हो गया मजदूरों और वाइस चांसलर और ऐडमिनिस्ट्रेशन के बीच में । 27 तारीख को हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया । क्या जरूरत थी अध्यादेश जारी करने के लिये ? उसके बाद फिर मजदूरों ने हड़ताल किया । फिर समझौता हुआ । इन्हीं मुद्दों पर मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में परिलक्षित किया । 4 तारीख के बाद पहले समझौते के बाद 15 तारीख के टाइम्स आफ इण्डिया में वहां के उप कुलपति ने वक्तव्य किया । बड़ा लम्बा वक्तव्य है । वक्तव्य की मंशा क्या थी. उसके देखने से स्पष्ट हो जायगा कि जिन्होंने 13 तारीख को हल्ला किया. उनकी नीयत क्या थी ? उनके अन्दर क्या प्रतिशोध की भावना थी । उप कुलपति ने वक्तव्य दिया । पुलिस और मैजिस्ट्रेसी आन्दोलन दबाने में कोई कदम नहीं उठा पाई । ए0 डी0 एम0 और पुलिस लगातार केवल मजदूरों से सुलह-समझौते की बात करती रही, उनके आन्दोलन को दबाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया । वक्तव्य में कहा गया कि गिरफ्तार मजदूरों को दो घंटे के अन्दर छोड़ दिया गया, जब कि मजदूरों को 24-26 घंटे बन्द करके सर्दियों में रखा गया । उनका वक्तव्य है कि मजदूरों के रिंग लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

मान्यवर, 15 फरवरी के टाइम्स आफ इंडिया में छपे वक्तव्य से जाहिर होता है कि इस पूरे गैंग के मन में मजदूर जो न्याय के लिए लड़ रहे थे उनको दबाने और कुचलने की साजिश थी। माननीय जोशी जी नहीं हैं। सदन के अन्दर मौजूद नहीं हैं मैं उनसे पूछना चाहता था कि उनके ऊपर दायित्व था कि सरकार और मजदूरों के बीच समझौता करायें। तो कौनसी जरूरत थी कि कहा गया कि 16 तारीख तक हड़ताल टाल दी जाय। 11 तारीख को समझौता कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र सिंह---

11 तारीख को हड़ताल हुई। 12 तारीख को मजदूरों पर लाठी चलाई गई। 13 तारीख को मुख्य मन्त्री जी की तरफ से कहा जाता है कि चितरंजन चौराहे पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दो हजार मजदूर लाठी, भाला, फर्सा आदि हथियार लेकर आए। तो मान्यवर, पहले ही वहां दफा 144 लगी थी। सूचना थी कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया जाय। तो मजदूरों को कैसे हथियार लेकर इकट्ठा होने दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि 5-5 मिनट बोला जाय। इस तरह से तो ज्यादा लोगों को समय नहीं मिल पाएगा। आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, मुख्य मन्त्री के वहां हेलीकाप्टर से उतरते ही वाइस चांसलर श्री सिंह ने कहा कि यह काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। मुख्य मन्त्री जी के कहने से या किन्हीं कारणों से वह लम्बे अवकाश पर चले गए। तो यह इलाज नहीं है। उनके खिलाफ विजिलेन्स की इंक्वायरी चल रही है। वाइस चांसलर, डिप्टी एस0 पी0 सिरोही, लाल कुआं के सब-इन्स्पेक्टर सिरोही।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त कीजिएगा।

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, इन सब लोगों पर अविलम्ब गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिए।

*श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस कांड पर बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, इससे पूर्व भी पन्त नगर के मसले के बारे में मैंने 5 अप्रैल को सरकार को आगाह किया था। मान्यवर, 5 अप्रैल को वहां का एक डेलीगेशन आया था जिन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया। उसमें लिखा था कि संगीनों के बल पर शासन के शिकंजे में पन्तनगर के मजदूर। उस संगठन के मन्त्री श्री ए0 सी0 कुलश्रेष्ठ ने मुझको वहां के बारे में बतलाया।

(इस समय दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके गए तथा नारे लगाए गए।)

श्री पूरन चन्द्र--

उन्होंने सबसे बड़े फैक्ट के बारे में बताया कि वहां पर जो डी0 पी0 सिंह वाइस चांसलर हैं, उन्होंने वहां पर जो कोई चपरासी है या क्लर्क है जो उनकी जाति से सम्बन्धित था उसको उन्होंने प्रमोशन दिया।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

आप रुकिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, अभी हमारी निगाह पड़ी जो घटना घटी उसको मैं नहीं जानता। लेकिन मान्यवर, जिस तरह से पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी वह हमारे सदन के लिए अपमान-जनक है। उसको मारते हुए ले गए, यह अपमान की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। गैलेरीज में जिन लोगों ने नारे लगाए उनको पुलिस ने उचित ही गिरफ्तार किया।

श्री पूरन चन्द्र—

मान्यवर, वहां एस0 पी0, पी0 ए0 सी0 के शिवराज सिंह सिरोही हैं, दरोगा सुरेन्द्र सिंह सिरोही है जो कि किसी मन्त्री से सम्बन्धित हैं। जिस तरह से उनको पनाह मिल रही है और वाइस चांसलर, एस0 पी0 और दरोगा उनकी पूरी जो कम्पनी थी, उनका जो एक गैंग था उसके द्वारा यह कांड हुआ है। 16 तारीख को वहां मैं पहुंचा और पता चला कि वहां पर यह हिम्मत थी कि जनता पार्टी का कोई भी यदि वहां पहुंचा तो उससे हम संघर्ष करेंगे। मैंने उनकी कठिनाई को देखने का हौसला हृदय में रखकर वहां गया। ज्योंही मैं विश्वविद्यालय कैम्पस से आगे पहुंचा जहां चित्तरंजन भवन है, उस चौराहे पर एक छात्रावास है जहां हरवंश लाल, लैब असिस्टेन्ट के मकान में 8 गोलियों के निशान बने हैं। उनके मकान के सामने एक पानी का कुंड है जिसमें इतना खून है कि आदमी उसको देखकर बेहोश हो जाय। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि कहीं हमारे वहां भी यही स्थिति न हो जाय क्योंकि हमारे वहां के 28 हरिजनों के परिवार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनके घरों को डायनामाइट लगाकर फूंकने का प्रयास किया जा रहा है। इस-लिए यदि उनको बसाने की योजना न बनाई गई तो पन्तनगर यूनिवर्सिटी की दशा हमारे क्षेत्र में भी आने वाली है। यदि वह स्थिति आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी जनता सरकार की होगी इसलिए उनको बसाने का प्रबन्ध तुरन्त किया जाय।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पन्तनगर की घटना जिन लोगों ने देखी उसका 5 मिनट में यहां बयान करना असम्भव है। इसलिए 5 मिनट का निर्णय जो आपने दिया है उस पर फिर से आपको विचार करना होगा कि जो देखकर आए हैं उनको 5 मिनट से अधिक समय देंगे।

श्री अध्यक्ष—

जो लोग घटना देखकर आए हैं उनमें से 4 वक्ता अब तक बोल चुके हैं। सभी ने एक साथ घटना को देखा है। दो घंटे की चर्चा आपने मांगा था। कल एक घंटा 20 मिनट बहस चली है और एक घंटा आज दिया है। इसलिए या तो आप तय कर लें कि आप स्वयं अकेले बोलना चाहते हैं तो आपको 10 मिनट का समय दें। लेकिन और भी सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं, मैंने तो वैसे ही दो घंटे 20 मिनट दे रखे हैं, इसलिए अधिक समय देना सम्भव नहीं है।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, जो वहां गए हैं उनको कुछ भी समय दीजिएगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

सबको देना जरूरी नहीं है, आप बैठिए। आपके तरफ से गोविन्द सिंह नेगी जी बोल चुके हैं।

श्री जय राम—

मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। आप समय नष्ट कर रहे हैं। मैं सब को समय नहीं दे सकता।

श्री जय राम--

आप के कक्ष में एक कमेटी बनाई गई जिस.....

श्री अध्यक्ष--

कोई कमेटी नहीं बनी। यह गलत है।

श्री जय राम--

जो जाने वाले थे उनका नाम लिखा गया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। कोई कमेटी नहीं बनी। आप बैठिए। मैं आपको मना कर रहा हूं। आप बैठ जाइए। मैं कह रहा हूं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

सदन की कोई कमेटी नहीं बनी। मैंने किसी कमेटी को नहीं बनाया न इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन में आया। जो व्यक्ति वहां पर गए हैं। वे स्वेच्छा से गए हैं। वे इस सदन के किसी कमेटी के सदस्य नहीं हैं। वे स्वयं गए हैं और स्वयं अपनी जानकारी प्राप्त कर के आए।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

हमारे दल की ओर से वहां लोग गए.....।

श्री अध्यक्ष--

आपको वक्त मिलेगा।

श्री गुलाब सेहरा--

हमारे दल के दो व्यक्ति गए हैं कम से कम उनके लिए टाइम निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

एक व्यक्ति को समय मिलेगा।

श्री उदित नरायन--

मान्यवर, क्योंकि आप बहुत थोड़ा समय देना चाहते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षेप में जो कुछ मुझे इस विषय में कहना है आपके समक्ष निवेदन करूं। मान्यवर, आरम्भ में ही यह निवेदन कर दूं कि कुछ न कुछ पुनरावृत्ति इस विषय को जो लोग देख कर आए हैं, उनके कथनों में अवश्य होगी क्योंकि घटना तो एक ही है केवल उसे अपने-अपने ढंग से बोलना पड़ेगा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस सारी घटना की कुछ पृष्ठ भूमि है। सबसे पहले इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह वाइस चान्सलर महोदय की जब नियुक्ति हुई थी तब क्या-क्या इनके विषय में हुआ है, उस समय इनके बारे में क्या एतराज किये गये हैं? उसके बाद यहां का क्या फैसला हुआ है, फिर क्या-क्या हुआ?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक अधिकारी जो सदन में अपने बारे में बयान नहीं दे सकता क्या उसके बारे में इस तरह का अनर्गल आक्षेप लगाना उचित होगा ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

शांत रहें। पंडित जी, माननीय तोमर जी ने प्रश्न उठाया है। उसकी नियुक्ति कैसे हुई, पहले क्या था, यह कहना यहां पर ठीक नहीं है। केवल पंत नगर की घटनाओं तक आप अपने को सीमित रखें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूं। जो व्यक्ति इस सदन में उपस्थित नहीं है, श्री तोमर जी के अनुसार, उसकी चर्चा नहीं हो सकती है। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि डा० डी० पी० सिंह को दो घण्टे के लिए सदन का विशेष सदस्य मनोनीत कर दें . . .

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। जहां तक उपकुलपति के कार्य का सवाल है, वहां पर डा० डी० पी० सिंह की व्यक्तिगत नियुक्ति कैसे हुई, पहले उनके एन्टीसिडेन्ट क्या थे? इसका इस संबंध में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जहां तक वी० सी० के कार्य का सवाल है पंत नगर में जो हुआ उस संबंध में चर्चा की जा सकती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने एक बात कह दी, अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सदन में आये दिन रोज प्रत्येक आदमी कहीं न कहीं चर्चा कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि उस वक्त श्री डी० पी० सिंह, वी० सी० थे, उनका वी० सी० का कार्य था, लेकिन उससे पहले वह क्या थे? उनके क्या इंटिसिडेंट्स थे? इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। केवल घटना से सम्बन्धित जो बात हो उसे आप कह सकते हैं। (व्यवधान) घटना तक आप अपने की सीमित रखें।

श्री उदित नरायन—

श्रीमन्, माननीय तोमर जी के आक्षेप पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया और न मैंने कोई आरोप लगाया। मैंने यह कहा था कि इससे पहले जो परिस्थितियां थीं उनको समझने की कोशिश करें तभी सही निर्णय पर आप पहुंच सकेंगे। मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी, न किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहा था।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्तावना में समय न लगा कर आप घटना पर बोलें।

श्री उदित नरायन—

मैंने उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जो आपने व्यवस्था दी दूसरे यहां पर लगभग 60, 70 ऐसे सेक्योरिटी गार्ड्स थे जो इसके पहले नियुक्त किये गये थे । यहां से होम सेक्रेटरी गये तो उनके विरुद्ध शिकायत की गयी कि यह किस तरह के आदमी हैं। उन्होंने जांच की और उनके आदेश के मुताबिक उनको हटाना पड़ा। यह भी घटना हुई जो इस संदर्भ में काफी माने रखती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और दोनों पक्ष के माननीय सदस्यगण दलगत नीति से ऊपर उठ कर इस पर ध्यान दें। इस तरह की जब दुर्घटनायें होंगी तो विपक्ष को बहुत अच्छा मौका मिलेगा, हमारी आलोचना करने का और जो शासन पक्ष होगा वह कटघरे में खड़ा होगा। हम इसके लिये तैयार हैं लेकिन यह भी याद रखना चाहिये कि प्रजातंत्र में मजदूरों के संगठन बनेंगे और अगर प्रजातंत्र में आप विश्वास करते हैं तो उनको इतनी छूट देनी होगी कि वे अपनी ट्रेड यूनियन्स बनायें और उनके माध्यम से काम करें। जब ऐसा विषय सदन में आये तो हमको इस लालच को रोकना चाहिये कि हम उसमें किसी दल का नाम लें। कदाचित उस दल की यूनियन से हमें रुचि है तो हम उस पक्ष का प्रतिपादन करते हैं अथवा अरुचि है तो इसके विरोध में बोलते हैं। ऐसा आभास हमें नहीं होने देना चाहिये। अब इस तरह की यूनियन्स बनेंगी तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहां पर कुछ ऐसी मांगें भी होंगी जो उचित न हों, असंगत हों, असंभव हों। यह सब प्रजातंत्र में चला करता है। उनके संगठन होंगे तो प्रदर्शन भी होंगे। उनका कभी-कभी दुरुपयोग भी होगा और उस दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी शासन पर होगी। लेकिन जब कभी ऐसा मौका आये, जिसका जो यह जीता जागता उदाहरण है तो इससे हमको सबक लेना चाहिये। जब पहले से सूचना दी गयी थी तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिये था। वैसे तो मुझे कहना चाहिये। सजग रहना चाहिये लेकिन वह शब्द ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को वह रुचिकर नहीं है, इसलिये बदल कर कह दिया सतर्क रहना चाहिये। इसमें भी अगर सतर्क रहते तो कदाचित यह घटना न घटती इस तरह से।

एक प्रश्न यह है कि किसी तरह की ज्यादती हुई या नहीं हुई। यह सही है कि भीड़ थी। 144 लगी हुई थी। यह भी मानने को तैयार हूं कि यह 144 को तोड़ कर जा रहे थे, लेकिन ये लोग निहत्थे थे, हथियार नहीं थे उनके पास। माननीय जोशी जी यहां पर नहीं है उन्होंने कहा कि तीन डंडे और एक लाश वहां पर पड़ी हुई मिली। मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एक आदमी तीन डंडे लेकर लड़ने जा रहा था ? मेरा निवेदन है कि श्रीमन् वहां पर कुछ तथ्य ऐसे जो झूठे नहीं हो सकते हैं, जबान झूठ बोल सकती है। मैं किसी के ऊपर अविश्वास नहीं करता निस्संदेह वहां पर एक ही पक्ष मौजूद था दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था। हमको उसे सुनने का मौका नहीं मिला उसे भी सुनना चाहिये। दो-तीन बातें ऐसी हैं जो जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें भी उन्होंने तसलीम किया है कि दीवालों पर गोलियां लगीं। जिस चौराहे की वह घटना कही जाती है उसके सामने और पीछे की रो और उसके पीछे की रो में भी गोली और खून के निशान थे। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, 5 मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री उदित नरायन—

यह इसी बात का द्योतक है, यह इस बात को साबित करता है कि भागते हुए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गईं। वरना दीवारों पर गोलियां लगने का प्रश्न नहीं होता है। मुझे

[श्री उदित नारायन—]

भी थोड़ासा अनुभव है इस किस्म के कत्ल और हंगामों को देखने और समझने का। दीवारों में गोलियां लगी हुई हैं यह काफी प्रमाण है इस बात का कि भागते हुए लोगों पर चोट की गई।

एक और निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की चीजें जो मटकोटा जगह है वहां पर भी मिलेगी। मैंने यहां पर संयोग से जिलाधिकारी, कमिश्नर और एस0 डी0 एम0 जिनको कहा जाता है कि उन्होंने ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था जो वहां पर मौजूद थे। उनसे भी बात की। मि0 चतुर्वेदी, एस0 डी0 एम0 थे उन्होंने कहा कि मैंने आज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि रामअवतार गुप्त को मारा पीटा गया। यह बात भी मुझे संदेहास्पद लगती है। गुप्ता जी के पास मैं गया और उनको कोई चोट नहीं थी। तो उनका यह कहना बिल्कुल झूठ है। यह बनाई हुई बात है।

दूसरा श्रीमन्, दो महिलाओं श्रीमती मेहरोत्रा और श्रीमती वर्मा जीं वहां पर थी उनसे भी बात हुई। श्रीमती वर्मा तो वही हैं जो हमारे यहां पर वर्मा जी पुराने स्वतंत्रता सेनानी की पुत्रवधू हैं। इन दोनों महिलाओं ने बड़े ही करुण स्वर में बताया कि जिनको मैं छिपाये थी उनको सब-इंसपेक्टर ने, जिसका नाम भी बताया, घर से बाहर ले गये जो बंदूक की नोक पर और ट्रक में डाल कर और चले गये। श्रीमती वर्मा मटकोटा में रहती हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री उदित नरायन—

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं. उन्होंने कुछ न कुछ ऐक्शन ले लिया वहां लोगों में बड़ा क्षोभ था, कुछ लोगों का तबादला करा दिया, लेकिन वहां पर कुछ आफिसर ऐसे हैं जो कि अवांछनीय हैं। श्रीमती मेहरोत्रा ने कहा कि एक आफिसर की पत्नी ऐसी थी जिन्होंने उनके सामने पुलिस को बताया कि फलां जगह में मजदूर छिपा हुआ है और उसे पुलिस घसीट कर ले गई। श्रीमन्, यह न्याय के हित में होगा कि इस प्रकार के जो लांछन, इस प्रकार के जो आरोप कुछ अधिकारियों के ऊपर लगाये जा रहे हैं वह वहां न रहे तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्ति कीजिये।

श्री उदित नरायन—

यह घटना आरम्भ जिस प्रकार भी हुई हो, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ और जिन लोगों ने उसमें काम किया है वह जाहिरा कत्ल के अभियोगी बनने चाहिये।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, यह पन्तनगर का हत्याकांड इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना विषादपूर्ण है कि मैं समझता हूँ कि इस शासन के लिये यह सबसे बड़ा कलंक का टीका है। यह पन्तनगर का मामला पिछले तीन महीने से चला आ रहा है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार, जब वहां पर 22/23 दिसम्बर को हड़ताल हुई मजदूरों की कुछ मांगों को लेकर, तो 25 जनवरी, 1978 को एक फैसला हुआ और उसके बाद ही 27 तारीख को एशेंसियल सर्विस का आर्डिनेन्स लागू कर दिया गया उन पर, जिससे वे श्रमिक, जो स्थायी भी नहीं हैं और जिनको मजदूरी की

फैस्लटीज भी नहीं मिलती हैं, उनको क्रश किया जा सके । उसके बाद 4 तारीख को जब मांगों पर प्रदर्शन हुआ, तो 1 हजार मजदूरों को बन्द किया गया ।

(सदन में काफी शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग शान्ति बनाये रखिये, कृपया आप लोग शान्ति से सुनिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

उस पर भी सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया । 7 अप्रैल को यहां पर कई माननीय सदस्यों ने शून्य आवर में यह बात रखी कि वहां पर कोई दुर्घटना हो सकती है और 7 तारीख को ही विधान परिषद् में भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस टाइप का किया गया था, परन्तु सरकार ने उस पर भी कुछ नहीं किया । मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मुख्य मंत्री ने जो बयान दिया है, वह तथ्यों से सर्वथा विपरीत और डी0 एम0, एस0 पी0 और अधिकारियों के बयान के आधार पर है । यहां से जितने सदस्य गये, जितने पन्तनगर हो कर आये हैं, उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि जब जुलूस निकल रहा था. . . । डी0 एम0 और एस0 पी0 ने अपने वक्तव्य में अखबार वालों से जो कुछ कहा है, वही मुख्य मंत्री ने कह दिया है । किसी ने यह नहीं कहा कि जब जुलूस निकल रहा था, तो मजदूरों के हाथों में फर्शे, लाठी, बरछी भाले आदि थे । इस वक्तव्य में यह कहा गया कि पहले लाउड स्पीकर से चेतावनी दी गई, फिर टियर-गैस छोड़ी गई, फिर लाठी चार्ज हुआ और फिर उसके बाद गोली चलाई गई । जबकि सीधी बात और तथ्य की बात यह है कि उन पर सीधे-सीधे बन्दूक से गोलियां चलाई गई । मटकोटा ब्लाक में जो हुआ, उसमें दो हथियार और जोड़ दिये गये, वह दो थे लोहे की राड और हंसिया । वहां पर मजदूरों के प्रदर्शन में जो लोग आये, किसी के पास कोई हथियार नहीं था । सबने जोशी जी को छोड़कर यही कहा है कि उनके पास कोई हथियार नहीं थे । जोशी जी ने केवल लाठियां की बात कही है, जो कि कुछ लोग एक पर तीन-तीन लिये थे । यह हंसी की भी बात है और किसी ने कुछ नहीं कहा । वहां की मैं तीन घटनाओं का जिक्र करता हूं । ऐसा कभी नहीं हुआ । एक देश दूसरे देश से भी लड़े तो भी ऐसा नहीं हुआ कि घायल व्यक्ति को भी जान से मार दिया गया हो ।

एक ऐसी घटना जिसको देखकर बड़ा विषाद होता है और आंसू निकल आते हैं, बताना चाहता हूं । एस0एन0 सिंह की वाइफ ने अपने बयान में कहा कि मेरे यहां एक घायल गोली लगा हुआ पानी पीने आया, तो लालकुआं के इंसपेक्टर ने पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया । इस तरह की तीन घटनायें हैं । मिसेज तिवारी ने भी यह कहा है, मैं सदन के समक्ष उन फोटोग्राफ्स को रखना चाहती हूं, जिसमें उस पेड़ का फोटो है, जिसके आरपार गोली हो गई है । पत्थर से उस व्यक्ति को मारा और यह कहा कि यह व्यक्ति अभी तक साला जिन्दा है । दूसरा फोटो गोली के निशान, यह पांच गोलियों के निशान हैं जो दीवाल पर आ गये हैं, इसे मैं माननीय सदन के पटल पर रख रहा हूं । तीसरा मैनहोल का फोटो है, जिसमें तीन आदमी छिपे थे, उनको बाहर निकाल कर मारा गया । चौथा फोटो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो उस गन्ने के खेत का है, जिसमें आग लगी हुई है । जिसमें जिन्दा मजदूरों को जला दिया गया । ये चारो फोटो आपके समक्ष रख रहा हूं । यह जाति का झगड़ा है । एक जाति विशेष ने इसमें वह रोल अदा किया है जो कोई कर नहीं सकता । वह सारे प्रदेश में कहते हैं कि हम मुख्य मंत्री हैं, दूसरी जाति कहती है कि हम देश के गृह मंत्री हैं । यह जाति की भावना का प्रभाव है । एक जाति विशेष ने यह अत्याचार किया है, तीन महीने से चल रहा है, अब इसको भुलाया नहीं जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजियो

श्री गुलाब सेहरा—

मेरे दल की ओर से कोई नहीं बोल रहा है । केवल मैं बोल रहा हूं । उनका हिस्सा मुझे दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा प्रमुख है । माननीय मुख्य मंत्री वहां गये, गृह सचिव गये । माननीय मुख्य मंत्री ने वक्तव्य में कहा कि श्रमिकों से मिले, छात्रों से मिले और लोगों से मिले । लोगों से मिलने के बाद असलियत का पता चल गया होगा । मैं राजनीति से प्रेरित बात नहीं करता । जो अधिकारियों ने प्रेस को दिया उसी वक्तव्य को ज्यों का त्यों माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य में छापा है । यह सबसे बड़ी शर्म की बात है । यह वक्तव्य नौकरशाही ने बनाया है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के जाने के बाद, श्रमिकों को सुनने के बाद, छात्रों को सुनने के बाद, केवल नौकरशाही के इशारे पर वक्तव्य बनाया गया है । उस वक्तव्य में श्रमिकों के खून की गंध आती है इस वक्तव्य में । इस वक्तव्य को मैं फाड़ता हूं ।

(श्री गुलाब सेहरा ने वक्तव्य की प्रति फाड़ दिया ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का एक सवाल है । श्री गुलाब सेहरा ने अभी वक्तव्य की कापी फाड़ी । क्या यह इनका आचरण संसदीय परम्परा के अनुकूल है ?

श्री अध्यक्ष—

यह जाहिर है, आप भी जानते हैं यहां पर वक्तव्य का फाड़ना, संसदीय प्रणाली के खिलाफ है, अत्यन्त अनुचित है । क्योंकि इस दल के वह कार्यवाहक नेता भी हैं, उनसे ज्यादा अच्छे व्यवहार की आशा की जाती थी । उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था । थोडा संयम रखना चाहिय था ।

श्री गुलाब सेहरा—

इस वक्तव्य में कोई असलियत है ? 10 व्यक्ति बता रहे हैं कि मरे हैं । 100 आदमी मरे हैं । यह वक्तव्य है ? झूठ का पिटारा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं मान्यवर, मेरे साथियों ने जो वहां गये थे, जो उन्होंने वर्जन किया । मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहूंगा । जो बातें उन्होंने कहीं, एक बात स्पष्ट है । मैं कोई गुस्से में या किसी पक्ष से नहीं कहता, न मेरा ऐटीट्यूड है कि किसी पक्ष में बोलूं । 208 राउन्ड गोलियां चलायी गयीं । इसके सम्बन्ध में शासन की तरफ से कोई भेद नहीं है, वह स्वीकार करता है और 12 आदमियों की मौत भी स्वीकार करता है । इस सारी बहस के बाद इसमें दो राय नहीं हैं कि ज्यादती हुई है । हम में से कोई आदमी अगर कहे कि ज्यादती नहीं हुई है तो वह वास्तविकता से दूर होगा । 208 राउन्ड गोलियां, फौज वाले जानते हैं, पूरे ब्रिगेड में 208 राउन्ड गोलियां फायर नहीं होती हैं । यह गोली चली, पिछले समय में भी

चली और आगे भी चलेगी । मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस सदन की एक कमेटी बनायी जाय । पी0 ए0 सी0 का क्या रोल हो, कोड जो पुराना बना हुआ है, उस कोड को रिवाइज करना चाहिये कि पी0 ए0 सी0 के और पुलिस के लोगों को किस हालत में गोली चलानी चाहिये ।

अप्रेहेन्सन आफ पीस में कहीं पर भी गोली चलाने का अधिकार नहीं है । हमारे यहां से बड़े प्रदर्शन जापान में होते हैं, फ्रांस में होते हैं । आस्ट्रेलिया में इसके लिये एक कोड बनाया गया है कि आदमी के मारने पर आदमी मारा जाता है । मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पार्टी की बहस में न ले जाय । हम इस घटना पर गम्भीरता पूर्वक सोचें । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी इस्तेमाल किया जाये, लेकिन फायरिंग न की जाये । इस बहस का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कोई समिति या कमीशन न बनाया जाये । समिति तो यह सदन बना सकता है । हमें पी0 ए0 सी0 के रोल को डिफाइन करना चाहिये । जो घटना हुई उसके सम्बन्ध में यहां पर बहस भी हुई, उसकी जिम्मेदारी हमारे शासन की है । मुझे नहीं मालूम कि कितनी जानें गईं । मंत्री महोदय गये और हमारे साथी उदित नरायन शर्मा भी गये । वह इस हाउस की कमेटी की ओर से गये । सभी लोगों ने कहा कि हम सदन की कमेटी के हैं ।

श्री उदित नरायन--

मान्यवर, मैंने कभी नहीं कहा ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

और लोगों ने कहा । यहां से टेलीफोन गया कि ये लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाये । ए0 डी0 एम0 ने उनका स्वागत किया और ठहरने की व्यवस्था भी की । मैं कहता हूं कि जो दूसरे लोग भी गये थे अगर उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिये थी । सभी का स्वागत करना चाहिये था । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनको उन लोगों को भी देखना चाहिये था जिनको गोली लगी थी । मान्यवर, हम सदन में बैठे हैं । माननीय शतरुद्ध प्रकाश किसी की बात को धैर्य से नहीं सुनना चाहते हैं। आप लेक्चर देना जानते हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आप अध्यक्ष नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग उत्तेजित न होइये ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आपकी व्यवस्था चलेगी, इनकी नहीं ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, बार-बार कहा जा रहा है कि पुलिस और पी0 ए0 सी0..... ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्त रहिये । देव बहादुर जी, आप शान्त रहिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मेरे साथी लोग जो गरज रहे थे, मैं उनको जानता हूं मैंने कल देखा है....।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

तोमर जी अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैं मान्यवर, निवेदन कर रहा था कि वहां पर जो फायरिंग हुई वह गलत हुई और भविष्य में इस तरह की फायरिंग की पुनरावृत्ति न हो।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, पन्तनगर के बारे में सरकार की ओर से दो बयान दिये गये। एक बयान 14 तारीख को दिया गया और दूसरा बयान कल दिया गया। मान्यवर, पंतनगर के विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रश्न पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन 13 तारीख को जो 208 रउंड गोली चली है और जिस बर्बर तरीके से वहां पर गोली चलाई गयी है, उसके बारे में जो बयान सरकार की ओर से दिया गया है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि वह असत्य है और मैं इस चुनौती की प्रमाणिकता भी करने जा रहा हूं।

मान्यवर, 14 तारीख को इस सदन के अन्दर शासन की ओर से माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने बयान दिया और यह बताया कि मैं कार्यवाही को पढ़ रहा हूं। 13 तारीख को जुलूस 2 हजार का वाइस चांसलर के निवास स्थान की ओर लाठी तथा बल्लम से युक्त बढ़ रहा था। यह छात्रावास 456 था जहां पर 10.45 बजे गोली चली। दूसरा स्थान "मटकोटा" गांव के पास। 14 तारीख के बयान में लिखा गया था कि 2 हजार का एक जुलूस उपकुलपति के निवास स्थान की ओर बढ़ रहा था और लाठी और बल्लम से युक्त। इसके बाद यह बताया गया कि जब 164 राउन्ड गोली चली तो 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 33 व्यक्ति घायल हुए। कल माननीय मुख्य मंत्री जी का जो बयान हुआ उसमें यह बताया गया कि 456 होस्टल के चौराहे पर पहले 400-500 आदमियों का एक जुलूस था और फिर 500-600, जो वहां पर मौजूद थे, मिलकर एक हजार के लगभग हो गया। उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए जुलूस ऐडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। जो लोग वहां पर गये और जिनको पंतनगर विश्वविद्यालय की जानकारी है वे जानते होंगे कि वाइस चांसलर के घर पर जाने के लिये कोई जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक से होकर जाया जाय। 14 तारीख के बयान में उप-कुलपति के निवास स्थान की ओर जाना बताया जाता है और 18 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की ओर जुलूस जाता हुआ बताया जाता है। मान्यवर, ये दोनों विरोधाभास हैं सरकार के वक्तव्य में। 14 तारीख को जो बयान दिया गया उसमें बताया गया था 8 मरे 33 घायल हुए और 18 तारीख को जो बयान दिया गया है बताया गया कि 3 मरे और 31 घायल हुए। 2 मरने वालों की संख्या कहां चली गयी? और 2 घायल कहां चले गये?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा "मटकोटा ब्लाक" में 12 बजकर 5 मिनट पर गोली चली। 14 तारीख का जो बयान है उसमें बताया गया कि 1000–1500 श्रमिकों की एक भीड़ फार्म हाउस जलाने का प्रयत्न कर रही थी और जब वे टीयर गैस चलाने से नहीं हटे तो 44 राउंड गोलियां चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति मर गये और 7 घायल हुए। 18 के बयान में यह भी कहा गया कि डिप्टी डायरेक्टर फार्म और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों को भी चोटें पहुंची। 14 तारीख को फार्म को जलाने की बात कही गयी और 18 तारीख को डिप्टी डायरेक्टर फार्म और अन्य कर्मचारियों की चोटों की बात कही गयी।

श्री अध्यक्ष––

18 अप्रैल नहीं, 18 तो आज है। आप 17 अप्रैल कहिए?

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

हां, मान्यवर, मेरी भूल है। यह 17 अप्रल का बयान था। इस 17 तारीख के बयान में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय बस एवं पी0 ए0 सी0 की बस को क्षति पहुंचाई। इस बयान में कही भी यह नहीं कहा गया है कि वहां के उत्तोजित श्रमिक आग लगाने जा रहे हैं। 14 तारीख के वक्तव्य में कुछ आरोप और 17 तारीख के वक्तव्य में कुछ आरोप। और मान्यवर, इसमें लिखा है कि 14 को दो मरे और 7 घायल और 17 का बयान है कि 2 मरे और 6 घायल। तो एक घायल क्या हुआ, कुछ बताया नहीं। और एक रामऔतार गुप्ता के बारे में बताया गया। मुख्य मंत्री जी के बयान में लिखा है कि एक अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारी को चोट पहुंचाई गयी। वह कौन है। जैसा शर्मा जी ने बताया, एस0 डी0 एम0 रुद्रपुर हैं और एस0 डी0 एम0 साहब ने बताया कि उस कर्मचारी का नाम रामऔतार गुप्ता है। आज यह तस्वीर साथ में है, उसको कोई चोट नहीं आई... (लाल बत्ती जलने पर) यह लाल बत्ती बुझा दें, यह खतरे का निशान है।

श्री अध्यक्ष––

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

गोली तो चल गयी। चलने के बाद आज पन्तनगर विश्वविद्यालय की हालत क्या है, इसको देखना चाहिये। आज कहीं भी वहां शैक्षणिक वातावरण नहीं है। न कोई अधिकारी है शिक्षा देने के लिये न प्रशासन का कोई अधिकारी रह गया है। अखबार में निकला कि वाइस चांसलर छुट्टी चले गये हैं, लेकिन उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और दूसरे वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं की है। न छात्र जा रहे हैं न अध्यापक जा रहे हैं कक्षाओं में और सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि पन्तनगर विश्वविद्यालय के 16 हजार एकड़ के फार्म में 10 हजार एकड़ में गेहूं बोया गया और उसको काटने वाला कोई नहीं है। फसल खड़ी हुई है। कर्मचारियों और मजदूरों पर गोली चल गयी है। कुछ लोग अस्पताल में हैं। वहां के सब मजदूर भाग गये हैं। कोई फसल काटने को तैयार नहीं है। फसल बरबाद होने जा रही है।

श्री अध्यक्ष––

आप कृपा कर समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

आखिर में इतना ही कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने अखबारों में बयान दिया कि 12 व्यक्ति मर गये हैं, 12 से ज्यादा नहीं मरे हैं और कोई कहे तो वह जांच करायेंगे। तो मैं

[श्री शतरुद्र प्रकाश—]

दो लोगों का नाम दे रहा हूं मुख्य मंत्री जी को। एक सिया राम नाम का ऐनाटामी डिपार्टमेंट में एनीमल अटेंडेंट कर्मचारी है विश्वविद्यालय का, उसकी 22 साल की उम्र है। अभी हाल में उसकी शादी हुई और उसको गोली से मार दिया गया। एक साल की एक लड़की है उसके और 4 साल का लड़का है। उसके घर वालों को लाश नहीं दी गयी है। मैं चाहूंगा कि उसकी लाश का पता करें मुख्य मंत्री जी और मटकोटा ब्लाक में जहां पर एक रघुनाथ प्रसाद है उसकी भी लाश अभी तक नहीं मिली है। उसके परिवार के लोग शोर कर रहे ह कि गोली चलाने वाली सरकार कम से कम लाश को तो वापस करवा दो।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

समाप्त तो मैं करूंगा। वह जो गोली कांड हुआ है, लोग 13 अप्रैल को याद करेंगे, इस बैसाखी को याद करेंगे और जलियान वाले बाग को याद करेंगे। वह पन्तनगर विश्वविद्यालय में 208 राउन्ड गोली चलाये जाने की घटना को याद करेंगे और इस प्रकार कोई भी जनता पार्टी का आदमी सिर ऊंचा नहीं कर पायेगा। 13 अप्रैल की घटना को याद करके हमारा सिर शर्म से झुक रहा है और उसके लिये एक मित्र जिम्मेदार हैं मुख्य मंत्री जी। वाइस चांसलर को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। सारे का सारा दोष रामनरेश जी यादव को ही दिया जा सकता है।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

13 अप्रैल को पन्तनगर में घटी घटनायें, अखबारों में आयी रिपोर्ट, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से दिया हुआ बयान और उसके बाद मौके की जानकारी और कल फिर मुख्य मंत्री जी की तरफ से दिया गया बयान जिसमें तमाम अधिकरियों पर से दोष हटाने की कोशिश की गयी है। मान्यवर, दिमाग में बस एक बात आती है कि—

तुम्हीं दिलवर तुम्हीं कातिल तुम्हीं मुंसिफ ठहरे।
अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर।

मान्यवर, अगर आप पन्तनगर गये होते तो कहने की भी हिम्मत न करते, लेकिन यहां बैठकर कह देना बहुत आसान है। यह सदन प्रतिबिम्ब है उन बातों का जो प्रदेश के अन्दर होती हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बाज वक्त हम प्रतिबिम्ब न बन करके कुछ दलगत भावनाओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि सच्चाई पर भी परदा डालने की कोशिश करते हैं।

मान्यवर, पंतनगर यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के अन्दर वाइस चान्सलर साहब बार-बार जाते हैं। पी0ए0सी0 का डी0वाइ0एस0पी0 की हैसियत वाइस चान्सलर के सामने क्या होती है ? एक थानेदार की हैसियत उनके सामने क्या होती है ? यह सब लोग वहां पर बैठकर मीटिंग करते हैं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी खुद मौके पर गये थे तो उनको मालूम हुआ होगा कि गेस्ट हाउस में 2–3 सौ बोतलें शराब की निकलीं। नैनीताल जिले में, जहां शराब बन्दी हो, शिक्षण जैसी संस्था में जब शराब भी पी जायगी तो उसके नतीजे में अगर गोली नहीं चलेगी तो क्या होगा ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ न्याय चाहता हूं। उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही बात को समझने की कोशिश की है और उन्होंने उन लोगों को सलाह दी है कि वे या तो छुट्टी लें या इस्तीफा दे दें । मगर माननीय मुख्य मंत्री की सलाह के बावजूद वाइस चान्सलर साहब ने न तो आज तक इस्तीफा दिया है और न ही वे छुट्टी पर गये हैं । वे इस्तीफा देने से आज तक इनकार करते चले आ रहे हैं ।

मान्यवर, जहां गोली चलती है वहीं मंदिर और मस्जिद भी पास–पास हैं । गोली चलने की आवाज सुन कर मंदिर से एक व्यक्ति पूजा करके बाहर आता है । थानेदार सिरोही उसे भी गोली मार कर खत्म कर देते हैं । मंदिर की दीवार पर गोलियां आकर लगी हैं । ऐसे लोगों को गोली चलाने की जब यह प्रवृत्ति होगी तो मंदिर और मस्जिद के प्रति उनकी क्या भावना हो सकती है ? मान्यवर, यह समस्या बड़ी गम्भीर है, इस पर सभी को विचार करना चाहिये । पी0ए0सी0 या पुलिस को दोष देना बेकार है, सरकारी कर्मचारी चाहे पुलिस के हों, चाहे अन्य किसी विभाग के हों, जब वे यह देखते हैं कि उनके ऊपर के लोग उनकी लगाम को ठीक तरह से नहीं पकड़ पाते तो वे ऐसा ही करते हैं जो 13 अप्रैल को उन्होंने किया । इसके दो–तीन दिन पहले खुद पी0ए0सी0 के लोगों में इसको लेकर झगड़ा हुआ । वाइस चान्सलर साहब का जो बयान निकला, जो 15 अप्रैल को छपा, उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने कहा कि कोई समझौता नहीं है । समझौता तो मैंने प्रशासन के दबाव में मान लिया । उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम करने के बजाय समझौते के लिये दबाव डाल रहा है । वाइस चान्सलर को यह बात भी पसन्द नहीं थी कि प्रशासन के लोग समझौता कराने की कोशिश करें । वे तो यही चाहते थे कि प्रशासन अपना काम करे, गोली चलाये, उनको भूने । ईस्टर्न यू0पी0 और बिहार के उन गरीब किसानों और मजदूरों के हित की बात सोचने वाला कोई नहीं है । सुख–सुविधाओं की जगह उनको गोलियों से भून डाला गया । मैं अपने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपील करूंगा और माननीय जय प्रकाश जी की बात को कहना चाहूंगा कि अगर आदेश गैर कानूनी हो तो वह आदेश चाहे कोई भी अधिकारी दे, उसका पालन पुलिस को नहीं करना चाहिये । चाहे आदेश मुख्य मंत्री का ही क्यों न हो, अगर वह गैर कानूनी है, तो उसे नहीं मानना चाहिये । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह और दरख्वास्त करूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में किसी दबाव में आये बगैर उन गरीब मजदूरों के साथ जरूर न्याय करें, जिनका खून पंतनगर में बहाया गया है । इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, हमको मौका दे दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें दो घंटा 20 मिनट का समय हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुझे बोलने का अवसर मान्यवर, दे दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें 2 घंटे 20 मिनट का समय हो चुका है .... (व्यवधान) ....

श्री रियासत हुसैन---

हम किसी और मकसद से नहीं कह रहे हैं, मुझे केवल एक बात कहनी है, मुझे मौका दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप सब बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय रियासत जी, आपको क्या कहना है ?

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, इतनी बहस के बाद मैं वाक्यात की तरफ जाने की कोई जरूरत नही समझता हूं मैं आपके द्वारा केवल माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में यह ऐलान किया कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो कानून सबके लिये एक है, तोमर जी ने तथा और कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि कमेटी बने । उसकी कोई जरूरत नहीं है । अगर मुख्य मंत्री जी आपके अन्दर अपनी उस बात को पूरा करने की बात है कि कानून में सभी बराबर हैं, तो वाइस चांसलर और पी0ए0सी0 के एस0पी0 और जो लालकुआं के एस0पी0 हैं उनको 302 का मुलजिम बना दीजिये । अगर पाकिस्तान के अन्दर भुट्टों के ऊपर 302 का मुकदमा चल सकता है तो हिन्दुस्तान के अन्दर इन पर 302 का मुकदमा चल सकता है । एक बार यह मालूम हो जाय कि पुलिस के ऊपर भी 302 का मुकदमा चल सकता है । अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप इस्तीफा दे दें । आप इस्तीफा देकर चले जायं । पूरा प्रदेश आपकी तारीफ करेगा कि इसी मसले पर मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठ जायं । अब इसमें समय नहीं । इस पर बहस अब हम समाप्त कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

मुझे एक मिनट का मौका दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

भगवती प्रसाद सिंह जी आप बैठ जाइये, मेरा अनुरोध है । आप कृपया बैठ जाइये । अब हम मुख्य मंत्री जी को बुला रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)---

मान्यवर, माननीय सदन के समक्ष एक नई बात है . . .

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

आप नहीं अवसर देंगे, मैं बैठ जाऊंगा । मान्यवर, मेरी पार्टी के ऊपर चार्ज लगाया है माननीय मुख्य मंत्री ने, इसलिये मैं चाहूंगा कि 1 मिनट मुझे बोलने का अवसर दिया जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा एक मिनट आप बोलिये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मार्क्सवादी और इन्दिरा गांधी की पार्टी की तरफ से ऐसा हुआ है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, कानपुर में क्या हमने गोली चलाई ? मान्यवर, क्या गोली फतेहपुर में हमने चलाई ? आजमगढ़ में गोली हमने चलाई ? गाजियाबाद में गोली हमने चलाई ? बनारस में गोली हमने चलाई ? मान्यवर, मुख्य मंत्री के हाथ खून से रंगे हुए हैं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने आरोप लगाया है ।

श्री अध्यक्ष—

भगवती प्रसाद सिंह जी आपकी बात हो गयी ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को मालूम होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

एक सदस्य—

मान्यवर, जो विधायक वहां गये थे उनको आपने बोलने का मौका दिया है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, बहस के लिये एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।

(शोर)

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर ।)

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं अपनी बात कह कर रहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

उन्होंने आरोप लगाया है ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर तथा साथ-साथ बोलने से शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जायेंगे ।

भगवती प्रसाद सिंह जी ने जो कहा है, आगे, यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़िए ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़िए । मार्शल इनको बाहर निकालिए ।

(व्यवधान)

आप लोग शांत रहिए । आप लोग बैठ जायं ।

आप बैठ जाइए नहीं तो मार्शल आपको बाहर हटाइए। बाहर निकालिए इनको। आप लोग हट जायेंगे ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप इनको बाहर निकालिये ।

(मार्शल श्री भगवती प्रसाद सिंह को बाहर ले गए।)

भगवती प्रसाद सिंह जी को मैं देखता हूं, मैंने अनुमति बोलने की दी। मैंने उनको अवसर भी दिया। उसके बावजूद यह कहीं सदन की परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

नोट:— [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आप लोग शान्ति रखिए। सी0 पी0 आई0 (एम0) मान्यता प्राप्त ग्रुप इस सदन के अन्दर नहीं है। उसके बावजूद भी उनको समय दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार से वह खड़े हों और कहने पर भी न बैठें यह सदन के कार्य के अन्दर बाधा डालना है। इस प्रकार के आचरण पर सोचना पड़ेगा कि सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित चलाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं विरोधी दल के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सभा, लोक सभा का नियम यह है कि वहां दलों की संख्या के लिहाज से समय दिया जाता है। लेकिन हमारे सदन की परिपाटी यह है कि जितने भी विरोधी पक्ष हैं, इन्दिरा कांग्रेस हो, रेड्डी कांग्रेस हो, निर्दलीय, कम्युनिस्ट पार्टी कोई ऐसा दल नहीं है, जिसको कि इस बहस में बोलने का समय न दिया गया हो। अन्त में श्री भगवती प्रसाद सिंह को भी मौका दिया गया। इस प्रश्न पर जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि दो घंटे की बहस चलेगी वे हैं माननीय देव बहादुर सिंह, श्री गुलाब सेहरा, श्री शतरुद्ध प्रकाश। यह सब लोग हमारे कक्ष में गए थे कि इस पर दो घन्टे का विवाद हो तो मैंने नियम 51 में स्वीकार किया था और मैंने कहा था कि दो घंटे का इस पर विवाद होगा। तो दो घंटे की जगह 2 घंटे 20 मिनट से भी अधिक विवाद हो गया। यह ठीक है कि इस प्रश्न पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं लेकिन आज दो घंटे की बहस और भी करना है। इसलिए आप लोगों ने जो बातें कहीं उस पर मुख्य मन्त्री को उत्तर भी देना है। इसलिए मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर वह कहें।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जायं। आपके दल के नेगी जी बोल चुके हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, आप सदन की व्यवस्था के अनुकूल चलना चाहते हैं तो जो पन्तनगर गए हैं उनको आपने कहा था कि कुछ न कुछ समय दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

सब को तो समय नहीं दिया जा सकता है। आपके दल की तरफ से गोविन्द सिंह नेगी बोल चुके हैं। इसलिए आप बैठें।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, 2 घंटे 20 मिनट में जो आप बोले हैं वह समय घटा दें। इस प्रकार 2 घंटे 20 मिनट में आधा घंटा आपका है उसको घटा दें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष—]

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

मैं नियम निलम्बित करता हूं और सब लोग एक साथ बोलें।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

जो कुछ आपने कहा वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। बहस को मैंने समाप्त कर दिया है और जो भी बोलेंगे वह इस कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मैं व्यवस्था का सवाल करना चाहता हूं.....।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि जो लोग सूचना देंगे उनके बारे में जांच की जायगी। मैं एक लिस्ट को पढ़ना चाहता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। तीन चार माननीय सदस्य ऐसे बैठे हैं जो स्वयं पन्तनगर गए थे। दस मिनट आप ने टाइम लगाया। दो-दो मिनट कर के अगर उन सदस्यों को दे दें तो मैं समझता हूं कि वे भी अपनी बात कह लेते।

यह निवेदन कर रहा हूं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। दो-दो मिनट समय दे दें 5-6 सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट में कोई अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आप टाइम देंगे तो भी हम नहीं बोलेंगे। हम लोगों को टाइम नहीं चाहिए। लेकिन आप सुन तो लीजिए। आप की आज्ञा शिरोधार्य है। आप सुन लें। आपने स्वयं आदेश दिया। माननीय भगवती प्रसाद सिंह खड़े होकर बोल रहे थे। मैं उस का गवाह हूं पूरा सदन गवाह है। जब वह बोल रहे थे बीच में कोई सज्जन ने भाषण शुरू कर दिया। मैं समझता था कि उनको रोका जायगा न कि उनको निकाला जायगा जो कि आपकी आज्ञा से बोल रहे थे। श्रीमन्, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। हमको समय दें और हम ही को निकाल दें। माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी को आज्ञा थी लेकिन बीच में कोई चीत्कार कर बोलने लगे। कार्यवाही है उसको आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—

आपको मैं समझता हूं, भ्रम है। मैंने भगवती प्रसाद सिंह जी को बोलने की अनुमति दी जब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मिनट बोलना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा अब आप समाप्त कीजिए। मैंने एक दफा नहीं कई दफे कहा कि समाप्त कीजिए लेकिन उन्होंने.....

श्री गुलाब सेहरा—

बोले कहां, बिल्कुल नहीं बोले। एक मिनट भी नहीं हुआ कि उन को बोलने में व्यवधान उधर से उपस्थित किया गया।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही यहां पर मौजूद है। वह उस पर बोले। उन्होंने कहा लखनऊ में गोली चली, बनारस में गोली चली, इलाहाबाद में गोली चली, ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने एक मिनट के लिए कहा और उसके बाद जब उन का भाषण हो गया तो मैंने कहा अब आप समाप्त कीजिए। उसके बाद मैंने कहा कि अपने दल के केवल आप एक सदस्य हैं आप अपनी बात कह चुके और अब आप बैठ जाइए। इसके बावजूद वे नहीं बैठे.... ।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

आप ने उन को एक ही मिनट दिया मान लीजिए! लेकिन बीच में व्यवधान डाला जाता है..... ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन से कहा कि आप भाषण समाप्त कीजिए।

*श्री गोविन्द सिंह नगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, हम को तकलीफ हो रही है। जो इस पक्ष में बठे हैं हम को तकलीफ हो रही है। अभी एक माननीय सदस्य आप की आज्ञा के बगैर बोलते जा रहे थे लेकिन बदकिस्मती विरोधी पक्ष की है कि अगर हम कोई ऐसे ढंग से बोलते हैं तो हम को तो निकाल दिया जाता है परन्तु उधर के पक्ष के लोग आप की आज्ञा के बगैर बोलते जाते हैं तो उन को निकालने का कभी भी कोई प्रश्न इस सदन में नहीं आया मेरा निवेदन है कि विरोध पक्ष को संरक्षण आप के द्वारा ही मिल सकता है क्योंकि हम लोग अल्पमत में हैं और जो लोग बहुमत में हैं वे अपने बहुमत के बल पर अपनी बात मनवा सकते हैं। हमारे अधिकारों की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। यदि इस प्रकार हमारे सदस्यों को एक-एक करके निकाल दिया जाय और बहुमत वालों को अनुशासनहीनता करने दिया जाय तो यह विरोध पक्ष के साथ अन्याय होगा। मेरा निवेदन है कि भगवती सिंह जी को बुला लिया जाय, जोश में आ गये थे, वह भी अपनी बात कहना चाहते थे। इसलिये आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करके भगवती प्रसाद सिंह को बुला लें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें मुझे कोई खुशी नहीं। भगवती प्रसाद सिंह कभी-कभी जब उनकी इच्छा होती है खड़े हो जाते हैं। चूंकि वह बोलना चाहते थे इसलिये उनको मैंने एक मिनट का अवसर दिया। कार्यवाही के अन्दर आप देख लें एक मिनट नहीं दो मिनट से अधिक का उनका भाषण है। उसके बाद भी जब मैंने कहा कि वह अपना भाषण समाप्त करें, और यह मैंने एक दफा नहीं कई दफा कहा तो भी वह अपने ढंग से बोलते रहे। तब मैंने उनसे सदन छोड़ने को कहा। उसके बाद माननीय सदस्यों ने उनसे बैठ जाने को कहा तब भी वह नहीं बैठे। तब मैंने मार्शल को कहा उनको सदन से बाहर ले जाने को। इसी तरह से सुन्दर लाल जी द्वारा एक दो दफा ऐसा किया गया था और कभी ऐसा नहीं हुआ। आखिर आपने ही सर्व सम्मति से यह कहा कि विवाद दो घंटे का हो और मैंने फिर विवाद को समाप्त किया 2 घंटे 25 मिनट पर, आखिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

कहीं तो उसका अन्त होगा । लेकिन आपने कहा कि जो लोग पन्तनगर गये हैं उनको अवसर दिया जाय । स्वेच्छा से लोग गये थे ।

श्री मैनेजर सिंह—

आधा समय तो आप ही ले लेते हैं ।

श्री ऊदल—

4, 5 बचे हैं—कुल मिला कर 10 मिनट लगेंगे । दो-दो मिनट आप दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

जो लोग पन्तनगर गये हैं उनको दो मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा और दो मिनट बाद अपने आप बैठ जायेंगे ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं पन्तनगर गया था । माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि 12 लोग मारे गये और उनके अतिरिक्त और लोगों के मरने के बारे में अगर कोई सूचना दी जायगी तो उसकी जांच कराई जायगी । मैं सदन के पटल पर 36 नामों की सूची रखता हूं जिनमें 15 मजदूर तो मेरे जनपद देवरिया के मारे गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं :—

सर्वश्री सियाराम, बदायूं, छोटे लाल बदायूं, मोहम्मद अली बरेली, कोदई देवरिया, रामकरन देवरिया, मुदीन मोतिहारी, विष्णुकी देवरिया, राम असीस गोपालगंज, गंदा तली देवरिया, रामाधार देवरिया, राम लाल गोरखपुर, लक्ष्मण रांची, केशर रांची, कमल मोतीहारी, राम शंकर देवरिया, अन्सारी–राम बचन गोरखपुर, सीताराम मोतिहारी, शिव पूजन मोतिहारी..... ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये । अब मैं इस प्रकार की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा ।

श्री जय राम—

अध्यक्ष महोदय, मैं वहाँ गया था । हमारे मुख्य मंत्री जी ने 12 लोगों के मरने की बात तसलीम की है । कहा जाता है कि वह लोग बल्लम और गड़ांसा लेकर आये थे । तो जो 12 आदमी बल्लम और गड़ांसा लाये थे वह कितने थे कम से कम इसकी जानकारी करनी चाहिये थी ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां दो औरतें थीं उन्होंने कहा कि वह लोगों को बचाना चाहती थी और बोरों से उनको ढक रखा था । पुलिस वाले अन्दर जाकर घसीट कर लाये और दरवाजे पर मार कर ट्रक में लाद कर ले गये । माननीय मुख्य मंत्री जी समग्र क्रांति की बात करते हैं और उसके पहरे दार बनते हैं । मैं तो जानना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा शास्त्री जी की नकल करते, ताकि आने वाले लोग उनका भी नाम लेते । शास्त्री जी ने एक रेलवे एक्सीडेन्ट में इस्तीफा दे दिया । हमारे पड़ोस में रहने वाले सीधे सादे मंत्री थे और कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया और उन्होंने भी त्याग-पत्र दे दिया । इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इससे बचने के लिये त्याग-पत्र दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी, अगर आप पन्त नगर गये हैं तो बोल लें वर्ना नहीं । क्या आप गये हैं ? मैं सिर्फ उन्हीं को अनुमति दूंगा जो वहां गये हैं ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं । इस सदन के अन्दर ऐसे माहौल में एक चीज प्रस्तुत है । तो क्या वही लोग जो वहां गये हैं बोल सकते हैं या जिन्होंने अखबारों में पढ़ा है और मुख्य मंत्री जी का बयान सुना है वह भी अपना विचार रखना चाहेंगे इसलिये क्या उनको आप वंचित कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो वैसे ही बोल चुके हैं ।

श्री बाबू बदरे—

आपने मुझको इंगित किया कि बाबू बदरे साहब आप बहुत समय नष्ट करते हैं तो मैं चुप हो गया । जब मैं खड़ा होता हूं तो समय नहीं देते हैं । पक्ष और विपक्ष में बात आई है इस माहौल में मैं राय देना चाहता हूं कि इस तरह के भाषणों से सुधार आयेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री बाबू बदरे—

सीने पर गोलियां चलती हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी मौका दिया जाय पांच मिनट नहीं तो दो मिनट ही दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट तो आपने वैसे ही ले लिये । इसमें व्यवस्था कोई नहीं है जो लोग गये हैं उन सबको बोलने का अवसर दे दिया तो कहीं तो बहस का अन्त होगा कि नहीं ?

श्री बाबू बदरे—

जो नहीं गये हैं उनको बोलने का मौका दिया जायेगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने दोनों तरफ के लोगों को बुलाया है । जो लोग नहीं गये हैं वह भी बोले हैं । अब मैं समय नहीं दूंगा ।

मैनेजर सिंह जी, क्या आप गये हैं । मैं उन्हीं लोगों को समय दूंगा जो गये हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

आप यह निर्णय दे दें कि मेरा भाषण रिकार्ड नहीं होगा, लिखा नहीं जायेगा । लेकिन मेरी बात सुन लें । मैं सुनाना चाहता हूं । आप कह दें कि इस सदन में लिखा न जाय । इतनी बड़ी घटना हो गई, बोलने का समय नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आखिर यह बतलायेंगे कि कितने लोगों को मैं अवसर दूं ? (व्यवधान) मुख्य मंत्री जी आप इस पर बहस चलने दें, जब तक सब सदन के लोग न बोल लें, सदन चलने दें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

जब तक लोग बोलना चाहेंगे, रात को 11 बजे तक तब तक सदन चलता रहेगा, यदि सदन सहमत हो । इसलिये अब आप बोलिये जब तक बोलना चाहें ।

(इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की) (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

आप मुझे कितना समय दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

दो मिनट बोलिये ।

श्री मैनेजर सिंह--

अभी इस घटना पर विचार करते समय हमारे साथी तोमर जी ने कहा कि इस बात की छानबीन करनी चाहिये कि पुलिस को किन परिस्थितियों में गोली चलानी चाहिये । मुझे अफसोस है कि साथी तोमर जी, जो सोशलिस्ट आन्दोलन से पैदा हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि देश में जो पहली समाजवादी सरकार केरल में कायम हुई थी, उस समय एक घटना घटी थी, आकस्मात् मजदूरों पर गोली चली, उस गोली काण्ड से समस्त समाजवादी विचलित हो गये और एक तूफान खड़ा हो गया । उस पर विचार हुआ कि गोली किन परिस्थितियों में चलाई जानी चाहिये । मुख्य मंत्री जी की ओर उन सदस्य को इसे पढ़ना चाहिये । पन्त नगर विश्वविद्यालय में गोली कोई आकस्मात नहीं चली है, यह सुनियोजित हत्या का प्रयास किया गया है, यह मानकर कि पूरब के मजदूर जो काम करते हैं, ये निकम्मे हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिये इनको हटाया जाए । तो पूरब के गरीब मजदूरों को हटाने के लिये जो कार्यक्रम चला उसका विरोध हुआ, तो उनका कत्लेआम करके उनका सफाया करने का काम किया गया इस तरह । यही हालत है, इसी प्रकार का शासन करना है तो आप इस प्रदेश का बंटवारा ही कर दीजिए, पूर्व के जिलों के लिये आप अलग प्रदेश बना दीजिए । नहीं तो आप पूरब के लोगों की रक्षा कीजिए, एक बिरादरी के लोगों से ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, अब समय का प्रतिबन्ध तो है नहीं, अब आप सबको बोलने दें । (व्यवधान) इसके पहले मैं बोलूं, मेरा निवेदन है कि भगवती प्रसाद सिंह जी को सदन में वापस बुला लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

श्री भगवती प्रसाद सिंह जी पुनः सदन में आ जाएं । मैं पहले के आदेश को निरस्त करता हूं, भगवती प्रसाद सिंह जी आ सकते हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

पन्त नगर में जो आतंक फैला हुआ है, वह वैसा है, जैसे श्मशान घाट पर शान्ति होती है, यह अखबारों से पता चलता है । इसके दो बार वाकयात हमको मालूम हैं, मैं बिलकुल नई बात आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं । अब मुख्य मंत्री जी बतायें कि इसम बात सही क्या है । वहां रुद्रपुर में 7 यूनिटें हैं पी0 ए0 सी0 की, किन्तु क्या वजह है कि जिस दिन यह नरसंहार हुआ है, दो यूनिटें बरेली और रामपुर से वहां बुलाई गईं और एक खास जाति की बुलाई गई हैं ?

7 यूनिट को सरपास करके बरेली व रामपुर से दो यूनिटें एक जाति की बुलाई गई। फिर 12 तारीख की शाम को ही कुछ मजदूरों को पकड़ लिया गया और जुलूस उस समय निकाला गया था जिस समय हिंसा का वातावरण चल रहा था, 13 तारीख की सुबह को वहां के प्रशासन को, वाइस चांसलर को, कुलपति को, रजिस्ट्रार को, वहां के अधिकारियों को पता चल गया था कि हिंसा होगी, नरवध होगा। क्या यह बात सही नहीं है कि जितने अधिकारी हैं एक दो खास खास घरों में उनके परिवारों को रख दिया गया था, तो जिस समय गोली चले उन लोगों को न लगे। क्या यह बात सही नहीं है ? साथ ही साथ मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुलपति जी अभी छः सात महीने पहले नियुक्त हुए हैं। तारीख मुझे मालूम नहीं है। इनका इतिहास जो मुझे मालूम हुआ है, वह यह है कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। सतर्कता विभाग का आरोप था। पुराने मंत्रिमंडल ने इनको हटा दिया था। यह हरियाणा चले गये थे। लेकिन फिर बुला कर इनको रखा गया वाइसचांसलर। कयों रखा गया ? जब इनको हटाया गया था, जो भ्रष्टाचार की बात कहीं गयी थी, उसमें एक खास बात थी। वह यह थी कि इन पर आरोप यह था कि 40—50 व्यक्तियों को, विशेष जाति के लोगों को या तो पदोन्नति किया था या पदावनति किया था, नियुक्ति, प्रोन्नति भी की थी। यह बताया जाय कि यह सही है या नहीं। साथ ही साथ वाइस चांसलर साहब देश में हैं, कहां प्रदेश मे हैं, वहां शासन किसका है ? राज्य सरकार का है या नहीं, वाइस चांसलर का है या नहीं। यह भी नहीं बताया जाता, मुअत्तल वह नहीं हुए हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं। अखबार कहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री ने उनको सलाह दिया था कि इस्तीफा देने के लिए। तो कैसे इस्तीफा नहीं दिया और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो मुअत्तल क्यों नहीं कर देते हैं ? 302 का मुकदमा चलाने की चेष्टा क्यों नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री श्याम धर मिश्र—

यह बताया जाय कि वह छुट्टी पर हैं या कहां पर हैं ? वहां नहीं हैं, न बिजली है न पानी है और लड़के वहां शासन कर रहे हैं, गाय दुह रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। यह कैसा शासन है ? इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी साथ बैठे हैं, सुना है बड़ा मतभेद इन लोगों में है, लेकिन इस समय बगल-बगल बैठे हैं। हमें बता देते कि क्या मतभेद है, किस तरह से नरसंहार हो गया।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, अभी मैंने सदन के अन्दर भाषण सुने। इस दल को भी सुना, उस दल को भी सुना। दोनों ने अपनी पुरानी भड़ास निकाली। लेकिन मजदूर मरे, किसी के दिमाग में भी नहीं आया। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दो तीन बातों पर गौर करें। पहली बात जोशी जी ने कही कि उनकी तनख्वाह का रजिस्टर नहीं खुला। कौन से कानून में है कि कैशबुक में एंट्री न हो तनख्वाह दे दी जाय ? नम्बर दो इस सदन में सारे मंत्री मौजूद हैं, लेबर मिनिस्टर का पता नहीं, जिसका डिपार्टमेंट है, वह पड़े सो रहे होंगे। मुझे खेद है, मुझे 13 साल काम करने का उनके साथ मौका मिला। मैंने उनके काम को देखा। आज लेबर का जो मसला आया, उन्हीं की बिना पर वह मौत की घाट पर उतार दिये गये। सबसे बड़ा दोष बाजपेई जी का है। 6 अप्रैल को मैंने लिखा था, स्वयं जा कर मंत्री जी से बात की, मजदूरों की यह दशा है, सर्विस ठीक से क्लियर कर दीजिए, आज तक क्लियर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सर्विस बुक खोल दी जाये।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

जो मजदूर रेगुलर हैं। उनकी सर्विस कमीशन के साथ-साथ अगर ओवर स्टाफ है और आप किसी को हटाना चाहते हैं तो आप उनको ट्रांसफर कर दें। इस संबंध में आप एक नीति अपना लें और उसकी एक लिस्ट हो।

श्री अध्यक्ष—

आप उधर क्यों देख रहे हैं ?

श्री मुकीमुर्रहमान—

मजदूर मजदूर हैं। अगर आप उनको हटाते हैं तो जूनियारिटी और सीनियारिटी के आधार पर हटावें इसी का पालन न करने से यह सब हुआ है और इतनी सी बात पर बवंडर मचा दिया। हमारा कसूर इतना है कि आपने और आपके नेताओं ने वादा किया था कि उनकी नीति मजदूरों के हित में होगी। जूता पालिश करके मजदूरों ने चन्दा एकत्रित किया। जो कि इलेक्शन में खर्च हुआ।

(व्यवधान तथा शोर)

हम तो जानते थे कि ये पांचों सगे भाई की तरह से काम करेंगे, लेकिन हुआ कुछ और। उन्होंने आपस की लड़ाई में मंत्री को कमजोर कर दिया और मुख्य मंत्री को कमजोर कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इनमें वैमनस्यता बढ़ गयी है। जनता पार्टी को अपनी नीति चेंज करनी होगी।

(शोर)

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपका कहना है कि जब तक लोग बोलेंगे तब तक यह सदन चलता रहेगा। तो जो बोलने वाले लोग हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जायें और समय तय कर दिया जाये कि कितना दिया जाये। 12 बजे तक बैठे रहेंगे और लोगों को इस तरह से बोलने का समय नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

दो-दो मिनट सभी बोल सकते हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मुझे एक बात कहने का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस घटना पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सोचता था कि जो लोग वहां पर गये हैं उन्हीं की बात सुनी जायेगी, मैं दुर्भाग्य से वहां नहीं जा सका। मैं केवल दो एक बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह 13 अप्रैल की घटना निश्चित रूप से इतिहास में एक काली घटना है और एक दुखद घटना है, इसमें किसी तरह की बहस की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है लेकिन जब कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले ये मुद्दे देखे जाते हैं कि घटना के कारण क्या हैं और किस वर्ग विशेष के कारण हुए हैं और ये जो प्रशासन में बैठने वाले हैं, उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि 13 तारीख को यह घटना होती है। उस दिन वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्स के 5–6 हजार आदमी थे, उन्होंने वहां के अधिकारियो, जिलाधीश आदि का घेराव किया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी को सिक्योरिटी अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि उनका वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उनकी दिलेरी की बात है कि ये 14 अप्रैल को ही वहां पर गए और उन 5–6 हजार श्रमिकों के बीच में बाकायदा बोले। अगर उन्होंने यह दिलेरी और बहादुरी का काम न किया होता तो लोग कुछ दूसरा ही अन्दाजा लगाते। और वहां पर 10–15 और 20 लोगों को और मौत के घाट उतार दिया जाता। इस दुर्घटना में एक वर्ग विशेष का हाथ रहा है और उन्होंने सारी समस्याओं को और परिस्थितियों को इस प्रकार डेवलप किया कि किसी प्रकार से मुख्य मन्त्री का मुखौटा बिगाड़ा जाय। इससे ज्यादा हमारे मुख्य मन्त्री और क्या कर सकते थे कि वे उसी दिन कार्यकारिणी की मीटिंग के तुरन्त बाद घटना स्थल पर जाते हैं और शायद हमारे इतिहास में पहली बात है कि 13 तारीख की घटना के बाद 14 तारीख को वहां पर पहुंच जाते हैं और जो कदम उठाया वह यह था कि जुडीशियल इन्क्वायरी का वहीं पर आर्डर देकर चले आये। मैं मान्यवर, विषयान्तर नहीं करना चाहता हूं। एक वर्ग विशेष का जिस प्रकार से षड़यंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से मुख्य मन्त्री, जो एक सीधे सादे लोहियावादी व्यक्ति हैं, प्रशासन से उनको हटाने का जो षड़यंत्र चल रहा है उसके पीछे ही यह बात है। मान्यवर, जिस विभाग का मन्त्री होता है, वह उस विभाग के कार्पोरेशन का चेयरमैन नहीं बनता। अगर कोई मन्त्री थ्रेटन करने उस विभाग कार्पोरेशन का चेयरमैन हो गया है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस घटना के सम्बन्ध में जो क्रान्तिकारी कदम उठाया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना मैं अपना दायित्व समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यदि वह चेयरमैन बन गया है तो यह तो प्रशासन का आन्तरिक मामला है। इसका कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। यह अनुचित है?

(पर्वतीय विकास उप मन्त्री) श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बाबू बदरे—

मान्यवर, व्यवस्था के नाम पर.....।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

संसदीय परम्परा के तहत आपके आदेश शिरोधार्य हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री के बिना प्रस्ताव लाए क्या सदन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष--

जब सदन के लोग चाहते हैं तो उनकी भावना को ध्यान में रखकर....

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मगर मान्यवर, प्रस्ताव तो होना चाहिए ?

अध्यक्ष--

आज तो 2 घन्टे का विवाद वैसे ही था । 7 बजे का समय अवश्य ही था ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, 13 तारीख को 11 बजे काग्रेस (इ0) मै श्री राजेश्वरनाथ जी और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मैं मीटिंग में बैठा हुआ था तो 11-45 बजे वहां पर एक बस आई जिसमें श्रीमती वर्मा, हरभजन सिंह, रणजीत सिंह और कोई शर्मा जी थे, उनके साथ लगभग 40-42 लोग और वहां पर आए । तो मान्यवर, उन्होंने हमको यह घटना सुनाई और कहा कि तुम वहां चलो और देखो, वहां बड़ा आतंक फैला हुआ है । उन्होंने बताया कि एक गाड़ी जिसका नम्बर यू0 एस0 4806 था उसमें से उन्होंने 10 मृतक व्यक्ति और 3 घायल जिनको पी0 ए0 सी0 वाले जाने कहां फेंकते, उन्होंने उन पर कब्जा किया और वे रिकवर हुई और उन्होंने कहा कि ऐसे पचासों लोग जो मरे हैं उनको गन्ने के खेत में जला दिया गया। जो घटनाएं उन्होंने सुनाई कि सैकड़ों गोलियां पेड़ों पर, मकानों की दीवारों पर लगी हुई हैं, उनको देखा जा सकता है--चाहे सदन की कमेटी या मन्त्री साहब जायें । रिक्शा से एक जख्मी आदमी को गोली मार दी गई जो जान बचाकर भाग आया था । कोई भाला, बल्लम, कांता आदि लेकर नहीं चला । अब यह झगड़ा क्यों हुआ । डी0पी0 सिंह के खिलाफ पिछली गवर्नमेन्ट ने चार्ज लगाए, बाहर भेज दिया गया कि यहां पर न रहें, उन्हीं को फिर बुला लिया गया । एक प्रकार की साजिश की कि ईस्ट के 200 मजदूरों को 4 महीने पर उनका टरमीनेशन इन्होंने कर दिया । उनकी जगह पर खासतौर से बिजनौर और मेरठ के लोगों को बैठाया और दो हजार ऐसे लोग हैं, जबकि मजदूरों की उधर कमी है । वहां पोस्ट किया गया । उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई और कहा कई बार कि स्ट्राइक करेंगे, कई डेट्स लगायीं । उनको बराबर धोखा देते रहे और नौबत आई कि स्वप्न में भी खयाल नहीं था जो हुआ । उन्होंने जो दास्तान सुनाई उसको सुनकर चगेज खां और नादिरशाह की याद ताजा हो जाती है ।

आप जानते हैं कि 1967 में....मत बोलने दीजिए, बैठ जायंगे । तो इसी तरीके से मजदूरों पर गोली चली । आप इस सदन के सचिव थे, मैं तो नया आदमी था । उन दिनों की याद ताजा हो जाती है । आप गृह मन्त्री जी के चेले हैं, उसी की आप पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं ऐसा मुझे शक होता है । अधिकारी दोषी हो सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि आप इस्तीफा दे दीजिए । यह मांग नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं, आप देंगे नहीं । आपका तो इरादा है, सैकड़ों हजारों गोली कांड करायें और फिर शायद जबरदस्ती आपसे इस्तीफा लिया जायगा । जैसे सम्भल में एक कांड हो गया । डी0 एम0 को आपने यहां बुलाया । अगर गलत था तो उसको आपने स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया । रुहेलखण्ड डिवीजन में कहा जा रहा है कि डी0पी0 सिंह किसी सेन्टर के डिप्टी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं । क्या उनका भी आप प्रोमोशन करना चाहते हैं ? सिरोही साहब हैं, इन लोगों का आपने सस्पेंशन क्यों नहीं किया जो आपकी तस्वीर को धूमिल करते हैं जनता की नजरों में और जिनकी वजह से आज जनता आपसे दूर हटती जा रही है ? तो सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन ले, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में श्रमिक आन्दोलन में हुए गोली काण्ड के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

(श्री मान सिंह आजाद से) आप तो रोज ही बोलते हैं।

*श्री ओंकार सिंह (जिला मथुरा)--

मान्यवर, जो विधायक पन्तनगर गए थे, मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह प्रातः जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तो हमारा इरादा पन्तनगर उतरने का था, लेकिन हम लोग किछा उतर गए वहां पर जहां हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी कुछ देर ठहरे। जिस महानुभाव ने माननीय तिवारी जी को टेलीग्राम दिया था वह सज्जन भी वहां हमारे स्वागत के लिए मौजूद थे। हम जब यूनिवर्सिटी में गए तो वे भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, मगर जो तथ्य है, वह तो जुडीशियल इन्क्वायरी से ही पता चलेगा जिसके कि आदेश हो चुके हैं। उससे पता चलेगा कि कौन दोषी हैं कौन निर्दोष हैं। लेकिन यह सही है जैसा कि माननीय उदित नारायन शर्मा जी ने कहा कि जो लोग जांच के लिए गए, वे एक पक्षीय बात सुन कर आ गए, दूसरे पक्ष के लोग तो इतने भयभीत थे कि वे वहां से भाग गए थे।

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं कि एक जगह पर जहां यह घटना हुई, ज्यादती हुई। लेकिन वहां की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पी0 ए0 सी0 की भी कोई ऐसी बटैलियन है जिसमें केवल जाट ही हों ? केवल जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ही तरह-तरह के आरोप लगा देना उचित नहीं है। जो गोलियां चलाई गयीं, वे 10-12 फुट ऊंचाई पर लगी पाई गई हैं। 208 राउन्ड गोलियों में केवल 10-12 व्यक्ति ही मरे हैं। यह कहा गया कि ईख के खेतों में लाशों को जला दिया गया, यह भी असम्भव है। ईख के खेत में जब आग लगती है तो पतई ही जल पाती है, ईख नहीं उससे तो साफ पता चल जायगा। गन्ना कभी नहीं झुलसता। मेरी समझ मे नहीं आता कि ऐसी बात कैसे कह दी गयी। यह बात बिलकुल निराधार बतायी गयी कि गन्ने के खेत में लाशों को जला दिया गया।

12 तारीख की रात को कुछ गिरफ्तारियां हुई थीं। जब सुबह लोगों को पता चला तो उन्होंने हरवंश सिंह की कोठी को घेर लिया। वहां पर उस समय कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया गया। सही बात तो जांच से ही पता चलेगी। लेकिन वहां के जो एक एस0 डी0 ओ0 हैं जिनकी शिकायत वाइस चान्सलर तक ने की थी और दो माह पूर्व यह कहा था कि इनका ट्रांसफर कर दिया जाये, उनका ट्रान्सफर एक माह पूर्व हो भी गया, मगर आज तक क्या कारण है कि वे वहीं बने हुये हैं। प्रशासन का कोई भी आदमी यूनिवर्सिटी के परिसर में नहीं था, केवल वही चतुर्वेदी, एस0 डी0 ओ0 थे। जब हम कमरे में गये थे, प्रशासन का अधिकारी डी0 एम0, कलेक्टर कमरे में अलग बैठे हुये थे। सारे मजदूरों से वह अलग मिले और हम सारे विधायक दल उनसे अलग मिले। लेकिन वह एस0 डी0 एम0 भीड़ के अन्दर मौजूद था। पूछने पर जिसका नाम लिया गया है। एक जो यूनियन के अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनसे जोशी जी ने केवल इतना कहा कि आपने जल्दी कर दिया, जब आप से मेरा वादा था, तो आप 16 तारीख तक इन्तजार कर लिये होते। इस पर वह इतने उत्तजित हुये कि अगर जोशी जी के पास गाड़ी न होती और हम सभी विधायक उस भीड़ को न रोकते तो शायद जोशी जी आज हमारे बीच में न होते। मान्यवर, जो श्यामधर जी ने कहा कि यहां से उस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर भेजा गया था, मुझे तो बहुत अफसोस है कि माननीय मिश्र जी इतने वरिष्ट नेता होने के नाते उनको यह भी पता नहीं है कि वी0 सी0 आज भी उत्तर प्रदेश का फार्म कृषि निदेशक हैं। मान्यवर, अफसोस है कि इतने ब्रिलियन्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार सिंह]--

आदमी, फर्स्ट क्लास स्कालर के ऊपर निराधार आरोप लगा कर बदनाम किया जा रहा है। यह इन्क्यावरी से पता लग जायगा। मैं नहीं कहता।

(व्यवधान)

(बाबा राम अधार यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर ऐडवोकेट--

मान्यवर, यह तो ज्यादती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

समय बहुत कम है।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जो रवैया अधिकारियों का चल रहा है, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा, तो रोज गोली कांड होंगें। जो यह रिपोर्ट मुझको पढ़ने को मिली है, इसमें स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री द्वारा यह रिपोर्ट तैयार नहीं करायी गयी है। यह अफसरों द्वारा रिपोर्ट तैयार कराई गयी है। अंग्रेजों और कांग्रेस के जमाने में भी यही अफसर रिपोर्ट तैयार करते थे, जिसका नतीजा यह होता है कि यह दोषपूर्ण रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे। आज इतना बड़ा हल्ला चल रहा है, जब भी, जहां भी कोई सरकार रहेगी चाहे समाजवादी सरकार हो, चाहे तानाशाही सरकार हो, किसी में ज्यादा होती है, किसीमें कम होती है, सरकार रहेगी, कत्ल होता है। अगर कोई कहता है कि वे कत्ल की सरकार रखेंगे, तो नामुमकिन है। बहुत से लोग डाक्टर लोहिया की दुहाई करते हैं कि डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जिस सरकार में गोली चले तो उस सरकार को इस्तोफा दे देना चाहिए। डाक्टर लोहिया नें धानू पिल्लई की सरकार से अधिक जांच की मांग की थी। जब जांच नहीं कराई गई थी। तब इस्तीफे की मांग की थी। सबसे पहले मैं बतला देना चाहता हूं कि मामला कहां किसका है और किसके सिर के ऊपर मढ़ा जा रहा है। यह सारा मामला कृषि मंत्री के अन्तर्गत है। यह विवाद 6 महीने पूर्व से चल रहा था। सारी जिम्मेदारी कृषि मंत्री की है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि 6 महीने तक यह विवाद चलता रहा और इस सम्बन्ध में कोई इलाज भी नहीं सोचा गया, स्पष्ट है कि मंत्रि-परिषद् के अन्दर आपस में विरोधाभास साफ-साफ दिखाई पड़ता है। दैनिक अखबारों में कृषि मंत्री ने कहा है कि मुख्य-मंत्री मुझे बगैर बताए पन्त नगर चले गए जब कि मेरे विभाग का मामला था। जब कृषि मंत्री के पास यह विभाग था, तो कृषि मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री जी से पहले ही क्यों नहीं सलाह ली?

मगर उल्टे आप देखेंगे कि मुख्य मंत्री को कहा जा रहा है कि वे बगैर पूछे चले गए। चले न जाते तो क्या करते। यह सही है मुख्य मंत्री जी के ऊपर सारे शासन की जिम्मेदारी है। अगर वह गए तो बुरा नहीं किया। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री से पहले कृषि मंत्री इस्तीफा दे। सारी जिम्मेदारी कृषि मंत्री की है। किसका काम है और और कौन इस्तीफा दें। हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री हमारे सदन के नेता है, प्रशासन के बड़े मंत्री हैं। उनकी सारी जिम्मेदारी है मगर यह गलत तरीका है कि मुख्य मंत्री इस्तीफा दे। मैं चाहूंगा और जोर के साथ मांग करता हूं कि कृषि मंत्री अपने हृदय को टटोल कर देखें कि अब तक कृषि मंत्री ने इतनी ढिलाई क्यों रखी है? सदन के अन्दर मुझे सुनते-सुनते मालूम हुआ कि यह साजिश है कि मुख्य मंत्री से इस्तीफा दिलाया जाय; ताकि जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनसे कोई मतलब न हो।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

बाबा राम अधार यादव—

तो मैं कह रहा था कि जो रिपोर्ट बनकर आती है जो मुख्य मंत्री सदन को देते हैं तो वह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो रिपोर्ट आवे जब तक सही न हो तब तक सदन में न रखी जाय। मैं साफ–साफ मांग करता हूं कि वाइस चान्सलर और जो वहां के दोषी अधिकारी जो जिम्मेदार हैं अगर उन्होंने इस्तीफा न दिया हो तो उनको तत्काल मुअत्तल किया जाना चाहिए।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो थोड़ा सा अमूल्य समय दिया है तो आपने मुझे नहीं दिया है। आपने उस महिला को दिया है जो इस गोली कान्ड में जिसका पति स्वर्गवासी हुआ है। आपने यह बोलने की आवाज उस बूढ़ी मां को दी है जिसकी गोदी इस गोलीकांड की वजह से सूनी हो गयी है। मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह गोलीकांड हुआ है यह हमारे सम्पूर्ण प्रदेश के लिए कलंक का विषय है। मुझे खतरा इस बात का है कि हमारी पिछली 5 हजार वर्षों की सभ्यता है, जो संस्कृति थी इस आग में जलाकर मिन्टों में स्वाहा कर दी गई हमारी संस्कृति के अनुसार प्यासे को पानी देना प्रत्येक मानव का धर्म है। हम लोगों को यह शिक्षा दी जाती है कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है, उसको भी जल की अंजलि दी जाती है। लेकिन इस गोलीकांड में हमने देखा और आंखों देखा किस्सा लोगों ने बताया कि जब एक घायल तड़प रहा था और उसने पानी मांगा तो एक महिला पानी देने के लिए आगे बढ़ी तो पी0 ए0 सी0 के जवानों ने पत्थर उसके सिर पर मारा। दूसरा ऐसा ही किस्सा हुआ है। जब एक आदमी नें तड़पते हुए पानी मांगा तो एक महिला ने कोशिश की कि मैं एक बूंद पानी उसके गले में डाल दूं तो एक पुलिस वाले ने कहा कि अभी जान बाकी है और उसको बंदूक की गोली से मारा। यह हमारी संस्कृति के लिए कलंक है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं तो यह मुख्य मंत्री का सवाल नहीं है, कृषि मंत्री का सवाल नहीं है। यह एक वाइस चान्सलर का सवाल नहीं है। इसके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियों. प्रक्रियावादी शक्तियाँ आगे उभर रहीं है। मैं उस जालियांवाला बाग की याद नहीं दिलाती, मैं याद दिलाती हूं जर्मनी की जबकि हिटलर ने अपना सर उठाया था। हिटलर के रूप में फासिस्ट शक्तियों ने सर उठाया है। वहां पर वर्ग संघर्ष शुरू हुआ था और वहां की डिमाक्रेटिक हुकूमत खत्म हुई और फासिस्ट हुकूमत खड़ी हुई। यही खतरा यहां पर है। मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहती हूं कि यह वर्ग संघर्ष इन प्राणों को ही नहीं सारे हिन्दुस्तान को जला देगा, आपको और हमको तथा प्रजातंत्र को समाप्त कर देगा और फासिज्म तथा डिक्टेटरशिप कायम होगी। इसके पीछे बड़ी–बड़ी पूंजीवादी शक्तियां लगी हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वह भी इस साजिश में शामिल हैं? हिम्मत से कहें कि हां। यदि नहीं, तो उन शक्तियों को समाप्त करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जो हत्या के अभियोग में सजा है इसलिए वही सजा की कार्यवाही उनके विरुद्ध भी होनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कहा कि गोली से 10 व्यक्ति मरे हैं 164 राउन्ड से तो क्या 10 ही व्यक्ति मरे हैं। इसलिये मुख्य मंत्री सच्चाई पर पर्दा न डालें और फासिज्म शक्तियों का दमन करें। मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रत्येक मृतक के आश्रित को 5 हजार रुपया मुआवजा दिया जायेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या एक मां के बेटे का मूल्य 5 हजार रुपया है? इसलिये मैं मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगी कि जिनके घरों में मृत्यु हुई है, उनकी महिलाओं को रोजी दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढे हुए लगान तथा विकास कर की वसूली के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहें। मैं अनुमति देने के पहले यह कहना चाहता हूं कि श्री कल्पनाथ सिंह के प्रस्ताव पर आज 5.35 से लेकर 7.35 बजे (अपराह्न तक दो घंटे का विवाद था। चूंकि दूसरा विवाद शुरू हो गया है इसीलिए वह स्थगित रहेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। इसलिये आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

श्री अध्यक्ष—

"आज अपरान्ह 4.40 बजे जबकि सदन में पंतनगर गोलीकांड के ऊपर चर्चा चल रही थी, उस समय शासन दीर्घा के पीछे की ओर की दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने, जो कि अपने नाम क्रमशः श्री दिनेश सिंह गहमरी, निवासी गाजीपुर तथा श्री माताबदन सिंह, निवासी देवरिया बतलाते हैं, उन्होंने नीचे सदन में कुछ पर्चे फेंके तथा दीर्घा में नारे लगाने का भी प्रयत्न किया। दीर्घा में तैनात विधान सभा रक्षकों ने उन्हें तुरन्त अपने कब्जे में करके वहां से हटा दिया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के पास से दीर्घा का कोई भी प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और उनका कहना है कि उन्होंने पास को मुंह में खा लिया। इससे यह विदित होता है कि पास देने वाले का नाम छिपाने के प्रयास से उन्होंने अपने प्रवेश-पत्र पहले ही कहीं गायब कर दिये। दीर्घा में प्रवेश के रजिस्टर से यह पता चलता है कि उक्त नामों के किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया है जिससे वे दीर्घा में गये हों।

उक्त दोनों व्यक्ति इस समय मार्शल की हिरासत में बैठाये हुए हैं तथा उनके द्वारा फेंके हुए पर्चे† इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।" यह रिपोर्ट मार्शल ने प्रस्तुत किया है।

यह जो लोग पकड़े गये हैं उन्होंने सदन का प्रत्यक्ष अपमान किया है। नियम 71 के अनुसार दंडित करने से पूर्व इस अवसर पर न्यायासंगत होगा कि उनको अपनी सफाई देने का मौका मिले, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन मैं इसमें सदन का मत लेना चाहता हूं कि इस पर आज निर्णय लिया जाय या कल के लिये स्थगित किया जाय।

संसदीय-कार्य मंत्री मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, जो घटना घटी, इस प्रकार की पुनः घटना न घटे इसलिए मुख्यतः इसमें एक विशेष बात यह है कि जब कभी ऐसा प्रश्न यहां उपस्थित हुआ है तो या तो किसी माननीय सदस्य द्वारा उन को प्रवेशपत्र दिया गया है और उस में इन्होंने प्रवेश-पत्र या तो गायब कर दिया या प्रवेशपत्र न बनवा कर के चोरी से अन्दर आ गये या प्रवेश पत्र दूसरे का लेकर चले आये। अतः यह एक बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं एक प्रस्ताव सदन के समक्ष आप की इजाजत से पेश करता हूं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने तथा दीर्घा से नारे लगाने की जो घटना हुई है उसको कल तक के लिए स्थगित किया जाय और इस मामले में दोषी

†(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1299 पर।)

व्यक्ति जो अपना नाम क्रमशः दिनेश सिंह गहमरी, निवासी गाजीपुर तथा माता बदन सिंह, निवासी देवरिया बताते हैं उनको कल तक के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आज दर्शक दीर्घा . . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, पुलिस कस्टडी में रखा जाय यह. . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, यह घटना कोई पहले दफे इस सदन के अन्दर नहीं हो रही है । मान्यवर, अब माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश कर दिया है हम लोगों की पोजीशन बड़ी इम्बेरीसिंग है लेकिन फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार कर लें । मान्यवर, नवयुवकों ने आवेश में आकर कुछ पर्चे फेंक दिये (शोर) . . . .

श्री अध्यक्ष—

शांत रहिये । प्रश्न को तय करना होता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अब तक यह परम्परा रही है । ऐसे व्यक्तियों को माननीय अध्यक्ष ने अपने कक्ष में बुला करके उनको प्रताड़ित कर दिया । यही सजा उनके लिए काफी समझी गयी । अगर सजा करने का प्रश्न आयेगा तो उनको यहां पर बुलाना पड़ेगा, इसकी काफी पब्लिसिटी होगी । मैं समझता हूं कि तिल का ताड़ बनेगा । लिहाजा मेरा निवेदन है आप से भी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कि अपना यह प्रस्ताव वापस ले लें और माननीय अध्यक्ष अपने कक्ष में बुला कर उन व्यक्तियों को प्रताड़ित कर दें । मैं समझता हूं इतनी सजा काफी होगी ।

श्री अध्यक्ष—

इससे पूर्व कि श्री रियासत साहब कहें मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह घटना पहली नहीं है । जब दूसरी तीसरी मरतबा मैंने इस सदन के उठने तक उनकी सजा काफी समझी तो उस वक्त मैंने इस बात की घोषणा की थी कि भविष्य में यदि इस प्रकार की घटनायें दोहरायी जायेंगी तो सोचना पड़ेगा सख्त से सख्त सजा देने के लिए और यह अब परिपाटी पड़ गयी है कि यहां दर्शक गैलरी में आते हैं और पर्चा फेंकते हैं, नारे लगाते हैं और यह समझते हैं कि जब सदन उठेगा तब तक की सजा होगी । इससे इस प्रकार की घटनाओं को करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और मैंने स्वयं श्याम धर जी से इस बात को पूछा था कि क्या होना चाहिये । मैं चाहता था कि विरोधी पक्ष भी इस सम्बन्ध में परामर्श कर के राय दे । तो मैंने श्री श्याम धर जी से इस सम्बन्ध में खुद मालूम किया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में सोचा । इसलिए यह उनका प्रस्ताव है । यह कोई आज का नहीं । इसे इस पक्ष या उस पक्ष का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । यह सोचना चाहिए कि इस सदन की गरिमा को कायम रखने के लिए इस तरह की घटना, जो बड़ी अशोभनीय है, किस प्रकार से रोका जाय ।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, इसमें दो राय नहीं है कि यह पर्चा फेंकने की प्रथा सी बन गयी है और आपने सदन के उठने तक की सजा काफी समझी यह सही है । आज की घटना फिर से होने की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियायत हुसैन]--

आती है तो स्वयं यह सोचना पड़ता है कि आप को कुछ थोड़ा सा सख्त होना चाहिए । परन्तु मैं यह जरूर चाहूंगा कि यहां पहले इस तरह का हुआ है। मुझे याद पड़ता है केशव सिंह का मसला पेश किया गया था। उनको मार्शल की कस्टडी में या आपकी आज्ञा से जेल की कस्टडी में जाना है तो उचित मैं समझता हूं लेकिन जिसने इस माननीय सदन का अपमान किया हो उस व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में भेजा जाना मेरी समझ में नहीं आता। उचित हो कि पुलिस कस्टडी में न भेजा जाय यह कोई विवाद का मामला नहीं है । या तो आप उनको बुला कर तुरन्त इस पर निर्णय दे दें और जो भी सजा देना चाहते हैं दे दें ताकि वह सीधे जेल चले जायं आपके आदेशानुसार लेकिन उनको पुलिस की कस्टडी में भजना सदन का अपमान होगा। आप चाहें तो कल के लिये मुल्तवी कर दें प्रस्ताव के आधार पर लेकिन पुलिस की कस्टडी में न दें।

एक सदस्य--

रियासत साहब के क्वार्टर में कल तक के लिये भेज दिया जाय, कल उनको लाकर वह पेश कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

उनके क्वार्टर में जगह कहां होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय दिघे जी के प्रस्ताव पर । अब यह प्रथा डाली जा रही है ऐसे प्रस्ताव लाने की और मैं ऐसे प्रस्ताव का हमेशा से विरोधी रहा हूं और आज भी विरोध करता हूं। जहां तक अवमान का संबंध है वह उन्होंने किया है। मार्शल की रिपोर्ट आ गयी है। उनको पुलिस की कस्टडी में देना उचित नहीं होगा । आपको दन्ड देना है तो अभी बुला कर आप प्रताड़ना दे सकते हैं। वह माफी भी मांग सकते हैं । मेरी राय यह है कि इसी वक्त बुलाकर आप सजा दे सकते हैं लेकिन पुलिस की कस्टडी मे देने का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

रियासत साहब ने जैसा कहा कि पुलिस की कस्टडी में न भेज कर जेल भेजा जाय तो सन् 74 में एक घटना घटी थी। उस समय श्री नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री थेऔर उन्होंने कहा था कि इसको कल ले लिया जाय और अध्यक्ष ने कहा मुझे वोट लेना पड़ेगा । बाद में यह कहा कि यह मामला कल लिया जायगा और उसको पुलिस की कस्टडी में रखा जाय । इस मामले पर कोई विवाद का विषय नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इससे यदि वह सहमत हों तो जब सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाय तभी दोनों अभियुक्तों को यहां बुला कर सजा दे दी जाय ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं रियासत हुसैन साहब तथा माननीय ऊदल जी के सुझाव को स्वीकार कर लेता बशर्ते यह मामला पहले वाली घटना के अनुरूप ही होता । इस घटना का मामला और है । प्रवेश पत्र मिला नहीं। मैं चाहता हूं कि इस पर ठीक से विचार करने का मौका मिल जाय । कल इसे लिया जायगा तो उतना समय विचार करने के लिये मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री की कठिनाई वास्तविक है । यह तो मालूम ही करना चाहिये कि किसने पास इश्यू किया, किसकी यह जिम्मेदारी है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मार्शल की रिपोर्ट आ गयी है कि उन्होंने सदन का अवमान किया। इसलिये कल तक के लिये इसे न टाला जाय। इसमें आप निर्णय करने में सक्षम हैं और आज ही निर्णय कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं, सदन सक्षम है।

श्री गुलाब सेहरा--

मेरा मतलब सदन से ही था। पुलिस की कस्टडी में रखना उचित नहीं होगा। आज ही निर्णय ले लिया जाय। उनसे स्पष्टीकरण ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि इसको कल ले लिया जाय इसमें विवाद क्या हो सकता है। इसमें तो आप सब सहमत हैं कि सदन का अवमान है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत सोच-विचार कर, इनक्वायरी कमेटी बैठाने के बाद यह निर्णय हुआ कि इस सदन के अन्दर पुलिस नहीं आयेगी। यह सदन इंडिपेन्डेन्ट है आपकी अपनी शक्ति है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर जो कार्य हो उसमें पुलिस न आये।

श्री अध्यक्ष--

सदन में पुलिस नहीं आयेगी। मार्शल पुलिस के सुपुर्द कर देंगे।

श्री रियासत हुसैन--

बात तो वही हुई।

श्री अध्यक्ष--

कल फिर वह उनको बुला लेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

इस सदन से संबंधित कोई बात होती है तो उसके लिये आपकी अपनी शक्ति है, सदन को शक्ति है इस शक्ति को हम पुलिस पर क्यों छोड़ें ?

श्री अध्यक्ष--

चूंकि मार्शल के पास कस्टडी में रखने का स्थान नहीं है इसलिये पुलिस में तो रखा जायेगा लेकिन कल फिर सदन में मार्शल ही पेश करेंगे। इसलिये इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिये। अगर आज नहीं होगा तो कल तो रखना ही पड़ेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मुझे ठीक से याद नहीं पड़ता कि जब केशव सिंह जी को मार्शल के द्वारा लाया गया था उस दौरान केशव सिंह जी को कहां रखा था। जेल में रखा था या पुलिस कस्टडी में। यह देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आगे आयेगा इसको देखने के बाद कि कहां रखा था क्योंकि जब श्री केशव सिंह का मामला आया था मुझे स्मरण है, मैं भी सदन में था ठीक से नहीं कह सकता हूं । उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रश्न को मैं थोड़ी देर बाद ले लूंगा । इतने में यह विवाद जारी रहेगा। एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह विवाद 7.35 पर समाप्त होना चाहिये । 7.35 से पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलाऊंगा जब तक कोई प्रस्ताव सदन को बढ़ाने के नहीं आता है। इस मामले में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं कि श्री केशव सिंह को जेल में रखा गया था या पुलिस कस्टडी में।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में श्रमिक आन्दोलन में हुए गोलीकान्ड के संबंध में मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

(श्री मोती राम का नाम पुकारे जाने पर और श्री मानसिंह आजाद के खड़े होने पर) मान सिंह जी आपका भाषण किसी महत्वपूर्ण विषय पर होगा। आप बैठें ।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

मान्यवर, यह पन्तनगर की घटना हमारे मस्तिष्क पर एक कलंक के समान है। मान्यवर, जिस बी0 सी0 को लेकर कई घंटों से चर्चा हो रही है यह बी0 सी0 इस प्रदेश के लिये कोढ़ है । इसके पहले से कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में तबाही कर चुके हैं। इसके और उस तबाही से बचने के लिये इमरजेन्सी के समय में इनको हरियाणा भेज दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी यह हमारा दुर्भाग्य कहा जायगा कि [× × ×] उनको हमारे ऊपर लाद दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

मोती राम जी मैं इस आक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मोती राम--

मैं वापस लेता हूं । आगे कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

यह राज्य का विषय है । राज्य ने उन्हें नियुक्त किया है।

श्री मोती राम--

इन बी0 सी0 की कार्यवाहियों पर रोक लगी होती तो पन्तनगर की यह दर्दनाक घटना नहीं होती। कई महीनों से पन्तनगर में आग जल रही थी। लेकिन यह बी0 सी0 महोदय, बराबर अपना तानाशाही रवैया अपनाये हुए थे ।

मान्यवर, शायद बी0 सी0 यह समझे हुए थे कि इस भारतवर्ष में उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है । सवाल यह नहीं कि आज हम इतने आदमियों को मुआवजा दे दें, कल को कुछ लोगों को सजा हो जायेगी बल्कि सवाल यह है कि नौकरशाही में ऐसे तत्व पनपते रहे तो आगे प्रदेश का क्या हाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

होगा ? इसको लेकर डेमोक्रेसी पर से जनता का विश्वास उठ गया है, राजनीतिज्ञों से उनका विश्वास हट गया है, आज वे राजनीतिज्ञों की सूरत नहीं देखना चाहते हैं। जो फीगर्स दी गई हैं, व गलत हैं। एक मजदूर ने कानपुर में मुझे बताया है कि कम से कम 36 आदमी मारे गये हैं, जिसन मुझे उनके नाम और जाति भी बताई। उसमें 4 मुसलमान, 16 अहिर और 11 हरिजन हैं, इस तथ्य को छिपाने से काम नहीं चलेगा। मैं निश्चित धारणा का हूं कि इसकी जानकारी कृषि मन्त्री को थी और केन्द्र के नेतृत्व को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन एक वी0 सी0 की जिद्द ने, उसकी तानाशाही रवैये ने यह जानें लीं। वहां पर यह षडयंत्र था कि आज लोगों को भूनना है। 13 तारीख को जो रिपोर्ट मुख्य मंत्री ने दी है, उसमें यह कहीं नहीं है कि उनके पास कोई आर्म्स थे। यदि उन पर लाठी चार्ज हुआ तो मरने और गिरफ्तार होने वाले लोगों पर ब्लन्ट आर्म की चोटें होतीं। किन्तु मरने वालों और घायलों पर कहीं कुन्दे की चोटें नहीं हैं। लाठी चार्ज हुआ होता तो उनके सिर पर उसकी चोटें होतीं। (व्यवधान) किन्तु उन पर एकदम बुलेट इंजरी न होती। जितनी भी गोलियां चली हैं. 3–4 फुट ऊंचे पर उनके निशान हैं। यह मिस्काय हुआ है, उनको घेर कर मारा गया है, उनको मारकर गन्ने के खेत में हल चलाया गया है। जिलाधिकारी ने यह माना है कि खेत में हड्डियां पाई गईं लेकिन यह नहीं कि वह आदमी की थीं। तो फिर क्या उस गन्ने के खेत में जानवर दफनाए जाते थे ? इससे स्पष्ट है कि लाशों की संख्या छिपायी गई है और वहां एक बड़ा नरसंहार हुआ है। इसमें जिस वी0 सी0 और पुलिस अधिकारियों का पूरा हाथ है, उनको तरीके से कानूनी सजाएं नहीं दी गईं तो इस प्रदेश और देश में प्रजातन्त्र को खतरा पैदा हो जायगा। आज तो उस वी0 सी0 और पुलिस अधिकारी ने यह नरसंहार किया है, तो कल उससे छोटे लोग भी यह कांड करेंगे। इससे इस प्रदेश और देश के किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिये जो कृषि मंत्री की तरफ से शह दी गयी है और वी0 सी0 के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले को नजरन्दाज किया गया है, उसकी जिम्मेदारी वह महसूस करें और मंत्रि–मंडल में वह विश्वास नहीं रखते तो, उनके लिये उचित नहीं होगा कि वह ज्यादा दिन मंत्रि–मंडल का बोझ उठायें। यह कहने से कि मुझे विश्वास में नहीं लिया गया, कृषि मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। पता नहीं वी0 सी0 कहां हैं, अब तक उनको जेल में होना चाहिये था।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि मंत्री की तरफ से शह दी गयी है तो उनके पास कोई इस बारे में सबूत हो तो वह सदन के समक्ष आ जाए अगर सबूत नहीं है तो कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री मोतीराम—

पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मोतीराम जी ने जो बात कही उसमें कृषि मंत्री के ऊपर और एक केन्द्रीय मंत्री पर अस्पष्ट आरोप लगाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाने की इजाजत देते रहेंगे ? आरोप लगाते रहें, बीच में टोका भी नहीं। आरोप भी बिल्कुल निराधार है।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक बात कह दी। व्यवस्था तो सुनिये। आप बैठेंगे या नहीं ? कृषि मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मैंने यह व्यवस्था दी थी कि केन्द्रीय मंत्री का नाम लेना इस कार्यवाही का भाग नहीं होगा और स्वयं उन्होंने वापस ले लिया। किसी भी मंत्री के विरुद्ध सदस्य अपना आरोप लगा सकते हैं, मंत्री उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

व्यवस्था तो आपकी हो गयी। बराबर इसी तरह के आरोप लगाते रहेंगे, क्या सदन चलता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी आप तो फिर व्यवस्था पर विवाद कर रहे हैं। आप बैठिए। यह जितनी बहस चल रही है, आपने देखा सब सरकार के विरुद्ध है। आपकी तरफ से, उधर से हर बहस में कहा गया, मंत्रियों को दोषी ठहराते हैं। मंत्रियों से त्यागपत्र की मांग करते हैं, उनके कह देने से न त्यागपत्र हो जायगा, न मोतीराम जी के कह देने से, कृषि मंत्री दोषी हो जायेंगे। इसलिये उन्होंने जो कहा है, कृषि मंत्री जी सक्षम हैं, जवाब देने के लिये।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

यह बहस क्यों इतनी लम्बी चलायी जा रही है, इसका औचित्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

औचित्य यह है कि आप लोगों का अपनी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब मैंने एक समय निश्चित किया, सबसे ज्यादा आपके पक्ष के लोग खड़े होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बल प्रयोग करके सदन चलाया जाय ? मैंने कहा कि दो घंटे का समय है। आप लोग कह देते हैं कि सदन अब आगे नहीं चलेगा। हर जगह संसदीय प्रणाली में ह्विप्स द्वारा नियंत्रण करते हैं, वक्ताओं के नाम देते हैं। यहां सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। उसके बाद प्रत्येक आदमी कहता है कि मेरा नाम अवश्य आना चाहिये। आज 7.35 तक विवाद चलना है। इस सदन का कार्यक्रम नहीं चल सकता जब तक सब पक्ष के लोगों का सहयोग न हो। आप थोड़ा आत्मसंयम करें, आपके पक्ष के लोग। मैं देखता हूं कि पुनरावृत्ति हो रही है। कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन, प्रत्येक सदस्य चाहता है कि मुझको अवसर दिया जाय। मैं तो कहूंगा कि आप प्रस्ताव रखिये कि अब बहस समाप्त की जाय, तो मैं तुरन्त सदन में रखूंगा। आप बाबू (श्री बाबू बदरे के खड़े होने पर) बदरे जी बैठ जायं। इतना तो सोचिए कि जब अध्यक्ष खड़े हों, तो बोलना नहीं चाहिये। आप बहस को समाप्त करने के लिये प्रस्ताव रख सकते हैं। कभी भी यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि विवाद समाप्त किया जाय, तब मैं सदन में प्रश्न उपस्थित करूंगा।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मैं बिल्कुल नयी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता। आप बैठ आइए।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आज्ञा दीजिए।

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह घटना हुई.....

(इन्दिरा कांग्रेस के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपकी ओर से गुलाब सेहरा बोले, चेतराम गंगवार बोले और श्रीमती बख्शी बोलीं। 3 आदमी बोल चुके हैं। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

पन्त नगर की जो घटना घटी निश्चित रूप से वह दुखद है और कोई भी उस पर हर्ष नहीं करेगा, यह शर्मनाक चीज हुई है। लेकिन उसके औचित्य पर, चूंकि घटना घटी है माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि जुडीशियल इंक्वायरी हो। इससे तथ्य सामने आ जायेंगे। कुछ बातें पत्रों में प्रकाशित हुई हैं और जिस तरह से मेरे बारे में कहा गया है वह निराधार है मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी में रत्ती भर भी विरोधाभास आपस में नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये, उसके बाद हम उनसे मिले। जो बातें सामने आयीं उन पर हम लोगों ने विचार-विमर्श किया और जो कुछ पत्रों ने प्रकाशित किया है वह उनका इमेजिनेशन है। मेरा उनसे रत्तीभर भी मतभेद नहीं है।

एक सदस्य—

उनकी साजिश है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

साजिश कह सकते हैं। जहां तक एक दो बातें और प्रकाश में आयीं। पन्त नगर के वी0 सी0 की नियुक्ति का एक प्रोसीजर है। एक कमेटी 3 आदमियों की होती है, वह तीन आदमियों का पैनल रिकमेंड करती है, जिसमें मंत्री नहीं होता है। कमेटी रिकमेंड करती है और फिर उसकी रिकमेंडेशन राज्यपाल के पास जाती है और वह उसको एप्वाइंट करता है। इस तरह से मंत्री यानी मेरा व्यक्तिगत हाथ नहीं था। यह उनके बारें में रहा। अब घटना के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

यह अनुचित बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या इसका फैसला आप करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

पन्त नगर में जो घटना घटी उसकी जानकारी शासन को थी। समय-समय पर वहां के वी0 सी0 ने कई पत्रों द्वारा सूचित किया था कि विभिन्न राजनैतिक दल वहां पर इस तरह की साजिश कर रहे हैं यह हमारे रिकार्ड में है। क्योंकि जुडीशियल इंक्वायरी

[श्री राजेन्द्र सिंह]

होने वाली है इसलिये सभी तथ्य रखना मैं पसन्द नहीं करूंगा । मजदूरों और कर्मचारियों की एक संस्था है । एसेन्शियल सर्विसेज क्यों घोषित किया गया ? यह प्रश्न माननीय देव बहादुर जी ने उठाया था । एसेन्शियल सर्विसेज घोषित करने का कारण था । उस संस्था में परमानेन्ट इम्प्लायी और क्लेरिकल इम्पलायी भी हैं और लेबर भी हैं । कुछ इसेन्शियल सर्विसेज जैसे डेरी है, पोल्ट्री है, इस तरह की इसेन्शियल सर्विसेज होती हैं । इसीलिये इसेन्शियल सर्विसेज घोषित करना पड़ा । परमानेन्ट लेबर भी उसका सदस्य है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

टेम्पोरेरी लेबर को क्यों रखा गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जब हमने एसेन्शियल सर्विसेज घोषित की थी तो वहां जो कर्मचारी थे वे नियमित रूप से और संयत रूप से कार्य करते रहे तो हमारा कोई औचित्य नहीं था कि हम उन एसेन्शियल सर्विसेज के अधीन कोई ऐक्शन लेते । यह तो इसलिये था कि 2–3 बार एग्रीमेंट्स हुआ, जैसा कि आवश्यक है लेबर और जो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के बीच में, जिलाधिकारी के सामने । जितनी उनकी मांगे थीं उन पर 3–4 एग्रीमेंट्स हुए । एक 25 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ, जो 27 को उन्हें कम्युनिकेट हुआ । उनकी सब मांगें मानते चले गये । उनकी जो 14 मांगें थीं अगर उनको देखा जाय तो पता चलेगा कि कोई भी उनकी मांग इम्मीडिएट इफेक्ट की नहीं थी । इसके बावजूद भी उप-कुलपति ने उनकी मांगों को मान लिया था । उनमें से ज्यादातर को मान लिया था । श्रमिकों का यह कहना कि विश्वविद्यालय के कैमपस से पी0 ए0 सी0 को हटा लिया जाय तो यह तो शासन का कर्तव्य था । दूसरी उनकी मांग यह थी कि एसेन्शियल सर्विसेज का मानना हटा लिया जाय । यह उनसे सम्बन्धित नहीं थी लेकिन जितनी भी मजदूरों से सम्बन्धित थीं, उन सबको मान लिया गया था । एक नोटीफिकेशन भी भेज दिया गया था । लेकिन हमारे कुछ राजनैतिक नेता, श्री देव बहादुर सिंह जी जैसे वे उसका श्रेय लेना चाहते थे कि एग्रीमेंट हम करा रहे हैं और हमारे कहने से उप-कुलपति ने उन मांगों को स्वतः मान लिया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप टीका टिप्पणी न कीजिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

तो मैं कह रहा था कि उनकी जितनी भी मांगें थीं, लगभग सभी को मान लिया था (शोर) लेकिन चूंकि ये 1–2 चीज मेरे बारे में कही गयीं थीं, उनको मैंने बता दिया है । इस मामले में अब जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है । मेरे द्वारा किसी को प्रश्रय देने की बात नहीं है । जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय कृषि मंत्री जी ने यह कहा कि मैं इसका श्रेय लेना चाहता था । 4 फरवरी को जो समझौता हुआ था वह मैंने कराया था और मैंने कहीं भी यह घोषित नहीं कराया कि मैंने यह एग्रीमेंट करा दिया है । 1 अप्रैल को जब मैं वाइस चांसलर से मिला तो मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं बीच में रहूं । मैं चाहता था कि आप बात कर लें, मैं निपटवा दूंगा । तब मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री जी जो हुक्म देंगे, वह हो जायगा । श्रेय तो उनको लेना था गोली चलवाकर, लोगों का बध करवाकर । हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते थे । मैं तो चाहता

था कि समझौता हो जाय 14 मांगों की जो बात है वह क्या हैं यह तो बातचीत जब होती तभी पता चलता ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर विवाद नहीं होगा । माननीय कृषि मंत्री जी पर चूंकि आरोप लगाये गये थे, उनका अधिकार था कि वे अपना स्पष्टीकरण देते । उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, उनका अधिकार था । अब उनसे उस पर प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है ।

* मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, यहां पर एक दुर्घटना जो हो गयी अशोभनीय, उसके सम्बन्ध में कल कुछ समय तक चर्चा हुई और आज भी चर्चा हुई है । इस प्रकार की घटनाएं चाहे वह विरोधी दल हो, चाहे सत्ता में रहने वाले लोग हों, किसी को कभी प्रसन्नता नहीं होती । सब को दुःख होता है, खेद होता है । लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अतिरंजित करके उस घटना के रूप को यहां पर देने का प्रयास किया गया है और कुछ भावावेश में आकर हमारे माननीय सदस्यों ने अपने भावों को रखा है, मैं समझता हूं कि ऐसे समय में बहुत ही गम्भीरता के साथ, संयम के साथ विचार करना चाहिये कि वह केवल एक स्थान से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की शांति-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है । उसमें यदि कोई अतिरंजित करके भावावेश में कुछ कहता है तो उसका दूसरे स्थानों पर भी प्रभाव पड़ता है ।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने "जलियां वाले बाग कांड" को भी इस घटना से सम्बन्धित रूप में रखा । कहीं पर चंगेज खां की चर्चा की । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जलियां वाले बाग की चर्चा आती है तो उस घटना से इसका मुकाबला न तो हमें करना चाहिये और न उन्हें करना चाहिये । इतना जरूर है कि अगर जलियां वाले बाग के सम्बन्ध में 1,600 फायरिंग हुए थे और 400 लोगों की जानें गयी थीं तो उससे इस घटना का मुकाबला करना बिल्कुल उचित नहीं है । लेकिन फिर भी जिस तरह से घटना हुई है, सारी बातें हुई हैं उस सम्बन्ध में हमें विचार करना चाहिये । विपक्ष में बैठे हुए लोग जलियां वाले कांड का नाम तो सदन में लेते हैं, वे भूल जाते हैं कि उन्होंने दिल्ली से चल कर सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से कांड किया है उसको भूल जाते हैं ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

(बड़े जोर से) शेम, शेम !!

श्री अध्यक्ष—

मान सिंह जी, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि आप इस प्रकार से चीत्कार करेंगे तो आपको सदन से निकाल दिया जायगा । आप थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करें । इस तरह का व्यवहार न करें । आप इस विधान सभा के सदस्य हैं, थोड़ी सी शिष्टता सीखनी चाहिये ।

श्री राम नरेश यादव—

इसलिये मान्यवर, उस प्रकार की घटनाओं से जो इधर हो रही हैं, हमें उनका मुकाबला नहीं करना चाहिये । केवल संकेत मैं करना चाहता हूं, आलोचना करने वाले लोग जब इस तरह की आलोचना करते हैं तो पिछली कार्यवाही जो उनके द्वारा हुई है, जो उनका काला इतिहास पूरे देश में रहा है, उसकी तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिये । और अपने सीने पर हाथ रख कर सोचना चाहिये कि उन्होंने स्वयं क्या किया है ।

अवश्य ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार है जो तानाशाही के रास्ते पर नहीं जाती, न जा सकने के रास्ते पर सोच सकती है । एक सम्मानित सदस्य ने कहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव]

कि जनता पार्टी तो तानाशाही के रास्ते पर जाकर गोली से सबको भुनवा दिया । मुजफ्फर-नगर में, सुल्तानपुर में इतनी घटनाएं हो गयीं, लेकिन कहीं भी सत्ता में रहने वाले शासन ने साहस नहीं किया कि जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा दी जाय । लेकिन इस तरह की घटना होने के बाद, जिस तरह की भी घटना हुई, मैं स्वयं गया, मुझे अनुभव हुआ । इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिये और इसी चीज को ध्यान में रख कर गया था और मैंने अनुभव किया कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष में हों, किसी को इस बात के कहने का मौका नहीं मिलना चाहिये । घटना किन्हीं परिस्थितियों में हुई, हमने जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर दी है सारे तथ्य सामने आ जायेंगे । कोई भी तथ्य छिपा नहीं रह सकता है । उस जांच में जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी दोषी पाया जायेगा, या जो भी दोषी पाया जायेगा, उसे बख्शा नहीं जायेगा । यह सरकार की नीति है और रहेगी ।

हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि मृतकों की संख्या कम दिखायी गयी है । मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि उनके पास यदि इस सम्बन्ध में कोई सूचना हो तो वे पूरा उनका नाम पता सहित हमें भेजने की कृपा करें । शासन उस पर विचार करेगा, उसकी जांच करवायेगा और जितने भी लोग मरे हैं मरने वालों की लिस्ट में उनको शामिल किया जायेगा हम किसी भी चीज को छिपना नहीं चाहते । हम मरने वालों की संख्या पर पर्दा नहीं डालना चाहते हैं । इस तरह की घटनाओं पर पर्दा डाल कर कोई भी शासन नहीं चल सकता । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को जो भी जानकारी हो मरने वालों की, वह हमें दें, हम उनका अवश्य पता लगायेंगे । जो भी लोग चले गये हैं, वे वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन शासन की सहानुभूति उनके साथ अवश्य है जो मर गये हैं । इसीलिये हमने मरने वालों के परिवार के लिये 5–5 हजार रुपये की घोषणा की है और जो जख्मी हुये हैं उनके लिये ढाई हजार की घोषणा की है ।

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय मैं 15 मिनट के लिये बढ़ाये देता हूं ।

श्री राम नरेश यादव—

कल से इस मामले में कुछ ऐसे भी प्रश्न उठाये गये हैं, जो यहां नहीं उठाये जाने चाहिये थे । हो सकता है किसी द्वेष के कारण वे उठाये गये हों, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारा सब का, चाहे वह कोई भी मंत्री हो, संयुक्त दायित्व है । कहीं भी हम लोगों में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है । न रहा है । इस संबंध में 3–4 बार समझौता कराया भी गया । उन समझौते पर उन लोगों के हस्ताक्षर भी हुये । उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुये । मगर सी0 पी0 एम0 के हाथों में वहां की मजदूर यूनियन है । कुलश्रेष्ठ जी उसके नेता हैं । ये लोग अपनी राजनीति को सिद्ध करना चाहते थे मजदूरों में राजनीति की आग भड़का कर । इन लोगों के कारण जो समझौता हो गया था उसका भी पालन उन लोगों ने नहीं किया । 14 मांगें उनकी मुख्य थी । उन पर विचार किया जा रहा था । उनकी मांगें तथा वे मांगें जो मानी जा चुकी थीं, सब छपवाकर बंट चुकी थीं । जो मानी नहीं गयी थीं उनको भी छपवा दिया गया था । उसके बाद भी उन लोगों को समझाया गया कि वे लोग अपना अन्दोलन न करें । प्रदर्शन को स्थगित कर दें । लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना प्रदर्शन निकाला । अब क्या परिस्थितियाँ थीं, क्यों गोली चली, यह सब तो जांच में आयेगा । उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता । लेकिन जिस प्रकार से मजदूरों को उभार कर उन लोगों को आग में झोकने का प्रयास किया गया वह उचित नहीं कहा जा सकता । उनके हितों को ध्यान में रख कर उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा था । कुछ पर निर्णय लिया भी जा चुका

था। मगर इतना होने पर जब यह सब होता है तो प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि क्या किया जाये ? यह सब के सोचने की बात है इसलिए इस संदर्भ में केवल इतना ही संकेत करना चाहता हूं कि जिस किसी भी प्रकार से 208 राउंड गोली चली, उस सिलसिले में जो हताहत हुए, जो मारे गये, क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी, यह हमारी जुडिशियल इन्क्वायरी का विषय है और उसको हमने बना लिया है।

जहां तक ईख के खेत में लाश के जलाने का सवाल है, कहीं पर किसी ने कहा कि मरने के बाद बन्दूक के नोक से मारा, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी रिपोर्ट आपकी तरफ से हुई हैं, उनकी तरफ से हुई हैं, उनकी जांच होगी। अगर नहीं हुई है तो फिर सदन में इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब तक जो जानकारी हुई है ईख के खेत में कहीं भी किसी के जलाने की बात अब तक साबित नहीं हो पाई, साबित होगी, वह भी इन्क्वायरी के समय में जिस हड्डी के मिलने की बात आई है, यह तो कल्पना से परे बात होगी कि 50 आदमियों को ईख के खेत में जला दिया गया। इस बात को श्री चेतराम गंगवार जी ने कहा। उनको जलाने की बात अगर होती, ऐसे समय में तो ईख के खेत को न ढूंढ़ कर जहां पर पत्ती जल जाती है, ईख रह जाती है, अगर इस तरह की बात आती है, तो वह भी हमारी जुडिशियल इन्क्वायरी का विषय होगा, वह भी देखेगी कि इनका कथन सही है कि नहीं सही है।

अन्त बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सदन में चर्चा करते हैं, ऐसे नेताओं का और ऐसे लोगों का भी नाम लेते हैं जिनका घटनाक्रम से न तो संबंध है और न तो कभी सोचा जा सकता है, चाहे वाइस चांसलर की नियुक्ति का सवाल हो, चाहे अन्य घटना से संबंधित प्रश्न हो, कहीं पर भी इस तरह का प्रश्न नहीं उठता कि किसी केन्द्रीय मंत्री का कोई हाथ रहा हो। अगर आप अपने ढंग से सोचते हैं तो यह सोचने का आपका अधिकार है। इसमें किसी का केन्द्रीय मंत्री का न हाथ रहा है, न तो उनकी नियुक्ति में भी किसी प्रकार का वरदहस्त रहा है। एक बात जरूर है कि उन श्रमिकों के संबंध में एक चर्चा सदन में आई, इसलिए उसका भी स्पष्टीकरण कर देना मैं आवश्यक समझता हूं। जितनी भी श्रमिक की तरफ से जो चर्चा यहां पर हुई, उसमें यह कहा गया कि कुछ मजदूरों को निकाल कर दूसरे जाति विशेष के मजदूरों को रखा गया। जितने भी मांग-पत्र आये थे, कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि ऐसे मजदूरों को निकाल कर उनके स्थान पर अन्य मजदूरों को रखा गया, अगर नहीं है उनके मांग-पत्र में, तो मैं इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को उठाना सदन में निराधार बात है। जब सारी चीजें यह सब हुईं और हम सब लोगों ने महसूस किया, हमने बताया दोनों स्थानों पर जो यह हुआ, हमने जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा दिया है। मैं, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस किसी भी तरह से शिकायत होगी जुडिशियल इन्क्वायरी के समय में उन पर विचार होगा, चाहे कोई भी अधिकारी होगा, चाहे कोई भी होगा, कोई भी आदमी जांच के निष्कर्ष के निकलने के बाद नहीं बच सकता, जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, वह कार्यवाही की जायगी। इन शब्दों के साथ–साथ जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में अपने विचार रखे हैं मेरा उन से अनुरोध है कि सारी छानबीन के बाद हो सकता है उनको फोटो मिला हो, उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और वहाँ पर सारे तथ्य प्रकाश में आ जायंगे।

श्री देव बहादुर सिंह––

मान्यवर, आपने अपने बयान में यह लिखा है कि इसेंशियल सर्विस के अंतर्गत, लगभग एक हजार से ज्यादा मजदूरों की गिरपतारी हुई है। जब कि कृषि मंत्री जी ने कहा है कि कोई

[श्री देव बहादुर सिंह]

गिरफ्तारी नहीं हुई है तो सत्य क्या है आपका कथन सत्य है या कृषि मंत्री जी का कथन सत्य है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, उनका कहना यह नहीं था कि गिरफ्तारी नहीं हुई है । इसेंशियल सर्विसेज के बारे में उन्होंने उत्तर दिया था । जो मैंने अपने बयान में दिया है वह बिल्कुल सही है और उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं और फिर समझौते के बाद उनको छोड़ भी दिया गया था ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरीगढ़वाल)—

एक प्रश्न की अनुमति दे दीजिये । मान्यवर, जो घटना हुई है उसके लिये मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है । तो वाइस चांसलर की इस समय क्या स्थिति है । वाइस चांसलर यूनीवर्सिटी में हैं या नहीं हैं ? रहेंगे या नहीं रहेंगे ? इसलिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि यूनीवर्सिटी प्रापर्ली फंक्शन करे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, वाइस चांसलर ने डाक्टर के0 जी0 गुलकोटा को चार्ज दिया है और उनको जब से चार्ज मिला है वहां बैठ करके उन्होंने शांति समिति का निर्माण किया है, जिस में विद्यार्थियों, मजदूरों और अन्य जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको बुलाकर बनायी है और वह इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि शांति कायम हो ।

वाइस चांसलर ने चार्ज दिया है और वह सारा काम कर रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, वाइस चांसलर आज वहां कौन हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

मैंने बता दिया है कि इस समय जिनको चार्ज दिया गया है वह वाइस चांसलर का काम कर रहे हैं । वह वाइस चांसलर हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं केवल एक प्रश्न पूंछना चाहता हूं । मान्यवर, इस प्रकरण में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस के और पी0 ए0 सी0 के तो जो जुडीशियल इंक्वायरी हो रही है तो इस जुडीशियल इन्क्वायरी के दौरान वह वहीं रहेंगे या उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस संबंध में जब जज की नियुक्ति हो जायगी तब इस पर विचार होगा ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, भारत का सर्वोत्तम कृषि विश्वविद्यालय बरबाद हो गया है और एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार की ओर से जो 14 तारीख को वक्तव्य दिया गया है, वह सही है या 17 तारीख का वक्तव्य सही है । क्योंकि दोनों में विरोधाभास है । यह जो

गोली कांड हुआ है, जिसको मुख्य मंत्री जी भी शर्मानाक मानते हैं। तो इस में कोई स्वस्थ परम्परा डालें। केवल अधिकारियों को उत्तरदायी न बनाया जाय। इस्तीफा वगैरह देने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। विवाद समाप्त हो गया है। आप देव बहादुर जी हर बात में इस तरह से समय क्यों लेते हैं ! अब विवाद समाप्त हुआ।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

सदन में दीर्घा से पर्ची फेंकने तथा नारे लगाने वालों के सम्बन्ध में जो प्रश्न मैंने रखा था और माननीय रियासत हुसैन जी का संशोधन है कि बजाय पुलिस की कस्टडी के उनको जेल भेज दिया जाय विचाराधीन कैदी की भांति। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को क्या कहना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैंने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया था उस में थोड़ी सी तरमीम कर देना उचित मानता हूं। इस में मान्यवर, पहले जो "पुलिस कस्टडी में रखा जाये," था तो इसको निकाल दिया जाय और "कल 11 बजे दिन तक के लिये जिला जेल, लखनऊ में विचाराधीन बंदी के रूप में रखा जाय और कल 11 बजे प्रातः मार्शल उन्हें उक्त जेल से लाकर सदन में प्रस्तुत करें" यह जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है जो अब इस प्रकार है "आज दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में पर्चे फेंकने तथा दीर्घा में नारे लगाने की जो घटना हुई है, उसे कल तक के लिए स्थगित किया जाय और इस मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों को जो अपना नाम क्रमशः श्री दिनेश सिंह गहमरी, निवासी गाजीपुर तथा श्री माता बन्दन सिंह, निवासी देवरिया बताते हैं, कल दिन के 11 बज तक के लिए जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रूप

में रखा जाय और कल दिन के 11 बजे मार्शल उन्हें उक्त कारागार से लाकर सदन में प्रस्तुत करें, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार यह जो प्रस्ताव स्वीकृत है तो दोनों अभियुक्तों को जेल कस्टडी में भेज दिया जाय।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे (पूर्वान्ह) फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
18 अप्रैल, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1164 पर]

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	मृत मीसा/डिसिर बन्दी तथा उसके आश्रित का नाम तथा पता	स्वीकृत आर्थिक सहायता	विशेष विवरण
1	2	3	4
1	मो0 हिदायत अली पुत्र मो0 युसुफ, बाराबंकी	—	पात्र आश्रित नहीं है।
2	श्री राम सागर मिश्र पुत्र शिव मंगल प्रसाद मिश्र, लखनऊ	—	कोई आश्रित नहीं है।
3	श्रीमती इबादुन्निसां पत्नी स्व0 श्री मुश्ताक अहमद, इलाहाबाद	5,000 (12-4-78 को भुगतान हो गया है)	—
4	श्रीमती यशोदा सिन्हा पत्नी स्व0 डा0 सत्यब्रत सिन्हा, इलाहाबाद	10,000 (12-4-78 को भुगतान हो गया है)	—
5	श्रीमती कदीरुन्निसां पत्नी स्व0 श्री खलील अहमद, प्रतापगढ़	—	विचाराधीन है।
6	श्रीमती केवला देवी पत्नी स्व0 श्री बाबू राम मल, आजमगढ़	—	विचाराधीन है।
7	श्री राम वृक्ष पुत्र बैठोले, बस्ती	—	पात्र आश्रित नहीं है।
8	श्रीमती धनदेवी पत्नी स्व0 श्री चेतराम, बरेली	—	विचाराधीन है।
9	श्रीमती राजपाली माता स्व0 श्री बंश राज, गोंडा	—	विचाराधीन है।
10	श्रीमती नन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री बोली सिंह, अलीगढ़	—	विचाराधीन है।

विधान सभा

1	2	3	4
11	श्रीमती ब्रह्मा देवी पत्नी स्व0 श्री बिशन लाल मित्तल, सहारनपुर	—	विचाराधीन है ।
12	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 डा0 इन्द्रजीत सिंह, बुलन्दशहर	—	विचाराधीन है।
13	श्रीमती लगरमानी पत्नी स्व0 श्री राम सुन्दर सिंह, गोरखपुर	—	विचाराधीन है।
14	श्रीमती भगवता पत्नी स्व0 श्री बच्चन यादव, देवरिया	—	विचाराधीन है।
15	श्रीमती रूप रानी पत्नी स्व0 श्री रघुनाथ सिंह, सीतापुर	—	विचाराधीन है।
16	श्री नन्हू मल पुत्र स्व0 श्री नत्थी प्रसाद, बुलन्दशहर	—	पात्र आश्रित नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	मृत मीसा/डिसिर बन्दी तथा उसके आश्रित का नाम एवं पता	स्वीकृत धनराशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
1	श्रीमती इबादुन्निसां पत्नी स्व0 मुश्ताक अहमद, इलाहाबाद	5,000	12-4-78 को भुगतान हो गया है।
2	श्रीमती यशोदा सिन्हा पत्नी स्व0 डा0 सत्य व्रत सिन्हा, इलाहाबाद	10,000	तदेव
3	श्रीमती कदीरुन्निशां पत्नी स्व0 खलील अहमद प्रतापगढ़	—	विचारधीन है।
4	श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व0 जगत नारायण पांडेय, प्रतापगढ़	—	विचाराधीन है।
5	श्रीमती केवला देवी पत्नी स्व0 बाबू राम मल, आजमगढ़	—	विचाराधीन है।
6	मो0 हिदायत अली पुत्र मोहम्मद युसुफ, बाराबंकी	—	कोई पात्र आश्रित नहीं है।
7	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री छेदी लाल, लखनऊ	—	कोई पात्र आश्रित नहीं है।
8	श्री रामसगार मिश्र पुत्र श्री शिव मंगल प्रसाद मिश्र, लखनऊ	—	कोई पात्र आश्रित नहीं है।
9	श्रीमती राजपाली माता स्व0 श्री बंश राज, गोंडा	—	विचाराधीन है।
10	श्रीमती तेरसी पत्नी स्व0 श्री गिरधारीपाल, सुल्तानपुर	—	विचाराधीन है।
11	श्रीमती भगवता पत्नी स्व0 श्री बच्चन यादव, देवरिया	—	विचाराधीन है।
12	श्रीमती लगरमानी पत्नी स्व0 श्री राम सुन्दर सिंह, गोरखपुर	—	विचाराधीन है।
13	श्रीमती रामचर्चा देवी पत्नी स्व0 श्री कान्ति प्रकाश वर्मा, बुलन्दशहर	—	विचाराधीन है।
14	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 डा0 इन्द्र जीत सिंह, बुलन्दशहर	—	विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
15	श्रीमती ब्रम्हादेवी पत्नी स्व0 श्री बिशन लाल मित्तल, सहारनपुर	—	विचाराधीन है।
16	श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व0 श्री रघुनाथ सिंह, सीतापुर	—	विचाराधीन है।
17	श्रीमती धनदेवी पत्नी स्व0 श्री चेतराम, बरेली	—	विचाराधीन है।
18	श्रीमती नन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री बौली सिंह, अलीगढ़	—	विचाराधीन है।
19	श्री सचिदानन्द गिरि, गोंडा	—	कोई आश्रित नहीं है।
20	श्री लल्लू पुत्र राम लाल, सुल्तानपुर	—	कोई पात्र आश्रित नहीं है।
21	श्री राम वृक्ष पुत्र बैठोले, बस्ती	—	कोई पात्र आश्रित नहीं है।
22	श्री नत्थी प्रसाद पुत्र श्री छोटे लाल, बुलन्दशहर	—	कोई पात्र आश्रित नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ग'

(पुलिस की गोलाबारी)

क्रम-संख्या	मृतक तथा उसके आश्रित का नाम तथा पता	स्वीकृत धनराशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
		रु0	
1	श्रीमती रामपती माता स्व0 श्री राम लाल, सुल्तानपुर	4,000 (राजाज्ञा दि0 8-3-78 द्वारा)	तथा 1,000 रु0 की तत्काल तदर्थ सहायता दी गई।
2	श्रीमती साबिरा माता स्व0 श्री उम्मेद अली, सुल्तानपुर	4,000 (राजाज्ञा, दि0 8-3-78 द्वारा)	तदेव
3	श्रीमती अख्तरी बेगम पत्नी स्व0 श्री मो0 हाशिम, सुल्तानपुर	4,000 (राजाज्ञा, दि0 8-3-78 द्वारा)	तदेव
4	श्रीमती मकबूलन माता स्व0 श्री इश्तियाक अहमद, सुल्तानपुर	4,000 (राजाज्ञा, दि0 8-3-78 द्वारा)	तदेव
5	श्रीमती बाजकली पत्नी स्व0 श्री हरी राम, सुल्तानपुर	4,000 (राजाज्ञा, दि0 8-3-78 द्वारा)	तदेव
6	श्रीमती केवला पत्नी श्री स्व0 राम कृपाल, सुल्तानपुर	4,000 (राजाज्ञा, दि0 8-3-78 द्वारा)	तदेव
7	श्रीमती तैयबा खातून पत्नी स्व0 श्री शब्बीर अहमद, सुल्तानपुर	—	विचाराधीन है।
8	मोहम्मद अली पुत्र सुबराती, सुल्तानपुर	—	कोई पात्र आश्रित नहीं पाया गया।

1	2	3	4
9	एक मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी	—	—
10	श्री रूपई पिता स्व0 श्री जोखू, प्रतापगढ़	5,000 (राजाज्ञा, दि0 8-3-78 द्वारा)	—
11	श्रीमती इमरती पत्नी स्व0 श्री मिट्ठू, गोरखपुर	—	विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1278 पर।)

होम्यो छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था की मांगों के सम्बन्ध में सरकार उदासीन क्यों ?

संसद सदस्यों, विधायकों व जनता से अपील

8,000 होम्यो छात्र गत 2 मई, 1977 से अपनी उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था हेतु कराह रहे हैं, जिसके बदले में प्रत्येक छात्र दमन किया जा रहा है तथा समस्याओं की उपेक्षा की जा रही है।

समस्यायें जिनका तात्कालिक रूप से निदान किया जाय

1——कालेजों की सम्बद्धता वि0 वि0 से हो सर्वविदित हो कि राज्य सरकार ने 8 अगस्त, 1977 को एक अध्यादेश जारी कर उ0 प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् की व्यवस्था को गलत मानकर परिषद् को भंग किया तथा नियन्त्रक की नियुक्ति की परन्तु अभी भी कालेजों की सम्बद्धता भंग उ0 प्र0 होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् से है, जो औचित्य विहीन है तथा सरासर अत्याचार है, अतः कालेजों की सम्बद्धता उपरोक्त परिषद् से समाप्त की जाय तथा कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय।

राज्य सरकार 8 अगस्त, 1977 को जारी अध्यादेश द्वारा उ0 प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन कर आगरा व कानपुर वि0 वि0 के कार्यक्षेत्र व अधिकार को बढ़ाते हुए उक्त विश्वविद्यालयों को होम्योपैथिक की शिक्षा–दीक्षा हेतु अधिकृत किया है परन्तु अभी सरकार ने केवल अधिसूचना जारी कर परीक्षा लेने व डिप्लोमा प्रदान करने का ही अधिकार कानपुर वि0 वि0 को दिया है। अतः सभी होम्यो कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय तभी अच्छी शिक्षा सम्भव है।

2—**कालेजों का प्रान्तीयकरण हो**—राज्य सरकार व होम्योपैथिक छात्र प्रतिनिधियों के मध्य 27 जुलाई, 1977 को उ0 प्र0 होम्योपैथिक छात्र महासंघ द्वारा प्रेषित 15 सूत्री मांगों के सन्दर्भ में हुई गोल मेज सभा में सरकारी पक्ष ने प्रदेश के सभी 15 गैर सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही प्रान्तीयकृत करने का वचन दिया था, जिसके सन्दर्भ में छात्र प्रतिनिधियों ने प्रान्तीयकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी गैर सरकारी प्रबन्ध कारिणी समितियों को भंग कर प्राशसक की नियुक्ति की मांग की थी, जिसके सन्दर्भ में सरकार उदासीन है, अतः कालेजों का अविलम्ब प्रान्तीयकृत किया जाय।

3—प्रान्त के सभी गैर सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में उच्चस्तरीय शिक्षा, सन् 1977–78 से इन्टरमीडिएट साइन्स बायलोजी शैक्षिक योग्यता वाले छात्रों हेतु जी0 एच0 एम0 एस0 डिग्री कोर्स एवं बी0 एम0 एस0 (डिप्लोमा) पास छात्रों हेतु जी0 एच0 एम0 एस0 डिग्री ब्लासेज कोर्स की व्यवस्था की जाय।

4——पूर्व घोषित मांगों को क्रियान्वित किया जाय।

सर्वविदित हो कि होम्यो छात्र उपरोक्त समस्याओं के तत्काल निदान हेतु 11 माह से संघर्षरत हैं तथा 8,000 छात्रों का अमूल्य समय सरकार उपेक्षा के कारण बर्बाद हो रहा है। तथा समस्याओं के निदान के स्थान पर प्रदेश की जनता को भ्रामक वक्तव्यों द्वारा गुमराह कर रही है।

अतः इस सन्दर्भ में प्रदेश, देश की जनता, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, संसद सदस्यों समस्त छात्रों से अपील है कि वह होम्यो छात्रों की समस्याओं का निदान कराकर उनके साथ न्याय करायें, जिससे 8,000 होम्यो छात्रों का भविष्य अन्धकारमय होने से बच सके।

आपके सहयोग व
समर्थन का आकांक्षी
उ0 प्र0 होम्योपैथिक छात्र महा संघ।

पी0 एस0 यू0 पी0—22 विधान सभा—21-7-78—845—(हिन्दी)

विधान परिषद सचिवालय